सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

वार्षिक रिपोर्ट

2024-2025

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ: 9001:2015 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

चौथी, पाँचवीं, छठी एवं सातवीं मंज़िल, टॉवर - एफ,
एन.बी.सी.सी. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

+91-11-26769666 | www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार को

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल की गई है ।

इस रिपोर्ट में, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों के परिदृश्य तथा अधिनियम के तहत इसके लिए अनिवार्य कार्यों के विशिष्ट संदर्भों के साथ, भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(अनिल कुमार लाहोटी)
अध्यक्ष

दिनांक: 19 नवंबर 2025

विषय सूची

दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों का परिदृश्य 01-10

भाग – I

नीतियाँ एवं कार्यक्रम 11-66

क. दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा
ख. नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा
ग. प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा
घ. भाग – I के अनुलग्नक

भाग – II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा 67-186

भाग – III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य 187-200

भाग – IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले एवं वित्तीय कार्य निष्पादन 201-281

क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले
ख. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित खाते
ग. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2024-25 के लिए भादूविप्रा के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि खाते

दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों का परिदृश्य

परिदृश्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) लगभग तीन दशकों से, भारत के गतिशील दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पारदर्शिता, निष्पक्षता और उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अपने मूल मिशन से प्रेरित होकर, भादूविप्रा ने उद्योग जगत में सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार और विनियामक सुधारों को गति देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वर्ष 2024–25 में भादूविप्रा भविष्य के लिए तैयार, प्रतिस्पर्धी और निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करके भारत की स्थिति वैश्विक डिजिटल लीडर के रूप में सुदृढ़ करना जारी रखने में लगा रहा। सक्रिय नीतिगत अनुशंसाओं और संतुलित कैलिब्रेटेड विनियामक दृष्टिकोण के माध्यम से, भादूविप्रा यह सुनिश्चित कर रहा है कि कनेक्टिविटी और डिजिटल रूपांतरण के लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचें, साथ ही तेजी से एकीकृत और जटिल बनते हुए संचार परिदृश्य में सभी हितधारकों के लिए समान अवसर वाले प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण हो ।

वर्ष 2024-25 भारतीय दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए एक निर्णायक चरण सिद्ध हुआ, जिसमें व्यापक वृद्धि, तकनीकी रूपांतरण और विनियामक प्रगति देखी गई। सुव्यवस्थित विकास, उपभोक्ता संरक्षण और समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का पालन करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) दोनों क्षेत्रों को नवाचार, दक्षता और समावेशिता की दिशा में अग्रसर करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता रहा है । यह परिदृश्य इस वित्तीय वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों की परिवर्तनकारी यात्रा को समाविष्ट करता है, जिसमें प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और भादूविप्रा के महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करता है।

दोनों क्षेत्रों में—सब्सक्राइबर संख्या, भौगोलिक कवरेज और सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में—नोट की गई उल्लेखनीय वृद्धि भादूविप्रा द्वारा संचालित पहलों का सशक्त प्रमाण है। तीव्र विकास के प्रति अपनी तत्परता, नए परिवर्तनों के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता और समयबद्ध समाधान प्रदान करने के माध्यम से, भादूविप्रा ने इन क्षेत्रों में संरचित विकास को प्रोत्साहित किया है।

भारत ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुगम बनाकर और प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर दूरसंचार क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु सशक्त नीतियाँ अपनाई हैं। भादूविप्रा ने संयम नीति का पालन करते हुए और शिथिल विनियमन को लागू करके इस प्रयास को समर्थन प्रदान किया है।

भादूविप्रा ने दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में बहुआयामी योगदान दिया है, जिनमें लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को अनुशंसाएं देने के साथ- साथ टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण पर विनियम जारी करना शामिल है। भादूविप्रा अपनी परामर्श प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, विविध दृष्टिकोणों और हितधारकों के हितों के सामंजस्य को प्राथमिकता देता है, जो एक प्रभावी विनियामक ढाँचे की बुनियादी आवश्यकताएँ हैं।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बुनियादी ढाँचे की साझेदारी और सक्रिय नेटवर्क तत्वों पर भादूविप्रा की नीतिगत अनुशंसाओं ने 5G परिनियोजन में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट ऑफ वे (RoW) अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने में ट्राई के प्रयासों ने भी तेजी से फाइबराइजेशन और टावर स्थापना में योगदान दिया है।

पिछले वर्षों के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता अत्यधिक रूप से बढ़ी है और यह अब दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। इंटरनेट आज प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में गहराई से समाहित है - चाहे वह बाजार हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करना हो, मोबाइल भुगतान करना हो या अन्य आवश्यक कार्य करना - इसने लोगों के जीवन और कार्य करने के तरीकों को सरल बना दिया है। विश्वसनीय और उच्च गति वाला मोबाइल ब्रॉडबैंड न केवल आधुनिक जीवन की आवश्यकता है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को गति देने का एक प्रमुख कारक भी है।

944.12 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड बाज़ार है। भारत में प्रति उपभोक्ता औसत मासिक डेटा खपत, वर्ष 2024 में बढ़कर 27.5 जीबी हो गई, जो पिछले पाँच वर्षों में 19.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाती है [स्रोत: डीडी न्यूज़ (मार्च 2025)]। व्यापक इंटरनेट पहुँच को सक्षम बनाकर, मोबाइल उद्योग ने विश्वभर के लोगों को जोड़ा है। मोबाइल प्रौद्योगिकियाँ तेजी से सस्ती और सुलभ होती जा रही हैं, जिसके चलते आने वाले वर्षों में मोबाइल स्वामित्व और इंटरनेट उपयोग दोनों के लगातार बढ़ने का अनुमान है। मोबाइल इंटरनेट उपयोग में यह वृद्धि विशेष रूप से उभरते हुए डिजिटल बाज़ारों में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट पहुँच का मुख्य साधन हैं।

नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत अपने शासन प्रणाली के प्रत्येक घटक में आमूलचूल परिवर्तन लाने और उसे नए सिरे से परिभाषित करने हेतु डिजिटल रूपांतरण को अपना रहा है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक पहल है, जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को व्यापक कार्यक्रम के तहत जोड़ती है। सरकार डिजिटल इंडिया पहल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तेज और भरोसेमंद मोबाइल संचार तकनीकों का उपयोग कर रही है। ।

वर्ष 2024-25 की सबसे उल्लेखनीय प्रगतियों में से एक थी - 5G सेवाओं का तीव्र विस्तार । इस अवसंरचनात्मक उपलब्धि ने उच्च गति वाली कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक स्वचालन को संभव बनाया। 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी का विकास दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत देता है।

भारत में 5G सेवा का शुभारंभ दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था और वर्तमान में यह देश के 99.6% ज़िलों में उपलब्ध है। दिनांक 28 फरवरी 2025 तक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) द्वारा देशभर में 4.69 लाख 5G बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) स्थापित किए जा चुके हैं और लगभग 25 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर 5G का उपयोग प्रारंभ कर चुके हैं, जो 5G नेटवर्क की सबसे तेज़ तैनातियों में से एक है [स्रोत: पी.आई.बी. प्रेस विज्ञप्ति (मार्च 2025)]।

सरकार की पहलें कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें 5G अवसंरचना का विकास, प्रभावी अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग को प्रोत्साहन, और 5G प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा एवं उपयोगिता, विनिर्माण और खुदरा जैसे उद्योग 5G के व्यापक तैनातियों से सर्वाधिक लाभान्वित होने की स्थिति में हैं। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग राष्ट्र की कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है। भारतीय प्रसारण और केबल टीवी बाज़ार की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है इसका विशाल आकार। नवीनतम फिक्की-ईवाई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र ने वर्ष 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिसका कुल मूल्य ₹ 2.5 ट्रिलियन तक पहुँच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 81 बिलियन की वृद्धि दर्शाता है, जो 3.3% की बढ़ोतरी है। वर्ष 2024 में इस क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में 0.73% का योगदान दिया। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के वर्ष 2025 में 7.2% की वृद्धि के साथ ₹2.7 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है [स्रोत: फिक्की प्रेस विज्ञप्ति (मार्च 2025)]।

स्पैम कॉल की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दिनांक 13 अगस्त 2024 को भादूविप्रा द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने और दुर्भावनापूर्ण/धोखाधड़ीपूर्ण संदेशों को अग्रेषित करने में एस.एम.एस. हेडर और कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये उपाय उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और स्पष्ट एवं सुरक्षित संदेश प्रेषण तंत्र सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

भादूविप्रा द्वारा हासिल की गई एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि थी - दिनांक 18 सितम्बर 2024 को "दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराइजेशन के लिए ढाँचे" पर अनुशंसाओं का जारी करना। मौजूदा लाइसेंसिंग ढाँचे को पूरी तरह से एक नए प्राधिकरण ढाँचे में परिवर्तित करने हेतु परामर्श और अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने का यह वृहद कार्य बहुत कम समय में पूरा किया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 25 अक्तूबर 2024 को "डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु भवनों की रेटिंग विनियम, 2024" भी जारी किए, ताकि भवनों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे को हल करने करने के लिए नीतिगत और विनियामक पहल उपलब्ध कराई जा सके। इस रेटिंग ढांचे का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना (डी.सी.आई.) के सह-निर्माण के लिए ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित हैं, जिसे किसी भी विकास गतिविधि का हिस्सा बनाया जा सके।

वर्ष के दौरान कई परामर्श प्रक्रियाएँ आयोजित की गईं, जिनमें विविध विषयों को शामिल किया गया, जैसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स फ्रेमवर्क; दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दिए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की शर्तें और नियम; ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क; निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति का निर्माण; उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तें और नियम; दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियम, 2018 की समीक्षा; दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2024; इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधान; एफ.एम. रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य; दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टी.सी.पी.आर.), 2012 की समीक्षा; दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दिए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों की रूपरेखा; एम.2.एम. क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं से संबंधित मुद्दे और एम.2.एम. सिमों के स्वामित्व का हस्तांतरण; राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण; 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़, और 42.5-43.5 गीगाहर्टज़ बैंड, जिन्हें आई.एम.टी. हेतु चिन्हित किया गया है, में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी; राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु सुझाव।

भादूविप्रा मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्षभर विभिन्न संगोष्ठियों और विशेष उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों (सी.ओ.पी.) का आयोजन किया। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित सी.ओ.पी. का उद्देश्य वंचित और हाशिये पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना था, जिनमें किसान, मछुआरे, दिव्यांग, स्व-रोज़गार करने वाली ग्रामीण महिलाएँ, बुनकर, आदिवासी छात्र और आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएँ शामिल थीं।

अपने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाई है, जिससे उन्हें अपनी दूरसंचार सेवाओं के संबंध में समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम बनाया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने एशिया-प्रशांत दूरसंचार समुदाय (ए.पी.टी.) के सहयोग से दिनांक 21 से 23 जनवरी 2025 तक होटल डबलट्री बाय हिल्टन, गोवा में "स्पेक्ट्रम पर" दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (SATRC)" कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यशाला में कुल 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें लगभग 57 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि एस.ए.टी.आर.सी. सदस्य देशों से तथा 28 घरेलू प्रतिभागी भादूविप्रा और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

भादूविप्रा ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) में प्रगति से उत्पन्न अंतःक्षेत्रीय मुद्दों और चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सहयोगी विनियामकों के साथ साझेदारी की है। भारतीय विनियामकों के प्लेटफार्म (फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स) की 24वीं वार्षिक आम सभा में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि फोरम में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में 5G और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार तेज़ी से अपनाया जाए। "भादूविप्रा और विद्युत विनियामकों के बीच अंतःक्षेत्र सहयोगी विनियमन" पर कार्य समूह की सफलता को ध्यान में रखते हुए, जिसने 5G अवसंरचना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भादूविप्रा ने सुझाव दिया कि एक और कार्य समूह स्थापित किया जाए, जो फोरम में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में 5G और संबद्ध प्रौद्योगिकियों की तेज तैनाती हेतु उपायों का अन्वेषण और अनुशंसा कर सके। 5G की अपार संभावनाओं और अपेक्षित प्रभाव को पहचानते हुए, फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स ने एक समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जो फोरम में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न क्षेत्रों—जैसे उद्योग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, विद्युत क्षेत्र, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग आदि—में 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (ए.आई./एम.एल.), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.), मशीन-टू-मशीन (एम.2.एम.), ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी (ए.आर./वी.आर.), इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों की जाँच करेगा। इसका उद्देश्य न केवल क्षेत्र-विशिष्ट अनुप्रयोगों बल्कि डाटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एम.आई.एस. आदि जैसे सामान्य अनुप्रयोगों के लिए भी उपयुक्त उपाय सुझाना होगा।

अब तक, वर्ष 2024–25 के दौरान फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स के तकनीकी कार्य समूह की तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और भादूविप्रा वर्तमान में एक परामर्श पत्र का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है।

दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता मामले, वित्तीय और बीमा क्षेत्रों के क्षेत्रीय विनियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा ने विनियामकों की एक संयुक्त समिति (जेसीओआर) स्थापित करने की पहल की। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में अंतःक्षेत्रीय विनियामक मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त विनियामक उपायों को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करना है। वर्ष 2021 से जेसीओआर की आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। समिति के सदस्यों ने इस प्लेटफार्म का उपयोग अपने-अपने विनियामक ढाँचों को मजबूत करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया है। जेसीओआर ने डिजिटल युग में स्पैम से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्पैम पर नियंत्रण हेतु विनियामक ढाँचों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अत्यंत उपयोगी सहयोगात्मक फोरम उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया जा रहा है:

I. दूरसंचार क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जिसे पुराने नेटवर्क से डिजिटल एक्सचेंज, फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन जैसी प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति तथा बदलते बाज़ार रुझानों से गति मिल रही है। इसने भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए कनेक्टिविटी को बढ़ाया है और लोगों के संवाद एवं पारस्परिक क्रियाओं के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इस तीव्र वृद्धि ने देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूरसंचार क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सहित अन्य क्षेत्रों की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत का दूरसंचार क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का आधार तेजी से बढ़ रहा है और मोबाइल डेटा उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) देश के दूरसंचार उद्योग के विनियामक परिदृश्य को परिभाषित करने और रूपरेखा तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

पिछले वर्षों के दौरान, भारत ने डिजिटल रूपांतरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार बनकर उभरा है। डिजिटलीकरण अब अपरिहार्य हो गया है और यह अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों का अभिन्न अंग बन चुका है, जो प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँच रहा है और मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। यह लोगों को दूरियों के पार जुड़े रहने, जानकारी और बुनियादी सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने, घर से काम करने या अध्ययन करने, वित्तीय लेन-देन करने, मित्रों और परिवार के संपर्क में रहने तथा मनोरंजन का आनंद लेने की सुविधा कभी भी, कहीं भी प्रदान करता है।

पिछले कुछ दशकों में दूरसंचार उद्योग ने मोबाइल प्रौद्योगिकियों की विभिन्न पीढ़ियों के दौरान निरंतर विकास किया है, इस विकास प्रक्रिया में इसका ध्यान वॉयस सेवाओं से हटकर कंटेंट पर केंद्रित किया है और आगे वाणिज्य एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी विस्तारित हुआ है। 5G प्रौद्योगिकी अनेक क्षेत्रों/उद्योगों में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो नई संभावनाएं (लचीलापन), उत्पादकता और दक्षता के स्तर प्रदान करेगी। 5G का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), ए.आर./वी.आर., स्मार्ट प्लेटफॉर्म और आई.ओ.टी. जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण व्यक्ति, व्यवसायों और समग्र रूप से समाज के लिए अपार मूल्य खोलने या सृजित करने में सक्षम होगा। यह स्मार्ट शहरों, स्वचालित वाहनों, स्मार्ट विनिर्माण और संबंधित नवाचारों के निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत सेवाओं के विकास को और भी सक्षम बनाएगा।

वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष उपस्थित कई मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया। सरकार को प्रमुख विषयों पर अनुशंसाएँ दी गईं, जैसे– "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवाचारपूर्ण प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों और व्यवसाय मॉडल को प्रोत्साहन", "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग", "टेरा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम", "एक से अधिक एन.एस.ओ. से एक्सेस सेवा वी.एन.ओ. को कनेक्टिविटी", "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराइजेशन के लिए रूपरेखा", "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा", "भारतीय रेलवे को उसकी सुरक्षा और संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन", "आई.एम.टी. हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़, और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम", "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण", तथा "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दिए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की नियम और शर्तें"। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान दूरसंचार अनुशंसाओं और विभिन्न दूरसंचार विनियमों में संशोधनों पर दूरसंचार विभाग द्वारा प्राप्त बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया भी जारी की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार 1200.80 मिलियन तक पहुँच गया, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को सब्सक्राइबर आधार 1199.28 मिलियन था, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान 1.51 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्ज हुई। दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत में वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1156.99 मिलियन रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 1165.49 मिलियन था, अर्थात् वर्ष 2024-25 के दौरान 8.50 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज की गई। कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2025 तक 37.04 मिलियन पर पहुँच गया, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 33.79 मिलियन था, जिससे वर्ष 2024-25 में 3.25 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई। 37.04 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 33.54 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर और 3.50 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं।

देश में, दिनांक 31 मार्च 2025 तक इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 969.10 मिलियन पर पहुँचा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 954.40 मिलियन था। दिनांक 31 मार्च 2025 तक देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 944.12 मिलियन रहा, जबकि 31 मार्च 2024 को यह 924.07 मिलियन था।

II. प्रसारण क्षेत्र

टेलीविज़न प्रसारण क्षेत्र, भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी के रूप में उभरा है। भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र हमारे देश की कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देश की आधे से अधिक युवा जनसंख्या वाला जनसांख्यिकीय लाभ, सूचना और मनोरंजन सेवाओं के लिए अपार अवसर प्रदान करता है, जिससे भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। उद्योग रिपोर्टों के अनुसार [स्रोत: फिक्की-ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2025)], भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र वर्ष 2024 में 3.3% बढ़कर ₹ 2.5 ट्रिलियन तक पहुँच गया और इसके 2027 तक 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ ₹ 3.07 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

वर्ष 2024-25 प्रसारण और केबल सेवाओं के उद्योग के लिए एक और गतिशील समय सिद्ध हुआ। वर्ष 2024-25 के दौरान, भादूविप्रा द्वारा कई महत्वपूर्ण परामर्श पत्र जारी किए गए, जिनमें शामिल हैं: क) राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु सुझाव, ख) एफ.एम. रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य, ग) इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल के लेखा-परीक्षण संबंधी प्रावधान, घ) निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति का निर्माण, ङ) ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक ढाँचा, और च) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकरणों की रूपरेखा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024–25 के दौरान सरकार को कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ भेजी गईं। इनमें शामिल हैं: क) राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु सुझाव, ख) इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविज़न चैनलों का सूचीकरण और डी.डी. फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नत करना, ग) ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक ढाँचा, और घ) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकरणों की रूपरेखा। इन अनुशंसाओं के सारांश पर भाग-II में चर्चा की गई है, जो भादूविप्रा के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा से संबंधित है। वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, भादूविप्रा और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) द्वारा पैनल में शामिल 44 लेखा-परीक्षकों के माध्यम से कुल 518 डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स के लेखा-परीक्षण किए गए।

प्रसारण क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

i. प्रसारण क्षेत्र में टेलीविज़न और रेडियो सेवाएँ शामिल हैं। टेलीविज़न सेवाएँ केबल टीवी सेवाओं, डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं, हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) सेवाओं और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार [स्रोत: फिक्की-ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2025)], टीवी यूनिवर्स में लगभग 60 मिलियन केबल टीवी परिवार और 2 मिलियन हिट्स सब्सक्राइबर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 4 पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक सक्रिय पे डीटीएच सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 56.92 मिलियन थी। साथ ही, 9 आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक आईपीटीवी सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 0.7 मिलियन थी।

ii. टीवी प्रसारण क्षेत्र में लगभग 329 प्रसारक शामिल हैं, जो दिनांक 31 मार्च 2025 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) द्वारा अनुमोदित लगभग 918 निजी उपग्रह टीवी चैनल प्रदान कर रहे हैं [स्रोत: एम.आई.बी. का ब्रॉडकास्ट सेवा]। इन टेलीविज़न चैनलों में 35 प्रसारकों द्वारा प्रदान किए गए 232 एस.डी. पे टीवी चैनल और 101 एच.डी. पे टीवी चैनल शामिल हैं [स्रोत: भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट]। इसके अतिरिक्त, 845 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एम.एस.ओ.), 1 हिट्स ऑपरेटर, 4 पे डीटीएच ऑपरेटर और 53 आईपीटीवी ऑपरेटर थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी 2022 तक देश में 81,706 पंजीकृत स्थानीय केबल ऑपरेटर थे।

iii. प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, जो ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी नाम का रेडियो नेटवर्क और दूरदर्शन नाम का टेलीविज़न नेटवर्क संचालित करता है। प्रसार भारती डी.डी. फ्री डिश भी संचालित करता है, जो भारत की एकमात्र फ्री-टू-एयर (एफ.टी.ए.) डीटीएच सेवा है और देश का सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म है। डी.डी. फ्री डिश विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले निम्न-आय वर्ग के लाखों लोगों तक पहुँचता है और केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार [स्रोत: फिक्की-ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2025)], लगभग 49 मिलियन परिवार डी.डी. फ्री डिश का उपयोग कर रहे थे।

iv. एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार [स्रोत: फिक्की-ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2025)], वर्ष 2024 के अंत में भारतीय टेलीविज़न उद्योग का राजस्व ₹ 67,900 करोड़ रहा, जिसमें से ₹ 38,500 करोड़ सब्सक्रिप्शन राजस्व और ₹ 29,400 करोड़ विज्ञापन राजस्व था।

v. निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक 388 निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन संचालित हो रहे थे, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो (ए.आई.आर.) द्वारा 591 रेडियो चैनल संचालित किए जा रहे थे। जहाँ तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का संबंध है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक ऐसे स्टेशनों की स्थापना हेतु जारी 639 अनुमतियों में से 531 सामुदायिक रेडियो स्टेशन परिचालन में आ चुके थे। निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों का विज्ञापन राजस्व ₹ 1818.71 करोड़ रहा।

III. अन्य प्रशासनिक पहलें

1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) किराए के परिसरों से कार्य करता रहा है। नवम्बर 2020 में भारत सरकार ने, दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के माध्यम से, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यू.टी.सी.) के रूप में विकसित किए जा रहे एन.बी.सी.सी. वाणिज्यिक परिसर में भादूविप्रा के लिए कार्यालय स्थान अधिग्रहित करने की स्वीकृति प्रदान की।

इसके पश्चात, फरवरी 2021 में एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर के टॉवर-एफ में कुल 115,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र (जिसमें 85,545 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्र शामिल है) आवंटित किया, जो चौथी से सातवीं मंज़िल तक फैला हुआ है।

नवम्बर 2022 में, भादूविप्रा ने एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एन.बी.सी.सी. सर्विसेज लिमिटेड—जो एक नवरत्न सी.पी.एस.ई. है—के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)/समझौता किया, जिसके अंतर्गत उसके नए कार्यालय स्थल के लिए आंतरिक साज-सज्जा, नवीनीकरण और फर्निशिंग कार्यों की योजना, डिज़ाइन और क्रियान्वयन किया जाना था।

ये कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुके हैं और यह कार्यालय परिसर मई 2024 में भादूविप्रा को सौंप दिया गया। इसके बाद, भादूविप्रा ने अपना कार्यालय एन.बी.सी.सी. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली के टॉवर-एफ स्थित अपने नए परिसर में स्थानांतरित कर लिया। इस बदलाव के साथ, भादूविप्रा अब दिनांक 1 जून 2024 से अपने समर्पित कार्यालय स्थान से कार्य कर रहा है।

दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और तकनीकी व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यक्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस संदर्भ में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय/मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 10 मार्च 2023 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें भादूविप्रा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पदों की माँग शामिल है। इस विषय को दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

भाग – I

नीतियाँ और कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार 1200.80 मिलियन तक पहुँच गया, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को सब्सक्राइबर आधार 1199.28 मिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.51 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्शाता है। कुल सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार-घनत्व **तालिका-1** में दर्शाया गया है।

तालिका-1: समग्र सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार-घनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस + वायरलाइन)
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	1163.76*	37.04	1200.80
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	632.57*	33.54	666.11
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	531.18*	3.50	534.69
कुल दूरसंचार-घनत्व (%)	82.42%	2.62%	85.04%
शहरी दूरसंचार-घनत्व (%)	124.83%	6.62%	131.45%
ग्रामीण दूरसंचार-घनत्व (%)	58.67%	0.39%	59.06%
शहरी सब्सक्राइबरों का अनुपात	54.36%	90.55%	55.47%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों का अनुपात	45.64%	9.45%	44.53%
इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन)	927.70	41.41	969.10
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन)	902.74*	41.39	944.12

*वायरलेस में 5G FWA (FWA) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

वायरलेस एवं वायरलाइन खंडों में सब्सक्राइबर आधार; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी.) के लिए अनुरोध; दूरसंचार-घनत्व; इंटरनेट सब्सक्राइबर तथा तिमाही दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन संकेतकों का विवरण अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) वायरलेस (मोबाइल)

1.1.1 दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत में वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1156.99 मिलियन रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह आधार 1165.49 मिलियन था, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 8.50 मिलियन सब्सक्राइबरों की मामूली कमी दर्ज हुई। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबर आधार की स्थिति **चित्र-1** में दर्शाई गई है।

चित्र-1: मार्च 2021 से पिछले पाँच वर्षों का वायरलेस सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

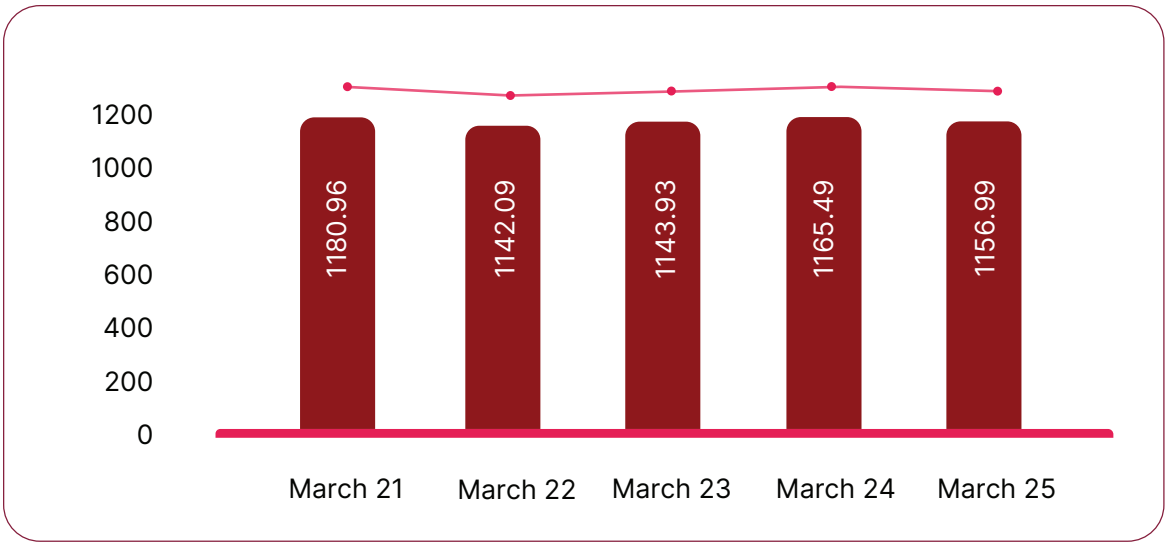

(ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 156.41 मिलियन सब्सक्राइबरों ने एम.एन.पी. सुविधा का लाभ उठाने हेतु विभिन्न सेवा प्रदाताओं को पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ ही, जनवरी 2011 से अब तक के संचयी पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या मार्च 2024 के अंत में 962.52 मिलियन से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 1118.94 मिलियन हो गई। सेवा क्षेत्र-वार संचयी पोर्टिंग अनुरोधों का विवरण मार्च 2025 के अंत में **तालिका-2** में दर्शाया गया है।

तालिका-2: मार्च 2025 के अंत में सेवा क्षेत्र-वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध

मार्च 2025 के अंत में संचयी एम.एन.पी. अनुरोध (सेवा क्षेत्र-वार)

	सेवा क्षेत्र	संचयी एम.एन.पी. अनुरोधों की संख्या		पोर्टिंग अनुरोधों की कुल संख्या
		क्षेत्र-I	क्षेत्र-II	
क्षेत्र-I	दिल्ली	50,038,906	3,214,759	53,253,665
	गुजरात	74,239,040	1,874,752	76,113,792
	हरियाणा	34,207,031	982,023	35,189,054
	हिमाचल प्रदेश	4,566,192	118,689	4,684,881
	जम्मू एवं कश्मीर	3,012,759	220,309	3,233,068
	महाराष्ट्र	87,871,388	2,995,562	90,866,950
	मुंबई	34,674,773	1,558,980	36,233,753
	पंजाब	34,491,646	1,874,574	36,366,220
	राजस्थान	73,559,762	1,003,375	74,563,137
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	110,052,408	1,842,036	111,894,444
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	83,096,458	931,326	84,027,784
क्षेत्र-II	आंध्र प्रदेश	1,173,550	71,515,895	72,689,445
	असम	346,593	7,848,481	8,195,074
	बिहार	4,682,401	60,251,301	64,933,70
	कर्नाटक	1,858,990	71,671,376	73,530,366
	केरल	450,585	25,893,908	26,344,493
	कोलकाता	409,639	19,764,520	20,174,159
	मध्य प्रदेश	2,537,934	85,875,608	88,413,542
	उत्तर-पूर्व	66,804	2,483,869	2,550,673
	ओडिशा	392,780	19,082,893	19,475,673
	तमिलनाडु	761,452	68,565,178	69,326,630
	पश्चिम बंगाल	1,474,770	65,400,252	66,875,022
	कुल	**603,965,861**	**514,969,666**	**1,118,935,527**
	कुल (क्षेत्र – I + क्षेत्र – II)			

(ग) वायरलाइन और वायरलेस (FWA-5G) सेवाएँ

1.1.3 (i) वायरलाइन:

दिनांक 31 मार्च 2025 तक कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 37.04 मिलियन रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 33.79 मिलियन था, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान 9.62% की वृद्धि दर्ज हुई। 37.04 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 33.54 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर और 3.50 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। पिछले पाँच वर्षों का वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार **चित्र–2** में दर्शाया गया है।

चित्र-2: पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के वायरलाइन सब्सक्राइबर

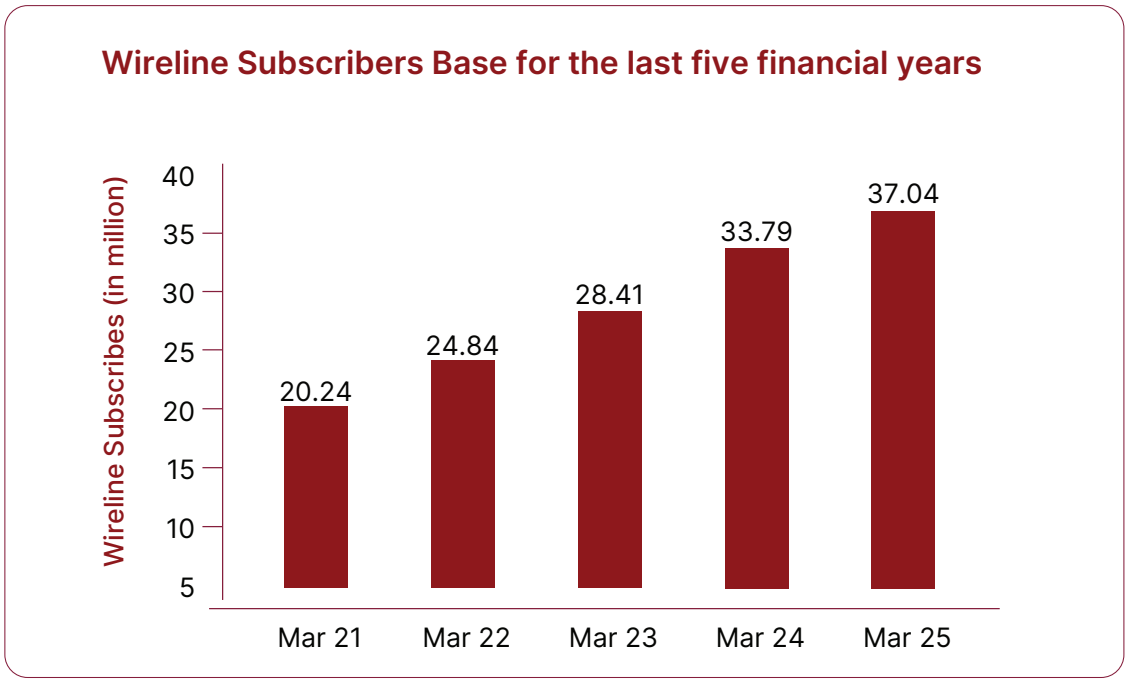

(ii) वायरलेस (FWA-5G)#:

फिक्स्ट लाइन सब्सक्राइबर आधार रिपोर्ट को जनवरी 2025 से संशोधित किया गया। इसके अनुसार, जनवरी 2025 से फिक्स्ट वायरलेस एक्सेस (5G) सब्सक्राइबरों का लेखा-जोखा अलग से किया जाने लगा। दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कुल फिक्स्ट-वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर आधार 6,769,089# (6.77 मिलियन) रहा। पिछले तीन महीनों का फिक्स्ट-वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर आधार **चित्र–3** में दर्शाया गया है।

 # FWA-5G सब्सक्राइबरों का लेखा-जोखा जनवरी 2025 से अलग से प्रारंभ किया गया।

चित्र-3: जनवरी 2025 से फिक्स्ड वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर

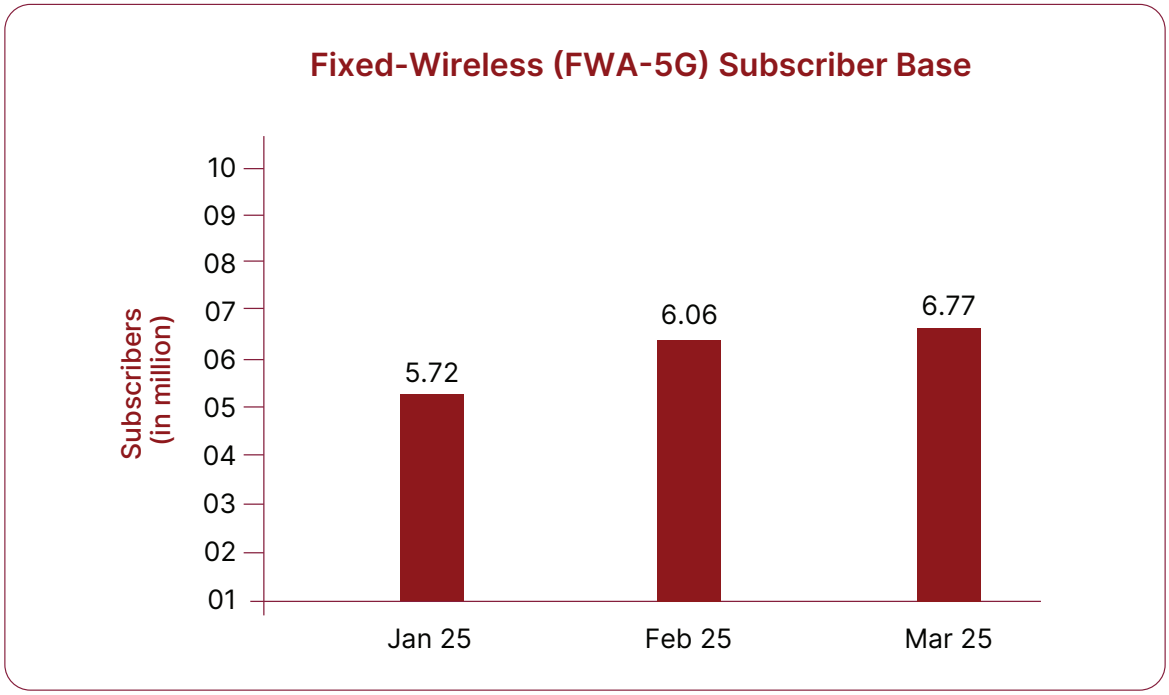

(घ) दूरसंचार-घनत्व

1.1.4 मार्च 2025 के अंत में दूरसंचार-घनत्व 85.04% रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 85.69% था, जिससे 0.75% की कमी दर्ज हुई। मार्च 2021 से दूरसंचार-घनत्व का रुझान **चित्र-4** में दर्शाया गया है।

चित्र-4: दूरसंचार-घनत्व का रुझान

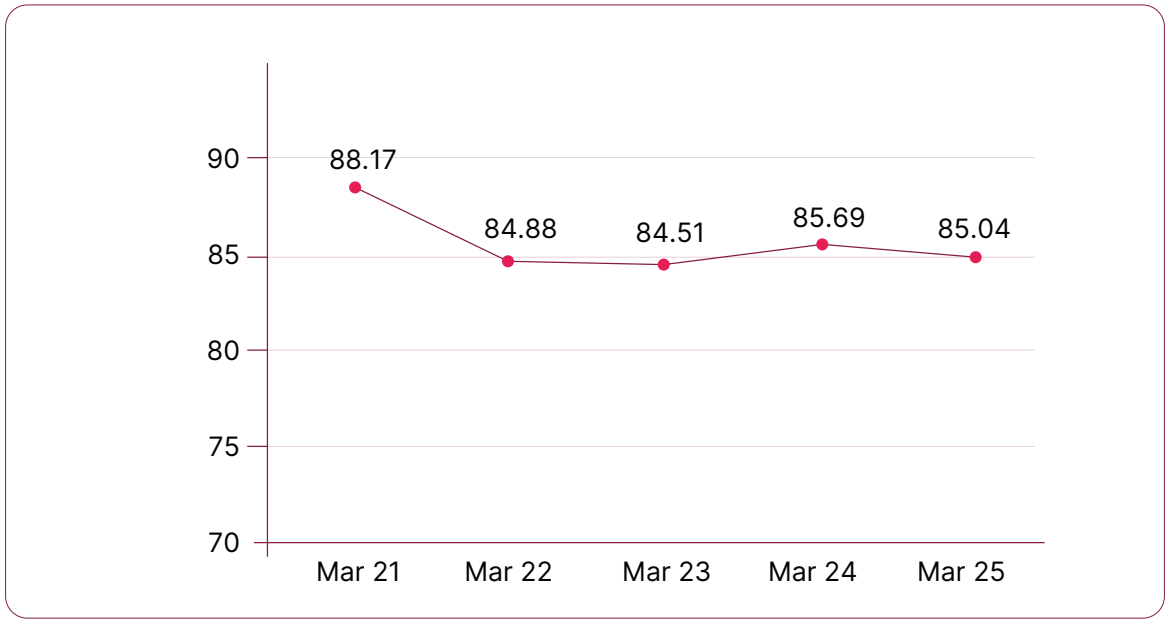

(ङ) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

1.1.5 दिनांक 31 मार्च 2025 तक देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 969.10 मिलियन रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 954.40 मिलियन था। दिनांक 31 मार्च 2025 तक देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 944.12 मिलियन रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 924.07 मिलियन था।

दिनांक 31 मार्च 2025 तक देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई इंटरनेट सब्सक्राइबर संख्या का विवरण **तालिका-3** में दर्शाया गया है।

तालिका-3: इंटरनेट सब्सक्राइबर (मिलियन में)

खंड	सब्सक्रिप्शन	श्रेणी	इंटरनेट सब्सक्राइबर %		% परिवर्तन
			मार्च-24	मार्च-25	
वायर्ड	फिक्स्ड (वायर्ड) इंटरनेट(DSL, FTTx, Ethernet/LAN, Cable Modem, ILL)	ब्रॉडबैंड	40.06	41.39	3.32%
		नैरोबैंड	0.22	0.02	-91.05%
		कुल	**40.27**	**41.41**	**2.82%**
वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट (FWA-5G, Wi-Fi, Wi-Max, Radio, Satellite) (Wi-Fi, Wi-Max, Radio & VSAT)	ब्रॉडबैंड	0.79	4.89*	519.60%
		नैरोबैंड	0.003	0.002	-31.24%
		कुल	**0.79**	**4.90***	**517.28%**
	मोबाइल इंटरनेट (Handset/Dongle based)	ब्रॉडबैंड	883.22	897.84	1.66%
		नैरोबैंड	30.12	24.96	-17.13%
		कुल	**913.34**	**922.80**	**1.04%**
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर		ब्रॉडबैंड	924.07	944.12	2.17%
		नैरोबैंड	30.34	24.98	-17.66%
		कुल	**954.40**	**969.10**	**1.54%**

**FWA-5G इंटरनेट सब्सक्रिप्शन आँकड़ों की रिपोर्टिंग नवम्बर 2024 से वायरलेस खंड में की जा रही है [इससे पहले (मार्च 2024 में) FWA-5G इंटरनेट सब्सक्रिप्शन आँकड़े त्रुटिवश वायर्ड खंड में दर्ज किए गए थे]।*

(च) भारतीय दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन संकेतक

1.1.6.1 भादूविप्रा दूरसंचार सब्सक्रिप्शन आँकड़ों के संबंध में मासिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल सब्सक्राइबर आधार, दूरसंचार-घनत्व, सेवा प्रदाता-वार बाज़ार में हिस्सेदारी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी.) अनुरोध, पीक वी.एल.आर. आँकड़े, वायरलेस, वायरलाइन और ब्रॉडबैंड खंड आदि में माह के दौरान शुद्ध वृद्धि की जानकारी सम्मिलित होती है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक की स्थिति पर आधारित दूरसंचार सब्सक्रिप्शन आँकड़ों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य अंश **तालिका-4** में दी गई है।

तालिका-4: दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन आकड़ों का मुख्य अंश

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस + वायरलाइन)
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर (मिलियन)	902.74*	41.39	944.12
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	632.57*	33.54	666.11
मार्च 2025 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन)	-1.64	-0.39	-2.03
मासिक वृद्धि दर	-0.26%	-1.15%	-0.30%
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	531.18*	3.50	534.69
मार्च 2025 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन)	4.86	0.52	5.38
मासिक वृद्धि दर	0.92%	17.59%	1.02%
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	1163.76*	37.04	1200.80
मार्च 2025 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन)	3.21	0.13	3.35
मासिक वृद्धि दर	0.28%	0.37%	0.28%
कुल दूरसंचार-घनत्व@ (%)	82.42%	2.62%	85.04%
शहरी दूरसंचार-घनत्व@ (%)	124.83%	6.62%	131.45%
ग्रामीण दूरसंचार-घनत्व@ (%)	58.67%	0.39%	59.06%
शहरी सब्सक्राइबरों का अनुपात	54.36%	90.55%	55.47%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों का अनुपात	45.64%	9.45%	44.53%

टिप्पणी:

* वायरलेस में 5G FWA सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

@ 'भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 2011 – 2036' से प्राप्त जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर।

- इस तालिका में दी गई जानकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों पर आधारित है।
- मार्च 2025 में सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या (पीक वी.एल.आर. की तिथि पर) 1074.21 मिलियन थी।
- वी.एल.आर. का संक्षिप्त रूप विज़िटर लोकेशन रजिस्टर है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न टी.एस.पी. के लिए पीक वी.एल.आर. की तिथियाँ भिन्न होती हैं।

1.1.6.2 भादूविप्रा 'भारतीय दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन संकेतक' के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के प्रमुख मानकों और वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया जाता है। उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के लिए दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतकों का सारांश **तालिका–5** में दर्शाया गया है।

तालिका–5 - निष्पादन संकेतक (दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आँकड़े)

दूरसंचार सब्सक्राइबर (वायरलेस + वायरलाइन)	
कुल सब्सक्राइबर	1200.80 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	0.91%
शहरी सब्सक्राइबर	666.11 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	534.69 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	91.47%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार	8.53%
दूरसंचार-घनत्व	85.04%
शहरी दूरसंचार-घनत्व	131.45%
ग्रामीण दूरसंचार-घनत्व	59.06%
वायरलेस (मोबाइल + 5G FWA) सब्सक्राइबर	
वायरलेस (मोबाइल) सब्सक्राइबर	1,156.99 मिलियन
वायरलेस (5G FWA) सब्सक्राइबर	6.77 मिलियन
कुल वायरलेस सब्सक्राइबर	1,163.76 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	1.14%
शहरी सब्सक्राइबर (मोबाइल + 5G FWA)	632.57 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर (मोबाइल + 5G FWA)	531.18 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	92.09%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	7.91%
दूरसंचार-घनत्व	82.42%
शहरी दूरसंचार-घनत्व	124.83%
ग्रामीण दूरसंचार-घनत्व	58.67%
तिमाही के दौरान कुल वायरलेस डेटा उपयोग	59,447 PB
सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पी.एम.आर.टी.एस.) की	67,023
वेरी स्मॉल एपरचर टर्मिनल्स (वी.सैट) की संख्या	2,43,663

तालिका–5 - निष्पादन संकेतक (दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आँकड़े)

वायरलाइन सब्सक्राइबर	
कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर	37.04 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	-5.67%*
शहरी सब्सक्राइबर	33.54 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	3.50 मिलियन
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	27.87%
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	72.13%
दूरसंचार-घनत्व	2.62%
ग्रामीण दूरसंचार-घनत्व	0.39%
शहरी दूरसंचार-घनत्व	6.62%
पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या	10,185
दूरसंचार वित्तीय आँकड़े	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	₹ 98,250/- करोड़
तिमाही के दौरान लागू सकल राजस्व (एपीजीआर)	₹ 92,618/- करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एपीजीआर में %	0.30%
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में % परिवर्तन	1.66%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी	3.59%
इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	969.10 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में %	-0.11%
नैरोबैंड सब्सक्राइबर	24.98 मिलियन
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	944.12 मिलियन
वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर	41.41 मिलियन
वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर	927.70 मिलियन
शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	561.42 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	407.69 मिलियन

तालिका–5 - निष्पादन संकेतक (दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आँकड़े)

प्रति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	68.63
प्रति 100 जनसंख्या पर शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	110.79
प्रति 100 जनसंख्या पर ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	45.03
इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग के कुल आउटगोइंग मिनट	70.90 मिलियन
सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या	55,052
वाई-फाई हॉटस्पॉट्स के लिए उपभोग किया गया कुल डेटा (टी.बी. में)	14,329
प्रसारण एवं केबल सेवाएँ	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल अपलिंकिंग/केवल डाउनलिंकिंग/दोनों अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए अनुमोदित निजी उपग्रह टीवी चैनलों की संख्या	918
प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट की गई पे टीवी चैनलों की संख्या	333
निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो को छोड़कर)	388
पे डीटीएच ऑपरेटरों के साथ कुल सक्रिय सब्सक्राइबरों की संख्या	56.92 मिलियन
सक्रिय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	531
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
राजस्व एवं उपयोग मानक	
वायरलेस सेवा का मासिक ए.आर.पी.यू.	₹ 182.95
प्रति सब्सक्राइबर, प्रति माह उपयोग के मिनिट्स (एम.ओ.यू.) – वायरलेस सेवा	1026
वायरलेस डेटा उपयोग	
प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपयोग	22.19 जीबी
तिमाही के दौरान वायरलेस डेटा उपयोग हेतु प्रति जीबी औसत राजस्व प्राप्ति	₹ 9.11

*5G-FWA सब्सक्राइबरों का लेखा-जोखा वायरलेस श्रेणी में किए जाने के कारण

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 अपनी स्थापना के बाद से ही, भादूविप्रा का उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास हेतु ऐसे वातावरण का निर्माण और पोषण करना रहा है, जिससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति में, भादूविप्रा ने समय-समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की पहल की और उन्हें कार्यान्वित किया है। दूरसंचार के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भादूविप्रा की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा नीचे दी गई है:

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क;
(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार;
(ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश;
(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन;
(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;
(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन;
(छ) सेवा की गुणवत्ता; और
(ज) डिजिटल भारत निधि (पूर्व में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि)।

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

1.2.1.1 वायरलेस (5G FWA को छोड़कर)

दिनांक 31 मार्च 2025 तक ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या 531.02 मिलियन (दिनांक 31 मार्च 2024) से घटकर 528.68 मिलियन हो गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी कुल वायरलेस सब्सक्राइबरों का 45.69% रही। मार्च 2021 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार **चित्र-5** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदाता-वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाज़ार हिस्सेदारी **तालिका-6** और **चित्र-6** में दर्शाई गई है।

चित्र-5: मार्च 2021 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

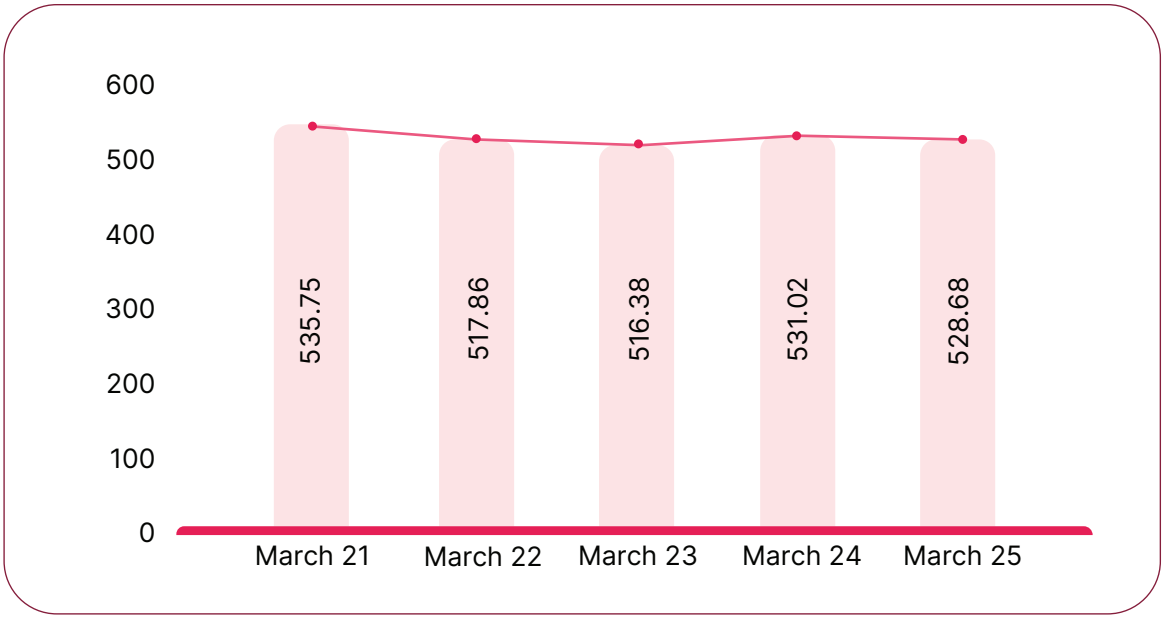

तालिका-6: सेवा प्रदाता-वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर और बाज़ार हिस्सेदारी

क्र. सं.	वायरलेस समूह	सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)		ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन में)		ग्रामीण सब्सक्राइबरों की बाज़ार हिस्सेदारी	
		मार्च 2024	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2025
1.	रिलायंस जियो	469.73	469.76	207.09	208.88	39.00%	39.51%
2.	भारती एयरटेल	385.76	389.80	188.85	192.42	35.56%	36.40%
3.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	219.82	205.36	107.30	97.57	20.21%	18.45%
4.	बीएसएनएल (@)	88.25	91.06	27.75	29.80	5.23%	5.64%
5.	एमटीएनएल	1.93	1.00	0.04	0.02	0.01%	0.00%
6.	आरसीएल (&)	0.000	0.000	0	0	0%	0.00%
	कुल	**1165.49**	**1156.99**	**531.02**	**528.68**		

स्रोत: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

टिप्पणी:

(@) बीएसएनएल के वीएनओ द्वारा रिपोर्ट किए गए वायरलेस सब्सक्राइबर आधार के आँकड़े बीएसएनएल के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार में सम्मिलित हैं।

(&) मैसर्स आरसीएल ने खुदरा सेवाएँ प्रदान करना बंद कर दिया है, तथापि वे B2B सेवाएँ प्रदान करना जारी रखे हुए हैं।

चित्र-6: दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार की बाज़ार हिस्सेदारी

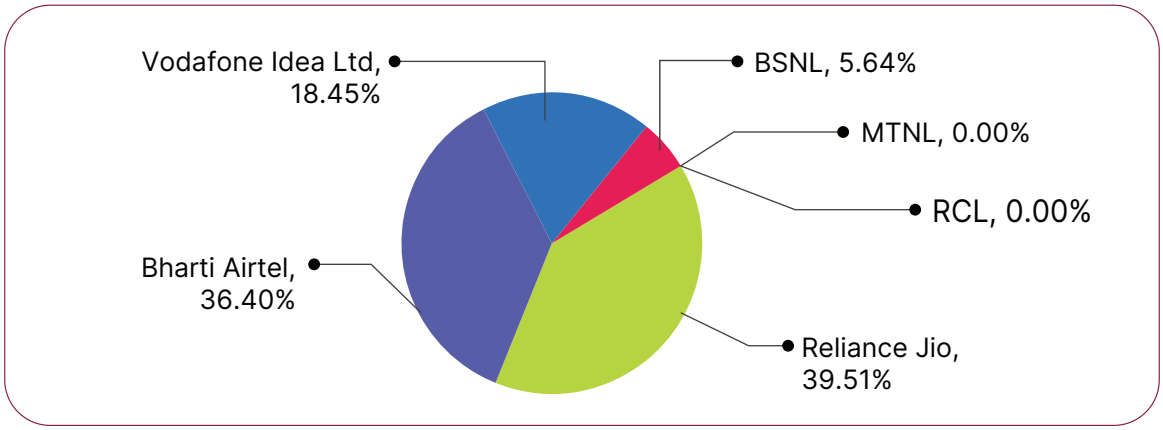

1.2.1.2 वायरलाइन और वायरलेस (FWA-5G) सेवाएँ

(i) वायरलाइन: दिनांक 31 मार्च 2025 तक ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 3,500,600 (3.50 मिलियन) रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत में यह 2,875,867 (2.88 मिलियन) था, जिससे वर्ष के दौरान 21.72% की वृद्धि दर्ज हुई। सेवा प्रदाता-वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाज़ार हिस्सेदारी **तालिका-7** में दर्शाई गई है।

तालिका-7: सेवा प्रदाता-वार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार और बाज़ार हिस्सेदारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)		ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की बाज़ार हिस्सेदारी (%)	
		मार्च 2024	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2025
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड	643,593	629,518	476,259	465,843	16.56%	13.31%
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड	8,777,711	10,141,102	2,478	2,744	0.09%	0.08%
3.	बीएसएनएल	6,499,472	7,683,781	2,103,569	2,178,675	73.15%	62.24%
4.	एमटीएनएल	2,177,547	2,009,581	32	29	0.001%	0.001%
5.	क्वाड्रेंट टेलिवेंचर्स लिमिटेड	411,487	346,098	16,553	63,995	0.58%	1.83%
6.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	127,285	107,733	355	300	0.01%	0.01%
7.	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	12,032,750	12,859,575	269,068	783,502	9.36%	22.38%
8.	सैटज़िलियो टेलिकॉम प्रा. लि. (पूर्व में वीएमआईपीएल)	53,308	54,010	-	-	0.00%	0.00%
9.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	2,286,004	2,382,393	7,553	5,512	0.26%	0.16%
10.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	781,857	826,943	-	-	0.00%	0.00%
	कुल	**33,791,014**	**37,040,734**	**2,875,867**	**3,500,600**	**100%**	**100%**

Source: As provided by TSPs

(ii) ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति पिछले चार तिमाहियों के आँकड़ों के साथ **चित्र–7** में दर्शाई गई है।

चित्र-7: ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाता बार चार्ट

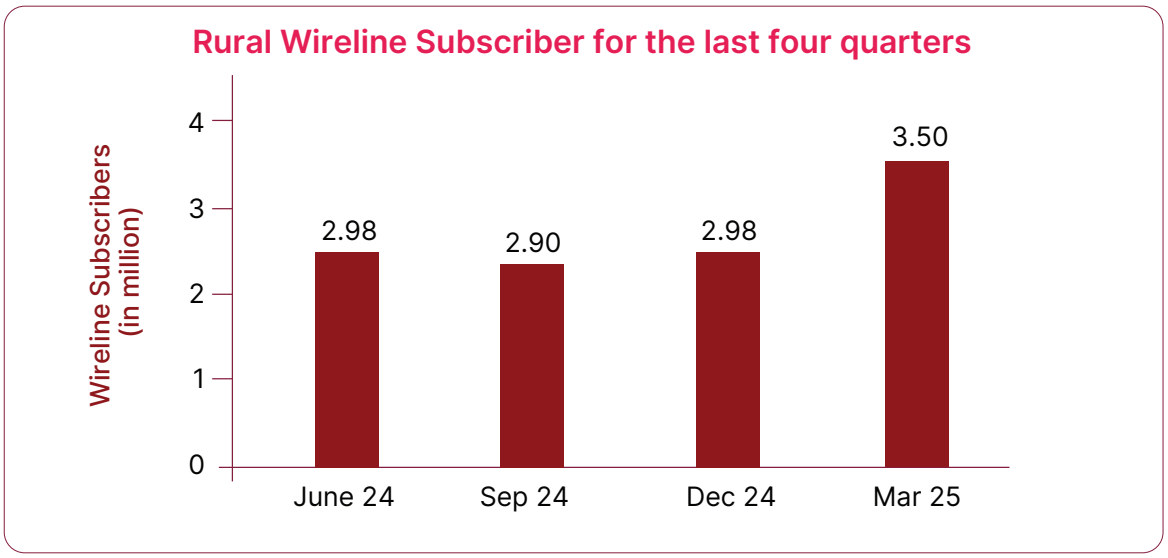

(iii) पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र-8** में दर्शाई गई है।

चित्र-8: वर्ष 2021-2025 के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाता बार चार्ट

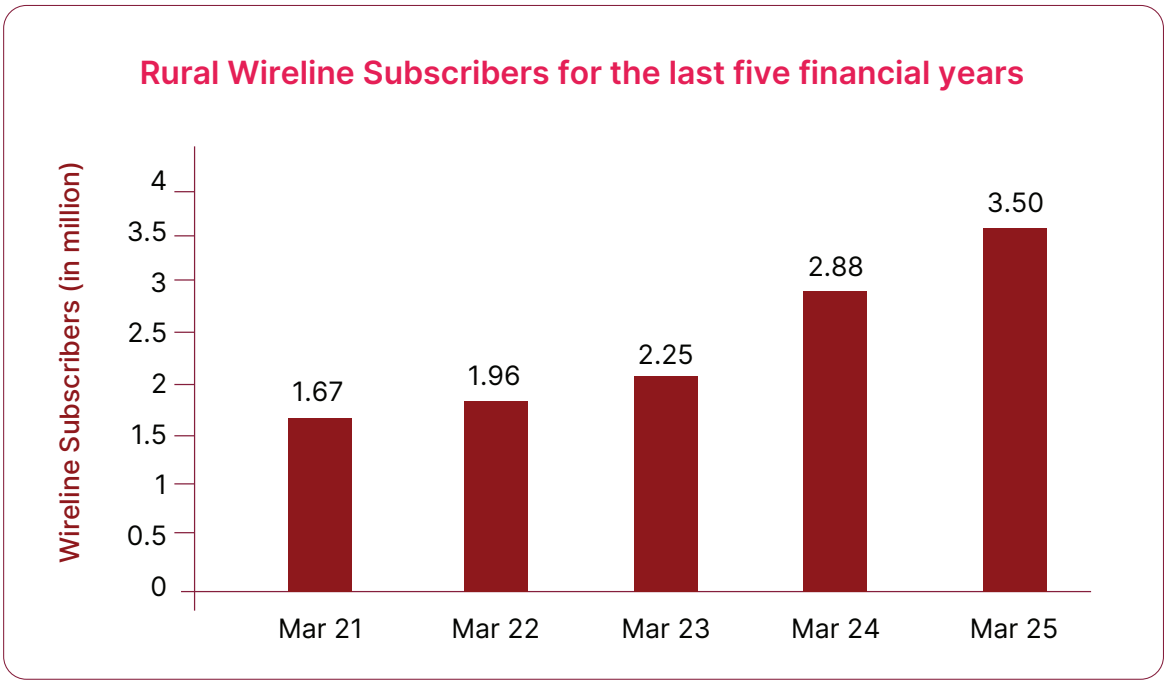

1.2.1.3 वायरलेस (FWA-5G):

दिनांक 31 मार्च 2025 तक कुल ग्रामीण वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर आधार 2,506,272 (2.50 मिलियन) रहा। भारती एयरटेल और आरजेआईएल की बाज़ार हिस्सेदारी क्रमशः 0% और 100% रही।

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

देश में दूरसंचार नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित बेस स्टेशनों की बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने देश में 5G नेटवर्क लॉन्च किए। मार्च 2021 से मार्च 2025 तक कुल बेस स्टेशनों (जिसमें 2जी BTS, 3जी नोड्स बी, 4जी ईनोड्स बी और 5जी जीनोड्स बी शामिल हैं) की कुल संख्या की वार्षिक वृद्धि **चित्र-9** में देखी जा सकती है।

चित्र-9: बेस स्टेशनों की संख्या

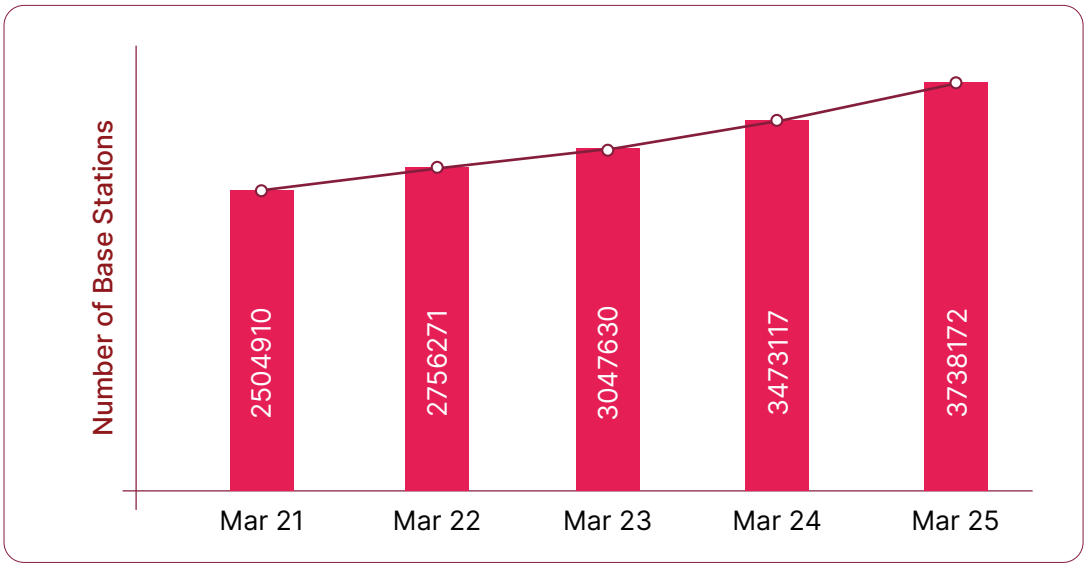

टिप्पणी: 5जी सेवाएँ अक्तूबर 2022 में प्रारंभ हुईं।

1.2.2.1 वायरलेस सेवाएँ (मोबाइल)

वायरलेस सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2025 तक 1156.99 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 तक यह 1165.49 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सब्सक्राइबर आधार में 8.50 मिलियन की कमी दर्ज की गई। मार्च 2021 से मार्च 2025 तक के सब्सक्राइबर आधार की प्रवृत्ति **चित्र-10** में दर्शाई गई है।

चित्र-10: वायरलेस सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

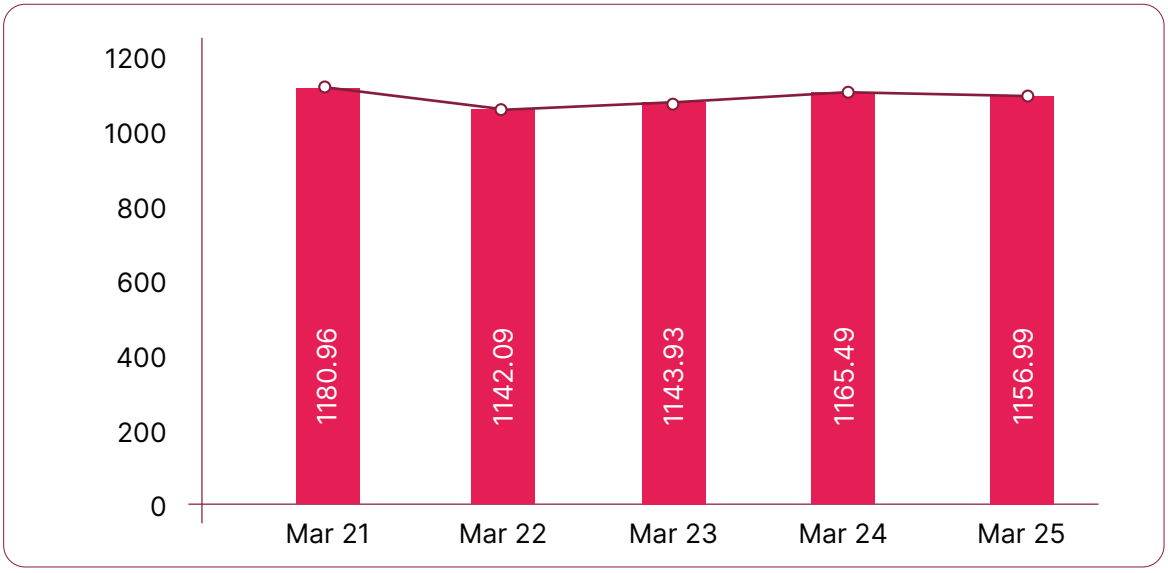

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक वायरलेस सेवा प्रदाताओं का सब्सक्राइबर आधार और वित्तीय वर्ष 2023-24 के तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उनकी प्रतिशत वार्षिक वृद्धि **तालिका-8** में दी गई है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा **चित्र-11** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-8: 2020-21 से 2024-25 तक वायरलेस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले % वृद्धि/कमी
रिलायंस जियो	422.92	403.99	430.23	469.73	469.76	0.01
भारती एयरटेल	352.39	360.33	370.91	385.76	389.80	1.05
वोडाफोन आइडिया	283.71	260.77	236.75	219.82	205.36	-6.58
बीएसएनएल	118.63 (~)	113.74	103.68	88.25	91.06	3.18
एमटीएनएल	3.3	3.25	2.35	1.93	1.00	-48.19
रिलायंस कम्युनिकेशंस (#)	0.01	0.0033	0.0027	0	0.00	0.00
कुल	**1180.96**	**1142.09**	**1143.93**	**1165.49**	**1156.99**	**-0.73**

स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी

($) मैसर्स टेलीनॉर और मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड का विलय क्रमशः दिनांक 14 मई 2018 और दिनांक 6 फरवरी 2020 से प्रभावी रूप से मैसर्स भारती एयरटेल के साथ हो गया है।

(^) मैसर्स वोडाफोन और मैसर्स आइडिया सेल्युलर ने अपनी वाणिज्यिक सेवाओं का विलय दिनांक 31 अगस्त 2018 से प्रभावी रूप से किया।

(~) बीएसएनएल के वीएनओ द्वारा रिपोर्ट किए गए वायरलेस सब्सक्राइबर आधार के आंकड़े बीएसएनएल के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार में शामिल हैं।

(#) मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आर.सी.एल.) ने खुदरा सेवाएँ प्रदान करना बंद कर दिया है, हालांकि वे B2B सेवाएँ प्रदान करना जारी रखे हुए हैं।

चित्र-11: वायरलेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी (दिनांक 31 मार्च 2025 को)

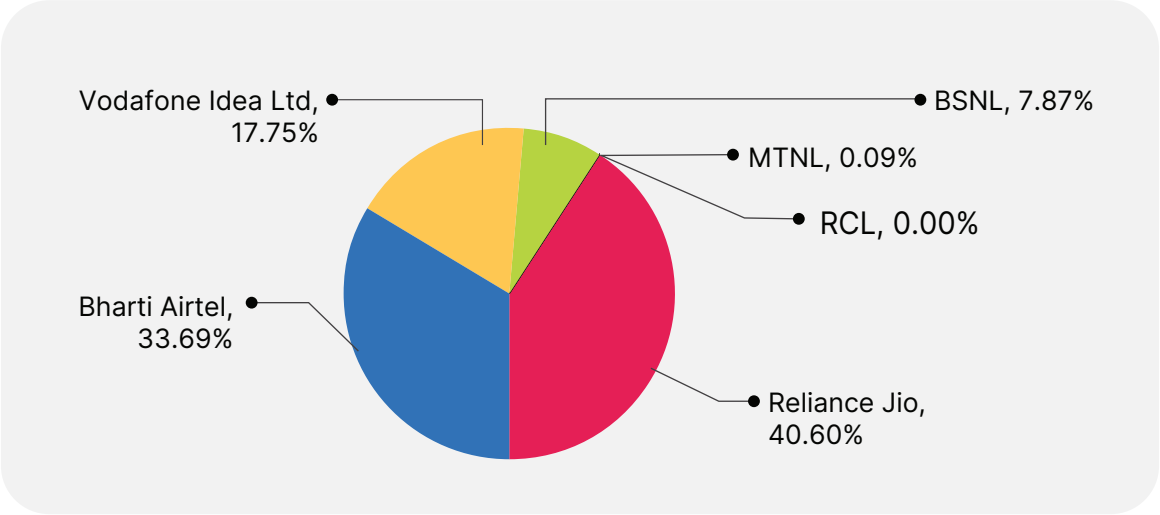

वायरलेस सेवाओं के सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में, मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड 469.76 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ सबसे बड़ा सेवा प्रदाता था, इसके बाद क्रमशः मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड 389.80 मिलियन, मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 205.36 मिलियन, मैसर्स बीएसएनएल 91.06 मिलियन और मैसर्स एमटीएनएल 1.00 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ थे।

1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएँ

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 37.04 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से ग्रामीण और शहरी सब्सक्राइबरों के संदर्भ में सेवा प्रदाता-वार ब्योरा नीचे दी गई **तालिका-9** में दर्शाया गया है। वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में बीएसएनएल, एमटीएनएल और एपीएसएफएल का बाजार हिस्सा क्रमशः 20.74%, 5.43% और 1.70% है, जबकि सभी सात निजी ऑपरेटरों का संयुक्त हिस्सा 72.13% है। निजी ऑपरेटरों का हिस्सा दिनांक 31 मार्च 2024 को 72.42% से घटकर दिनांक 31 मार्च 2025 को 72.13% हो गया है, जिसमें 0.29% की कमी दर्ज हुई है।

तालिका-9: दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सेवा-प्रदाता वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार का विवरण

सेवा प्रदाताओं का नाम	शहरी	ग्रामीण	#कुल सब्सक्राइबर (वायरलाइन)	बाजार हिस्सेदारी (%)
आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड	163,675	465,843	629,518	1.70%
भारती एयरटेल लिमिटेड	10,138,358	2,744	10,141,102	27.38%
भारत संचार निगम लिमिटेड	5,505,106	2,178,675	7,683,781	20.74%
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,009,552	29	2,009,581	5.43%
क्वाड्रेंट टेलवेंचर लिमिटेड	282,103	63,995	346,098	0.93%
रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	107,433	300	107,733	0.29%
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	12,076,073	783,502	12,859,575	34.72%
सैटिज़लियो टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड (पूर्ववर्ती वीएमआईपीएल)	54,010	-	54,010	0.15%
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	2,376,881	5,512	2,382,393	6.43%
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	826,943	-	826,943	2.23%
कुल	**33,540,134**	**3,500,600**	**37,040,734**	**100.00%**

#स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.3 वायरलेस (FWA-5G) सेवाएँ

फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (5G) सब्सक्राइबरों की संख्या का संकलन एक्सेस सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया। दिनांक 31 मार्च 2025 तक 67,69,089 (6.77 मिलियन) वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबरों के ग्रामीण एवं शहरी वर्गीकरण के अनुसार सेवा प्रदातावार विवरण **तालिका-10** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-10: दिनांक 31 मार्च 2025 को सेवा प्रदाताओं के वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर आधार

दूरसंचार सेवा प्रदाता	शहरी	ग्रामीण	#कुल सब्सक्राइबर (FWA-5G)	बाजार हिस्सेदारी (%)
भारती एयरटेल लिमिटेड	1,197,757	-	1,197,757	17.69%
रिलायंस जियो लिमिटेड	3,065,060	2,506,272	5,571,332	82.31%
कुल	4,262,817	2,506,272	6,769,089	100%
कुल (मिलियन में)	4.26	2.51	6.77	

#स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.4 वायरलाइन तथा वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबरों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

(i) दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कुल वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 27.87% सब्सक्राइबर बीएसएनएल, एमटीएनएल और एपीएसएफएल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तथा शेष वायरलाइन कनेक्शन सात निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–12** में दर्शाई गई है।

चित्र–12: सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

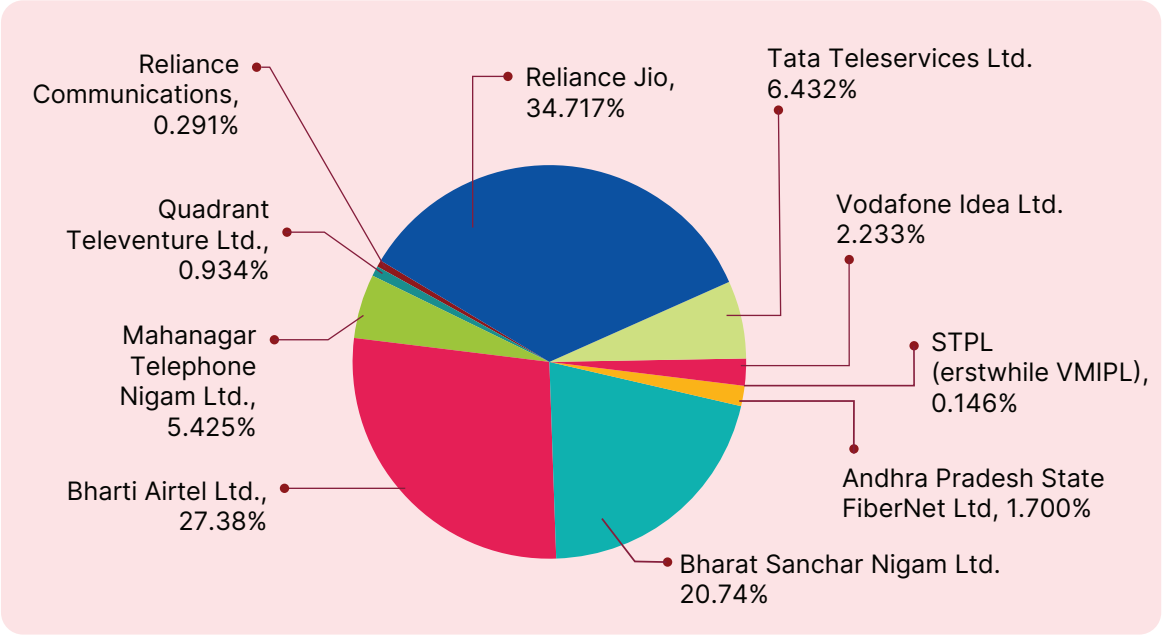

(ii) दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कुल शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर 3,35,40,134 (33.54 मिलियन) थे, जिनमें से लगभग 22.89% बीएसएनएल, एमटीएनएल एवं एपीएसएफएल द्वारा प्रदान किए गए थे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–13** में प्रदर्शित की गई है।

चित्र–13: शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं के आधार की हिस्सेदारी की संरचना

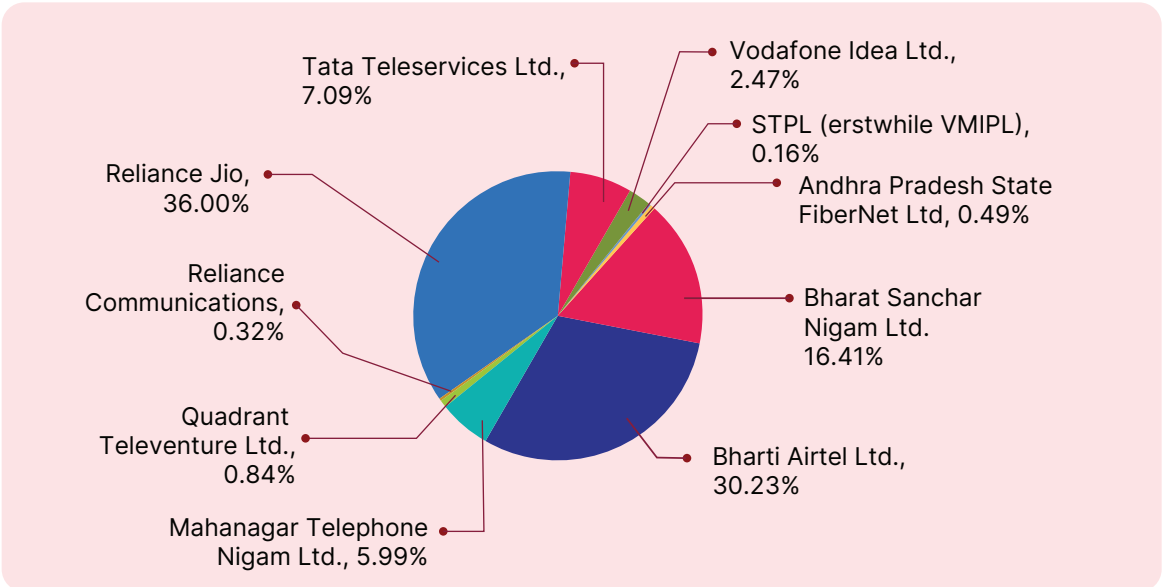

(iii) दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कुल ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर 35,00,600 (3.50मिलियन) थे। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–14** में प्रदर्शित की गई है।

चित्र–14: ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

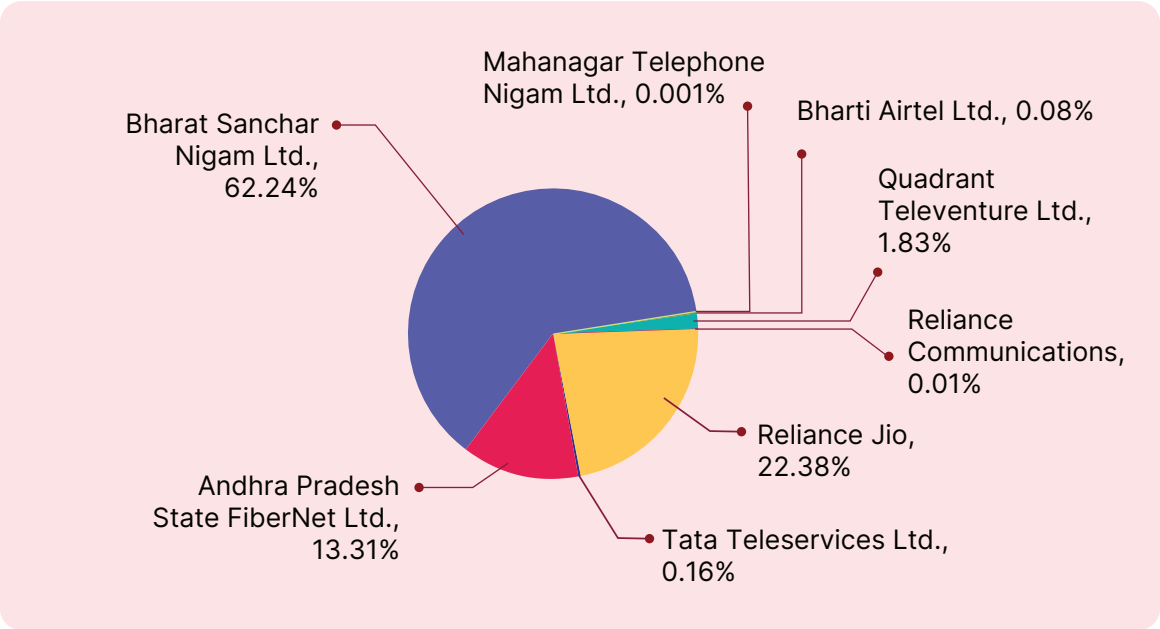

1.2.2.5 वायरलेस (FWA-5G)

दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कुल वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर मैसर्स भारती एयरटेल और मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। कुल वायरलेस (FWA-5G) सब्सक्राइबर आधार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–15** में प्रदर्शित की गई है।

चित्र–15: सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

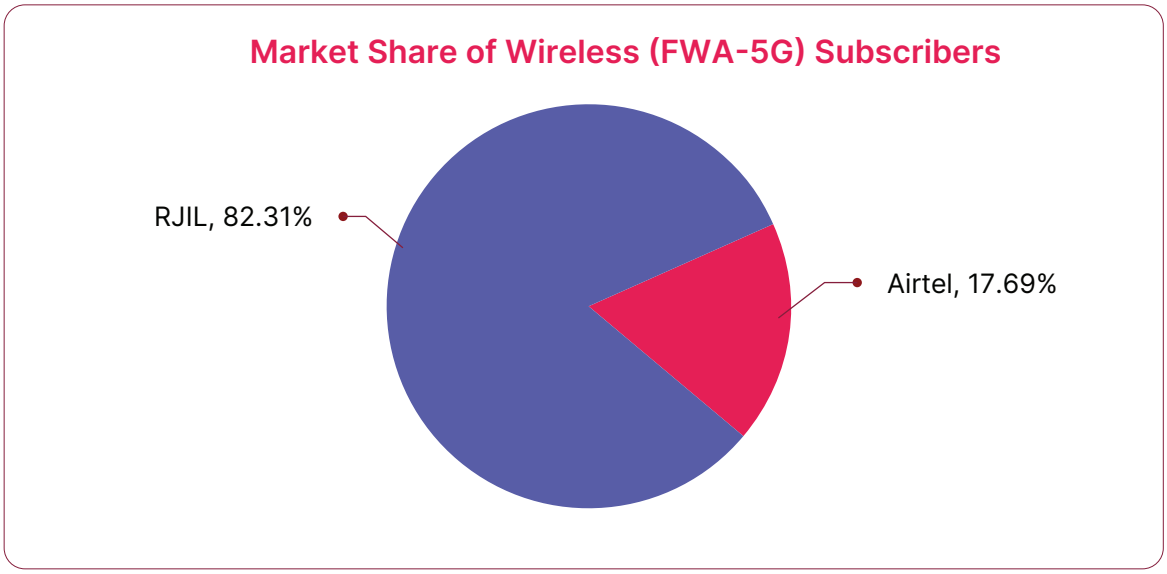

1.2.2.6 पब्लिक कॉल ऑफिस (पी.सी.ओ.)

दिनांक 31 मार्च 2025 तक पी.सी.ओ. की कुल संख्या 0.010 मिलियन है, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 0.020 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पी.सी.ओ. की संख्या **तालिका–11** में दर्शाई गई है।

तालिका–11: भारत में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	पी.सी.ओ. 31 मार्च 2024 तक	पी.सी.ओ. 31 मार्च 2025 तक**
1.	बीएसएनएल	15,411	7,394
2.	एमटीएनएल	4,957	2,566
3.	क्वाड्रेंट	284	225
	कुल	20,652	10,185

*स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.7 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.)

दिनांक 31 मार्च 2025 तक सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) की कुल संख्या शून्य रही, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 को यह 0.69 लाख थी। **तालिका–12** में देश में कार्यरत वी.पी.टी. की संख्या दर्शाई गई है।

तालिका–12: भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	वी.पी.टी. 31 मार्च 2024 तक	वी.पी.टी.* 31 मार्च 2025 तक
1.	बीएसएनएल	68,606	0
	कुल	68,606	0

** बी.एस.एन.एल. ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र को वी.पी.टी. सुविधा उपलब्ध कराने के सभी अनुबंधों की अवधि समाप्त हो चुकी है।*

1.2.2.8 सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

दिनांक 31 मार्च 2025 तक सेवा प्रदातावार कुल सुसज्जित स्विचिंग क्षमता और कार्यरत कनेक्शनों का ब्योरा **तालिका–13** में दर्शाए गए हैं।

तालिका–13: सेवा प्रदाता-वार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	# दिनांक 31 मार्च 2025 को सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइन की संख्या)	# दिनांक 31 मार्च 2025 को कार्यरत कनेक्शंस
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1,700,000	629,518
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल	33,064,053	10,141,102
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड	सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र	9,916,869	7,683,781
4.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली एवं मुंबई	4,268,481	2,009,581
5.	क्वाड्रेंट टेलवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	388,000	346,098
6.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल	768,000	107,733

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	# दिनांक 31 मार्च 2025 को सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइन की संख्या)	# दिनांक 31 मार्च 2025 को कार्यरत कनेक्शंस
7.	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल	24,928,000	12,859,575
8.	सैट्रिज़लियो टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड (पूर्ववर्ती वी.एम.आई.पी. एल.)	पंजाब	50,000	54,010
9.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड एवं टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश -पूर्व, उत्तर प्रदेश-पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	5,312,559	2,382,393
10.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर-पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश-पूर्व, उत्तर प्रदेश-पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	1,071,000	826,943

#स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.9 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

देश में दिनांक 31 मार्च 2025 तक इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार में मार्च 2024 की तुलना में 1.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक देश में कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार में 31 मार्च 2024 की तुलना में 2.17% की वृद्धि हुई है, जबकि नैरोबैंड खंड में पिछले एक वर्ष के दौरान (-)17.66% की गिरावट दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तिमाही-वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन का विवरण **चित्र–16** में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र–16: तिमाही-वार इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

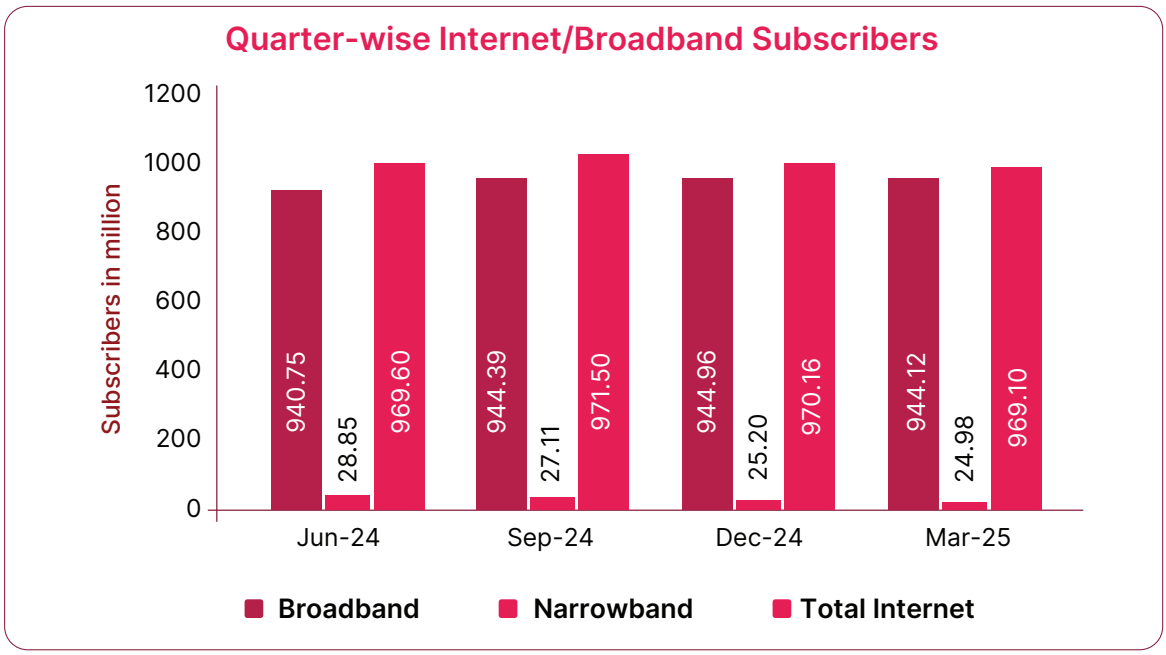

पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में इंटरनेट (ब्रॉडबैंड + नैरोबैंड) सेवाओं के विस्तार को **चित्र–17** में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र–17: पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के इंटरनेट सब्सक्राइबर

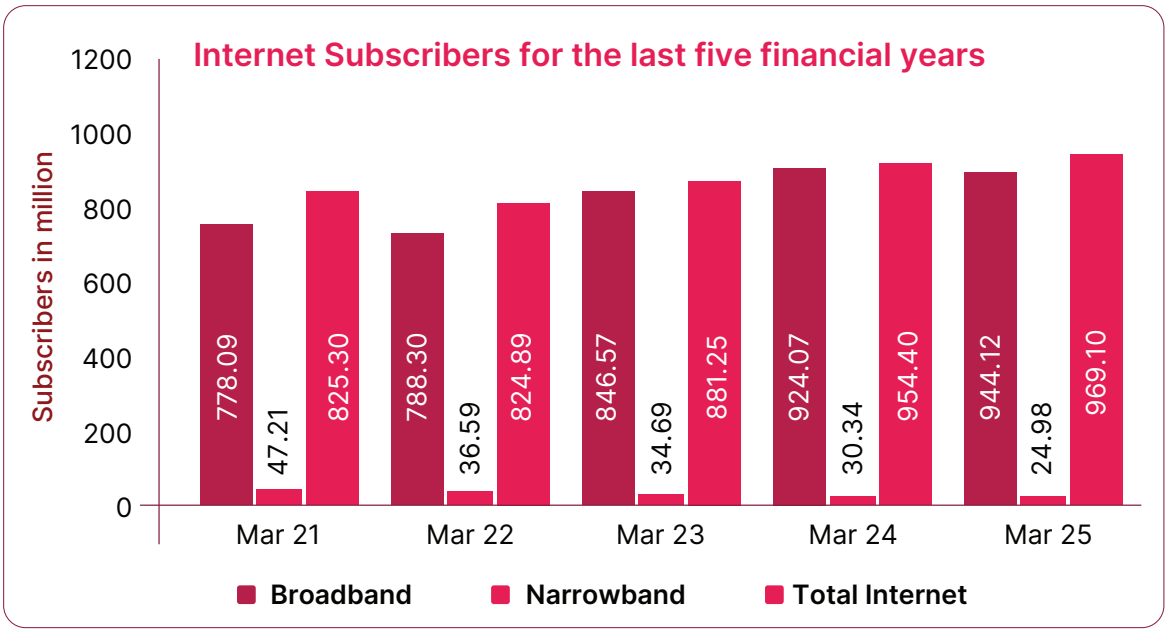

1.2.2.10 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएँ (PMRTS)

पीएमआरटीएस (PMRTS) का सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत में 65,880 से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत में 67,023 हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1,143 सब्सक्राइबरों की वृद्धि हुई, जो 1.73% की दर से वृद्धि को दर्शाता है। सेवा प्रदाता-वार पीएमआरटीएस (PMRTS) का सब्सक्राइबर आधार **तालिका–14** में दिया गया है।

तालिका–14: पीएमआरटीएस सब्सक्राइबर आधार – सेवा प्रदाता-वार

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	सब्सक्राइबर आधार (अवधि समाप्ति पर)	
		मार्च 2024	मार्च 2025
1.	एयरटॉक सॉल्यूशन्स एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	1,310	1,625
2.	ऐरै टीम कॉल प्राइवेट लिमिटेड	-	8,408
3.	आर्या ओम्नीटॉक रेडियो ट्रंकिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	53,076	54,024
4.	भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	823	-
5.	इनैटिव नेटवर्क्स प्रा. लिमिटेड	1,820	1,820
6.	प्रोकॉल लिमिटेड	4,320	-
7.	क्विककॉल	1,982	-
8.	स्मार्टॉक प्रा. लिमिटेड	1,403	-
9.	विवानेट सॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड	1,146	1,146
	कुल योग	**65,880**	**67,023**

टिप्पणी यह ध्यान देने योग्य है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 29 अक्तूबर 2024 के पत्र के माध्यम से मैसर्स प्रोकॉल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स क्विककॉल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्मार्टॉक प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स भीलवाड़ा प्राइवेट लिमिटेड के पीएमआरटीएस प्रभागों के विघटन (डीमर्जर) एवं उनके मैसर्स ऐरै टीम कॉल प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहण करने वाली कंपनी) में हस्तांतरण की सूचना दी है।*

1.2.2.11 वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (VSAT) सीयूजी सेवा

वीसैट सब्सक्राइबरों की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 2,53,250 से घटकर दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत में 2,43,663 हो गई। वर्ष के दौरान शुद्ध कमी 9,587 रही, जो वार्षिक गिरावट दर 3.79% को दर्शाती है। सेवा प्रदाता-वार वीसैट सब्सक्राइबर आधार **तालिका–15** में दर्शाया गया है।

तालिका–15: वर्तमान में सेवा प्रदान करने वाले वीसैट (सीयूजी) सेवा प्रदाता और उनका सब्सक्राइबर आधार

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सब्सक्राइबर आधार (अवधि समाप्ति पर)	
		मार्च 2024	मार्च 2025
1.	ह्यूज कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	179,732	173,140
2.	नेल्को लिमिटेड	65,484	63,341
3.	बीएसएनएल	5,333	4,387
4.	इन्फोटेल सैटकॉम	2,694	2,686
5.	जियो–वीसैट	-	102
6.	क्लाउडकास्ट डिजिटल लिमिटेड	7	7
	कुल	**253,250**	**243,663**

1.2.3 बुनियादी और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1.2.3.1 दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक यू.एल./यू.ए.एस.एल./यू.एल. (वी.एन.ओ.) लाइसेंसधारियों की संख्या **तालिका–16** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका–16: दिनांक 30 सितम्बर 2024 / दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक यू.एल./यू.ए.एस.एल./यू.एल. (वी.एन.ओ.) लाइसेंसधारियों की संख्या

क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	दिनांक 30.09.2024* को कुल लाइसेंसधारी	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़े गए लाइसेंसधारी *
1.	यू.एल.	44	02
2.	यू.एल. (वी.एन.ओ.)	209	16

क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	दिनांक 31.12.2024* तक कुल लाइसेंसधारी	दिनांक 31.12.2024* तक कुल लाइसेंसधारी
3.	यू.एल. व्यवस्था से पूर्व एन.एल.डी. (स्वतंत्र)	16	0
4.	यू.एल. व्यवस्था के अंतर्गत एन.एल.डी.	38	03
5.	यू.एल. (वी.एन.ओ.) व्यवस्था के अंतर्गत एन.एल.डी.	17	02
6.	यू.एल. व्यवस्था से पूर्व आई.एल.डी. (स्वतंत्र)	13	0
7.	यू.एल. व्यवस्था के अंतर्गत आई.एल.डी.	21	02
8.	यू.एल. (वी.एन.ओ.) व्यवस्था के अंतर्गत आई.एल.डी.	10	02

** स्रोत: दूरसंचार विभाग की वेबसाइट*

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी अनुकूलता एवं प्रभावी इंटरकनेक्शन

दूरसंचार सेवाओं में इंटरकनेक्शन एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि किसी एक दूरसंचार सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबर तब तक दूसरे दूरसंचार सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों से संवाद नहीं कर सकते अथवा उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच आवश्यक इंटरकनेक्शन व्यवस्था उपलब्ध न हो। प्रभावी एवं त्वरित इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण ने दिनांक 10 जुलाई 2020 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020" अधिसूचित किया। इन विनियमों के माध्यम से मूल विनियम, अर्थात् "दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियमन, 2018" में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पी.एस.टी.एन., जिसे सामान्यतः फिक्स्ड लाइन नेटवर्क कहा जाता है), सार्वजनिक स्थलीय मोबाइल नेटवर्क (पी.एल.एम.एन.), राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन.एल.डी.) नेटवर्क तथा अन्य दूरसंचार नेटवर्कों को आपस में जोड़ने हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए संशोधित विनियामक ढांचा स्थापित किया गया।

इन विनियमों का विवरण रिपोर्ट के **भाग–II** में उपलब्ध है।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण की पहुँच और संवाद को सुदृढ़ करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गए:

(i) भादूविप्रा वेबसाइट का पुनर्विकास

अपनी पहुँच का विस्तार कर अधिक व्यापक दर्शकों से जुड़ने के लिए भादूविप्रा ने जीआईजीडब्ल्यू 3.0 दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली एक उन्नत वेबसाइट विकसित की है। सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, नई शेयरिंग सुविधाएँ सभी हितधारकों तक विनियामक जानकारी के प्रसार को सुगम बनाती हैं। यह वेबसाइट भारत में दूरसंचार और प्रसारण विनियमों, नीतियों, कानूनों, आँकड़ों और प्रवृत्तियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। ये संसाधन आम जनता, हितधारकों, शोधकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए आसानी से सुलभ हैं। उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने हेतु इसे भाषिणी के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त, एक चैटबॉट 'तारा' (टेलीकॉम अथॉरिटी रीस्पान्सिव एडवाईजर) भी प्रस्तुत किया गया है, जो इंटरैक्टिव सर्च को सुगम बनाता है।

(ii) ऑनलाइन टैरिफ फाइलिंग और पुनर्प्राप्ति प्रणाली का पुनर्विकास

भादूविप्रा टैरिफ फाइलिंग पोर्टल के पुनर्विकास की प्रक्रिया में है। नए पोर्टल को नवीनतम तकनीकी स्टेक के साथ उन्नत किया गया है, जिससे पोर्टल के निष्पादन में सुधार, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक उपकरणों व रूपरेखाओं (फ्रेमवर्क) के साथ सहज एकीकरण का सपोर्ट संभव हो पाया है। भादूविप्रा का दूरसंचार टैरिफ आदेश, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और वी.एन.ओ. को टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में टैरिफ प्रदर्शित करना अनिवार्य करता है। प्रभावी टैरिफ फाइलिंग और विश्लेषण के लिए, भादूविप्रा अपने टैरिफ फाइलिंग पोर्टल का पुनर्विकास कर रहा है, जिसमें उपयोगकर्ता अनुभव, सुगम पहुँच, सुरक्षा, विस्तार-क्षमता (स्केलेबिलिटी), उच्च उपलब्धता आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि टैरिफ की फाइलिंग समय पर सुनिश्चित हो सके। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं की टैरिफ संबंधी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएगा।

(iii) डाटा रिपोर्टिंग, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन हेतु व्यापक आई.टी. पारिस्थितिकी तंत्र

भादूविप्रा में व्यापक आई.टी. प्रणाली के विकास की परिकल्पना तीन चरणों में की गई थी (अर्थात् डी.पी.आर. तैयारी, आर.एफ.पी. तैयारी एवं समाधान प्रदाता (एस.पी.) का चयन और सेवा प्रदाता द्वारा प्रणाली का विकास एवं पीएमयू की स्थापना)। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा चुकी है, जिसमें भादूविप्रा और उसके हितधारकों की समग्र आवश्यकताएँ, विस्तृत कार्य-क्षेत्र के साथ पूर्ण आई.टी. रोडमैप, प्रस्तावित संरचना आदि सम्मिलित हैं। डी.पी.आर. के आधार पर एक आर.एफ.पी. आंतरिक रूप से तैयार की गई है। यह आर.एफ.पी. उपयुक्त समाधान प्रदाता को संलग्न करने हेतु प्रकाशित की जा रही है, ताकि भादूविप्रा के लिए डाटा रिपोर्टिंग, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन हेतु व्यापक आई.टी. पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, क्रियान्वयन और अनुरक्षण किया जा सके।

(iv) भादूविप्रा मोबाइल ऐप्स एवं विश्लेषणात्मक पोर्टल का विकास

भादूविप्रा अपने मोबाइल ऐप्स जैसे TRAI MySpeed, TRAI MyCall तथा TRAI DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप्स का पुनर्विकास करने और एक नया एकीकृत मोबाइल ऐप विकसित करने का इरादा रखता है। इसके लिए, GeM पर एक निविदा जारी की जा रही है ताकि एक एजेंसी को ऐप्स और पोर्टल विकसित करने हेतु अनुबंधित किया जा सके। यह पोर्टल विश्लेषण, भू-स्थानिक दृश्यांकन, एपीआई डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान करेगा और भादूविप्रा की विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा

(v) डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग पोर्टल (डी.सी.आर.पी.) का विकास

डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग पोर्टल (डी.सी.आर.पी.) का उद्देश्य दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को जारी डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग के तहत ट्राई, डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (डीसीआरए), संपत्ति प्रबंधकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ते हुए एक केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। डी.सी.आर.पी. के विकास के लिए, एक निविदा (आरएफपी) तैयार की जा रही है जिसे GeM पर जारी कर उपयुक्त समाधान प्रदाता का चयन किया जाएगा।

(vi) रिपोर्टिंग स्वचालन

विनियामक/निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भादूविप्रा को डेटा रिपोर्ट करना एक नियमित गतिविधि है। इसके लिए हितधारकों से निष्पादन निगरानी डेटा एकत्र करने हेतु एक पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल क्यूओएस, बीबी और पीए, एनएसएल और सीए प्रभागों के लिए कार्यरत है। हाल ही में, इस पोर्टल को उन्नत किया गया है ताकि क्यूओएस प्रभाग के लिए सभी हितधारकों से मासिक आधार पर डेटा एपीआई के माध्यम से पीएमआर डेटा एकत्र किया जा सके। बीबी और पीए प्रभाग के लिए नई रिपोर्टें विकसित की गई हैं और मौजूदा रिपोर्टों को भी नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

(vii) पोर्टल्स का रख- रखाव एवं क्लाउड प्रबंधन

सभी पोर्टल्स का रख - रखाव किया जा रहा है जिसमें कार्यात्मकता अद्यतन, सिस्टम पैचेस आदि शामिल हैं। सीईआरटी-इन विक्रेताओं के माध्यम से सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किए जा रहे हैं। एनआईसी, सीईआरटी-इन और अन्य संगठनों से प्राप्त एलर्टस के आधार पर इन्हें साइबर हमलों से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल्स एवं ऐप्स को कार्यान्वित किया है तथा भादूविप्रा के अधिकांश अनुप्रयोग एवं बैक-एंड सेवाएँ क्लाउड इंवायरमेंट पर होस्ट की गई हैं, जिससे समय एवं अवसंरचना लागत की बचत का अवसर प्राप्त हो रहा है। होस्टिंग के लिए क्लाउड सेवाएँ NIC और MeitY द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ली गई हैं।

(viii) DND 3.0

भादूविप्रा ने आंतरिक रूप से DND 3.0 ऐप सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो गूगल प्ले स्टोर और ऐपस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वाणिज्यिक संचार को ब्लॉक करने या अनुमति देने के लिए अपनी प्राथमिकताएँ दर्ज करके स्पैम कॉल और एसएमएस से बचने में मदद करना है, साथ ही उपयोगकर्ताओं को अपने संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास आसानी से स्पैम शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। ट्राई DND ऐप दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (TCCCPR) 2018 के प्रावधानों को पूरा करता है। हाल ही में, विनियमन में संशोधनों के प्रावधानों के लिए ऐप को अपडेट किया गया है। TCCCPR द्वारा संशोधित विनियमन के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को अब अपनी DND प्राथमिकता दर्ज किए बिना भी अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स और प्रेषकों के खिलाफ स्पैम शिकायत दर्ज करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के खिलाफ शिकायत ग्राहक द्वारा ऐसे यूसीसी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर की जा सकती है, जो पहले 3 दिन थी।

(ix) अवसंरचना उन्नयन

क. आईटी प्रभाग ने नई इमारत, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर में अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है, जिसमें एंडपॉइंट नेटवर्क (वायर्ड/वायरलेस), सुरक्षा, भंडारण, प्रतिकृति, आपदा पुनर्प्राप्ति आदि शामिल हैं।

ख. अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, भादूविप्रा ने एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान कार्यान्वित किया है, जो वायरस, वर्म्स, स्पायवेयर और अन्य मैलवेयर जैसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें सुरक्षा, निष्पादन, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताएँ सम्मिलित हैं, जिससे भादूविप्रा में संपूर्ण एंडपॉइंट्स का प्रबंधन प्रशासक के लिए आसान हो गया है।

ग. आईटी प्रभाग ने भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों के लिए कुशल कार्यनिष्पादन हेतु 172 डेस्कटॉप्स की खरीद की है।

घ. भादूविप्रा की सभी सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु टेबल्यू (Tableau), एडोब एक्रोबैट (Adobe Acrobat), एमएस ऑफिस 365, एसएसएल प्रमाणपत्र आदि जैसे विभिन्न लाइसेंसों की समय-समय पर निगरानी की जा रही है और उनकी अवधि समाप्त होने से पूर्व आवश्यक नवीनीकरण किया जा रहा है।

1.2.6 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

1.2.6.1 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एन.डी.सी.पी.) 2018 ने अपने 'कनेक्ट इंडिया' मिशन के अंतर्गत भारत के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्पेक्ट्रम को जनहित के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता दी है। एन.डी.सी.पी. 2018 का उद्देश्य देश में स्पेक्ट्रम साझा करने, लीज़ पर देने एवं व्यापार व्यवस्था को और अधिक उदार बनाना है। नव अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार, निर्धारित शर्तों एवं नियमों, जिसमें लागू शुल्क या प्रभार सम्मिलित हैं, के अधीन आबंटित स्पेक्ट्रम के साझा करने, व्यापार, लीज़ पर देने तथा सरेंडर करने की अनुमति दे सकती है।

एन.डी.सी.पी.-2018 के उद्देश्यों के अनुरूप तथा दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त रेफ्रेंस के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 13 जनवरी 2023 को "दूरसंचार अवसंरचना साझेदारी, स्पेक्ट्रम साझेदारी एवं स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, ताकि हितधारकों से टिप्पणियाँ/प्रतिटिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें।

हितधारकों की टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा के दौरान हुई विचार-विमर्श एवं उसके विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को "दूरसंचार अवसंरचना साझेदारी, स्पेक्ट्रम साझेदारी एवं स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर अपनी अनुसंशाएं जारी की।

1.2.6.2 लेटेंसी एवं जिटर की सीमा तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2025 के निर्माण से संबंधित ब्रॉडबैंड गति की सीमा के संदर्भ में, भादूविप्रा ने दिनांक 2 अगस्त 2024 को संशोधित गुणवत्ता सेवा विनियमन (एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024 (2024 का 06) की सेवा की गुणवत्ता के मानक जारी किए। इन विनियमनों में एक्सेस तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलाइन एवं वायरलेस माध्यम पर प्रदत्त) के लिए संशोधित गुणवत्ता सेवा (क्यूओएस) मानक एवं उनके बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। ये विनियमन वायरलाइन एवं वायरलेस माध्यम पर प्रदत्त एक्सेस और ब्रॉडबैंड दोनों सेवाओं पर दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गए।

इन विनियमों/अनुसंशाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है।

1.2.7 सेवा की गुणवत्ता (QoS)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सेवा गुणवत्ता की निगरानी तथा क्यूओएस संबंधी जानकारी के प्रसार का केंद्रबिंदु परिवर्तित हुआ है, जिसमें प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

विवरण इस रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है।

1.2.8 डिजिटल भारत निधि (पूर्व में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि)

दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का संख्या 44) तथा दिनांक 30 अगस्त 2024 को जारी दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 के अनुसार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड) का नाम परिवर्तित कर "डिजिटल भारत निधि" कर दिया गया है। संसद के अधिनियम द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि फंड को दिनांक 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ताकि देश के वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता दी जा सके। तत्पश्चात्, इसके दायरे का विस्तार कर सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं, जैसे मोबाइल सेवाएँ, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुदान समर्थन उपलब्ध कराने तक कर दिया गया।

तब से, सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का उपयोग करते हुए ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम जनता के लिए इंटरनेट पहुँच को सुधारने हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं। प्राधिकरण भी देश के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज एवं बैकहॉल अवसंरचना में सुधार" पर, दिनांक 22 सितम्बर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर तथा दिनांक 29 सितम्बर 2023 को "हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुसंशाएं जारी कीं। दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान कई मामलों में इन अनुसंशाओं के अनुसार कार्रवाई पर विचार किया गया है।

(ग) प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

i. प्रसारण क्षेत्र में टेलीविज़न एवं रेडियो सेवाएँ सम्मिलित हैं। टेलीविज़न सेवाएँ केबल टीवी सेवाओं, डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा, हेडएंड इन द स्काई (हिट्स) सेवाओं और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार [स्रोत: फिक्की ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2025)], टीवी यूनीवर्स में लगभग 60 मिलियन केबल टीवी परिवार तथा 2 मिलियन हिट्स उपभोक्ता सम्मिलित हैं। इसके अलावा, जैसा कि 4 पे डीटीएच ऑपरेटरों ने रिपोर्ट के द्वारा भादूविप्रा को बताया है, दिनांक 31 मार्च 2025 को सक्रिय पे डीटीएच उपभोक्ताओं की कुल संख्या 56.92 मिलियन थी। इसके अतिरिक्त, 9 आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 को आईपीटीवी उपभोक्ताओं की कुल संख्या 0.7 मिलियन थी।

ii. टीवी प्रसारण क्षेत्र में लगभग 329 प्रसारक सम्मिलित हैं जो दिनांक 31.03.2025 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लगभग 918 निजी उपग्रह टीवी चैनल प्रदान कर रहे हैं [स्रोत: एमआईबी की प्रसारण सेवा]। इन टेलीविज़न चैनलों में 35 प्रसारकों द्वारा प्रदत्त 232 एस.डी. पे टीवी चैनल तथा 101 एचडी पे टीवी चैनल शामिल हैं [स्रोत: भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट]। इसके अतिरिक्त, 845 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, 1 हिट्स ऑपरेटर, 4 पे डीटीएच ऑपरेटर तथा 53 आईपीटीवी ऑपरेटर कार्यरत थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी 2022 तक देश में 81,706 पंजीकृत स्थानीय केबल ऑपरेटर मौजूद थे।

iii. एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार [स्रोत:फिक्की-ईवाई रिपोर्ट, मार्च 2025], वर्ष 2024 के अंत में भारतीय टेलीविज़न उद्योग का राजस्व ₹ 67,900 करोड़ था, जिसमें से सब्सक्रिप्शन राजस्व ₹ 38,500 करोड़ तथा विज्ञापन राजस्व ₹ 29,400 करोड़ था।

iv. निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक 388 निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन संचालित हो रहे थे, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संचालित रेडियो चैनल भी कार्यरत थे। जहाँ तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक ऐसे स्टेशनों की स्थापना हेतु जारी 639 अनुमतियों में से 531 सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालन में आ चुके थे। निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों का विज्ञापन राजस्व ₹ 1818.71 करोड़ था।

1.3 यह क्षेत्र केबल टीवी सेवाएँ, डीटीएच सेवाएँ, हिट्स सेवाएँ, आईपीटीवी सेवाएँ और रेडियो प्रसारण सेवाएँ शामिल हैं। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1.3.1 सैटेलाईट टीवी चैनल्स

मार्च 2025 के अंत तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सैटेलाईट टीवी चैनलों की कुल संख्या लगभग 918 थी। **चित्र–18** में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्षवार टीवी चैनलों की कुल संख्या दर्शाई गई है। **चित्र–19** में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्षवार एसडी पे टीवी चैनल्स एवं एचडी पे टीवी चैनल्स की संख्या दर्शाई गई है। प्रसारकों एवं उनके पे टीवी चैनलों (एसडी एवं एचडी) की सूची इस रिपोर्ट के **भाग – I** के अनुलग्नक I में दी गई है।

चित्र–18: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सेटेलाईट टीवी चैनलों की संख्या

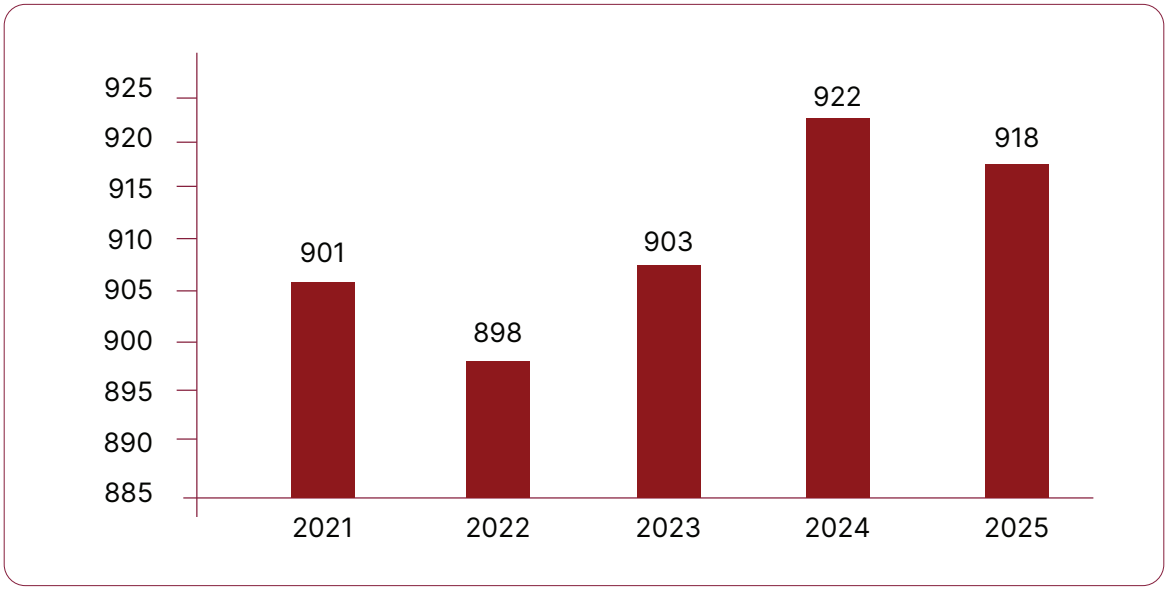

Source: As per MIB's broadcast seva

चित्र–19: एसडी एवं एचडी सॅटॅलाइट पे टीवी चैनलों की संख्या

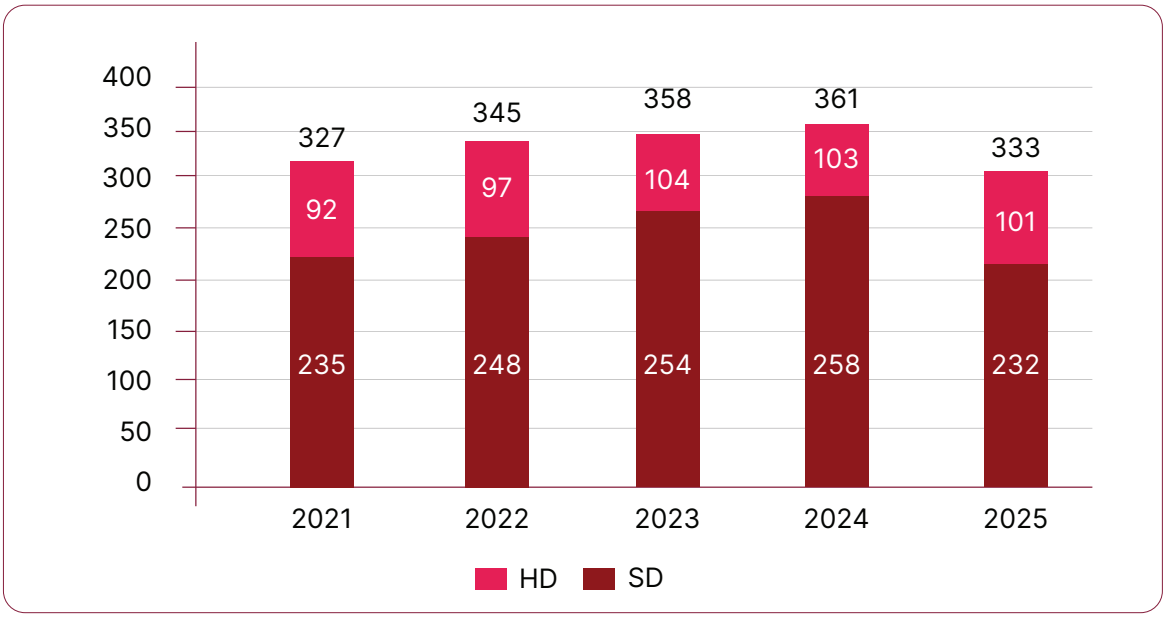

Source: As reported by pay broadcasters

1.3.2 डीटीएच सेवाएँ

पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 के अंत तक पे डीटीएच सब्सक्राइबर की कुल सक्रिय संख्या लगभग 56.92 मिलियन थी। यह संख्या दूरदर्शन की डीडी फ्री डिश (निःशुल्क डीटीएच सेवाएँ) के सब्सक्राइबरों के अतिरिक्त है। मार्च 2025 के अंत तक इस सब्सक्राइबर आधार को पूरा करने वाले 4 पे डीटीएच सेवा प्रदाता कार्यरत थे। पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची इस रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **भाग – I** के **अनुलग्नक–II** में दी गई है। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के लिए कुल सक्रिय डीटीएच सब्सक्राइबर आधार की संख्या **चित्र–20** में दर्शाई गई है।

चित्र–20: पे डीटीएच क्षेत्र का कुल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

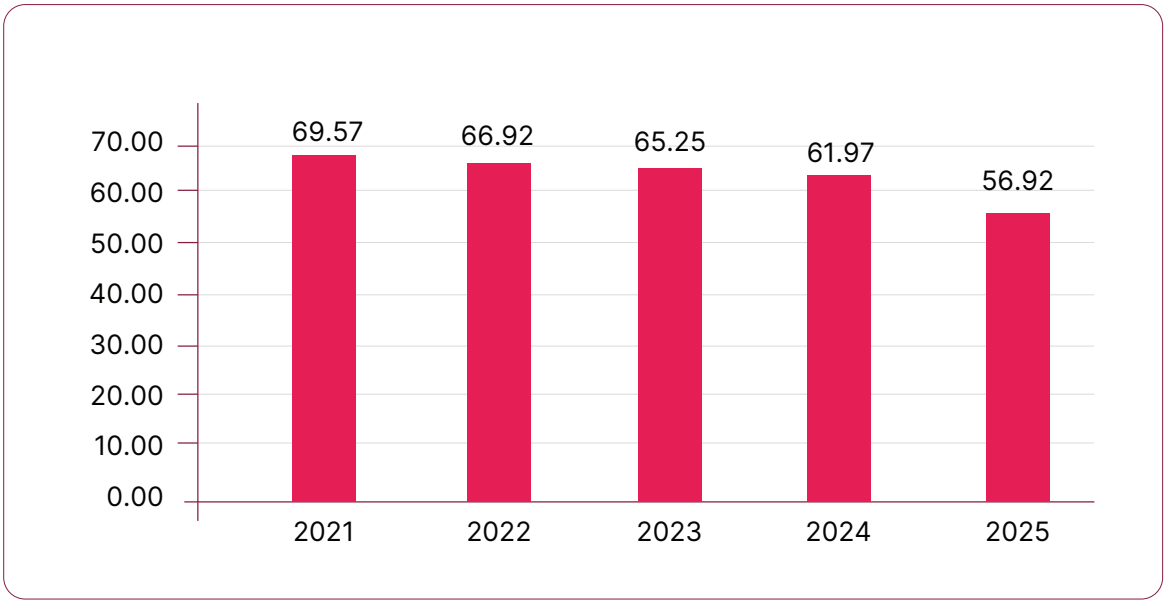

Source: As reported to TRAI

पारंपरिक टीवी चैनलों के अतिरिक्त, पे डीटीएच ऑपरेटरों को अपने प्लेटफ़ॉर्म चैनल प्रसारित करने की अनुमति दी गई है। इन ऑपरेटरों ने मूवी-ऑन-डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा आदि जैसी कई नवोन्मेषी पेशकशें और मूल्य वर्धित सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा है ।

1.3.3 एफ.एम. रेडियो

रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट-अप की कम लागत और किफायत जैसे व्यापक गुणों के कारण जनसंचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में रेडियो कवरेज एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन (AM) मोड तथा फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मोड (FM) में उपलब्ध है। वर्तमान समय में एफ.एम. रेडियो प्रसारण, जनता तक मनोरंजन, सूचना और शिक्षा पहुँचाने का सबसे लोकप्रिय एवं व्यापक माध्यम है। निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक 388 निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन संचालित हो रहे थे, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 591 रेडियो स्टेशन संचालित किए जा रहे थे [स्रोत: स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर 2024-25, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एवं https://mib.gov.in/flipbook/93 पर उपलब्ध]।

निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2025 तक 33 निजी एफ.एम. प्रसारकों द्वारा 113 शहरों में 388 एफ.एम. रेडियो स्टेशन संचालन में आ चुके थे। रेडियो प्रसारण क्षेत्र में निजी एफ.एम. प्रसारकों की भागीदारी ने रेडियो कवरेज को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है, साथ ही श्रोताओं को उत्तम गुणवत्ता का रिसेप्शन एवं सामग्री प्रदान की है। इससे स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन मिला है तथा इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों का विज्ञापन राजस्व ₹ 1818.71 करोड़ था। कोविड अवधि के दौरान, वर्ष 2020-21 में एफ.एम. रेडियो का राजस्व उल्लेखनीय रूप से घट गया था। तथापि, आगामी वर्षों में यह धीरे-धीरे सुधरता गया और वर्ष 2024-25 तक लगभग कोविड-पूर्व स्तर पर लौट आया। पिछले छह वित्तीय वर्षों के लिए निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों का वर्षवार कुल विज्ञापन राजस्व **चित्र–21** में दर्शाया गया है।

चित्र–21 : एफ.एम. रेडियो विज्ञापन राजस्व (₹ करोड़ में)

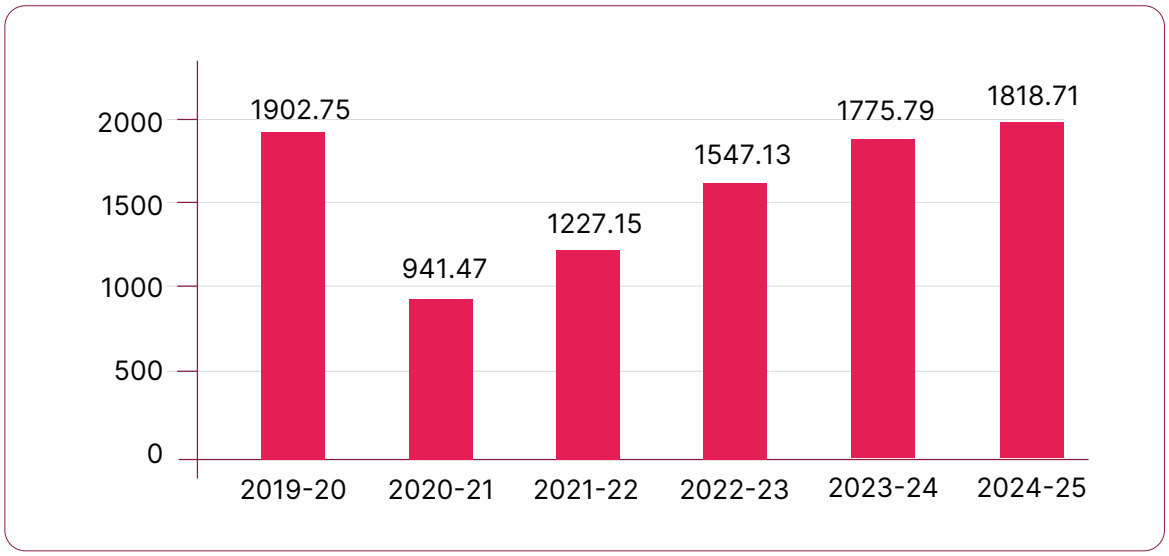

Source: As reported by FM Radio Operators

1.3.4 सामुदायिक रेडियो

रेडियो परिदृश्य में विकास का एक अन्य क्षेत्र, देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की संख्या में विस्तार है। इस देश के विशाल भौगोलिक परिदृश्य, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विशेषताओं एवं सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए सीआरएस में अपार संभावनाएं हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन छोटे समूहों और समुदायों के नेटवर्किंग का माध्यम बन सकते हैं, जिनका विशेष ध्यान आम आदमी की दैनिक चिंताओं पर हो सकता है तथा स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन गैर-लाभकारी सामुदायिक संगठनों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, स्वायत्त निकाय, नागरिक समाज संगठन, स्वैच्छिक संगठन, पंजीकृत सोसाईटीयाँ, सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट, स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठन और गैर-लाभकारी किसान उत्पादक संगठन शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2025 तक, 531 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत थे। प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या **चित्र–22** में दर्शाई गई है।

चित्र–22 : सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या

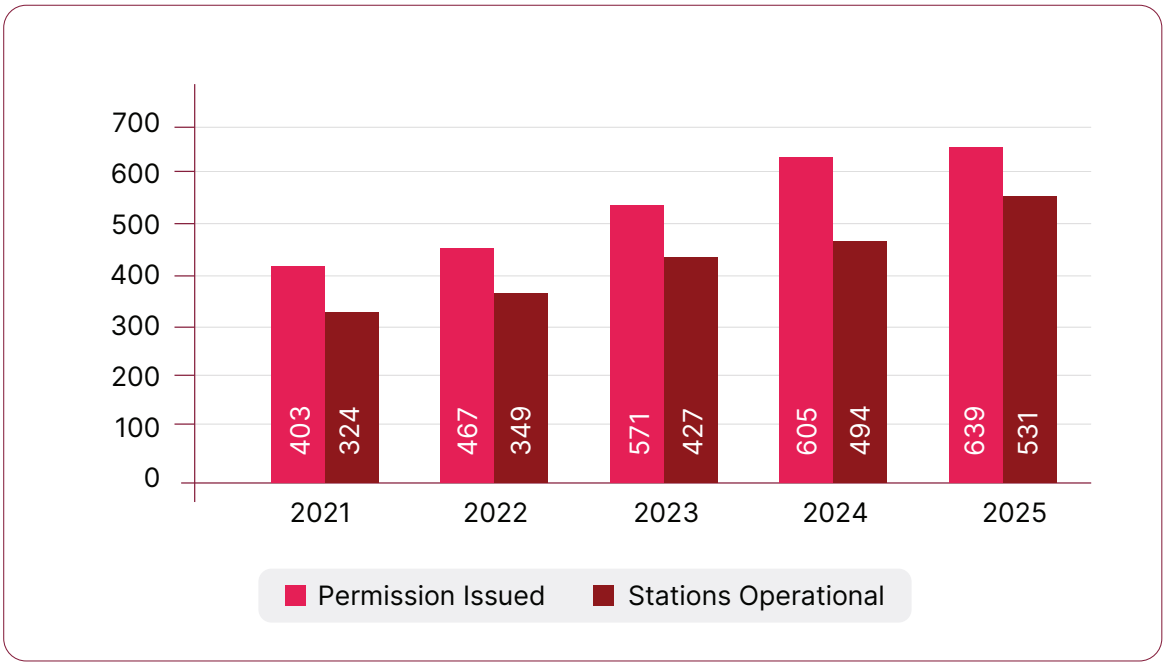

Source: As reported to TRAI

देश में प्रसारण एवं केबल सेवाओं के क्षेत्रों की समग्र स्थिति नीचे **तालिका–17** में प्रस्तुत है।

तालिका–17 : प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति
(दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रसारकों की संख्या (लगभग)*	329
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या#	845
स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या$	81,706
पे डी.टी.एच. ऑपरेटरों की संख्या$	4
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या*	918
एस.डी. पे टीवी चैनलों की संख्या@	232
एच.डी. टीवी चैनलों की संख्या@	101
एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो को छोड़कर)@	388
प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या$	531

* सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा के अनुसार
# सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार
$ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार
@ भादूविप्रा को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार

अनुलग्नक–I

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार पे टीवी चैनलों की सूची

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
1.	एईटीएन 18 मीडिया प्रा. लि.	1.	द हिस्ट्री चैनल	एसडी
		2.	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी	एचडी
2.	बीबीसी ग्लोबल न्यूज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3.	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़	एसडी
		4.	सीबीबीज़	एसडी
3.	बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड	5.	ज़ूम	एसडी
		6.	रोमेडी नाउ	एसडी
		7.	एमएन+ (एचडी)	एचडी
		8.	मिरर नाउ	एसडी
		9.	ईटी नाउ	एसडी
		10.	टाइम्स नाउ	एसडी
		11.	टाइम्स नाउ नवभारत एचडी	एचडी
		12.	मूवीज़ नाउ एचडी	एचडी
		13.	एमएनएक्स एचडी	एचडी
		14.	ईटी नाउ स्वदेश	एसडी
		15.	एमएनएक्स	एसडी
		16.	टाइम्स नाउ वर्ल्ड (एचडी)	एचडी
4.	सेलिब्रिटीज़ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	17.	ट्रैवल एक्सपी एच.डी.	एचडी
		18.	ट्रैवल एक्सपी तमिल	एसडी
		19.	ट्रैवल एक्सपी	एसडी
		20.	फूड एक्सपी	एसडी
5.	सीएसएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	21.	जान टीवी प्लस	एसडी
6.	डायरेक्ट न्यू प्राइवेट लिमिटेड	22.	न्यूज़ एक्स	एसडी
		23.	न्यूज़ एक्स वर्ल्ड	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
7.	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया	24.	एनिमल प्लानेट	एसडी
		25.	डिस्कवरी चैनल	एसडी
		26.	डी तमिल	एसडी
		27.	डिस्कवरी किड्स	एसडी
		28.	डिस्कवरी साइंस	एसडी
		29.	डिस्कवरी टर्बो	एसडी
		30.	इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी	एसडी
		31.	डिस्कवरी एचडी	एचडी
		32.	एनिमल प्लानेट एचडी	एचडी
		33.	टीएलसी एचडी	एचडी
		34.	इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी एचडी	एचडी
		35.	टीएलसी	एसडी
		36.	यूरोस्पोर्ट एचडी	एचडी
		37.	यूरोस्पोर्ट	एसडी
8.	ईनाडु टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड	38.	ईटीवी तेलुगु	एसडी
		39.	ईटीवी आंध्र प्रदेश	एसडी
		40.	ईटीवी – तेलंगाना	एसडी
		41.	ईटीवी सिनेमा	एसडी
		42.	ईटीवी लाइफ	एसडी
		43.	ईटीवी प्लस	एसडी
		44.	ईटीवी अभिरुचि	एसडी
		45.	ईटीवी एचडी	एचडी
		46.	ईटीवी प्लस एचडी	एचडी
		47.	ईटीवी सिनेमा एचडी	एचडी
		48.	ईटीवी बालभारत हिंदी	एसडी
		49.	ईटीवी बालभारत इंग्लिश	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		50.	ईटीवी बालभारत एचडी	एचडी
		51.	ईटीवी बालभारत एसडी	एसडी
9.	इन्फ़ॉर्मेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड	52.	इंडिया न्यूज़	एसडी
10.	इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	53.	इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़	एचडी
11.	आईएन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	54.	एपिक	एसडी
		55.	गुब्बारे	एसडी
		56.	इशारा टीवी	एसडी
12.	फेम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	57.	4 टीवी न्यूज़	एसडी
13.	आईबीएन लोकमत न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड	58.	न्यूज़ 18 लोकमत	एसडी
14.	लाइफ़स्टाइल एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड	59.	गुड टाइम्स	एसडी
15.	मैविस सैटकॉम लिमिटेड	60.	जे मूवीज़	एसडी
		61.	जया मैक्स	एसडी
		62.	जया प्लस	एसडी
		63.	जया टीवी एचडी	एचडी
16.	एमएसएम वर्ल्ड वाइड फ़ैक्चुअल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	64.	सोनी बीबीसी अर्थ	एसडी
		65.	सोनी बीबीसी अर्थ एचडी	एचडी
17.	न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड	66.	एनडीटीवी 24*7	एसडी
		67.	एनडीटीवी प्रॉफ़िट	एसडी
18.	पोलिमर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	68.	ज्योति टीवी	एसडी
19.	तरंग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड	69.	प्रार्थना लाइफ़	एसडी
		70.	तरंग	एसडी
		71.	तरंग म्यूज़िक	एसडी
		72.	अलंकार	एसडी
		73.	तरंग एचडी	एचडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
20.	राज टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड	74.	राज डिजिटल प्लस	एसडी
		75.	राज म्यूज़िक्स	एसडी
		76.	राज न्यूज़	एसडी
		77.	राज टीवी	एसडी
		78.	राज नागाइचुवई	एसडी
		79.	राज परिवार	एसडी
21.	सिल्वरस्टार कम्युनिकेशंस लिमिटेड	80.	मेगा 24	एसडी
		81.	मेगा म्यूज़िक	एसडी
		82.	मेगा टीवी	एसडी
22.	कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	83.	सोनी याय!	एसडी
		84.	सोनी मैक्स	एसडी
		85.	सोनी सब	एसडी
		86.	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल	एसडी
		87.	सोनी पिक्स	एसडी
		88.	सोनी मैक्स 2	एसडी
		89.	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल एचडी	एचडी
		90.	सोनी पिक्स एचडी	एचडी
		91.	सोनी मैक्स एचडी	एचडी
		92.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 एचडी	एचडी
		93.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एचडी	एचडी
		94.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 2	एसडी
		95.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 1	एसडी
		96.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 3	एसडी
		97.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एचडी	एचडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
22.	कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	98.	सोनी सब एचडी	एचडी
		99.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 4	एसडी
		100.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 एचडी	एचडी
		101.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 5	एसडी
		102.	सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एचडी	एचडी
		103.	सोनी आथ	एसडी
		104.	सोनी मराठी	एसडी
		105.	सोनी मैक्स 1	एसडी
23.	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	106.	स्टार स्पोर्ट्स 3	एसडी
		107.	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल	एसडी
		108.	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2	एसडी
		109.	स्टार भारत	एसडी
		110.	स्टार गोल्ड 2 (मूवीज़ ओके)	एसडी
		111.	स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी	एसडी
		112.	स्टार गोल्ड	एसडी
		113.	स्टार जलसा	एसडी
		114.	स्टार मूवीज़	एसडी
		115.	स्टार गोल्ड सेलेक्ट	एसडी
		116.	स्टार प्लस	एसडी
		117.	स्टार प्रवाह	एसडी
		118.	स्टार स्पोर्ट्स 1	एसडी
		119.	स्टार स्पोर्ट्स 2	एसडी
		120.	जलसा मूवीज़	एसडी
		121.	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 2	एचडी
		122.	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 1	एचडी
		123.	स्टार भारत एचडी	एचडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	124.	स्टार गोल्ड एचडी	एचडी
		125.	स्टार मूवीज़ एचडी	एचडी
		126.	स्टार प्लस एचडी	एचडी
		127.	स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी	एचडी
		128.	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1	एसडी
		129.	स्टार मूवीज़ सेलेक्ट एचडी	एचडी
		130.	स्टार स्पोर्ट्स 2 कन्नड़ (स्टार स्पोर्ट्स फ़र्स्ट)	एसडी
		131.	माँ गोल्ड	एसडी
		132.	माँ मूवीज़	एसडी
		133.	माँ म्यूज़िक	एसडी
		134.	माँ टीवी	एसडी
		135.	स्टार प्रवाह एचडी	एचडी
		136.	स्टार जलसा एचडी	एचडी
		137.	जलसा मूवीज़ एचडी	एचडी
		138.	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 1	एचडी
		139.	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 2	एचडी
		140.	माँ एचडी	एचडी
		141.	स्टार गोल्ड सेलेक्ट एचडी	एचडी
		142.	माँ मूवीज़ एचडी	एचडी
		143.	स्टार स्पोर्ट 1 तेलुगु	एसडी
		144.	स्टार स्पोर्ट 1 कन्नड़	एसडी
		145.	स्टार गोल्ड रोमांस	एसडी
		146.	स्टार गोल्ड थ्रिल्स	एसडी
		147.	प्रवाह पिक्चर्स	एसडी
		148.	स्टार किरण	एसडी
		149.	स्टार मूवीज़ सेलेक्ट	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	150.	स्टार गोल्ड 2 एचडी	एचडी
		151.	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल एचडी	एचडी
		152.	स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु एचडी	एचडी
		153.	प्रवाह पिक्चर्स एचडी	एचडी
		154.	विजय टीवी	एसडी
		155.	विजय सुपर	एसडी
		156.	विजय एचडी	एचडी
		157.	विजय टक्कर (विजय म्यूज़िक)	एसडी
		158.	एशियानेट	एसडी
		159.	एशियानेट प्लस	एसडी
		160.	एशियानेट मूवीज़	एसडी
		161.	सुवर्णा प्लस	एसडी
		162.	स्टार सुवर्णा एचडी	एचडी
		163.	एशियानेट एचडी	एचडी
		164.	स्टार सुवर्णा	एसडी
		165.	विजय सुपर एचडी	एचडी
		166.	एशियानेट मूवीज़ एचडी	एचडी
		167.	डिज़्नी जूनियर	एसडी
		168.	सुपर हंगामा (मार्वल एचक्यू)	एसडी
		169.	डिज़्नी इंटरनेशनल एचडी	एचडी
		170.	हंगामा टीवी	एसडी
		171.	द डिज़्नी चैनल	एसडी
		172.	डिज़्नी चैनल एचडी	एचडी
		173.	नेशनल ज्योग्राफिक चैनल (NGC)	एसडी
		174.	नैट जियो वाइल्ड	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	175.	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी	एचडी
		176.	नैट जियो वाइल्ड एचडी	एचडी
		177.	कलर्स	एसडी
		178.	एमटीवी	एसडी
		179.	निक	एसडी
		180.	निक जूनियर	एसडी
		181.	सोनिक	एसडी
		182.	कलर्स इन्फिनिटी एचडी	एचडी
		183.	कलर्स इन्फिनिटी	एसडी
		184.	कलर्स एचडी	एचडी
		185.	निक्स एचडी+	एचडी
		186.	कलर्स सिनेप्लेक्स	एसडी
		187.	कलर्स कन्नड़ एचडी	एचडी
		188.	कलर्स मराठी एचडी	एचडी
		189.	कलर्स बांग्ला एचडी	एचडी
		190.	कलर्स सुपर	एसडी
		191.	स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी (स्पोर्ट्स 18 1)	एसडी
		192.	स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी एच.डी. (स्पोर्ट्स 18 1 एचडी)	एचडी
		193.	स्टार स्पोर्ट्स 2 तेलुगु (स्पोर्ट्स 18 2)	एसडी
		194.	स्टार स्पोर्ट्स 2 तमिल (स्पोर्ट्स 18 3)	एसडी
		195.	कलर्स बांग्ला	एसडी
		196.	कलर्स गुजराती	एसडी
		197.	कलर्स कन्नड़	एसडी
		198.	कलर्स मराठी	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	199.	कलर्स तमिल	एसडी
		200.	कलर्स सिनेप्लेक्स एचडी	एचडी
		201.	कलर्स तमिल एचडी	एचडी
		202.	एमटीवी एचडी	एचडी
		203.	कलर्स कन्नड़ सिनेमा	एसडी
		204.	कलर्स गुजराती सिनेमा	एसडी
		205.	कलर्स बंगला सिनेमा	एसडी
		206.	स्टार स्पोर्ट्स 2 तेलुगु एचडी	एचडी
		207.	स्टार स्पोर्ट्स 2 तमिल एचडी	एचडी
		208.	स्टार स्पोर्ट्स खेल	एसडी
24.	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	209.	आदित्य टीवी	एसडी
		210.	चिंटू टीवी	एसडी
		211.	छुट्टी टीवी	एसडी
		212.	जेमिनी कॉमेडी	एसडी
		213.	जेमिनी लाइफ	एसडी
		214.	जेमिनी मूवीज़	एसडी
		215.	जेमिनी म्यूज़िक	एसडी
		216.	जेमिनी टीवी	एसडी
		217.	केटीवी	एसडी
		218.	सूर्या मूवीज़	एसडी
		219.	खुशी टीवी	एसडी
		220.	सन लाइफ	एसडी
		221.	सन म्यूज़िक	एसडी
		222.	सन न्यूज़	एसडी
		223.	सूर्या म्यूज़िक	एसडी
		224.	सन टीवी	एसडी
		225.	सूर्या कॉमेडी	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	226.	सूर्या टीवी	एसडी
		227.	उदय कॉमेडी	एसडी
		228.	उदय मूवीज़	एसडी
		229.	उदय म्यूज़िक	एसडी
		230.	उदय टीवी	एसडी
		231.	कोचू टीवी	एसडी
		232.	सन टीवी एचडी	एचडी
		233.	केटीवी एचडी	एचडी
		234.	सन म्यूज़िक एचडी	एचडी
		235.	जेमिनी टीवी एचडी	एचडी
		236.	जेमिनी म्यूज़िक एचडी	एचडी
		237.	जेमिनी मूवीज़ एचडी	एचडी
		238.	सूर्या एचडी	एचडी
		239.	उदय एचडी	एचडी
25.	सूर्यांश ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	240	फ्लॉवर्स	एसडी
26.	वॉर्नर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	241.	कार्टून नेटवर्क	एसडी
		242.	सीएनएन इंटरनेशनल	एसडी
		243.	पोगो	एसडी
		244	कार्टून नेटवर्क एचडी+	एचडी
27.	नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	245.	सीएनएन न्यूज़ 18	एसडी
		246.	सीएनबीसी बाजार	एसडी
		247.	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम	एचडी
		248.	सीएनबीसी आवाज़	एसडी
		249.	न्यूज़ 18 तमिलनाडु	एसडी
		250.	न्यूज़ 18 केरल	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	251.	न्यूज़ 18 असम / नॉर्थ ईस्ट	एसडी
		252.	सीएनबीसी टीवी 18	एसडी
		253.	न्यूज़ 18 बिहार झारखंड	एसडी
		254.	न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़	एसडी
		255.	न्यूज़ 18 राजस्थान	एसडी
		256.	न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल	एसडी
		257.	न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर / लद्दाख / हिमाचल / हरियाणा	एसडी
		258.	न्यूज़ 18 कन्नड़	एसडी
		259.	न्यूज़ 18 बंगला	एसडी
		260.	न्यूज़ 18 पंजाब	एसडी
		261.	न्यूज़ 18 गुजराती	एसडी
		262.	न्यूज़ 18 ओड़िया	एसडी
28.	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	263.	इंडिया टुडे	एसडी
		264.	आज तक एचडी	एचडी
29.	ज़ी आकाश न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड	265.	ज़ी 24 घंटे	एसडी
30.	ज़ी एंटरटेनमेंट इन्टरप्राइज़ेज़ लिमिटेड	266.	ज़ी बॉलीवुड	एसडी
		267.	ज़ी बंगला सिनेमा	एसडी
		268.	ज़ी कैफ़े एचडी	एचडी
		269.	ज़ी कैफ़े	एसडी
		270.	ज़ी सिनेमा	एसडी
		271.	ज़ी टॉकीज़	एसडी
		272.	ज़ी टीवी	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	ज़ी एंटरटेनमेंट इन्टरप्राइज़ेज़ लिमिटेड	273.	ज़िंग	एसडी
		274.	& पिक्चर	एसडी
		275.	ज़ी बंगला	एसडी
		276.	ज़ी मराठी	एसडी
		277.	ज़ी ज़ेस्ट एचडी	एचडी
		278.	ज़ी ज़ेस्ट	एसडी
		279.	ज़ी टीवी एचडी	एचडी
		280.	ज़ी सिनेमा एचडी	एचडी
		281.	एंड टीवी	एसडी
		282.	एंड टीवी एचडी	एचडी
		283.	ज़ी कन्नड़	एसडी
		284.	ज़ी तेलुगु	एसडी
		285.	एंड पिक्चर्स एचडी	एचडी
		286.	ज़ी सिनेमालू	एसडी
		287.	ज़ी युवा	एसडी
		288.	ज़ी मराठी एचडी	एचडी
		289.	एंड प्रीवे एचडी	एचडी
		290.	ज़ी बंगला एचडी	एचडी
		291.	ज़ी तमिल एचडी	एचडी
		292.	ज़ी सिनेमालू एचडी	एचडी
		293.	ज़ी तेलुगु एचडी	एचडी
		294.	ज़ी तमिल	एसडी
		295.	ज़ी कन्नड़ एचडी	एचडी
		296.	& फ्लिक्स एचडी	एचडी
		297.	& फ्लिक्स	एसडी
		298.	ज़ी केरळम एचडी	एचडी
		299.	ज़ी केरळम	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
	ज़ी एंटरटेनमेंट इन्टरप्राइज़ेज़ लिमिटेड	300.	ज़ी क्लासिक	एसडी
		301.	एंड एक्सप्लोर एचडी	एचडी
		302.	ज़ी सार्थक	एसडी
		303.	ज़ी टॉकीज़ एचडी	एचडी
		304.	ज़ी पंजाबी	एसडी
		305.	ज़ी तिरई	एसडी
		306.	ज़ी पिक्चर	एसडी
		307.	ज़ी तिरई एचडी	एचडी
		308.	ज़ी पिक्चर एचडी	एचडी
31.	ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड	309.	ज़ी 24 तास	एसडी
		310.	ज़ी दिल्ली एनसीआर हरियाणा (ज़ी ओडिशा)	एसडी
		311.	ज़ी बिज़नेस	एसडी
		312.	ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल	एसडी
		313.	ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	एसडी
		314.	सलाम टीवी	एसडी
		315.	डब्ल्यूआईओएन	एसडी
		316.	ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	एसडी
		317.	ज़ी भारत	एसडी
		318.	ज़ी बिहार झारखंड	एसडी
		319.	ज़ी राजस्थान न्यूज़	एसडी
		320.	ज़ी न्यूज़ एचडी	एचडी
		321.	ज़ी कन्नड़ न्यूज़	एसडी
		322.	ज़ी तेलुगु न्यूज़	एसडी

क्र. सं.	प्रसारक का नाम	क्र. सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
32.	ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	323.	मूवीज़ नाउ	एसडी
33.	सिद्धार्थ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	324.	सिद्धार्थ टीवी	एसडी
34.	सार्थक म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड	325.	सिद्धार्थ भक्ति	एसडी
		326.	जय जगन्नाथ	एसडी
		327.	सिद्धार्थ गोल्ड	एसडी
35.	कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड	328.	कलैग्नार टीवी	एसडी
		329.	इसैयारुवी	एसडी
		330.	सिरिपोल्ली	एसडी
		331.	मुरासु	एसडी
		332.	सेइथिगल	एसडी
		333.	कलैग्नार चित्रम	एसडी

अनुलग्नक – II

पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

क्र. सं.	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मैसर्स टाटा प्ले लिमिटेड
2.	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3.	मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड
4.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड

भाग – II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग-I में वर्ष 2024-25 के दौरान दूरसंचार, टीवी प्रसारण और रेडियो सेवाओं में मौजूद सामान्य परिवेश का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भादूविप्रा एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है तथा सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करता है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 36 के अंतर्गत, प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 39 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं।

2.3 अनुशंसाएं तैयार करने और नीतिगत पहलों के संबंध में सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा विभिन्न हितधारकों जैसे सेवा प्रदाताओं, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) / उपभोक्ता संगठनों और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसके अंतर्गत सभी हितधारकों और आम जनता को नीति निर्माण के संबंध में विचार-विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है और अनुशंसाएँ तैयार करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक परामर्श पत्र जारी करना और मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देश के विभिन्न शहरों में ऑनलाइन या भौतिक रूप से ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) बैठकें आयोजित करना, ई-मेल और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना, और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विनियमन / आदेश में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी शामिल होता है, जो उन आधारों की व्याख्या करता है, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई भागीदारीपूर्ण एवं पारदर्शी प्रक्रिया को व्यापक सराहना मिली है।

2.4 भादूविप्रा, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के उपभोक्ता संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के विचारों को प्राप्त करने हेतु उनके साथ संवाद करता है। इसके पास दूरसंचार सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता संगठनों / एन.जी.ओ. का पंजीकरण करने और उनके साथ नियमित अंतराल पर संवाद स्थापित करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा उपभोक्ता संगठनों को सशक्त बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहभागिता के साथ संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है तथा इन आयोजनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान करने वाली संस्थानों को आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, प्राधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए अथवा लाइसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय या प्रसारण एवं केबल सेवाओं के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध पर अनुशंसाएं जारी करे। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार को भेजी गई अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं।

2.5.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस एवं प्रतिक्रियाओं की सूची
1.	"डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों एवं व्यवसायिक मॉडलों को प्रोत्साहित करना" विषय पर दिनांक 12 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं।
2.	दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग" विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं ।
3.	"लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 नवंबर 2022 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 1 अगस्त 2024 की प्रतिक्रिया।
4.	"टेरा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम" विषय पर दिनांक 21 अगस्त 2024 की अनुशंसाएं।
5.	"एक से अधिक एन.एस.ओ. से एक्सेस सेवा वी.एन.ओ. को कनेक्टिविटी" विषय पर दिनांक 13 सितम्बर 2024 की अनुशंसाएं।
6.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त की जाने वाली सर्विस ऑथराईजेशन्स हेतु रूपरेखा" विषय पर दिनांक 18 सितम्बर 2024 की अनुशंसाएं।
7.	"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" विषय पर दिनांक 10 दिसम्बर 2024 की अनुशंसाएं।
8.	"भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन" विषय पर दिनांक 20 दिसम्बर 2024 की अनुशंसाएं।
9.	"आईएमटी हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम" विषय पर दिनांक 4 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।
10.	"राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" विषय पर दिनांक 6 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।
11.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की शर्तें एवं नियम" विषय पर दिनांक 17 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।
12.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त की जाने वाली सर्विस ऑथराईजेशन्स हेतु रूपरेखा" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 14 जनवरी 2025 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 28 फरवरी 2025 की प्रतिक्रिया।

क्र. सं.	अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस एवं प्रतिक्रियाओं की सूची
13.	"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 फरवरी 2025 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 18 मार्च 2025 की प्रतिक्रिया।
14.	"दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 फरवरी 2025 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 25 मार्च 2025 की प्रतिक्रिया।

अनुशंसाएं एवं बैक रेफरेंस की प्रतिक्रियाएं

2.5.1.1 "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यवसायिक मॉडलों को प्रोत्साहित करना" विषय पर दिनांक 12 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं

5G/6G, मशीन-टू-मशीन संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी तथा अन्य नई तकनीकी प्रगतियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आवश्यकता है कि एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिसमें नई प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यवसायिक मॉडलों का परीक्षण लाइव नेटवर्क में किया जा सके, अथवा मौजूदा कार्यों या प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया जा सके। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने हेतु, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 मार्च 2023 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को पत्र लिखकर, डिजिटल संचार उद्योग में नई सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं व्यवसायिक मॉडलों हेतु विनियामक सैंडबॉक्स रूपरेखा पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं मांगीं। दूरसंचार विभाग के इस रेफरेंस पर विचार करते हुए, भादूविप्रा ने दिनांक 19 जून 2023 को एक परामर्श पत्र (कन्सलटेशन पेपर) प्रकाशित किया और हितधारकों से फीडबैक मांगी। नई प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों की विविधता, संभावित उत्पाद/सेवा/एप्लिकेशन (आगे "उत्पाद" कहलाएंगे) प्रदाताओं की संख्या तथा निरंतर बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए, एक परीक्षण वातावरण स्थापित करना आवश्यक है, जहाँ नई प्रौद्योगिकियों, कार्यों और प्रक्रियाओं का परीक्षण, लाईव नेटवर्क में किया जा सके या मौजूदा कार्यों अथवा प्रक्रियाओं को और परिष्कृत किया जा सके। यह लाइव परीक्षण वातावरण, विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने या नई सेवाएँ प्रस्तुत करने के लिए नए उपायों और साधनों की संभावनाएँ भी उपलब्ध करा सकता है। विनियामक क्षेत्र में ऐसे परीक्षण वातावरणों को सामान्यतः "विनियामक सैंडबॉक्स" कहा जाता है।

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) रीयल टाइम में, किंतु विनियमित रूप से, उन दूरसंचार नेटवर्कों और उपभोक्ता संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है, जो पारंपरिक लैब टैस्टिंग या पायलट विधियों से संभव नहीं है। विनियमों में नई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए, केवल आर.एस. परीक्षण की अवधि हेतु मान्य, विशिष्ट एवं सामान्य छूटें दी जाती हैं। कई देशों में विनियामक निकायों ने ऐसे सैंडबॉक्स ढाँचे स्थापित किए हैं। भारत में इस प्रकार का लाइव परीक्षण ढाँचा उपलब्ध कराने से, देश तथा विश्व के डिजिटल संचार उद्योग के लिए समाधान विकसित करने हेतु उद्यमियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके पश्चात्, केन्द्र सरकार ने, दिनांक 24 दिसम्बर 2023 को अधिसूचित दूरसंचार अधिनियम, 2023 में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए: "नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार एक या अधिक विनियामक सैंडबॉक्स स्थापित कर सकती है, जिसे निर्धारित विधि एवं अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'विनियामक सैंडबॉक्स' का अभिप्राय ऐसे लाइव टैस्ट वातावरण से है, जहाँ नए उत्पाद / सेवाएँ / प्रक्रियाएँ / व्यवसायिक मॉडल सीमित उपभोक्ताओं के समूह पर, निर्दिष्ट अवधि के लिए, इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से शिथिलता प्रदान करके लागू किए जा सकते हैं।"

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11 मार्च 2024 को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत "स्पेक्ट्रम विनियामक सैंडबॉक्स" (एसआरएस) अथवा "'WiTe Zones (वायरलेस टेस्ट ज़ोन)" स्थापित एवं संचालित किए जाने हैं, ताकि उभरती हुई नई रेडियो संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों, आउटडोर परीक्षण/प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। हालाँकि, इन दिशा-निर्देशों में पीएसटीएन/सार्वजनिक वाणिज्यिक नेटवर्क/उपग्रह से किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी की अनुमति नहीं दी गई है। अर्थात्, 'WiTe Zones में परीक्षण हेतु उत्पादों को लाइव नेटवर्क इंवायरमेंट में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। ऑफ़लाइन/प्रयोगशाला/'WiTe Zones परीक्षण से आगे बढ़कर, उत्पादों का लाइव नेटवर्क इंवायरमेंट में परीक्षण करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, स्पेक्ट्रम से संबंधित छूटों के अलावा, कुछ उत्पादों के लिए लाइव नेटवर्क आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु अन्य प्रकार की विनियामक शिथिलताओं की भी आवश्यकता हो सकती है।

दूरसंचार विभाग से प्राप्त रेफरेंस, हितधारकों का फीडबैक तथा दूरसंचार अधिनियम, 2023 में दी गई विनियामक सैंडबॉक्स की परिभाषा - जो इस बात पर बल देती है कि नए उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और व्यवसायिक मॉडलों का परीक्षण सीमित उपभोक्ताओं पर, एक निर्धारित अवधि के लिए, आवश्यक विनियामक शिथिलताएँ प्राप्त करने के पश्चात्, लाइव टैस्टिंग इंवायरमेंट में किया जाए - के अनुरूप, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

अनुशंसाओं में सभी प्रासंगिक घटकों का विस्तार से उल्लेख किया गया है और डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए सैंडबॉक्स परीक्षण संचालित करने हेतु एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अनुशंसाओं के हिस्से के रूप में, प्राधिकरण ने आर.एस. फ्रेमवर्क के उद्देश्य और सीमाओं को स्पष्ट किया है। डिजिटल संचार क्षेत्र हेतु अनुशंसित आर.एस. फ्रेमवर्क में विस्तार से यह वर्णित है कि आर.एस. परीक्षण में भाग लेने के लिए पात्रता की शर्तें क्या होंगी, प्रतिभागियों द्वारा पूरी की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकताएँ क्या होंगी, पात्रता प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक सहायक दस्तावेज़ कौन-से होंगे, आवेदन, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया क्या होगी, नियमों में छूट या संशोधन देने का अधिकार किसे होगा, वैधता अवधि कितनी होगी, ऑथराईजेशन निरस्तीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी, तथा रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएँ क्या होंगी।

भारतीय कंपनियाँ अथवा साझेदारी फर्में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स (एलएलपी) या कोई शोध संस्थान, जिन्होंने अपने उत्पादों/सेवाओं/एप्लिकेशनों का सीमित पूर्व परीक्षण किया हो और फ्रेमवर्क में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हों, वे विनियामक सैंडबॉक्स परीक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। चूँकि आर.एस. परीक्षण कुछ निश्चित उपभोक्ताओं पर लाइव नेटवर्क में संचालित किया जाएगा, इस रूपरेखा में नेटवर्क की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के संरक्षण को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, आर.एस. रूपरेखा में यह प्रावधान किया गया है कि आवेदकों को अपने आवेदन के हिस्से के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, माँगी गई विनियामक छूटों का विवरण, प्रस्तावित जोखिम-निवारण उपाय, सुझाए गए उपभोक्ता संरक्षण तंत्र तथा एक सुव्यवस्थित निकास रणनीति उपलब्ध करानी होगी। इस प्रक्रिया में सम्मिलित सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु, आवेदन मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कठोर समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

विनियामक फ्रेमवर्क में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दस्तावेज़ी आवश्यकताएँ तथा आवेदन, मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रियाएँ सम्मिलित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विनियामक सैंडबॉक्स परीक्षण की प्रगति और परिणामों की प्रभावी निगरानी हेतु एक विस्तृत रिपोर्टिंग तंत्र भी निर्धारित किया गया है। फ्रेमवर्क में यह प्रावधान किया गया है कि आर.एस. के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति उत्पाद के परीक्षण हेतु अधिकतम 12 माह की अवधि तक वैध होगी। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर इस वैधता अवधि को बढ़ाने अथवा परीक्षण को समयपूर्व समाप्त/निरस्त करने के भी प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। आरएस परीक्षण की निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक पर्यवेक्षण निकाय का प्रस्ताव किया गया है, ताकि इसकी निगरानी की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने डिजिटल भारत निधि के दायरे को पहले ही विस्तारित कर दिया है, ताकि दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और परीक्षण को उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सुगम बनाया जा सके। विनियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, प्राधिकरण ने यह स्वीकार किया है कि कुछ नवाचार, यदि व्यापक स्तर पर लागू किए जाएँ, तो डिजिटल विभाजन को कम करने और समाज के वंचित तबकों तक सामाजिक-आर्थिक प्रगति पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। हालाँकि, अत्यंत आशाजनक होने के बावजूद, ऐसे नवाचारों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग नहीं मिल पाता। इसलिए, प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की है कि ऐसे योग्य नवाचारों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 25 (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत आरएस फ्रेमवर्क के तहत परीक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

अनुशंसित विनियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क से अपेक्षा की जाती है कि यह डिजिटल संचार उद्योग के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वास्तविक नेटवर्क वातावरण तथा दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित अन्य आँकड़ों तक पहुँच प्रदान करेगी, ताकि नई एप्लिकेशनों की विश्वसनीयता को बाज़ार में लाने से पूर्व परखा जा सके। यह फ्रेमवर्क अन्य मंत्रालयों एवं एजेंसियों की सहायता से आरएस परीक्षण संचालित करने में क्रॉस-सेक्टर कोऑपरेशन के उपयोग का भी प्रावधान करती है। एक आरएस फ्रेमवर्क प्रदान करके, जो विभिन्न डिजिटल संचार क्षेत्र की संस्थाओं को एक संरचित तरीके से एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, इन सिफारिशों से नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और विनियामकों के प्रयासों में तालमेल बैठाने की उम्मीद है ताकि नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

"डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों एवं व्यवसायिक मॉडलों को प्रोत्साहित करना" संबंधी अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.2 "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग" विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं

दिनांक 7 दिसम्बर 2021 के अपने पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया था कि भादूविप्रा अधिनियम,1997 की धारा 11(1)(क) (यथा संशोधित) के अंतर्गत दूरसंचार ऑपरेटर्स के बीच एम.एस.सी., एच.एल.आर., आई.एन. आदि जैसे कोर नेटवर्क तत्वों के साझाकरण की अनुमति दिए जाने संबंधी अनुशंसाएं प्रदान करें। इसके पश्चात्, डीओटी ने दिनांक 10 फरवरी 2022 के अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 7 दिसम्बर 2021 के अपने पूर्व रेफरेंस का उल्लेख करते हुए, यह सूचित किया कि लाइसेंसधारियों के बीच संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की दूरसंचार अवसंरचना एवं नेटवर्क तत्वों के साझाकरण की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव है, जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त सभी श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं को अधिकृत दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रदान किए गए हैं। इस विषय पर भादूविप्रा से अनुशंसाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

देश में इंटर-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग की अनुमति देने के संबंध में हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि स्पेक्ट्रम साझाकरण एवं स्पेक्ट्रम लीज़िंग से संबंधित विषयों को अवसंरचना साझाकरण से जुड़े मुद्दों के साथ ही हितधारकों की परामर्श प्रक्रिया में लिया जाए।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 स्पेक्ट्रम को भारत के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनहित के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता देती है। एनडीसीपी 2018 का उद्देश्य देश में स्पेक्ट्रम साझाकरण, लीज़िंग और ट्रेडिंग व्यवस्था को और अधिक उदार बनाना है। नव अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार, निर्धारित शर्तों एवं नियमों (जिसमें लागू टैरिफ या प्रभार भी सम्मिलित हैं) के अधीन, आबंटित स्पेक्ट्रम के साझाकरण, ट्रेडिंग, लीज़िंग तथा सरेंडर की अनुमति प्रदान कर सकती है।

दिनांक 13 जनवरी 2023 को, भादूविप्रा ने दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। इस पर हितधारकों से कुल 21 टिप्पणियाँ और 5 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। परामर्श पत्र पर दिनांक 24 मई 2023 को एक ओपन हाउस चर्चा वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। अनुशंसाओं की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

i. दूरसंचार सेवा लाइसेंसियों को सभी प्रकार के दूरसंचार सेवा लाइसेंसियों के साथ संबंधित लाइसेंसों के अधीन उनके स्वामित्व, स्थापित और संचालित भवन, टावर, बैटरी और पावर प्लांट सहित विद्युत उपकरण, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे आदि जैसे निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ii. दूरसंचार सेवा लाइसेंसियों को अपने-अपने लाइसेंसों के अंतर्गत स्वामित्व, स्थापना और संचालन में आने वाले सभी प्रकार के सक्रिय बुनियादी ढांचे, उनकी सेवाओं के दायरे के अनुसार, सभी प्रकार के दूरसंचार सेवा लाइसेंसियों के साथ साझा करने की अनुमति होनी चाहिए।

iii. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (या दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि) के तहत भविष्य की सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) परियोजनाओं में, दूरसंचार विभाग को यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर (यूएसपी) के साथ अनुबंध में यह प्रावधान सम्मिलित करना चाहिए कि यू.एस.पी. परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को कम से कम दो अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ पारदर्शी एवं भेदभाव-रहित आधार पर साझा करने से इंकार नहीं करेगा।

iv. यूएसओएफ की पहले से आबंटित परियोजनाओं में, दूरसंचार विभाग को इस संभावना का परीक्षण करना चाहिए कि ऐसे यूएसपी को निर्देश जारी किए जाएँ कि वे परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को कम से कम दो अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ पारदर्शी एवं भेदभाव-रहित आधार पर साझा करने से इंकार नहीं करेंगे।

v. उपभोक्ताओं के हित में, जिस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने यूएसओएफ (या डिजिटल भारत निधि) के अंतर्गत सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तपोषण प्राप्त कर देश के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, उसे ऐसे क्षेत्रों में प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि के लिए अपने नेटवर्क पर अन्य टीएसपी को रोमिंग की अनुमति देना अनिवार्य होना चाहिए।

vi. एक ही सेवा क्षेत्र (आईएसए) के भीतर, एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर-बैंड एक्सेस स्पेक्ट्रम साझाकरण [जिसे या तो विभिन्न आवृत्ति बैंडों में कॉमन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स के माध्यम से भाग लेने वाले एक्सेस प्रदाताओं द्वारा धारित स्पेक्ट्रम का पूल बनाकर, अथवा साझा आवृत्ति बैंड में संचालित होने वाले साझेदार एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एक-दूसरे के रेडियो एक्सेस नेटवर्कों का उपयोग करने की अनुमति देकर लागू किया जा सकता है] की अनुमति होनी चाहिए।

vii. दूरसंचार विभाग को भारत में 'अधिकृत साझा पहुँच' (एएसए) तकनीक आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण लागू करने की संभावना का पता लगाना चाहिए। इसके अंतर्गत, सरकारी एजेंसियों या अन्य संस्थाओं (गैर-टीएसपी) को आई.एम.टी. सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर समरूप स्पेक्ट्रम बैंडों में आबंटित स्पेक्ट्रम को एक्सेस सेवा प्रदाताओं को द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के रूप में आबंटित किया जा सकता है।

viii. इच्छुक एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच ए.एस.ए. तकनीक आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण का एक फील्ड ट्रायल दूरसंचार विभाग की देखरेख में आयोजित किया जाना चाहिए।

ix. एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच एक्सेस स्पेक्ट्रम की लीज़िंग की अनुमति होनी चाहिए।

इन अनुशंसाओं के माध्यम से, भादूविप्रा ने उपर्युक्त अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शर्तें एवं नियम भी बनाए हैं।

दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण पर दी गई अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिक लागत-कुशलता और बाज़ार में सेवाएँ लाने के समय में सुधार करने में सहायक होगा। यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) परियोजनाओं के अंतर्गत तैयार की गई निष्क्रिय (पैसिव) अवसंरचना के अनिवार्य साझाकरण पर दी गई अनुशंसाओं का उद्देश्य, सरकार द्वारा वित्तपोषित अवसंरचना के प्रभावी उपयोग के माध्यम से, सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में एक से अधिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तक दूरसंचार कवरेज के लाभ पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में सरकार द्वारा वित्तपोषण से निर्मित मोबाइल नेटवर्क अवसंरचना पर अनिवार्य रोमिंग की अनुशंसाओं का उद्देश्य उन ग्राहकों की कठिनाइयों को कम करना है, जिन्हें अपने होम नेटवर्क प्रदाता की कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण परेशानी उठानी पड़ती है।

वर्तमान में, देश में केवल स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और इंट्रा-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण की अनुमति है। सीमित स्पेक्ट्रम के अधिक कुशल उपयोग हेतु, भादूविप्रा ने अनुशंसा की है कि स्पेक्ट्रम लीज़िंग और इंटर-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से दूरसंचार सेवा प्रदाता बेहतर गुणवत्ता की सेवा तथा दूरसंचार सेवाओं का व्यापक कवरेज प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, "अधिकृत साझा पहुँच" (एएसए) तकनीक आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण को लागू करने की संभावना का परीक्षण करने संबंधी अनुशंसाओं का उद्देश्य इस सीमित संसाधन के कुशल और प्रभावी उपयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

"दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग" संबंधी अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.3 "लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 नवंबर 2022 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 1 अगस्त 2024 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 2 नवम्बर 2022 के अपने पत्र द्वारा भादूविप्रा की "लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन हेतु राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" संबंधी अनुशंसा

को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस रैफर किया। परीक्षण के पश्चात्, भादूविप्रा ने अपने प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 1 अगस्त 2024 को सरकार को प्रेषित किया।

भादूविप्रा का दिनांक 1 अगस्त 2024 का प्रतिक्रिया - जो दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 नवम्बर 2022 के बैक रेफ़रेंस पर "लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन हेतु राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" संबंधी अनुशंसाओं पर है - की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.4 "टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम" विषय पर दिनांक 21 अगस्त 2024 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 8 दिसम्बर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, प्राधिकरण से "टेराहर्ट्ज़ (Terahertz) रेंज के वे स्पेक्ट्रम बैंड, जो या तो अप्रयुक्त हैं या सीमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, उन्हें मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए खुले और बिना लाइसेंस वाले उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाना" विषय पर अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, प्राधिकरण ने दिनांक 27 सितम्बर 2023 को "टेराहर्ट्ज़ (Terahertz) रेंज के वे स्पेक्ट्रम बैंड, जो या तो अप्रयुक्त हैं या सीमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, उन्हें मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए खुले और बिना लाइसेंस वाले उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाना "विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। इसके प्रतिक्रिया में, 17 हितधारकों ने टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं और 2 हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। इस परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा दिनांक 8 मार्च 2024 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने टेरा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। अनुशंसाओं की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

क. सरकार को 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ की रेंज में स्पेक्ट्रम के लिए एक नया प्रायोगिक ऑथराईजेशन प्रारंभ करना चाहिए, जिसे 'टेरा हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंटल ऑथराइजेशन' (संक्षेप में, टीएचईए) कहा जाएगा।

ख. टीएचईए हेतु ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

i. उद्देश्य: टीएचईए का उद्देश्य 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), इनडोर एवं आउटडोर परीक्षण, तकनीकी परीक्षण, प्रयोग और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

ii. दायरा: टीएचईए का दायरा 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में अनुसंधान एवं विकास, इनडोर एवं आउटडोर परीक्षण, तकनीकी परीक्षण, प्रयोग और प्रदर्शन करना, तथा इस रेंज में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रायोगिक उपकरणों का प्रत्यक्ष बिक्री (डायरेक्ट सेल) के माध्यम से विपणन करना होना चाहिए।

iii. पात्रता शर्त: कोई भी भारतीय इकाई (शैक्षणिक संस्थान, आरएंडडी प्रयोगशाला, केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, केन्द्र शासित प्रदेश, प्रौद्योगिकी पार्क, दूरसंचार सेवा प्रदाता, इनक्यूबेटर, मूल उपकरण निर्माता आदि) टीएचईए प्राप्त करने के लिए पात्र होनी चाहिए।

iv. प्रायोगिक उपकरणों का विपणन: 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रायोगिक उपकरणों के विपणन हेतु टीएचईए के अंतर्गत प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से अनुमति होनी चाहिए।

v. ऑथराईजेशन अवधि: टीएचईए की ऑथराईजेशन अवधि पाँच वर्ष तक होनी चाहिए। यह प्राधिकरण ऐसा होना चाहिए जिसे एक बार में पाँच वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सके।

vi. ऑथराईजेशन शुल्क: टीएचईए के लिए प्राधिकरण शुल्क पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए ₹1000 होना चाहिए।

ग. भारत में 116-123 गीगाहर्ट्ज़, 174.8-182 गीगाहर्ट्ज़, 185-190 गीगाहर्ट्ज़ तथा 244-246 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंडों में प्राधिकरण एवं असाइनमेंट-एक्जंप्ट ऑपरेशन की अनुमति दी जानी चाहिए।

घ. भारत में 77-81 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति रेंज को ऑटोमोटिव राडार प्रणालियों के प्राधिकरण एवं असाइनमेंट- एक्जंप्ट ऑपरेशन हेतु खोला जाना चाहिए।

प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित 'टेराहर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंटल ऑथराईजेशन' (टीएचईए), उद्यमियों और अकादमिक जगत को, टेराहर्ट्ज़ बैंड में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियाँ एवं सेवाएँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। टीएचईए, प्रयोगकर्ताओं को विचार, विकास और डिज़ाइन चरणों में ही उत्पादों के निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायता करेगा जिससे टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर आधारित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यान्वयन के पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित यह नया प्रायोगिक प्राधिकरण ढाँचा सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को सुदृढ़ प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

प्राधिकरण का मत है कि 116-123 गीगाहर्ट्ज़, 174.8-182 गीगाहर्ट्ज़, 185-190 गीगाहर्ट्ज़ तथा 244-246 गीगाहर्ट्ज़ बैंडों के प्राधिकरण एवं असाइनमेंट-छूट उपयोग की अनुमति देने से अगली पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकियों की शुरुआत को समर्थन मिलेगा, जिन्हें इनडोर और आउटडोर दोनों प्रकार से तैनात किया जा सकेगा। ये प्रौद्योगिकियाँ एक मीटर से भी कम दूरी से लेकर कई सौ मीटर की दूरी तक कार्य कर सकेंगी और मौजूदा उपयोग मामलों के साथ-साथ नए और उभरते उपयोग मामलों के लिए भी अधिक क्षमता और विश्वसनीयता प्रदान करेंगी। इन बैंडों को मुक्त करने से विभिन्न प्रकार के नवोन्मेषी उपयोग मामलों को भी समर्थन मिलेगा, जो विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में संचालन और विकास को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ बनाएँगे।

वाहन राडार, वाहन के सामने, बगल या पीछे स्थित वस्तुओं की दूरी और आपेक्षिक गति का आंकलन कर सकते हैं, जिससे वाहन चालक को लो- विजिबिलिटी की स्थिति या ब्लाइंड स्पॉट में वस्तुओं को पहचानने की क्षमता में सुधार होता है। दीर्घ-रेंज वाले वाहन राडार (एलआरआर), 1 गीगाहर्ट्ज़ तक का बैंडविड्थ उपयोग करते हैं और सामान्यतः लगभग 0.5 मीटर का स्पैशियल रेज़ोल्यूशन प्रदान करते हैं। वाहन राडार उद्योग ने लघु-दूरी वाहन राडार (एसआरआर) एप्लीकेशन भी विकसित किए हैं, जो 4 गीगाहर्ट्ज़ तक का बैंडविड्थ उपयोग करते हैं और सामान्यतः एलआरआर की तुलना में अधिक उच्च स्पैशियल रेज़ोल्यूशन प्रदान करते हैं, अर्थात् लगभग 0.1 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 77 गीगाहर्ट्ज़ से 81 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में संचालित एसआरआर इकाइयों का उपयोग कई एप्लीकेशन्स के लिए किया जाता है, जो सड़क उपयोगकर्ताओं की सक्रिय (एक्टिव) एवं निष्क्रिय (पैसिव) सेफ्टी को बढ़ाते हैं। निष्क्रिय (पैसिव) सेफ्टी को बढ़ाने वाले अनुप्रयोगों में बाधा का पता लगाना, टकराव चेतावनी, लेन प्रस्थान चेतावनी, लेन परिवर्तन सहायता, ब्लाइंड स्पॉट डिटैक्शन, पार्किंग असिस्टैंस और एयरबैग एक्टिवेशन शामिल हैं। इन कार्यों के संयोजन को साहित्य में कारों के लिए "सुरक्षा बेल्ट" कहा जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि लघु-दूरी वाहन राडार (एसआरआर) अनुप्रयोग चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं, प्राधिकरण ने भारत में ऑटोमोटिव राडार हेतु 77-81 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के प्राधिकरण एवं असाइनमेंट-एक्जंप्ट ऑपरेशन की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

"टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम" संबंधी अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.5 "एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सेवा वीएनओ तक कनेक्टिविटी" विषय पर दिनांक 13 सितम्बर 2024 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 7 जुलाई 2023 के अपने पत्र द्वारा "एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सेवा वीएनओ तक कनेक्टिविटी" विषय पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुशंसाएं मांगीं।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 23 फरवरी 2024 को "एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सेवा वीएनओ तक कनेक्टिविटी" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों की टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। इस पर 9 हितधारकों से टिप्पणियाँ और 4 हितधारकों से प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इस परामर्श पत्र पर दिनांक 8 मई 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सेवा वीएनओ तक कनेक्टिविटी" विषय पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया।

वर्ष 2016 में, दूरसंचार विभाग ने भारत में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों की व्यवस्था प्रारंभ की। वीएनओ को नेटवर्क सेवा प्रदाताओं का विस्तार माना जाता है। वी.एन.ओ. दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते वे एनएसओ से अपने आपसी समझौते के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क संसाधन प्राप्त करें।

देश में प्रचलित लाइसेंस व्यवस्था के अनुसार, वीएनओ को एक्सेस सेवा तथा ऐसी सेवाओं को छोड़कर, जिन्हें ग्राहक की यूनिक पहचान और नंबरिंग की आवश्यकता होती है, अन्य सभी सेवाओं के लिए एक से अधिक एनएसओ के साथ समझौता करने की अनुमति है। इन अनुशंसाओं के माध्यम से, प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि एक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) में वायरलाइन एक्सेस सेवा प्रदान करने हेतु, एक्सेस सेवा वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क सेवा प्रदाताओं (एनएसओ) की संख्या पर कोई सीमा (कैप) नहीं होनी चाहिए।

इन अनुशंसाओं के माध्यम से, प्राधिकरण ने यह भी अनुशंसा की है कि कोई एक्सेस सेवा वीएनओ, जो किसी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में वायरलेस और वायरलाइन दोनों प्रकार की एक्सेस सेवाएँ प्रदान करना चाहता है, उसे यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वह वायरलेस एक्सेस सेवा हेतु एक एनएसओ से और वायरलाइन एक्सेस सेवा हेतु अन्य एनएसओ(ओं) से कनेक्टिविटी ले सके। यह लचीलापन उस मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत किसी एलएसए में वायरलाइन और वायरलेस दोनों प्रकार की एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने का इच्छुक एक्सेस सेवा वीएनओ उसी एलएसए में एक ही एनएसओ से वायरलाइन और वायरलेस दोनों सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी लेने की अनुमति रखता है।

प्राधिकरण का मत है कि इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से देश में वायरलाइन एक्सेस सेवाओं की गुणवत्ता को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे एक्सेस सेवा वीएनओ को यह लचीलापन भी मिलेगा कि वे वायरलेस एक्सेस सेवा और वायरलाइन एक्सेस सेवा हेतु अलग-अलग एनएसओ से कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकें। इससे एक्सेस सेवा वीएनओ देश के दूरसंचार उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।

"एक से अधिक एनएसओ से एक्सेस सेवा वीएनओ तक कनेक्टिविटी" संबंधी अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.6 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सर्विस ऑथराईजेशन्स हेतु फ्रेमवर्क " विषय पर दिनांक 18 सितम्बर 2024 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 21 जून 2024 के अपने पत्र के द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है; तथा इस अधिनियम की धारा 3(1)(क) में यह प्रावधान है कि कोई भी इकाई/व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने का इच्छुक हो, तो उसे अधिसूचित शर्तों एवं नियमों (जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हो सकते हैं) के अधीन ऑथराईजेशन प्राप्त करना होगा। इस पत्र के साथ, डीओटी ने संबंधित पहलुओं पर एक बैकग्राउंड नोट भी साझा किया, जिसमें नए अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ शामिल थीं, जो प्राधिकरणों की शर्तों और नियमों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 21 जून 2024 के पत्र द्वारा, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु ऑथराईजेशन के लिए शर्तों एवं नियमों, जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हैं, पर अपनी अनुशंसाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, प्राधिकरण ने दिनांक 11 जुलाई 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क " पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें बैकग्राउंड संबंधी जानकारी दी गई तथा हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए 61 विषयों पर टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। प्रारंभ में टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 1 अगस्त 2024 और दिनांक 8 अगस्त 2024 थी। तथापि, अनेक हितधारकों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमशः दिनांक 8 अगस्त 2024 और दिनांक 16 अगस्त 2024 कर दी गई।

परामर्श पत्र में उठाए गए विषयों के उत्तर में, 48 हितधारकों ने टिप्पणियाँ तथा 17 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, भादूविप्रा ने दिनांक 21 अगस्त 2024 को वर्चुअल माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की। ओपन हाउस चर्चा के बाद, सात हितधारकों ने अतिरिक्त लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों ने अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया और परामर्श पत्र में उठाए गए विषयों के उत्तर में विस्तृत सुझाव उपलब्ध कराए। कुल मिलाकर, 21 संघों, 22 सेवा प्रदाताओं, छह कंपनियों एवं संगठनों तथा एक उपभोक्ता संगठन ने 1700 से अधिक पृष्ठों के लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जबकि 250 से अधिक प्रतिभागियों ने ओएचडी में भाग लिया।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क " विषय पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य देश में प्रचलित दूरसंचार सेवा लाइसेंसिंग व्यवस्था में व्यापक सुधार करना तथा इस क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करना और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाना है। इन अनुशंसाओं के माध्यम से, प्राधिकरण ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाने वाले विभिन्न सर्विस ऑथराईजेशन्स की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के अतिरिक्त एक नई सर्विस ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क की अनुशंसा की है।

इन अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

क. संस्थाओं के साथ समझौता करने के स्थान पर, केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1) के अंतर्गत सर्विस ऑथराईजेशन प्रदान करना चाहिए।

ख. ऑथराईजेशन लैटर, एक संक्षिप्त दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें आवश्यक तत्व सम्मिलित हों, तथा सर्विस ऑथराईजेशन के लिए शर्तें एवं नियम, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले नियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

ग. विभिन्न सर्विस ऑथराईजेशन्स की व्यापक फ्रेमवर्क, जिसमें पात्रता शर्तें, सेवा का दायरा, वैधता अवधि आदि शामिल हैं, सर्विस ऑथराईजेशन प्रदान करने हेतु नियमों के रूप में होनी चाहिए।

घ. प्राधिकरण ने दूरसंचार सर्विस ऑथराईजेशन्स की तीन व्यापक श्रेणियों की अनुशंसा की है, अर्थात्

(i) मुख्य सर्विस ऑथराईजेशन

(ii) सहायक सर्विस ऑथराईजेशन

(iii) स्व-उपयोग (कैप्टिव) सर्विस ऑथराईजेशन

ङ. मुख्य सर्विस ऑथराईजेशन में सभी प्राथमिक दूरसंचार सेवाएँ सम्मिलित हैं, जो आम जनता को दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित हैं, जैसे कि एक्सेस सेवाएँ, इंटरनेट सेवाएँ, लांग डिस्टेंस सेवाएँ, उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवाएँ तथा एम2एम तथा डब्ल्यूएएन सेवाएँ।

च. सभी मुख्य सर्विस ऑथराईजेशन दो उप-श्रेणियों में प्रदान किए जा सकते हैं, अर्थात् नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ)। वीएनओ के लिए, एक्सेस सेवा एनएसओ के साथ मल्टी पैरेंटिंग की अनुमति दी गई है, सिवाय वायरलेस सेवाओं के, जहाँ पैरेंटिंग केवल एक नेटवर्क सेवा प्रदाता के साथ हो सकती है।

छ. सहायक सर्विस ऑथराईजेशन में सभी अन्य मौजूदा सर्विस ऑथराईजेशन (कैप्टिव सेवाओं को छोड़कर) सम्मिलित हैं, जो सामान्यतः उद्यम उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए जाते हैं, न कि आम जनता को, और जिन पर विनियामक दृष्टि अत्यंत उदार होती है। इनमें पीएमआरटीएस, पीएम-वानी, एम2एम सेवा और एम2एम डब्ल्यूपीएएन/ डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी सेवा, एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सेवाएँ, आईएफएमसी, विमान और ग्राउंड स्टेशन के बीच डेटा कम्युनिकेशन सेवा आदि जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। प्रत्येक सर्विस ऑथराईजेशन अलग-अलग शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत शासित होगा, जिन्हें प्रत्येक सर्विस ऑथराईजेशन के लिए पृथक नियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाना होगा।

ज. स्व-उपयोग (कैप्टिव) सर्विस ऑथराईजेशन में कैप्टिव नेटवर्क की स्थापना के लिए प्राधिकरण सम्मिलित हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार से स्पेक्ट्रम आबंटन प्राप्त करने के बाद स्थापित किया जाता है, जैसे कि सीएमआरटीएस, सीएनपीएन, कैप्टिव वीसैट, सीयूजी आदि। प्रत्येक सर्विस ऑथराईजेशन अलग-अलग शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत शासित होगा, जिन्हें प्रत्येक सर्विस ऑथराईजेशन के लिए पृथक विशिष्ट नियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाना होगा।

झ. नई प्राधिकरण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, 'यूनीफाईड सर्विस ऑथराईजेशन' की शुरुआत की गई है, ताकि सेवाओं और सेवा क्षेत्रों में 'एक राष्ट्र-एक प्राधिकरण' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यूनीफाईड सर्विस ऑथराईजेशन धारक इकाई, एक ही प्राधिकरण के अंतर्गत, पूरे भारत में मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडबैंड सेवा, लैंडलाइन टेलीफोन सेवा, लांग डिस्टेंस सेवा, उपग्रह संचार सेवा, मशीन-टू-मशीन और आईओटी सेवाएँ प्रदान कर सकेगी। यूनीफाईड सर्विस प्राधिकृत इकाई को अपने घरेलू ट्रैफ़िक की रूटिंग करने में पूर्ण लचीलापन प्राप्त होगा।

ञ. भादूविप्रा ने केन्द्र सरकार से यह भी अनुशंसा की है कि यूनीफाईड सर्विस प्राधिकृत इकाई के लिए वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग, नंबरिंग संसाधनों का आबंटन, तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु एक क्रमिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए।

ट. एक्सेस सेवा के दायरे में नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।

ठ. नई प्राधिकरण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, इंटरनेट सर्विस ऑथराईजेशन के दायरे का विस्तार कर उसमें लीज़्ड लाइन्स तथा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की सुविधा को सम्मिलित किया गया है। इससे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क संसाधनों का बेहतर उपयोग करने एवं उनका वाणिज्यिक लाभ उठाने की सुविधा मिलेगी।

ड. नई प्राधिकरण फ्रेमवर्क के अंतर्गत नेशनल लांग डिस्टेंस सेवा (एनएलडी) और अंतर्राष्ट्रीय लांग डिस्टेंस सेवा (आईएलडी) को एकीकृत कर 'लांग डिस्टेंस सर्विस ऑथराईजेशन' के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस प्राधिकरण के अंतर्गत आईएलडी गेटवे तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल्स के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन की स्थापना की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के दो तटीय नगरों को जोड़ने वाली सबमरीन केबल्स के माध्यम से घरेलू ट्रैफिक ले जाने की भी अनुमति 'लांग डिस्टेंस सर्विस ऑथराईजेशन' में प्रदान की गई है।

ढ. नए ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वाणिज्यिक वी-सैट-सीयूजी सेवा और जीएमपीसीएस को एकीकृत कर 'उपग्रह-आधारित दूरसंचार सर्विस ऑथराईजेशन' के रूप में सम्मिलित किया गया है। नए ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत वी-सैट ऑपरेटरों पर केवल क्लोज्ड यूज़र ग्रुप को ही सेवाएँ प्रदान करने की मौजूदा प्रतिबंधात्मक शर्त को समाप्त कर दिया गया है। वी-सैट आधारित एफएसएस और जीएमपीसीएस सेवाओं दोनों को 'उपग्रह-आधारित दूरसंचार सर्विस ऑथराईजेशन' के दायरे में सम्मिलित किया गया है।

ण. उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को, भारत में स्थापित उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग विदेशी देशों में सेवा प्रदान करने हेतु, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करने की अनुमति होगी।

त. यह स्पष्ट किया गया है कि उपग्रह के माध्यम से आपातकालीन एसओएस संदेश सेवाएँ प्रदान करना वर्तमान जीएमपीसीएस सर्विस ऑथराईजेशन के दायरे में आता है, साथ ही नई फ्रेमवर्क के अंतर्गत उपग्रह-आधारित दूरसंचार सर्विस ऑथराईजेशन के अंतर्गत भी शामिल है।

थ. अधिकृत इकाइयों को क्लाउड सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधनों को लीज़ या किराए पर लेने की अनुमति दी गई है। ये क्लाउड सेवा प्रदाता या तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध होने चाहिए, अथवा दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्राधिकृत होने चाहिए। क्लाउड भारत में स्थित होना अनिवार्य है।

द. अधिकृत इकाइयाँ, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयाँ, तृतीय पक्षों के क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे से लाभान्वित हो सकती हैं, जैसे कि लागत में कमी, नेटवर्क की बेहतर स्थिरता, बाजार में पहुँचने का कम समय, और आवश्यकता अनुसार नेटवर्क क्षमताओं का अनुकूलन।

ध. अधिकृत इकाइयों को सभी सक्रिय(एक्टिव) एवं निष्क्रिय (पैसिव) अवसंरचना आपस में साझा करने की अनुमति दी गई है।

न. नए ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, मौजूदा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉइस मेल सर्विस ऑथराईजेशन के दायरे का विस्तार कर उसमें क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स सेवा को सम्मिलित किया गया है, तथा इस प्राधिकरण का नाम परिवर्तित कर 'एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विस ऑथराईजेशन' रखा गया है।

प. नए ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, मौजूदा एम2एम सेवा प्रदाता पंजीकरण और एम2एम डब्ल्यूएलएएन/ डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता पंजीकरण को एकीकृत कर 'एम2एम सेवा एवं एम2एम डब्ल्यूएलएएन/ डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी सर्विस ऑथराईजेशन' के रूप में सम्मिलित किया गया है।

फ. मौजूदा सेवा प्रदाताओं को स्वैच्छिक आधार पर नए ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क में सुगमता से प्रविष्ट कराने के लिए एक फ्रेमवर्क की अनुशंसा की गई है।

ब. उद्योग को और सहयोग प्रदान करने के प्रयास में, ऑथराईजेशन के नवीकरण के समय प्रविष्टि शुल्क को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। यह कदम मौजूदा और नए दोनों प्रतिभागियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे विशेष रूप से वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों को लाभ होगा और दूरसंचार परिदृश्य अधिक सुगम एवं गतिशील बनेगा।

भ. विभिन्न सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए प्रविष्टि शुल्क में उल्लेखनीय कमी की अनुशंसा की गई है, जिससे नए सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे, नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा।

म. मुख्य सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए प्रविष्टि शुल्क की अनुशंसा इस प्रकार की गई है -

(i) एक्सेस सर्विस ऑथराईजेशन: प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/मेट्रो क्षेत्र के लिए प्रविष्टि शुल्क ₹ 1 करोड़ से घटाकर ₹ 50 लाख किया गया; जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर प्रत्येक के लिए ₹ 50 लाख से घटाकर ₹ 25 लाख किया गया।

(ii) इंटरनेट सर्विस ऑथराईजेशन: श्रेणी-क: प्रविष्टि शुल्क ₹ 30 लाख से घटाकर ₹ 20 लाख किया गया। श्रेणी-ख: प्रत्येक दूरसंचार सर्किल के लिए प्रविष्टि शुल्क ₹ 2 लाख से घटाकर ₹ 1 लाख और जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर प्रत्येक के लिए ₹ 50 हज़ार किया गया। श्रेणी-ग: कोई प्रविष्टि शुल्क नहीं।

(iii) एम2एम वैन सर्विस ऑथराईजेशन [श्रेणी-क, ख, ग]: कोई प्रविष्टि शुल्क नहीं।

(iv) यूनीफाईड सर्विस ऑथराईजेशन: प्रविष्टि शुल्क ₹ 12 करोड़।

(v) लांग डिस्टेंस सर्विस ऑथराईजेशन: प्रविष्टि शुल्क ₹ 1 करोड़।

(vi) उपग्रह-आधारित दूरसंचार सर्विस ऑथराईजेशन: प्रविष्टि शुल्क ₹ 50 लाख।

य. सहायक सर्विस ऑथराईजेशन्स तथा स्व-उपयोग (कैप्टिव) सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए प्रविष्टि शुल्क की अनुशंसा इस प्रकार की गई है -

(i) पीएमआरटीएस ऑथराईजेशन: प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/मेट्रो क्षेत्र के लिए प्रविष्टि शुल्क ₹ 50 हज़ार से घटाकर ₹ 20 हज़ार किया गया।

(ii) एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विस ऑथराईजेशन: कोई प्रविष्टि शुल्क नहीं।

(iii) विमान और ग्राउंड स्टेशन के बीच डेटा कम्युनिकेशन सेवा: प्रविष्टि शुल्क ₹ 1 लाख।

(iv) कैप्टिव वी-सैट एफएसएस: प्रविष्टि शुल्क ₹ 15 लाख से घटाकर ₹ 7.5 लाख किया गया।

र. वीएनओ सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए प्रविष्टि शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है, ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ल. जिन नए ऑथराईजेशन में वित्तीय बैंक गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी दोनों की व्यवस्था है, उनमें एफबीजी और पीबीजी को एकल बैंक गारंटी में विलय करने की अनुशंसा की गई है।

व. व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने के लिए, राजस्व विवरण हेतु सरलीकृत प्रारूप, शपथ पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाण पत्र को राजस्व विवरण के साथ प्रस्तुत करने, तथा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को अपनाने की अनुशंसा की गई है।

श. बैंक गारंटियों का विलय और शपथ पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाण पत्र को लागू करने से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने की अपेक्षा है।

ष. हितधारकों की इस चिंता को संज्ञान में लिया गया कि सरकार नए ऑथराईजेशन की शर्तों एवं नियमों में एकतरफा संशोधन कर सकती है। विनियामक स्थिरता प्रदान करने के लिए अनुशंसा की गई है कि ऑथराईजेशन की शर्तों एवं नियमों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए, राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों को छोड़कर, केन्द्र सरकार को भादूविप्रा की अनुशंसाएं लेनी चाहिए। इससे प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आएगी।

"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क " पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.7 "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा" विषय पर दिनांक 10 दिसम्बर 2024 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 30 अगस्त 2022 के रेफरेंस द्वारा, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस एवं घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर भादूविप्रा से अनुशंसाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, हितधारकों की टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु दिनांक 2 मई 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। इसके प्रतिक्रिया में, 20 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ तथा सात हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा दिनांक 24 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया।

अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

(i) 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' को संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकरणों में इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए: "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक का अर्थ है वह ट्रैफ़िक जो एक देश से प्रारंभ होता है और दूसरे देश में समाप्त होता है, जहाँ उन दोनों देशों में से एक भारत है"।

(ii) 'अंतर्राष्ट्रीय एस.एम.एस. संदेश' को संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकरणों में इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए: "अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस संदेश का अर्थ है एसएमएस के माध्यम से प्रेषित अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक"।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित स्पष्टीकरण सम्मिलित किया जाना चाहिए: "कोई भी इनकमिंग एप्लीकेशन-टू-पर्सन एसएमएस संदेश को अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस संदेश माना जाएगा, यदि उसे भारत के बाहर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग या हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न, संचारित या प्राप्त नहीं किया जा सकता"।

(iv) 'घरेलू ट्रैफ़िक' को संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकरणों में इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए: "घरेलू ट्रैफ़िक का अर्थ है वह ट्रैफ़िक जो भारत के भीतर ही प्रारंभ होता है और भारत में ही समाप्त होता है"।

(v) 'घरेलू एसएमएस' को संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों और प्राधिकरणों में इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए: "घरेलू एसएमएस का अर्थ है एसएमएस के माध्यम से प्रेषित घरेलू ट्रैफ़िक"।

"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा" पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.8 "भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन" पर दिनांक 20 दिसम्बर 2024 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26 जुलाई 2023 के अपने पत्र द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया कि भारतीय रेल ने अपनी सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज़ अतिरिक्त युग्मित स्पेक्ट्रम नि:शुल्क आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26 जुलाई 2023 के पत्र द्वारा भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं उपलब्ध कराए।

(i) दिनांक 25 अक्तूबर 2019 की पूर्व अनुशंसाओं तथा एनसीआरटीसी से संबंधित दिनांक 28 दिसम्बर 2022 की अनुशंसाओं और दिनांक 11 अप्रैल 2022 को आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के संदर्भ में भारतीय रेल को 5 मेगाहर्ट्ज़ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।

(ii) अनुशंसाएं प्रदान करते समय, भादूविप्रा स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रेल/ एनसीआरटीसी/ आरआरटीएस/ मेट्रो तथा अन्य समान नेटवर्कों के बीच स्पेक्ट्रम साझा करने की संभावना पर भी विचार कर सकता है।

(iii) 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में भारतीय रेल और एनसीआरटीसी को आबंटित 5 मेगाहर्ट्ज़ युग्मित स्पेक्ट्रम के लिए भादूविप्रा द्वारा अनुशंसित विभिन्न स्पेक्ट्रम मूल्यांकन पद्धतियों को देखते हुए, भादूविप्रा आवश्यक समझे जाने पर समान उपयोग वाले समान स्पेक्ट्रम बैंड के लिए एकसमान स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और शुल्क पद्धति की अनुशंसा कर सकता है।

(iv) कोई अन्य अनुशंसा जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाए।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 7 फरवरी 2024 को "भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। इसके प्रतिक्रिया में, आठ हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ तथा तीन हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। इस परामर्श पत्र पर दिनांक 3 मई 2024 को वर्चुअल माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं प्रति-टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

i. 700 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में पहले से आबंटित 5 मेगाहर्ट्ज़ (युग्मित) फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त, भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए रेलवे पटरियों के साथ-साथ स्व-उपयोग हेतु और 5 मेगाहर्ट्ज़ (युग्मित) फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाना चाहिए।

ii. दूरसंचार विभाग को प्राधिकरण की पूर्व अनुशंसा पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत यह अनुशंसा की गई थी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) साझा करने की व्यवहार्यता जानने हेतु, मल्टी-ऑपरेटर कोर नेटवर्क के माध्यम से एक फील्ड ट्रायल रेलवे मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल और एनसीआरटीसी को सम्मिलित कर, डीओटी की देखरेख में किया जाए। फील्ड ट्रायल के परिणामों के आधार पर, भारतीय रेल/ एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्कों के बीच ओवरलैपिंग क्षेत्रों में एमओसीएन के माध्यम से आरएएन साझा करने के कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जा सकता है।

iii. भारतीय रेल को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आबंटित करते समय, आबंटन की शर्तों में यह प्रावधान सम्मिलित होना चाहिए कि यदि फील्ड ट्रायल से यह निर्धारित होता है कि आरएएन साझा करना संभव है, तो भारतीय रेल को एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्कों के साथ ओवरलैपिंग क्षेत्रों में एमओसीएन के माध्यम से आरएएन साझा करना होगा और यह डीओटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होगा।

iv. स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में भारतीय रेल को 10 मेगाहर्ट्ज़ का एक सतत ब्लॉक और एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्कों को उनका सटा हुआ 5 मेगाहर्ट्ज़ ब्लॉक आबंटित किया जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चालू नेटवर्कों में न्यूनतम व्यवधान हो।

v. भारतीय रेल/ एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्कों के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क डीओटी द्वारा निर्धारित स्व-उपयोग हेतु रॉयल्टी शुल्क और लाइसेंस शुल्क के सूत्र के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

"भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन" पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.9 "आईएमटी हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम" विषय पर दिनांक 4 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 2 अगस्त 2023 के अपने पत्र द्वारा भादूविप्रा से अनुरोध किया कि -

(i) आईएमटी हेतु 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़, 26 मेगाहर्ट्ज़, 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी हेतु स्पेक्ट्रम की मात्रा तथा सम्बद्ध शर्तों पर अनुशंसाएं प्रदान करें।

(ii) इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के उद्देश्य से, नवीनतम एनएफ़एपी / आईटीयू के रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में वर्णित विनियामक/तकनीकी आवश्यकताओं सहित, उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य कोई अनुशंसाएं भी प्रदान करें।

दिनांक 1 सितम्बर 2023 को भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ जैसे मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंडों के संबंध में उत्तर भेजा, जिसमें भादूविप्रा ने दिनांक 11 अप्रैल 2022 की अपनी अनुशंसाओं की पुनः पुष्टि की और कहा कि उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम को मौजूदा बैंड योजना, ब्लॉक आकार तथा सम्बद्ध शर्तों के साथ नीलामी के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद भादूविप्रा ने डीओटी को यह भी सूचित किया कि वह नये रेफर किए गए स्पेक्ट्रम बैंडों 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ के संबंध में अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु एक परामर्श प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 4 अप्रैल 2024 को "आई.एम.टी. हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। इसके प्रतिक्रिया में, 12 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ तथा चार हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। इस परामर्श पत्र पर दिनांक 10 जुलाई 2024 को वर्चुअल माध्यम से ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं प्रति-टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

i. 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़ और 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमा का स्पेक्ट्रम आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखा जाना चाहिए।

ii. 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमा में डिवाइस इकोसिस्टम की अनुपलब्धता को देखते हुए, यह उचित होगा कि 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमा को आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में न रखा जाए। डीओटी उपयुक्त समय पर आईएमटी हेतु 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमा पर प्राधिकरण की अनुशंसाएं प्राप्त करने के लिए पृथक रेफरेंस भेज सकता है।

iii. 37-40 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमा के लिए टीडीडी-आधारित डुप्लेक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ एन 260 बैंड योजना को अपनाया जाना चाहिए।

iv. n260 बैंड (37-40 गीगाहर्ट्ज़) में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी 100 मेगाहर्ट्ज़ ब्लॉक आकार में, आईएसए (दूरसंचार सर्किल/मेट्रो) आधार पर, 20 वर्षों की वैधता अवधि के साथ की जानी चाहिए।

v. n260 बैंड (37-40 गीगाहर्ट्ज़) के लिए स्पेक्ट्रम कैप को कुल नीलामी में रखे गए स्पेक्ट्रम का 40% निर्धारित किया जाना चाहिए और इसे 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के साथ स्पेक्ट्रम कैप हेतु नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

vi. n260 बैंड (37-40 गीगाहर्ट्ज़) के लिए न्यूनतम रोल-आउट दायित्व वही होने चाहिए जो 2024 की एनआईए में 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, और न्यूनतम रोल-आउट दायित्व सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं- मौजूदा तथा नए - पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

vii. एक्सेस सेवा प्रदाताओं के अतिरिक्त, एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाता (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख') तथा एम2एम सेवा प्रदाता (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख') को भी n260 बैंड (37-40 गीगाहर्ट्ज़) के स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

viii. 37-40 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज़ (₹ लाख में) अनुशंसित आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:

एल.एस.ए. का नाम	एल.एस.ए. श्रेणी	अनुशंसित आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)
आंध्र प्रदेश	ए	49
असम	सी	9
बिहार	सी	23
दिल्ली	मेट्रो	76
गुजरात	ए	43
हरियाणा	बी	11
हिमाचल प्रदेश	सी	4
जम्मू एवं कश्मीर	सी	3
कर्नाटक	ए	34
केरल	बी	16

एल.एस.ए. का नाम	एल.एस.ए. श्रेणी	अनुशंसित आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)
कोलकाता	मेट्रो	27
मध्य प्रदेश	बी	25
महाराष्ट्र	ए	54
मुंबई	मेट्रो	67
पूर्वोत्तर	सी	3
ओडिशा	सी	10
पंजाब	बी	17
राजस्थान	बी	21
तमिलनाडु	ए	39
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बी	26
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बी	25
पश्चिम बंगाल	बी	16

(ix) भुगतान की शर्तों के लिए - दो विकल्प

(i) अग्रिम भुगतान विकल्प, तथा

(ii) 20 समान वार्षिक किस्तों का विकल्प - 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़ और 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु अनुमति दी जानी चाहिए।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़ और 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमाओं में स्पेक्ट्रम उपलब्ध होने से उच्च क्षमता वाले, कम लेटेंसी संचार नेटवर्क स्थापित करना संभव होगा, जो उन्नत उपयोग मामलों के लिए उपयुक्त होंगे। भादूविप्रा ने अनुशंसा की है कि एक्सेस सेवा प्रदाताओं के अतिरिक्त, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा मशीन-टू-मशीन सेवा प्रदाताओं को भी नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

"आईएमटी हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम" पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.10 "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के पुनरीक्षण" विषय पर दिनांक 6 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं

दूरसंचार पहचानकर्ता / नंबरिंग संसाधन का उपयोग किसी दूरसंचार उपभोक्ता, सेवा, नेटवर्क तत्व, उपकरण अथवा प्राधिकृत इकाई की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। आज के परस्पर जुड़े डिजिटल परिदृश्य में, जहाँ कई बिलियन उपकरणों और उपभोक्ताओं को एड्रेस करना होता है, वहाँ सार्वभौमिक पहुंच तथा उपभोक्ताओं, व्यवसायों और उद्योगों तक दूरसंचार सेवाओं की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नंबरिंग संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और कुशल उपयोग अत्यंत आवश्यक हैं।

भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से दिनांक 29 सितम्बर 2022 का रेफरेंस पत्र संख्या 16-16/2022-ए.एस.-III/123/233 प्राप्त हुआ, जिसमें पर्याप्त फिक्स्ड लाइन नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित बाधाओं और संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर अनुशंसाएं मांगी गईं। डीओटी ने फिक्स्ड-लाइन नंबरिंग योजना, लेवल '1' शॉर्ट-कोड्स नंबरिंग संसाधन, सेवा नियंत्रण बिंदु (एससीपी) कोड्स, सिग्नलिंग के लिए नेशनल सिग्नलिंग प्वाइंट (एसपी) कोड्स, कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) हेतु मोबाइल कंट्री कोड-मोबाइल नेटवर्क कोड (एमसीसी-एमएनसी), एम2एम नंबरिंग संसाधन, इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाएँ तथा नंबर पोर्टेबिलिटी कोड्स (लोकेशन राउटिंग नंबर) से संबंधित पहलुओं की समीक्षा कर अनुशंसाएं देने का भी अनुरोध किया।

इसके अनुरूप, भादूविप्रा ने दिनांक 6 जून 2024 को "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के पुनरीक्षण" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। इस परामर्श पत्र पर दिनांक 8 अक्तूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट्स, ओपन हाउस में हुई चर्चाओं और इन विषयों पर आगे के विश्लेषणों के आधार पर, प्राधिकरण ने "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के पुनरीक्षण" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया।

अनुशंसाओं की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं: -

क. नंबरिंग संसाधनों पर प्रभार -

(i) इस चरण में नंबरिंग संसाधनों पर कोई अतिरिक्त प्रभार या वित्तीय दंड अनुशंसित नहीं किया गया है।

(ii) दूरसंचार विभाग को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आबंटित नंबरिंग संसाधनों के वार्षिक उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अप्रयुक्त नंबरिंग संसाधनों को वापस लिया जा सकता है।

ख. फिक्स्ड-लाइन सेवाओं में नंबरिंग संसाधनों की बाधाओं का समाधान करने हेतु -

(i) शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (मुख्यतः तालुका/तहसील) से लाइसेंस सेवा क्षेत्र आधारित 10-अंकीय क्लोज़्ड नंबरिंग योजना में स्थानांतरण किया जाए, ताकि वर्तमान में एसडीसीए स्तर तक सीमित नंबरिंग संसाधनों को मुक्त किया जा सके।

(ii) सभी फिक्स्ड-लाइन से फिक्स्ड-लाइन कॉल '0' प्रीफ़िक्स के साथ डायल किए जाएँ, जिसके बाद एसटीडी कोड और सब्सक्राइबर संख्या डायल की जाएगी।

(iii) फिक्स्ड-टू-मोबाइल, मोबाइल-टू-फिक्स्ड और मोबाइल-टू-मोबाइल कॉल के लिए डायलिंग पैटर्न यथावत रहेगा।

(iv) मौजूदा सब्सक्राइबर संख्या अपरिवर्तित रहेगी।

(v) नई नंबरिंग योजना को लागू करने के लिए छह माह का समय दिया जायेगा।

(vi) एलएसए-आधारित 10-अंकीय क्लोज़्ड नंबरिंग योजना लागू करने के उपरांत, अधिकतम पाँच वर्षों के भीतर फिक्स्डलाइन लोकेशन राउटिंग नंबर कोड का उपयोग करते हुए 10-अंकीय फिक्स्ड-लाइन नंबरिंग योजना अपनाई जानी चाहिए। इससे पूरे देश में एलएसए-आधारित नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और निकट भविष्य में फिक्स्ड-लाइन नंबर पोर्टेबिलिटी (जैसा वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क में उपलब्ध है) लागू करने में सुविधा होगी।

ग. यूसीसी (अवांछित वाणिज्यिक संचार), स्पैम कॉल और सीएलआई स्पूफिंग को रोकना -

(i) दूरसंचार विभाग को "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेज़ेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत" पर भादूविप्रा की दिनांक 23 फरवरी 2024 की अनुशंसाओं को शीघ्रातिशीघ्र लागू करना चाहिए, जिसमें मोबाइल नेटवर्क पर समाप्त होने वाली सभी एसआईपी (सत्र आरंभ प्रोटोकॉल) और पीआरआई (प्राथमिक दर इंटरफ़ेस) कॉल्स के लिए सीएनएपी पूरक सेवाओं का त्वरित कार्यान्वयन शामिल है।

(ii) सीएलआई (कॉल लाइन आइडेंटिफिकेशन) स्पूफिंग और टेम्परिंग को रोकने के लिए, सीएलआई प्रमाणीकरण ढांचा तथा वितरित प्रमाणीकरण प्राधिकरण ढांचा (डिस्ट्रिब्यूटेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी फ्रेमवर्क), क्रमशः आईटीयू की अनुशंसाओं क्यू.3057 और क्यू.3062 के अनुरूप लागू किए जाने चाहिए।

घ. मोबाइल और फिक्स्ड-लाइन कनेक्शनों के लिए नंबरिंग संसाधनों के निष्क्रियकरण की समयसीमा -

(i) किसी भी मोबाइल या फिक्स्ड-लाइन कनेक्शन को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा तब तक निष्क्रिय नहीं किया जाएगा जब तक कि 90 दिनों की अनुपयोग अवधि पूरी न हो जाए।

(ii) सभी मोबाइल और फिक्स्ड-लाइन कनेक्शन, जो अनुपयोग के कारण निष्क्रिय बने रहते हैं, उन्हें 90 दिनों की अनुपयोग अवधि समाप्त होने के 365 दिनों के बाद अनिवार्य रूप से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ङ. मोबाइल और मशीन-टू-मशीन (एम2एम) के लिए नंबरिंग संसाधन -

(i) 13-अंकीय एम2एम नंबरिंग संसाधन वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ii) दूरसंचार विभाग को भादूविप्रा की स्वीकृत अनुशंसा को शीघ्र लागू करना चाहिए, जिसके अनुसार 10-अंकीय मोबाइल नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करने वाले सभी सिम-आधारित एम2एम कनेक्शनों को 13-अंकीय एम2एम संचार में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

च. अन्य नंबरिंग संसाधन - लेवल-1 शॉर्ट-कोड्स -

(i) इन्हें बिना किसी प्रभार के, और केवल सरकारी संस्थाओं को आवंटित किया जाए।

(ii) शॉर्ट-कोड्स की वार्षिक उपयोगिता का ऑडिट किया जाए। निष्क्रिय शॉर्ट-कोड्स को उपयोगकर्ता संस्थाओं से परामर्श करके, उचित आधार पर वापस ले लिया जाए।

"राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के पुनरीक्षण" पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.11 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की शर्तें एवं नियम" विषय पर दिनांक 17 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के पत्र द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 दिसम्बर 2023 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। अधिनियम की धारा 3(1)(ख) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने का इच्छुक है तो उसे एक ऑथराईजेशन प्राप्त करना होगा, जो अधिसूचित की जाने वाली शर्तों एवं नियमों, जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हो सकते हैं, के अधीन होगा। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के पत्र द्वारा, भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार हेतु ऑथराईजेशन प्रदान करने के लिए शर्तों एवं नियमों, जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हैं, पर अपनी अनुशंसाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के परिशिष्ट पत्र के माध्यम से डीओटी ने भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण पर भी विचार करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 22 अक्तूबर 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशन की शर्तें एवं नियम" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि हितधारकों से उसमें उठाए गए विषयों पर टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें।

परामर्श पत्र में उठाए गए विषयों के प्रतिक्रिया में, 32 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ तथा 11 हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, भादूविप्रा ने दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को वर्चुअल माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 17 फरवरी 2025 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों की शर्तें एवं नियम" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और डीओटी को भेजा। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना है। इन अनुशंसाओं के माध्यम से, प्राधिकरण ने नेटवर्क ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क की अनुशंसा की है, साथ ही दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाने वाले विभिन्न नेटवर्क प्राधिकरणों के लिए विस्तृत शर्तें एवं नियम भी सुझाए हैं। अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

क. संस्थाओं के साथ समझौता करने के स्थान पर, केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत नेटवर्क ऑथराईजेशन प्रदान करना चाहिए।

ख. प्रत्येक नेटवर्क ऑथराईजेशन की विस्तृत शर्तें एवं नियम, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले नियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

ग. इन अनुशंसाओं से उत्पन्न नेटवर्क प्राधिकरणों की शर्तों एवं नियमों में किसी भी परिवर्तन के लिए, राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारण को छोड़कर, केन्द्र सरकार को भादूविप्रा की अनुशंसाएं प्राप्त करनी चाहिए।

घ. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत नियमों को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए:

(i) दूरसंचार (नेटवर्क ऑथराईजेशन प्रदान करना) नियम; और

(ii) प्रत्येक नेटवर्क ऑथराईजेशन के लिए पृथक नियम।

ङ. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नेटवर्क ऑथराईजेशन एक प्राधिकृत दस्तावेज़ के रूप में होना चाहिए, जिसमें नेटवर्क ऑथराईजेशन के आवश्यक तत्व सम्मिलित हों।

च. अवसंरचना प्रदाता (आईपी) ऑथराईजेशन:

(i) केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत अवसंरचना प्रदाता (आईपी) ऑथराईजेशन प्रारम्भ करना चाहिए।

(ii) कोई भी इकाई जो डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टावरों की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना चाहती है, उसे केन्द्र सरकार से आई.पी. ऑथराईजेशन प्राप्त करना होगा।

(iii) आईपी ऑथराईजेशन का मुख्य दायरा: डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस, टावर तथा इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आई.बी.एस.) उन संस्थाओं को उपलब्ध कराना जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत प्राधिकृत हैं।

छ. डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) ऑथराईजेशन:

(i) केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत अवसंरचना प्रदाता (आईपी) ऑथराईजेशन प्रारम्भ करना चाहिए।

(ii) कोई भी इकाई जो वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), ट्रांसमिशन लिंक्स तथा वाई-फाई प्रणालियों की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना चाहती है, उसे केन्द्र सरकार से डी.सी.आई.पी. ऑथराईजेशन प्राप्त करना होगा।

(iii) डीसीआईपी ऑथराईजेशन का मुख्य दायरा: डीसीआईपी प्राधिकृत इकाइयाँ दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत प्राधिकृत संस्थाओं को वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), ट्रांसमिशन लिंक्स, वाई-फाई प्रणालियाँ और इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) उपलब्ध करा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, डीसीआईपी प्राधिकृत इकाइयाँ डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस और टावर भी धारा 3(1)(क) के अंतर्गत प्राधिकृत संस्थाओं को उपलब्ध करा सकती हैं।

ज. इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस):

संपत्ति प्रबंधक को अपने प्रबंधनाधीन एक ही भवन, परिसर अथवा एस्टेट की सीमा के भीतर इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और विस्तार करने की अनुमति होनी चाहिए। इसके लिए, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार से कोई ऑथराईजेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ "संपत्ति प्रबंधक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो या तो संपत्ति का स्वामी है अथवा संपत्ति को नियंत्रित या प्रबंधित करने का कोई वैध अधिकार रखता है।

झ. कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क्स (सीडीएन):

कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क्स (सीडीएन) की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और विस्तार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(3) के अंतर्गत ऑथराईजेशन से मुक्त रखा जाना चाहिए।

ञ. इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) प्राधिकरण:

(i) केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) प्राधिकरण प्रारम्भ करना चाहिए।

(ii) कोई भी इकाई जो भारत में इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट्स (आईएक्सपी) की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना चाहती है, उसे केन्द्र सरकार से आईएक्सपी ऑथराईजेशन प्राप्त करना होगा।

(iii) आईएक्सपी प्राधिकरण का मुख्य दायरा: इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्राधिकृत संस्थाओं और भारत में स्थित कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) प्रदाताओं के बीच भारत के भीतर उत्पन्न एवं भारत के भीतर ही गंतव्य वाले इंटरनेट ट्रैफ़िक का पीयरिंग और एक्सचेंज उपलब्ध कराना।

ट. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता ऑथराईजेशन:

(i) केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता ऑथराईजेशन प्रारम्भ करना चाहिए।

(ii) कोई भी इकाई जो भारत में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना चाहती है, उसे केन्द्र सरकार से एसईएसजी प्रदाता ऑथराईजेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) एस.ई.एस.जी. प्रदाता ऑथराईजेशन का मुख्य दायरा: अपनी एसईएसजी अवसंरचना उन संस्थाओं को उपलब्ध कराना जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत प्राधिकृत हैं और जिनके सेवा दायरे में सैटेलाइट मीडिया का उपयोग अनुमत है।

ठ. ग्राउंड स्टेशन ऐज़ ए सर्विस (GSaaS):

निम्नलिखित श्रेणियों के ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और विस्तार (जैसा कि मई 2024 में IN-SPACe द्वारा जारी भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के क्रियान्वयन हेतु अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण संबंधी मानदंडों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं (एन.जी.पी.) में परिकल्पित है) को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(3) के अंतर्गत ऑथराईजेशन से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(i) सैटेलाइट नियंत्रण केन्द्र (एससीसी)

(ii) टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (टीटी एंड सी)

(iii) मिशन नियंत्रण केन्द्र (एमसीसी)

(iv) रिमोट सेंसिंग डेटा रिसेप्शन स्टेशन

(v) अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं जैसे अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता (एसएसए), खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या नेविगेशन मिशनों आदि के संचालन का समर्थन करने हेतु ग्राउंड स्टेशन

ड. क्लाउड-होस्टेड टेलिकॉम नेटवर्क (सीटीएन) ऑथराईजेशन:

(i) केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत क्लाउड-होस्टेड टेलिकॉम नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता ऑथराईजेशन प्रारम्भ करना चाहिए।

(ii) कोई भी इकाई जो क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना चाहती है, उसे केन्द्र सरकार से सीटीएन प्रदाता ऑथराईजेशन प्राप्त करना होगा।

(iii) सीटीएन ऑथराईजेशन का मुख्य दायरा: क्लाउड-होस्टेड टेलिकॉम नेटवर्क-ऐज़-ए-सर्विस (सीटीएनएएएस) उन पात्र संस्थाओं को उपलब्ध कराना, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत प्राधिकृत हैं।

ढ. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता ऑथराईजेशन:

(i) केन्द्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता ऑथराईजेशन प्रारम्भ करना चाहिए।

(ii) एमएनपी प्रदाता ऑथराईजेशन का मुख्य दायरा: दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओं को एम.एन.पी. उपलब्ध कराने हेतु दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और विस्तार करना; तथा लोकेशन राउटिंग नंबर (एलआरएन) अपडेट उन सभी संस्थाओं को उपलब्ध कराना जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक्सेस सेवा, एनएलडी सेवा और आईएलडी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(iii) वर्तमान नीतिगत व्यवस्था, जिसमें दो एमएनपी ज़ोन हैं - प्रत्येक में 11 प्राधिकृत सेवा क्षेत्र (दूरसंचार सर्किल/ मेट्रो क्षेत्र) सम्मिलित हैं - तथा प्रत्येक एमएनपी ज़ोन में केवल एक एमएनपी प्रदाता प्राधिकृत इकाई है, फिलहाल जारी रहनी चाहिए। तथापि, भविष्य में, यदि उपयुक्त समझा जाए, तो केन्द्र सरकार देश में एमएनपी ज़ोन की संख्या बदल सकती है, प्रत्येक एमएनपी ज़ोन के अंतर्गत प्राधिकृत सेवा क्षेत्रों की संरचना में संशोधन कर सकती है, और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक एम.एन.पी. ज़ोन में अधिक एम.एन.पी. प्रदाता प्राधिकृत इकाइयाँ सम्मिलित कर सकती है।

ण. भादूविप्रा ने एक व्यापक फ्रेमवर्क की भी अनुशंसा की है, जिसके अंतर्गत अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आईपी-I) पंजीकरण तथा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) लाइसेंस रखने वाली मौजूदा इकाइयों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नई नेटवर्क ऑथराईजेशन व्यवस्था में स्वैच्छिक आधार पर सुगमता से प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सके।

त. इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा ने अनुशंसाओं के माध्यम से निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं:

(i) उद्यमों के लिए सीएनपीएन नेटवर्क की स्थापना, अनुरक्षण, संचालन और विस्तार के दायरे के साथ, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सी.एन.पी.एन.) प्रदाता प्राधिकरण प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। यदि केन्द्र सरकार इस अनुशंसा को स्वीकार करती है, तो वह ऐसे ऑथराईजेशन की विस्तृत शर्तों एवं नियमों पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं प्राप्त कर सकती है।

(ii) प्रथम दृष्टया, केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) प्रदाता ऑथराईजेशन प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, जिसका व्यापक दायरा केबल लैंडिंग स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं तक पहुँच सुविधा प्रदान करना तथा को-लोकेशन के माध्यम से पात्र प्राधिकृत सेवा इकाइयों को केबल लैंडिंग स्टेशन तक पहुँच सुगम करना होगा। यदि केन्द्र सरकार इसे उपयुक्त समझे, तो वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत सीएलएस प्रदाता ऑथराईजेशन की आवश्यकता तथा उसकी शर्तों एवं नियमों की पड़ताल हेतु प्राधिकरण को रेफरेंस भेज सकती है।

थ. विभिन्न नेटवर्क ऑथराईजेशन्स के लिए निम्नलिखित शुल्कों की अनुशंसा की गई है:

क्र. सं.	नेटवर्क ऑथराईजेशन	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (₹ में)	प्रविष्टि शुल्क (₹ में)	बैंक गारंटी (₹ में)	ऑथराईजेशन शुल्क
1.	अवसंरचना प्रदाता (आईपी)	10,000	शून्य	शून्य	शून्य
2.	डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी)	10,000	10,00,000	शून्य	शून्य
3.	इंटरनेट एक्सचेंज प्रदाता (आईएक्सपी)	10,000	शून्य	शून्य	शून्य
4.	सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता	10,000	10,00,000	शून्य	शून्य

क्र. सं.	नेटवर्क ऑथराईजेशन	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (₹ में)	प्रविष्टि शुल्क (₹ में)	बैंक गारंटी (₹ में)	ऑथराईजेशन शुल्क
5.	क्लाउड-होस्टेड टेलिकॉम नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता	10,000	10,00,000	शून्य	शून्य
6.	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता	10,000	50,00,000	40,00,000	सकल राजस्व (एजीआर) का 1% समायोजित

"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की शर्तें एवं नियम" पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.12 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त की जाने वाली सर्विस ऑथराईजेशन्स हेतु रूपरेखा" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 14 जनवरी 2025 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 28 फरवरी 2025 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विभाग ने पूर्व में, दिनांक 21 जून 2024 के रेफरेंस द्वारा, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑथराईजेशन्स के लिए शर्तों एवं नियमों, जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हैं, पर अनुशंसाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के उपरांत, भादूविप्रा ने 18 सितम्बर 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" पर अपनी अनुशंसाएं डीओटी को प्रदान कीं।

इस संबंध में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 14 जनवरी 2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। डीओटी ने बैक-रेफरेंस के माध्यम से प्रत्येक अनुशंसा के संबंध में अपने प्रथम दृष्टया विचार साझा किए। साथ ही, डीओटी ने बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि जिन अनुशंसाओं पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता या उनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, उन पर भादूविप्रा पुनर्विचारित अनुशंसाएं प्रदान करे, जैसा कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट है।

डीओटी के प्रथम दृष्टया विचारों की समीक्षा करने के उपरांत, भादूविप्रा ने अपने प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 28 फरवरी 2025 को डीओटी को भेज दिया। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.13 "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 फरवरी 2025 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 18 मार्च 2025 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग ने पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2022 के रेफरेंस द्वारा भादूविप्रा से अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर अनुशंसाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के उपरांत, भादूविप्रा ने दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा" पर अपनी अनुशंसाएं डीओटी को प्रेषित कीं।

तदुपरांत, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा" पर भादूविप्रा की दिनांक 10 दिसम्बर 2024 की अनुशंसाएं सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। तथापि, डीओटी ने अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस के संबंध में भादूविप्रा से स्पष्टीकरण माँगा।

इस विषय की समीक्षा करने के उपरांत, भादूविप्रा ने अपने प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 18 मार्च 2025 को डीओटी को प्रेषित किया। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा का प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.14 "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग" संबंधी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर, दूरसंचार विभाग के दिनांक 13 फरवरी 2025 के बैक रेफरेंस के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 25 मार्च 2025 की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग ने पूर्व में दिनांक 7 दिसम्बर 2021 के रेफरेंस द्वारा भादूविप्रा से दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि जैसे कोर नेटवर्क तत्वों के साझाकरण की अनुमति देने पर अनुशंसाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात, डीओटी ने दिनांक 10 फरवरी 2022 के रेफरेंस द्वारा,

अपने पूर्ववर्ती दिनांक 7 दिसम्बर 2021 के रेफरेंस का उल्लेख करते हुए सूचित किया कि "लाइसेंसधारियों के बीच संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु यह प्रस्तावित है कि 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सभी श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं को अधिकृत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के दूरसंचार अवसंरचना और नेटवर्क तत्वों के साझाकरण की अनुमति दी जाए"। इस विषय पर डीओटी ने भादूविप्रा से अनुशंसाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

देश में स्पेक्ट्रम को साझा करने और पट्टे पर देने की अनुमति देने के हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने हितधारकों के परामर्श में बुनियादी ढांचे को साझा करने से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग से संबंधित मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया।

हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के उपरांत, भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर अपनी अनुशंसाएं डीओटी को भेजीं।

तदुपरांत, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (संशोधित) के अनुसार, "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर दिनांक 24 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं, जिन पर सरकार इस प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुँची है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता या इनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, पुनर्विचार हेतु भादूविप्रा को वापस भेजी जा रही हैं।

भादूविप्रा ने दिनांक 25 मार्च 2025 को सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के उपरांत अपना प्रतिक्रिया को अंतिम रूप देकर डीओटी को भेजा। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

2.5.2 प्रसारण क्षेत्र

क्र. सं.	अनुशंसाओं की सूची
1.	"राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु इनपुट्स" विषय पर दिनांक 20 जून 2024 की अनुशंसाएं।
2.	"इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों की सूचीकरण तथा डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नयन" विषय पर दिनांक 8 जुलाई 2024 की अनुशंसाएं।
3.	"ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 15 जनवरी 2025 की अनुशंसाएं।
4.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 21 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।

अनुशंसाएं

2.5.2.1 "राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु इनपुट्स" विषय पर दिनांक 20 जून 2024 की अनुशंसाएं

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 13 जुलाई 2023 के अपने पत्र द्वारा भादूविप्रा से दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण हेतु अपने विचाराधीन इनपुट्स प्रदान करने का अनुरोध किया। भादूविप्रा ने सर्वप्रथम दिनांक 21 सितम्बर 2023 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया, ताकि उन विषयों की पहचान की जा सके जिन्हें राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण में शामिल किया जाना आवश्यक था। प्राप्त टिप्पणियों और हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 को "राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु इनपुट्स" पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र ने प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की और हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु 20 प्रश्न उठाए। दिनांक 15 मई 2024 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और दिनांक 20 जून 2024 को एम.आई.बी. को प्रेषित किया। प्रारूप नीति के लिए अनुशंसित उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र की वृद्धि को सक्षम करना है, ताकि उभरती प्रौद्योगिकियों को शीघ्र अपनाकर उपभोक्ताओं को किफायती ढंग से एक गहन और समृद्ध अनुभव प्रदान किया जा सके, साथ ही प्रसारण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के हितों की रक्षा भी की जा सके। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए दृष्टि, मिशन और लक्ष्य के साथ-साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की भी अनुशंसा की। नीति संबंधी अनुशंसाएं 10 वर्षों की एक व्यापक फ्रेमवर्क को लक्षित करती हैं, जिसमें विशेष ध्यान अगले 5 वर्षों पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लक्ष्य मुख्यतः तीन मिशनों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनमें शामिल हैं:

क. विकास को गति देना

ख. विषयवस्तु विकास को प्रोत्साहन देना

ग. हितों की रक्षा करना

प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक रणनीतियों की अनुशंसा की गई है। "राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु इनपुट्स" विषय पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.5.2.2 "इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों की सूचीकरण तथा डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नयन" विषय पर दिनांक 8 जुलाई 2024 की अनुशंसाएं

भादूविप्रा ने दिनांक 8 जुलाई 2024 को "इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों का सूचीकरण तथा डी.डी. फ्री डिश प्लेटफॉर्म का एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नयन" करने के विषय पर अनुशंसाएं जारी कीं। इन अनुशंसाओं की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

क. ईपीजी में चैनलों का सूचीकरण

प्रत्येक चैनल को अनुमति देते समय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के अनुसार प्रत्येक चैनल की प्राथमिक भाषा और प्रत्येक गैर-समाचार चैनल की उप-शैली के बारे में प्रसारकों से जानकारी लेनी चाहिए और इसे एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रदर्शित करना चाहिए ताकि डीपीओ उपभोक्ताओं द्वारा आसान नेविगेशन के लिए ईपीजी में चैनल को उचित स्थान पर रख सकें।

ख. डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म का एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नयन

दृश्य अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, टेलीविजन चैनलों के अनधिकृत पुन:प्रसारण को रोकने, पायरेसी से मुकाबला करने और ग्राहकों का रिकार्ड बनाए रखने हेतु, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नत करने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। प्रथम चरण में, प्रसार भारती को निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को अपलिंक करने से पूर्व डीडी फ्री डिश हेडएंड पर एन्क्रिप्ट करना चाहिए। इसके बाद, डीडी फ्री डिश के अन्य सभी चैनलों को भी एन्क्रिप्टेड रूप में प्रसारित किया जा सकता है। डीडी फ्री डिश को नॉन-एड्रेसेबल से एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने हेतु एक रोडमैप, साथ ही सेट टॉप बॉक्स की बिक्री एवं आफ्टरसेल्स सेवा के लिए निर्माताओं और वितरकों को अधिकृत करने का प्रावधान, एमआईबी को अनुशंसित किया गया है।

"इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों का सूचीकरण तथा डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म का एड्रेसेबल सिस्टम में उन्नयन" विषय पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

2.5.2.3 "ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 15 जनवरी 2025 की अनुशंसाएं

भादूविप्रा ने दिनांक 15 जनवरी 2025 को "ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर अनुशंसाएं जारी कीं। अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

क. ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों के लिए फ्रेमवर्क पारंपरिक सैटेलाइट-आधारित प्रसारकों हेतु "भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश, 2022" में निहित फ्रेमवर्क के समान होगी, जहाँ तक यह भू-आधारित प्रसारण मॉडल पर लागू होती है, तथा इसमें सैटेलाइट संचार माध्यम से संबंधित प्रावधान सम्मिलित नहीं होंगे।

ख. ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों का दायरा स्थलीय संचार माध्यम का उपयोग करके टेलीविजन चैनल वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को उपलब्ध कराना होगा, ताकि उनका आगे पुनःप्रसारण किया जा सके।

ग. कोई भी ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारक चैनलों को डीपीओ तक पहुँचाने के लिए किसी भी स्थलीय संचार माध्यम का उपयोग कर सकता है। स्थलीय संचार प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इकाई अपने व्यावसायिक निर्णय के अनुसार एक से अधिक प्रणालियों का भी उपयोग कर सकती है।

घ. अनुमत चैनल के लिए, कोई ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारक (जीबीबी) केन्द्र सरकार की अनुमति से प्रसारण हेतु सैटेलाइट माध्यम में परिवर्तित हो सकता है या अतिरिक्त रूप से उसका उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार, कोई सैटेलाइट-आधारित प्रसारक (एसबीबी) भी केन्द्र सरकार की अनुमति से प्रसारण हेतु स्थलीय संचार माध्यम में परिवर्तित हो सकता है या अतिरिक्त रूप से उसका उपयोग कर सकता है।

ङ. ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारक के लिए सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होगा।

च. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यह जाँच कर सकता है कि फ्री एड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन (एफएएसटी) चैनल मौजूदा दिशा-निर्देशों/नीति फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं या नहीं। एमआईबी आवश्यकता पड़ने पर, भादूविप्रा के परामर्श से ऐसे चैनलों के लिए आवश्यक नीतिगत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

छ. प्राधिकरण ने दिनांक 2 मई 2023 को जारी "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर अनुशंसाओं को दोहराया, जो ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारकों पर लागू होंगी।

"ग्राउन्ड-बेस्ट प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

2.5.2.4 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 21 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 25 जुलाई 2024 के अपने पत्र द्वारा, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, भादूविप्रा से प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑथराईजेशन की शर्तों एवं नियमों, जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हैं, पर अनुशंसाएं मांगीं, ताकि इन्हें दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुरूप बनाया जा सके तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं में शर्तों एवं नियमों का सामंजस्य स्थापित हो सके। इस अनुरूप, अक्टूबर 2024 में प्राधिकरण ने "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी कर परामर्श प्रक्रिया आरम्भ की और हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। इस पर दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं प्रति-टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा के दौरान प्राप्त इनपुट्स, विभिन्न प्रसारण नीतिगत दिशा-निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा, सरकार के विचाराधीन भादूविप्रा की प्रासंगिक पूर्व अनुशंसाओं तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने शर्तों एवं नियमों को एक सरल फ्रेमवर्क में संकलित एवं पुनर्संरचित किया। ये शर्तें एवं नियम दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। तदनुसार, भादूविप्रा ने "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना है। अनुशंसाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे:

क. प्रसारण सर्विस ऑथराईजेशन्स को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति जारी करने की मौजूदा प्रथा के स्थान पर दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। सर्विस ऑथराईजेशन्स की शर्तें एवं नियम दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 के अंतर्गत नियमों के रूप में अधिसूचित किए जाएँगे।

ख. धारा 3(1)(क) के अंतर्गत सर्विस ऑथराईजेशन का दिया जाना एक अधिकृत दस्तावेज़ के रूप में होना चाहिए, जिसमें सेवा से संबंधित आवश्यक विवरण सम्मिलित हों। ऑथराईजेशन दस्तावेज़ का प्रारूप अनुशंसित किया गया है।

ग. 'सर्विस ऑथराईजेशन्स के अनुदान' की शर्तों एवं नियमों को समान सेवाओं के लिए सामंजस्य स्थापित किया गया है और इसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया तथा सर्विस ऑथराईजेशन के लिए आवेदन करने से पूर्व आवेदक इकाई द्वारा आवश्यक अन्य प्रासंगिक विवरण/सूचनाएँ सम्मिलित हैं।

घ. मौजूदा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक का नए फ्रेमवर्क में स्थानांतरण उनकी लाइसेंस/अनुमति की अवधि समाप्त होने तक स्वैच्छिक रहेगा। साथ ही, प्रसारण सेवाओं के मामले में, स्थानांतरण हेतु न तो कोई प्रसंस्करण शुल्क और न ही कोई प्रविष्टि शुल्क आवश्यक होगा।

ङ. नई सेवाओं का समावेश किया गया है, अर्थात् 'टेलीविजन चैनल का ग्राउन्ड-बेस्ड प्रसारण' और 'लो पावर स्मॉल रेंज रेडियो सेवा', जो प्राधिकरण की पूर्व अनुशंसाओं पर आधारित हैं।

च. सेवा प्रदायगी की शर्तें एवं नियम दो भागों में विभाजित हैं - 'सामान्य शर्तें एवं नियम', जो सभी प्रसारण सर्विस ऑथराईजेशन्स पर सामंजस्यपूर्ण रूप से लागू होंगे, और 'विशिष्ट शर्तें एवं नियम', जो सेवा-विशिष्ट ऑथराईजेशन्स पर लागू होंगे।

छ. रेडियो प्रसारण सेवाओं की प्राधिकृत इकाइयों के लिए अनिवार्य को-लोकेशन की शर्त को हटाने की अनुशंसा की गई है।

ज. इसके अतिरिक्त, प्रसारण सेवा प्रदाताओं के बीच तथा तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से जहाँ संभव हो, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/अवसंरचना प्रदाताओं के साथ, स्वैच्छिक आधार पर अवसंरचना साझाकरण की अनुशंसा की गई है।

झ. टीईसी द्वारा इंटरऑपरेबल एसटीबी एवं अंतर्निर्मित एसटीबी कार्यक्षमता वाले टेलीविजन सेटों के लिए मानक तैयार कर अधिसूचित किए जाएंगे।

ञ. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए आईपीटीवी सेवा प्रदान करने हेतु ₹ 100 करोड़ की न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता को हटाने तथा इसे दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं के ऑथराईजेशन प्रावधानों के अनुरूप करने की अनुशंसा की गई है।

ट. रेडियो प्रसारण सेवा की शर्तों एवं नियमों को प्रौद्योगिकी-तटस्थ बनाया गया है जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके।

ठ. 'टेरेसट्रियल रेडियो सेवा' के लिए सर्विस ऑथराईजेशन को आवृत्ति आवंटन से अलग किया जाएगा और टेरेसट्रियल रेडियो सेवा के लिए आवृत्ति आवंटन हेतु स्पेक्ट्रम की नीलामी पृथक रूप से की जाएगी।

ड. रेडियो चैनल(चैनलों) के प्रसारण के अतिरिक्त, स्थलीय रेडियो सेवा की अधिकृत संस्थाओं को यह अनुमति देने की अनुशंसा की गई है कि वे बिना किसी उपभोक्ता नियंत्रण के, वही सामग्री इंटरनेट के माध्यम से एक साथ स्ट्रीम कर सकें।

ढ. विभिन्न प्रसारण सेवाओं, विशेष रूप से 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं' के लिए, शुल्क और प्रभार सहित नियम एवं शर्तों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है।

शर्तें	मौजूदा	अनुशंसित
डीटीएच सेवाओं के लिए ऑथराईजेशन शुल्क (पूर्व में लाइसेंस शुल्क)	एजीआर का 8%	एजीआर का 3%, जिसे 'शून्य' तक घटाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति के बाद कोई ऑथराईजेशन शुल्क नहीं
रेडियो प्रसारण सेवाओं के लिए ऑथराईजेशन शुल्क (पूर्व में वार्षिक शुल्क)	जीआर का 4% अथवा एनओटीईएफ का 2.5%, इनमें से जो अधिक हो उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए जीआर का 2% अथवा एनओटीईएफ का 1.25% (प्रारंभिक 3 वर्ष)	सभी शहरों के लिए एजीआर का 4%

शर्तें	मौजूदा	अनुशंसित
डीटीएच सेवा के लिए बैंक गारंटी	₹ 5 करोड़ प्रारंभिक, तत्पश्चात दो तिमाहियों का लाइसेंस शुल्क	उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए एजीआर का 2% (प्रारंभिक 3 वर्ष)
हिट्स सेवा के लिए बैंक गारंटी	प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए ₹ 40 करोड़	₹ 5 करोड़ अथवा दो तिमाहियों के ऑथराईजेशन शुल्क का 20%, इनमें से जो अधिक हो ऑथराईजेशन की वैधता अवधि हेतु ₹ 5 करोड़
हिट्स सेवा का प्रसंस्करण शुल्क	₹ 1 लाख	₹ 10,000
हिट्स सेवा की वैधता अवधि	प्रारंभिक 10 वर्ष, नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं	20 वर्ष, प्रत्येक बार 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण
टेरेसट्रियल रेडियो सेवा के लिए नवीनीकरण अवधि	एफ.एम. रेडियो में नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं	प्रत्येक बार 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण

"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स के फ्रेमवर्क" विषय पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.6 पूर्व में सरकार को प्रेषित महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं से संबंधित जानकारी

पिछले कुछ वर्षों में, भादूविप्रा ने देश में दूरसंचार सेवाओं तथा प्रसारण एवं केबल सेवाओं की वृद्धि से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयों पर, रेफरेंस प्राप्त होने पर अथवा स्वतः संज्ञान लेते हुए, डीओटी एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को अनेक अनुशंसाएँ भेजी हैं।

2.6.1 दूरसंचार क्षेत्र

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक (वित्तीय वर्ष 2024-25 को छोड़कर) के पिछले पाँच वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित केंद्र सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 से जारी भादूविप्रा की अनुशंसाओं/उप-अनुशंसाओं की स्थिति

वर्ष	जारी अनुशंसाएँ/उप-अनुशंसाएँ	स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	अस्वीकृत	समाप्त	सरकार के विचाराधीन
2023-24	11	02	06	-	02	01
	163	82	14	09	43	15
2022-23	07	02	03	-	-	02
	219	162	07	19	15	16
2021-22	03	-	02	01	-	-
	50	34	06	10	-	-
2020-21	07	02	02	01	02	-
	33	21	01	06	05	01
2019-20	04	02	-	01	-	01
	45	30	-	08	-	07
कुल	**32**	**08**	**13**	**03**	**04**	**04**
	510	**329**	**28**	**52**	**62**	**39**

दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित भादूविप्रा द्वारा केंद्र सरकार को पिछले पाँच वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2024-25 को छोड़कर) भेजी गई अनुशंसाओं की स्थिति की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के इस भाग के **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

2.6.2 प्रसारण क्षेत्र

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक (वित्तीय वर्ष 2024-25 को छोड़कर) के पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रसारण एवं केबल सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित भादूविप्रा द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

वर्ष 2019 से जारी अनुशंसाओं/उप-अनुशंसाओं की स्थिति

वर्ष	जारी अनुशंसाएँ/उप-अनुशंसाएँ	स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	अस्वीकृत	समाप्त	सरकार के विचाराधीन
2023-24	04	-	01	-	-	03
	36	01	00	00	00	35
2022-23	04	02	-	-	-	02
	24	13	-	-	-	11
2021-22	00	00	-	-	-	00
	00	-	-	-	-	-
2020-21	03	01	-	-	-	02
	37	06	00	00	00	31
2019-20	03	02	01	-	-	-
	16	05	00	06	00	05
Total	**14**	**05**	**02**	**00**	**-**	**07**
	113	**25**	**00**	**06**	**00**	**82**

भादूविप्रा द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान दिनांक 31 मार्च 2025 तक (वित्त वर्ष 2024-25 को छोड़कर) केंद्र सरकार को भेजी गई प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित अनुशंसाओं की स्थिति की विस्तृत सूची रिपोर्ट के इस भाग के **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

2.7 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करते हुए, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र में निम्नलिखित विनियम बनाए:

2.7.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	विनियमों की सूची
1.	दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 14 जून 2024।
2.	उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 25 जुलाई 2024।
3.	एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवाओं की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024।
4.	डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 दिनांक 25 अक्तूबर 2024
5.	दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 23 दिसंबर 2024।
6.	दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 दिनांक 12 फरवरी 2025।

2.7.1.1 दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 14 जून 2024

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15 जून 2007 को जारी दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 में संशोधन के संबंध में, दिनांक 24 जुलाई 2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 14 अगस्त 2023 थी। निर्धारित तिथि तक कुल 10 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। हितधारकों के विचारों पर विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण करने के उपरांत, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 14 जून 2024 को जारी किए गए। यह संशोधन खातों की तैयारी, रखरखाव और लेखापरीक्षा से संबंधित खर्चों के लिए इसके उपयोग की अनुमति देकर, साथ ही पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (CUTCEF) के उपयोग हेतु समिति की बैठकों में भाग लेने की अनुमति देकर, निधि के दायरे को व्यापक बनाता है। यह संशोधन औपचारिक रूप से अनुसूचित बैंकों को भी अनुमति देता है जहाँ यह निधि रखी जा सकती है, जो पिछले कॉर्पोरेशन बैंक की जगह लेगा, जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया था।

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.7.1.2 उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 25 जुलाई 2024

प्राधिकरण, प्रमुख विनियम "उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013" के अंतर्गत, ऐसे उपभोक्ता संगठनों का राज्यवार पंजीकरण कर रहा है, जो विनियमों में उल्लिखित भूमिकाएँ निभाकर प्राधिकरण की सहायता कर सकते हैं। प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थित उपभोक्ता संगठनों के विभिन्न वर्गों के अनुभव एवं विविध प्रकार की सूझबूझ का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण प्रारंभ कर प्रमुख विनियमों के दायरे को विस्तृत करने की आवश्यकता अनुभव की। तदनुसार, दिनांक 14 सितम्बर 2023 को "उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः दिनांक 20 अक्तूबर 2023 और दिनांक 27 अक्तूबर 2023 निर्धारित की गई थीं। निर्धारित तिथि तक कुल 12 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। विस्तृत चर्चा के उपरांत, उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 25 जुलाई 2024 को जारी किए गए। यह संशोधन, उपभोक्ता संगठन पंजीकरण के दायरे को राज्य-वार आधार से बढ़ाकर कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संचालन के लिए पंजीकरण की अनुमति देता है। ये संशोधन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और उपभोक्ता-केंद्रित जानकारी के बेहतर प्रसार और विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में ट्राई की पहलों को समर्थन देने के लिए उपभोक्ता संगठनों की व्यापक पहुँच का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हैं।

उपभोक्ता संगठनों का गुणवत्ता पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.7.1.3 एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवाओं की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024

भादूविप्रा ने दिनांक 2 अगस्त 2024 को "एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवाओं की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024" जारी किए तथा इन्हें दिनांक 5 अगस्त 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया। इन विनियमों के अंतर्गत एक्सेस एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलाइन एवं वायरलेस माध्यमों पर प्रदत्त) के लिए संशोधित सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मापदंड और उनके मानक निर्धारित किए गए हैं, जो दिनांक 1 अक्तूबर 2024 से प्रभावी हुए। इससे पूर्व, भादूविप्रा ने सेवा गुणवत्ता मानक (क्यूओएस) निर्धारित करने के लिए तीन अलग-अलग विनियम जारी किए थे-(i) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2009, (ii) ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2006, तथा (iii) वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानक विनियम, 2012 (समय-समय पर संशोधित)। नए विनियमों द्वारा उपर्युक्त तीनों विनियमों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

विनियमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(i) सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रौद्योगिकीवार (2G/3G/4G/5G) मोबाइल कवरेज मानचित्र प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि उपभोक्ता समुचित जानकारी के आधार पर उचित निर्णय ले सकें।

(ii) सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रदर्शन रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने हेतु, सेवा प्रदाताओं को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप क्यूओएस प्रदर्शन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) उभरते हुए नए अनुप्रयोगों की प्रदर्शन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लेटेंसी मापदंड के मानक को वैश्विक मानकों के अनुरूप किया गया है तथा जिटर और पैकेट ड्रॉप दर जैसे नए मापदंडों को शामिल किया गया है।

(ii) सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रदर्शन रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने हेतु, सेवा प्रदाताओं को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप क्यूओएस प्रदर्शन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) उभरते हुए नए अनुप्रयोगों की प्रदर्शन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लेटेंसी मापदंड के मानक को वैश्विक मानकों के अनुरूप किया गया है तथा जिटर और पैकेट ड्रॉप दर जैसे नए मापदंडों को शामिल किया गया है।

(iv) नेटवर्क समस्याओं के समय पर समाधान के लिए, मोबाइल सेवाओं का क्यूओएस प्रदर्शन अब त्रैमासिक के स्थान पर मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाएगा। तथापि, मासिक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया आसानी से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए, सेवा प्रदाताओं को विनियम की प्रभावी तिथि से छह माह का समय दिया गया है।

(v) सूक्ष्म स्तर पर प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने कुछ मापदंडों जैसे नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप, अपलिंक एवं डाउनलिंक में वॉइस पैकेट ड्रॉप दर आदि का प्रदर्शन सेल स्तर पर एकत्रित करने का निर्णय लिया है।

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदर्शन के मापन एवं रिपोर्टिंग में एक समान कार्यप्रणाली अपनाने के लिए, विनियम में एक विस्तृत और स्पष्ट मापन कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है।

(vii) प्राधिकरण ने कुछ प्रमुख मापदंडों जैसे नेटवर्क उपलब्धता (संचयी डाउनटाइम एवं डाउनटाइम से प्रभावित सर्वाधिक सेल), कॉल ड्रॉप दर, पैकेट ड्रॉप दर, लेटेंसी आदि के मानकों को क्रमिक रूप से कड़ा करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया छह माह से ढाई वर्ष की अवधि में अपनाई जाएगी, ताकि जहाँ भी आवश्यकता हो, सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क को उन्नत कर सकें।

(viii) कुछ मामलों में क्यूओएस मापदंडों के प्रदर्शन का औसत लेने से समस्याओं के क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। इसलिए डाउनलिंक एवं अपलिंक पैकेट ड्रॉप दर, लेटेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (PoI) कंजेशन, डाउनलोड एवं अपलोड गति, व्यस्त समय में रेडियो एवं कोर नेटवर्क के बीच अधिकतम बैंडविड्थ उपयोग आदि जैसे कुछ प्रमुख मापदंडों की मापन कार्यप्रणाली को औसत के स्थान पर परसेंटाइल आधार पर बदल दिया गया है। इससे सेवा प्रदाताओं द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कमजोर क्यूओएस प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की पहचान संभव होगी।

(ix) मोबाइल कवरेज मानचित्र प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अतिरिक्त, नए मापदंड जैसे-महत्वपूर्ण नेटवर्क बाधाओं की रिपोर्टिंग, जिटर, व्यस्त समय में रेडियो एवं कोर नेटवर्क के बीच अधिकतम बैंडविड्थ उपयोग, तथा एस.एम.एस. डिलीवरी सफलता दर आदि को शामिल किया गया है।

(x) क्यूओएस मापदंडों को उपभोक्ता अनुभव पर उनके प्रभाव एवं वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता के आधार पर और अधिक तार्किक बनाया गया है, साथ ही वैश्विक मानकों के अनुरूप किया गया है। उदाहरणस्वरूप, टेलीफोन कनेक्शन स्थानांतरण, लोकल एक्सचेंज के लिए ग्रेड ऑफ सर्विस जैसे मापदंडों को हटा दिया गया है तथा कुछ मापदंडों को अनुपालन से हटाकर सेवा प्रदाताओं द्वारा निगरानी श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है।

(xi) क्यूओएस प्रदर्शन मापन मानदंडों में सरलीकरण एवं वस्तुनिष्ठता लाने तथा अनुपालन को सरल बनाने के लिए, सेवा प्रदाताओं को क्यूओएस प्रदर्शन की ऑनलाइन निगरानी एवं रिपोर्टिंग हेतु अपनी प्रणाली उन्नत करना अनिवार्य किया गया है।

(xii) क्यूओएस प्रदान करना एक जीवनचक्र गतिविधि है जिसे गुणवत्ता प्रबंधन क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सेवा प्रदाताओं को सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए सिक्स सिग्मा गुणवत्ता प्रबंधन योजना अपनाने के लिए कहा गया है।

(xiii) क्यूओएस से संबंधित मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई एवं नेटवर्क में गैर-अनुपालन क्यूओएस प्रदर्शन के शीघ्र समाधान के लिए, सभी सेवाओं हेतु चरणबद्ध वित्तीय दंड लागू किए गए हैं, जो निरंतर गैर-अनुपालन की स्थिति में बढ़ते जाएंगे।

एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.7.1.4 डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 दिनांक 25 अक्तूबर 2024

भादूविप्रा ने दिनांक 25 अक्तूबर 2024 को "डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024" जारी किए तथा इन्हें दिनांक 28 अक्तूबर 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया। इस विनियम का उद्देश्य इमारतों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित समस्या का समाधान करना है, जिसके लिए इमारतों की रेटिंग डिजिटल कनेक्टिविटी के आधार पर प्रदान की जाएगी। यह विनियम संपत्ति प्रबंधकों को अपने वर्तमान एवं संभावित ग्राहकों को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है। चूँकि यह विनियमन इमारतों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक और आत्मनिर्भर मॉडल पर बल देता है, इसलिए हितधारकों के बीच जागरूकता इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत संपत्तियों को डिजिटल कनेक्टिविटी की तैयारी के आधार पर 'स्टार रेटिंग्स' प्रदान की जाएँगी।

विनियमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(i) एक रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा संबद्ध अनुप्रयोगों की स्थापना अथवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाएगा, ताकि विनियमों के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग का प्रबंधन किया जा सके। रेटिंग प्रक्रिया केवल रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाएगी।

(ii) डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए) के रूप में गतिविधि शुरू करने की इच्छुक, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी इकाई, रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध की जाएगी।

(iii) संपत्ति प्रबंधक, जो अपनी संपत्ति (न्यूनतम निर्दिष्ट आकार वाली) की रेटिंग के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके, प्रारूप और शुल्क जमा करने पर रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण करना होगा।

(iv) डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु रेटिंग के लिए संपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे- आवासीय, सरकारी संपत्तियाँ, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, स्टेडियम अथवा खेल मैदान अथवा ऐसे स्थल जहां लोग बार-बार एकत्रित होते हों और परिवहन गलियारे।

(v) डीसीआरए संपत्ति प्रबंधक को प्रभारित किए जाने वाले शुल्क और अन्य नियमों एवं शर्तें, यदि कोई हों, का खुलासा करेगा और किसी भी रेटिंग गतिविधि के शुरू होने से पहले उनकी मंजूरी प्राप्त करेगा।

(vi) डीसीआरए द्वारा प्रभारित किए जाने वाले शुल्क संपत्ति की श्रेणी और वर्गीकरण, इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत डीसीआरए की जिम्मेदारी, जटिलता, संपत्ति का क्षेत्रफल आदि के आधार पर निर्धारित होंगे।

(vii) डीसीआरए द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क संपत्तियों की श्रेणी एवं वर्गीकरण, इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत डीसीआरए की जिम्मेदारी, जटिलता, संपत्ति का क्षेत्रफल आदि के आधार पर निर्धारित होंगे।

(viii) कोई भी दूरसंचार सेवा प्रदाता, डिजिटल कनेक्टिविटी अथवा डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास या उनकी संपत्ति में पहुँच हेतु, किसी भी संपत्ति प्रबंधक के साथ विशिष्ट व्यवस्था (एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट) अथवा टाई-अप व्यवस्था नहीं करेगा।

(ix) डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु रेटिंग के लिए, जहाँ राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज़ (एमबीबीएल) में डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना से संबंधित प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज़ (एमबीबीएल) का संदर्भ लिया जाएगा।

(x) डीसीआरए संपत्ति का मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक रेटिंग मानदंड एवं उप-मानदंडों पर अंक प्रदान करेगा, जो रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज होंगे। संपत्ति को डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एक स्टार से पाँच स्टार तक प्रदान की जाएगी। अंकों के आवंटन और प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पृथक रूप से जारी किए जाएँगे।

(xi) प्राधिकरण उस तिथि की अधिसूचना करेगा जिस दिन रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म को चालू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण, ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म विकसित होने तक, संपत्ति की रेटिंग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रदान कर सकता है।

डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.7.1.5 दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 23 दिसंबर 2024

नियमित परामर्श प्रक्रिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा के उपरांत, भादूविप्रा ने दिनांक 23 दिसंबर 2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2024 अधिसूचित किया, जिनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए।

(i) उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प प्रदान करने हेतु वॉइस तथा एसएमएस के लिए पृथक विशेष टैरिफ वाउचर अनिवार्य किया गया है। इससे विशेष रूप से वृद्धजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग तथा बेसिक फोन उपयोगकर्ताओं जैसे उपभोक्ता वर्गों को लाभ होगा।

(ii) एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की वैधता अवधि की सीमा, जो वर्तमान में नब्बे (90) दिन है, उसे बढ़ाकर तीन सौ पैंसठ (365) दिन किया गया है, ताकि यह केवल डेटा वाउचर की वैधता के अनुरूप हो। इससे उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज करने की असुविधा से राहत मिलेगी।

(iii) ऑनलाइन रिचार्ज की प्रमुखता को देखते हुए वाउचरों के कलर कोडिंग की व्यवस्था, जो भौतिक स्वरूप में थी, समाप्त कर दी गई है।

(iv) ₹ 10/- और इसके गुणक मूल्यवर्ग को केवल टॉप-अप वाउचर के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, हालाँकि टीटीओ (50वाँ संशोधन) आदेश, 2012 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कम से कम एक ₹ 10/- के टॉप-अप वाउचर उपलब्ध कराना अब भी अनिवार्य है।

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.7.1.6 दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 दिनांक 12 फरवरी 2025

भादूविप्रा ने अवांछित वाणिज्यिक संचार के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 में संशोधन किया है। संशोधित विनियमों का उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की विकसित होती विधियों से निपटना और उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शी वाणिज्यिक संचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है।

टीसीसीसीपीआर-2018 ने अपने कार्यान्वयन के बाद से, स्पैम नियंत्रण हेतु, ब्लॉकचेन-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उल्लेखनीय उपयोग किया है। मज़बूत उपायों के बावजूद, स्पैमर्स ने अपनी रणनीतियों को विकसित कर लिया है, जिससे उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए और अधिक विनियामक सुधार आवश्यक हो गए। तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 28 अगस्त 2024 को टीसीसीसीपीआर-2018 की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया ताकि उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और अवांछित वाणिज्यिक संचार को रोकने हेतु आवश्यक प्रमुख विनियामक संशोधनों पर हितधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें। यह परामर्श कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित था, जिनमें शामिल हैं- वाणिज्यिक संचार की श्रेणियों की पुनर्परिभाषा, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना,यूसीसी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सीमा-मानदंडों को और कड़ा करना, प्रेषकों एवं टेलीमार्केटर्स की जवाबदेही बढ़ाना, टेलीमार्केटिंग के लिए 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग को रोकना, अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के विरुद्ध सख़्त उपाय लागू करना, इत्यादि।

प्रवर्तित संशोधन, हितधारकों के प्रतिक्रिया और व्यापक आंतरिक विचार-विमर्श पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करना तथा दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही, इनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैध वाणिज्यिक संचार केवल पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से, ग्राहकों की वरीयता एवं सहमति के आधार पर ही हो। इस प्रकार, उपभोक्ताओं के हितों और देश में वैध आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित किया गया है।

विनियमों में किए गए उपभोक्ता-केंद्रित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँः

क. स्पैम की रिपोर्टिंग में सरलता एवं पुनर्गठित शिकायत निवारण तंत्र:

(i) अब उपभोक्ता, अपनी वरीयताएँ पंजीकृत किए बिना (यानी कौन-सा वाणिज्यिक संचार रोकना है या प्राप्त करना है), अपंजीकृत प्रेषकों द्वारा भेजे गए स्पैम (यूसीसी) कॉल्स और संदेशों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

(ii) शिकायत प्रक्रिया को और सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि यदि उपभोक्ता की शिकायत में न्यूनतम आवश्यक विवरण, जैसे-शिकायतकर्ता का नंबर, स्पैम/यूसीसी भेजने वाले प्रेषक का नंबर, स्पैम प्राप्त होने की तिथि तथा यूसीसी वॉइस कॉल/संदेश का संक्षिप्त विवरण-शामिल है, तो उस शिकायत को वैध शिकायत माना जाएगा। जाँच में सहयोग हेतु एक्सेस प्रदाता शिकायतकर्ता से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(iii) अब उपभोक्ता स्पैम/यूसीसी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि पहले इसकी सीमा 3 दिन थी।

(iv) एक्सेस प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर स्पैम/यूसीसी शिकायत दर्ज करने के विकल्प ऐसे स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें जिन्हे आसानी से ढूँढा जा सके । इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं की मोबाइल ऐप, उपभोक्ता की अनुमति प्राप्त करने के बाद कॉल लॉग, एसएमएस विवरण को स्वतः कैप्चर करने तथा शिकायत पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण निकालने में सक्षम होनी चाहिए। साथ ही, मोबाइल ऐप में शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्रीनशॉट का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी होनी चाहिए।

(v) यूसीसी प्रेषकों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु, कार्रवाई का मानदंड संशोधित कर और अधिक कठोर बनाया गया है। पहले जहाँ "पिछले 7 दिनों में प्रेषक के विरुद्ध 10 शिकायतें" होने पर कार्रवाई होती थी, वहीं अब इसे बदलकर "पिछले 10 दिनों में प्रेषक के विरुद्ध 5 शिकायतें" कर दिया गया है। इससे अधिक स्पैमर्स को कवर करते हुए त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।

ख. उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना:

(i) प्रचारात्मक संचार से बाहर निकलने के लिए बेहतर तंत्र: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अब प्रत्येक प्रचारात्मक संदेश में एक अनिवार्य विकल्प उपलब्ध करना होगा, जिसका उपयोग करके ग्राहक ऐसे संदेशों को प्राप्त करने से बाहर निकल सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सहमति संशोधन सरल और आसान हो जाएगा।

(ii) संदेश शीर्षक में अब मानकीकृत पहचान होगी ताकि उपभोक्ता आसानी से प्रचारात्मक, सेवा संबंधी और लेन-देन संबंधी संदेशों के बीच अंतर कर सकें। केवल संदेश का शीर्षक देखकर ही उपभोक्ता संदेश के प्रकार की पहचान कर सकेंगे, जैसे प्रचारात्मक संदेशों के लिए "-पी", सेवा संदेशों के लिए "-एस", लेन-देन संबंधी संदेशों के लिए "-टी" और सरकारी संदेशों के लिए "-जी" जोड़ा जाएगा।

(iii) सरकार द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों के लिए एक पृथक श्रेणी बनाई गई है ताकि उपभोक्ता उनके लिए लाभकारी महत्त्वपूर्ण सरकारी संचारों को न चूकें।

(iv) कोई भी प्रेषक, उस उपभोक्ता से जिसने प्रचारात्मक संदेशों से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, उसकी सहमति पुनः प्राप्त करने हेतु 90 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले अनुरोध नहीं कर सकेगा। हालाँकि, उपभोक्ता किसी भी समय पुनः सहमति दे सकता है।

(v) किसी भी प्रचलित लेन-देन को पूरा करने के लिए उपभोक्ता द्वारा दी गई सहमति केवल 7 दिनों तक ही मान्य होगी, ताकि व्यवसायी उपभोक्ता को अनिश्चितकाल तक कॉल करने या संदेश भेजने के लिए पूर्व सहमति का बहाना न बना सकें।

(vi) लेन-देन संबंधी और सेवा वाणिज्यिक संचार के मामलों में निहित सहमति केवल उपभोक्ता और प्रेषक के बीच अनुबंध की अवधि अथवा उसके निर्वहन तक ही मान्य होगी। अतः, अनुबंध समाप्त होने के बाद, उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना ऐसे प्रेषक द्वारा उपभोक्ता को कोई सेवा कॉल नहीं किया जा सकेगा।

(vii) संशोधनों में ऑटो-डायलर्स/रोबो कॉल्स के उपयोग के प्रकटीकरण और उनके विनियमन का भी प्रावधान किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान होने से बचाया जा सके।

ग. स्पैमर्स/अवांछित वाणिज्यिक संचार प्रेषकों के विरुद्ध कड़े उपाय

(i) जिन प्रेषकों को बार-बार उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, उनके सभी दूरसंचार संसाधनों को एक्सेस प्रदाताओं द्वारा निलंबित करना अनिवार्य होगा। विनियामक सीमा का पहला उल्लंघन होने पर, प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों की आउटगोइंग सेवाएँ 15 दिनों के लिए रोक दी जाएँगी। इसके पश्चात पुनः उल्लंघन होने पर, प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधन, जिनमें पीआरआई/एसआईपी ट्रंक्स भी शामिल हैं, सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर दिए जाएँगे और प्रेषक को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

(ii) ग्राहकों को धोखा देने या धोखा देने के प्रयास हेतु की गई कोई भी कॉल या संदेश, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की दृष्टि से, यूसीसी की श्रेणी में रखा गया है। इससे ऐसे प्रेषकों के दूरसंचार संसाधनों के विरुद्ध शीघ्र विनियामक कार्रवाई संभव होगी, जिसमें डिस्कनेक्शन और ब्लैकलिस्टिंग शामिल है। यह संशोधन ब्लॉकचेन-आधारित तकनीक के उपयोग के कारण ऐसे दूरसंचार संसाधनों को शीघ्र डिस्कनेक्ट करने करना संभव बनाएगा।

(iii) संशोधन के अंतर्गत प्रेषकों को टेलीमार्केटिंग के लिए सामान्य 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी वाणिज्यिक संचार केवल निर्धारित हेडर्स या विशिष्ट नंबर श्रृंखला से ही उत्पन्न हों। जहाँ प्रचारात्मक कॉल्स के लिए 140 श्रृंखला का उपयोग जारी रहेगा, वहीं लेन-देन संबंधी और सेवा कॉल्स के लिए नई आवंटित 1600 श्रृंखला निर्धारित की गई है, जिसका क्रियान्वयन पहले से ही प्रगति पर है। इस बदलाव से ग्राहकों को कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन के आधार पर वाणिज्यिक संचार के प्रकार की आसानी से पहचान करने में सुविधा होगी।

घ. विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कड़े प्रावधान

(i) यदि एक्सेस प्रदाता इन विनियमों को लागू करने में विफल रहते हैं, तो चरणबद्ध ढंग से वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। यूसीसी की संख्या की गलत रिपोर्टिंग की स्थिति में, प्रथम उल्लंघन पर ₹ 2 लाख, द्वितीय उल्लंघन पर ₹ 5 लाख और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर ₹ 10 लाख का वित्तीय दंड लगाया जाएगा। ये वित्तीय दंड पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रेषकों के लिए अलग-अलग लगाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, ये वित्तीय दंड उन वित्तीय दंडों से अलग होंगे जो एक्सेस प्रदाताओं पर शिकायतों के अमान्य निस्तारण तथा संदेश शीर्षकों एवं सामग्री टेम्पलेट्स के पंजीकरण संबंधी दायित्वों को पूरा न करने पर लगाए जाते हैं।

(ii) एक्सेस प्रदाताओं को प्रेषकों और टेलीमार्केटर्स के लिए सुरक्षा जमा राशि निर्धारित करने की अनुमति दी गई है, जिसे विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में जब्त किया जा सकता है। इस प्रावधान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एक्सेस प्रदाताओं को सभी पंजीकृत प्रेषकों और टेलीमार्केटर्स के साथ एक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, साथ ही गैर-अनुपालन की स्थिति में उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयाँ सम्मिलित होंगी।

ङ. इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना

(i) एक्सेस प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करें, जिनमें असामान्य रूप से अधिक कॉल वॉल्यूम, छोटी कॉल अवधि और कम इनकमिंग-टू-आउटगोइंग कॉल अनुपात जैसे मापदंड शामिल हों। इससे रीयल टाइम में संभावित स्पैमर्स की पहचान करने में मदद मिलेगी।

(ii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए हनीपॉट्स (विशेष नंबर जो स्पैम कॉल्स और संदेशों को आकर्षित करके उनका लॉग रखते हैं) लागू करना अनिवार्य किया गया है, ताकि उभरते स्पैम रुझानों का विश्लेषण किया जा सके और संदिग्ध स्पैमर्स के विरुद्ध पूर्व-निवारक कार्रवाई की जा सके।

(iii) संशोधित विनियमों में प्रिंसिपल एंटिटी और टेलीमार्केटर के बीच मध्यस्थों की संख्या को सीमित किया गया है, ताकि संदेशों की पूर्ण ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। इससे वाणिज्यिक संचार में जवाबदेही बढ़ेगी।

(iv) पंजीकरण के दौरान प्रेषकों और टेलीमार्केटर्स को भौतिक सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और यूनिक मोबाइल नंबर लिंकिंग से गुजरना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, ऑपरेटरों को शिकायतों और प्रेषक विवरण का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, ताकि उल्लंघनकर्ताओं की शीघ्र पहचान कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

(v) वाणिज्यिक संचार में जवाबदेही बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा ने स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंटिटी - टेलीमार्केटर ट्रेसबिलिटी को अनिवार्य किया है। इससे प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेशों का निर्बाध ट्रैकिंग सुनिश्चित होगा, जिससे स्पैम और अनधिकृत वाणिज्यिक संचार का जोखिम कम होगा।

भादूविप्रा ने एक्सेस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे इन नए विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करें तथा उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर उन्हें अवरुद्ध करने हेतु सक्रिय उपाय अपनाएँ।

संशोधित विनियम भादूविप्रा को उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करने के साथ-साथ एक अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल संचार वातावरण को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाएँगे। सभी हितधारकों, जिनमें व्यवसाय एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता शामिल हैं, को सलाह दी जाती है कि वे निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अपनी प्रणालियों को संशोधित फ्रेमवर्क के अनुरूप करें।

TCCCPR-2018 प्रमुख संस्थाओं (PE) के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जो एक व्यक्ति, व्यवसाय या कानूनी संस्था है जो एक्सेस प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक संचार भेजती है। वे संस्थाएँ जो PE को एक्सेस प्रदाताओं से जुड़ने में सुविधा प्रदान करती हैं और विनियमों के तहत प्रदान की गई कार्यात्मकताएँ निष्पादित कर सकती हैं, पंजीकृत टेलीमार्केटर (RTM) कहलाती हैं। PE अपने वाणिज्यिक संचार पंजीकृत टेलीमार्केटर (RTM) के माध्यम से या सीधे एक्सेस प्रदाताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित और स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। PE और RTM किसी भी एक्सेस प्रदाता के साथ पंजीकृत हो सकते हैं और वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए किसी भी एक्सेस प्रदाता के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.7.2 प्रसारण क्षेत्र

क्र. सं.	विनियमों की सूची
1.	दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024।
2.	दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ सेवा गुणवत्ता मानक एवं उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024।

2.7.2.1 दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024

भादूविप्रा ने दिनांक 8 जुलाई 2024 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए। संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

(i) एचडी टेलीविज़न सेटों के प्रसार तथा उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री के प्रसारण को प्रोत्साहित करने हेतु, कैरिज शुल्क के उद्देश्य से एचडी और एसडी चैनलों के बीच भेद समाप्त कर दिया गया है।

(ii) कैरिज शुल्क प्रणाली को सरल एवं प्रौद्योगिकी-तटस्थ बनाया गया है, जिसके अंतर्गत केवल एकल उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इससे डीपीओ को आवश्यकता अनुसार कम कैरिज शुल्क लगाने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(iii) उपरोक्त उपायों से न केवल उपभोक्ताओं के लिए सेवा प्रदाताओं की पेशकश सरल होगी बल्कि उच्च-गुणवत्ता वाले चैनलों की उपलब्धता को भी बढ़ावा मिलेगा।

2.7.2.2 दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ सेवा गुणवत्ता मानक एवं उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024

भादूविप्रा ने दिनांक 8 जुलाई 2024 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ सेवा गुणवत्ता मानक एवं उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए। संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

(i) इंस्टॉलेशन एवं सक्रियण, विज़िटिंग, पुनर्स्थापन और अस्थायी निलंबन जैसी सेवाओं के लिए पहले विनियमों में निर्धारित प्रभार अब फॉरबियरेंस के अंतर्गत रखे गए हैं। डीपीओ को उपभोक्ताओं की स्पष्टता और पारदर्शिता हेतु अपनी सेवाओं के प्रभारों को प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

(ii) छोटे डीपीओ के लिए कुछ विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं में शिथिलता प्रदान की गई है।

(iii) उपभोक्ताओं की अधिक स्पष्टता के लिए सभी प्रीपेड सदस्यताओं की अवधि/टर्म/वैधता केवल दिनों की संख्या में निर्दिष्ट की जाएगी।

(iv) डीपीओ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों के लिए एम.आर.पी. के साथ-साथ वितरक खुदरा मूल्य प्रदर्शित कर सकते हैं।

(v) डीपीओ को प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों को ईपीजी में 'प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करना होगा, प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के सामने उसका संबंधित एम.आर.पी. प्रदर्शित करना होगा तथा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म सेवा के सक्रियण/निष्क्रियण का विकल्प उपलब्ध कराना होगा, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

2.8 टैरिफ आदेश

2.8.1 दूरसंचार क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए:

क्र. सं.	टैरिफ आदेशों की सूची
1.	दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2024 दिनांक 23 दिसंबर 2024।

2.8.1.1 दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2024 दिनांक 23 दिसंबर 2024

नियमित परामर्श प्रक्रिया और ओपन हाउस चर्चा के उपरांत, भादूविप्रा ने दिनांक 23 दिसंबर 2024 को दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2024 अधिसूचित किया, जिसमें टैरिफ आदेश में निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं:

दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की धारा 2 में -

(i) उप-धारा (डीए) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

(ii) उप-धारा (एमए) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

2.8.2 प्रसारण क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राधिकरण ने प्रसारण एवं केबल सेवाओं के क्षेत्र के लिए निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए:

क्र. सं.	टैरिफ आदेशों की सूची
1.	दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024।

2.8.2.1 दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024

भादूविप्रा ने दिनांक 8 जुलाई 2024 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 जारी किया। संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

(i) नेटवर्क क्षमता शुल्क पर ₹ 130 (200 चैनलों तक) तथा ₹ 160 (200 से अधिक चैनलों पर) की सीमा को हटा दिया गया है और इसे फॉरबियरेंस के अंतर्गत (विनियामक सीमा से मुक्त) रखा गया है, ताकि यह बाज़ार आधारित एवं समानता-आधारित बन सके। सेवा प्रदाता अब चैनलों की संख्या, विभिन्न क्षेत्रों, उपभोक्ता वर्गों या इनके किसी भी संयोजन के आधार पर अलग-अलग एनसीएफ निर्धारित कर सकते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे सभी प्रभारों का प्रकाशन सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और इन्हें उपभोक्ताओं को सूचित करने के साथ-साथ भादूविप्रा को भी रिपोर्ट करना होगा।

(ii) डीपीओ को अब अपने बुके तैयार करते समय अधिकतम 45% तक की छूट देने की अनुमति दी गई है, ताकि वे अधिक लचीलापन अपनाते हुए उपभोक्ताओं को आकर्षक ऑफ़र प्रदान कर सकें। पूर्व में यह छूट केवल 15% तक की अनुमति थी।

(iii) कोई भी पेड चैनल, जो सार्वजनिक सेवा प्रसारक के डीटीएच प्लेटफ़ॉर्म पर बिना किसी सदस्यता शुल्क के उपलब्ध है, उस चैनल के प्रसारक द्वारा सभी एड्रेसेबल वितरण प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी फ्री-टू-एयर घोषित किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

(iv) डीपीओ को अपनी प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के टैरिफ की घोषणा करना अनिवार्य किया गया है।

2.9 निर्देश

भादूविप्रा ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपने आदेशों/विनियमों के अनुपालन हेतु सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश एवं आदेश जारी किए:

2.9.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	निर्देशों की सूची
1.	दिनांक 26 अप्रैल 2024 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को सेवा गुणवत्ता मानक बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के अंतर्गत बेस स्टेशन का विवरण प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए।
2.	दिनांक 4 मई 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत वाणिज्यिक संचार हेतु वॉइस डीएलटी समाधान के कार्यान्वयन संबंधी निर्देश जारी किए गए।

क्र. सं.	निर्देशों की सूची
3.	दिनांक 24 जून 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के अंतर्गत मोबाइल ऐप्स एवं वेब पोर्टल्स के माध्यम से यूसीसी शिकायतों, वरीयताओं और सहमतियों के पंजीकरण को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने संबंधी निर्देश जारी किए गए।
4.	दिनांक 24 जून 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए।
5.	दिनांक 24 जुलाई 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रेषकों और अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने संबंधी आदेश/निर्देश जारी किए गए।
6.	दिनांक 13 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों के डिस्कनेक्शन एवं ब्लैकलिस्टिंग संबंधी निर्देश जारी किए गए।
7.	दिनांक 20 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए।
8.	दिनांक 30 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए।
9.	दिनांक 19 सितम्बर 2024 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 के अंतर्गत प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए।
10.	दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को सभी एक्सेस (वायरलेस) सेवा प्रदाताओं को एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 के अंतर्गत ऑडिट हेतु समय पर डेटा प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए।

क्र. सं.	निर्देशों की सूची
11.	दिनांक 28 अक्तूबर 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए।
12.	दिनांक 21 नवम्बर 2024 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नंबर रद्दीकरण सूची प्रकाशित बंद करने संबंधी आदेश जारी किए गए।
13.	दिनांक 22 नवम्बर 2024 को सभी एक्सेस (वायरलेस) सेवा प्रदाताओं को एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 के अंतर्गत सेवा-वार भू-स्थानिक (Geospatial) कवरेज मानचित्र प्रकाशित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए।
14.	दिनांक 30 नवम्बर 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए।
15.	दिनांक 3 जनवरी 2025 को, 19 सितम्बर 2024 के निर्देश (जो एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024 के अंतर्गत प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित था) में संशोधन संबंधी निर्देश जारी किए गए।

2.9.1.1 दिनांक 26 अप्रैल 2024 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को सेवा गुणवत्ता मानक बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के अंतर्गत बेस स्टेशन का विवरण प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने दिनांक 26 अप्रैल 2024 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया कि वे निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के इक्कीस (21) दिनों के भीतर पोर्टल (https://dcr.trai.gov.in/) के माध्यम से बेस स्टेशन का विवरण प्रस्तुत करें तथा विवरण प्रस्तुत करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

इसके पश्चात, यह निर्देश "एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024" के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।

2.9.1.2 दिनांक 4 मई 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत वाणिज्यिक संचार हेतु वॉइस डी.एल.टी. समाधान के कार्यान्वयन संबंधी निर्देश

प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) की उपधाराओं (आई) एवं (v) तथा विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 4 मई 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

(i) 140-स्तरीय नंबरिंग श्रृंखला के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (DLT) (डीएलटी) आधारित वॉइस समाधान को विनियमों के अनुसार लागू करना, जिसमें मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म से टेलीमार्केटर्स का माइग्रेशन तथा आचार संहिता का अद्यतन शामिल है, और यह कार्य इस निर्देश की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरा करना।

(ii) (1) सेवा एवं लेन-देन कॉल्स हेतु 160-स्तरीय नंबरिंग श्रृंखला के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी आधारित वॉइस समाधान का कार्यान्वयन योजना, विनियमों एवं दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदत्त नंबरिंग योजनाओं के अनुसार, इस निर्देश की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना; (2) सेवा एवं लेन-देन कॉल्स हेतु 160-स्तरीय नंबरिंग श्रृंखला के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (DLT) आधारित वॉइस समाधान को विनियमों एवं दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदत्त नंबरिंग योजनाओं के अनुसार लागू करना, जिसमें आचार संहिता का अद्यतन शामिल है, और यह कार्य इस निर्देश की तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरा करना।

2.9.1.3 दिनांक 24 जून 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के अंतर्गत मोबाइल ऐप्स एवं वेब पोर्टल्स के माध्यम से यूसीसी शिकायतों, वरीयताओं और सहमतियों के पंजीकरण को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 24 जून 2024 का दिशा-निर्देश सभी एक्सेस प्रदाताओं को इस आशय से जारी किया कि -

(i) ग्राहकों द्वारा यूसीसी (अवांछित वाणिज्यिक संचार) शिकायतों तथा वरीयता एवं सहमतियों के पंजीकरण/संशोधन हेतु विकल्प/हाइपरलिंक एक्सेस प्रदाताओं के मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल्स के मुख्य/होम पृष्ठ के पहले दृश्य पर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाएं;

(ii) एप में ऐसा प्रावधान हो जो ग्राहकों को अपने कॉल लॉग्स और अन्य आवश्यक विवरणों तक पहुँच की अनुमति देने के लिए प्रेरित करता हो; उन्हें ये अनुमतियां देने के लाभों की जानकारी देता हो और यह भी स्पष्ट करता हो कि इन अनुमतियों को देना अनिवार्य नहीं है; साथ ही उन्हें अपनी दी गई अनुमतियों की समीक्षा करने का विकल्प भी प्रदान करता हो।

(iii) यदि ग्राहकों ने अपने कॉल लॉग्स एवं अन्य आवश्यक विवरण तक पहुँच की अनुमति प्रदान की है, तो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) शिकायत दर्ज करते समय प्रेषक का नंबर/हेडर, यूसीसी की तिथि, एस.एम.एस. टेक्स्ट आदि जैसे आवश्यक विवरण स्वतः भर दिए जाएं।

(iv) शिकायतों के पंजीकरण के दौरान अमान्य प्रविष्टियों को रोकने हेतु बैकएंड पर आवश्यक वैलिडेशन लागू किए जाएं, जैसे कि प्रेषक के अमान्य/ग़लत नंबर/हेडर की प्रविष्टि; तथा

(v) कोड ऑफ प्रैक्टिस को अद्यतन किया जाए और इस दिशा-निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट, दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

2.9.1.4 दिनांक 24 जून 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए

दिनांक 15 फरवरी 2021 के पत्र संख्या D-27/1/(1)/2021-QoS के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों और रिपोर्टों से संबंधित जानकारी की समीक्षा करते समय, प्राधिकरण ने यह पाया कि विभिन्न प्रविष्टियाँ भरने की प्रक्रिया में एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में एकरूपता का अभाव है और शिकायतों के निस्तारण के विश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है, अतः प्राधिकरण का यह मत है कि-

(i) निष्पादन निगरानी (परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग) रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है ताकि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा यूसीसी (अवांछित वाणिज्यिक संचार) पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के समग्र प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी की जा सके;

(ii) निष्पादन निगरानी (परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग) रिपोर्ट के सभी डेटा फ़ील्ड्स को मानकीकृत विकल्पों के साथ भरा जाना चाहिए; तथा

(iii) बेहतर विश्लेषण हेतु, रिपोर्ट को अलग-अलग रूप से विभाजित किया जाना चाहिए - पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) से संबंधित शिकायतें, अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) से संबंधित शिकायतें, तथा तृतीय यूटीएम उल्लंघन के कारण ब्लैकलिस्ट/डिसकनेक्ट किए गए मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर/एसआईपी/पीआरआई से संबंधित जानकारी।

(iv) परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए अलग-अलग तैयार की जाती है परंतु तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती रही है। ये रिपोर्ट अब प्रत्येक कैलेंडर माह के पश्चात प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अतः प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत, सभी एक्सेस प्रदाताओं (बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित) को यह दिशा-निर्देश जारी किया कि वे, दिनांक 15 फरवरी 2021 के पत्र संख्या डी-27/1/(1)/2021-क्यूओएस के अनुबंधों में निर्दिष्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रारूपों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट के साथ-साथ, इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक VII, VIII, IX और X में निर्दिष्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रारूपों के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर माह की पृथक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जो आवधिक रिपोर्टिंग हेतु मानक आचार संहिता का एक हिस्सा होगी। ये रिपोर्ट जुलाई 2024 माह की रिपोर्ट से प्रारंभ होकर प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के दस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.9.1.5 दिनांक 24 जुलाई 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रेषकों और अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने संबंधी आदेश/निर्देश जारी किए गए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के प्रावधानों के साथ पठित, प्राधिकरण ने दिनांक 24 जुलाई 2024 के दिशा-निर्देश सभी एक्सेस प्रदाताओं को जारी किए कि वे इस आदेश की निर्गम तिथि से पाँच कार्य दिवसों के भीतर निम्नलिखित जानकारी की विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी प्राधिकरण को प्रस्तुत करें :-

(i) अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध यूटीएम (अपंजीकृत टेलीमार्केटर) नंबरों से संबंधित विवरण, उक्त अनुलग्नक में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, एम.एस.-एक्सेल प्रारूप में; तथा

(ii) अप्रैल-जून 2024 तिमाही के दौरान जिन पच्चीस (25) प्रेषकों के विरुद्ध सर्वाधिक संख्या में यूटीएम शिकायतें दर्ज की गई हैं, उनसे संबंधित विवरण, अनुलग्नक-2 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, एमएस-एक्सेल प्रारूप में, साथ ही उन प्रेषकों को आबंटित दूरसंचार संसाधनों से संबंधित जानकारी।

2.9.1.6 दिनांक 13 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों के डिस्कनेक्शन एवं ब्लैकलिस्टिंग संबंधी निर्देश जारी किए गए

"भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (v) के साथ पठित प्रावधानों एवं दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 13 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं के लिए यह निर्देश जारी किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि -

क. अपंजीकृत प्रेषकों/अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) द्वारा दूरसंचार संसाधनों (एसआईपी, पीआरआई तथा अन्य दूरसंचार संसाधन) का उपयोग करके की जाने वाली सभी प्रोमोशनल वॉइस कॉल्स को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

ख. यदि कोई अपंजीकृत प्रेषक/अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) अपने दूरसंचार संसाधनों (एसआईपी, पीआरआई तथा अन्य दूरसंचार संसाधन) का दुरुपयोग करते हुए विनियमों का उल्लंघन कर वाणिज्यिक वॉइस कॉल करता पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रेषक को आबंटित किसी एक या अधिक संसाधन संकेतकों के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त होती हैं-

(i) ऐसे प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों को, विनियमन के विनियम 25 के प्रावधानों के अनुसार, मूल एक्सेस प्रदाता (ओएपी) द्वारा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा;

(ii) ऐसे प्रेषक को, विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, मूल एक्सेस प्रदाता (ओएपी) द्वारा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा;

(iii) प्रेषक को ब्लैकलिस्ट करने से संबंधित जानकारी, डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म पर, ओएपी द्वारा 24 घंटों के भीतर अन्य सभी एक्सेस प्रदाताओं के साथ साझा की जाएगी, जो तत्पश्चात अगले 24 घंटों के भीतर उस प्रेषक को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को डिसकनेक्ट कर देंगे;

(iv) ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान, विनियमों में प्रदत्त अनुसार, किसी भी एक्सेस प्रदाता द्वारा ऐसे प्रेषक को कोई नया दूरसंचार संसाधन आबंटित नहीं किया जाएगा।

ग. सभी अपंजीकृत प्रेषक/अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम), जो एसआईपी, पीआरआई एवं अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करते हुए नागरिकों को वाणिज्यिक वॉइस कॉल करते हैं, उन्हें इस दिशा-निर्देश के निर्गमन की तिथि से एक माह के भीतर डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट किया जाएगा और उसके सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (सीओपी में किए गए अद्यतनों सहित) इस दिशा-निर्देश के निर्गमन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अग्रेषित करने, और तत्पश्चात प्रत्येक माह की 1 एवं 16 तारीख को यूटीएम के विरुद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देशित किया गया।

2.9.1.7 दिनांक 20 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरूपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 20 अगस्त 2024 के दिशा-निर्देश सभी एक्सेस प्रदाताओं को जारी किए कि वे यह सुनिश्चित करें कि -

क. डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म पर 140xxx नंबरिंग श्रृंखला का एंड-टू-एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें मौजूदा टेलीमार्केटर्स का माइग्रेशन और कॉल्स की स्क्रबिंग विनियमों के अनुसार शामिल है, दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए;

ख. दिनांक 15 सितम्बर 2024 से प्रभावी, ऐसे ट्रैफ़िक की अनुमति न दी जाए जिसमें यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक्स/कॉल बैक नंबर शामिल हों, जो व्हाइटलिस्टेड न हों;

ग. प्रिंसिपल एंटिटीज़ से प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले संदेश ट्रेस करने योग्य हों और दिनांक 1 नवम्बर 2024 से प्रभावी, ऐसे सभी संदेश, जिनमें टेलीमार्केटर्स की श्रृंखला परिभाषित न हो या मेल न खाती हो, अस्वीकार कर दिए जाएं;

घ. जब भी हेडर्स और/या कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरूपयोग का पता चले या इसकी सूचना मिले-

(i) संबंधित प्रेषक से आने वाले ट्रैफ़िक को सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा तत्काल निलंबित कर दिया जाए, जब तक कि प्रेषक अपने हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स के ऐसे दुरूपयोग के संबंध में, देश के कानून के अंतर्गत, विधि प्रवर्तन एजेंसी के पासपास शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज न करा दे, और प्रेषक अपने सभी हेडर्स तथा कंटेंट टेम्पलेट्स की समीक्षा करके, उनके दुरूपयोग को रोकने हेतु विनियमों के अनुसार सुधारात्मक कदम न उठा ले;

(ii) डिलीवरी-टेलीमार्केटर उस इकाई की पहचान करे जिसने ऐसे हेडर्स या कंटेंट टेम्पलेट्स से संबंधित ट्रैफ़िक को नेटवर्क में डाला है, और उस इकाई के विरुद्ध, जो किसी अन्य इकाई के हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स का दुरूपयोग कर रही है, देश के कानून के अंतर्गत, विधि प्रवर्तन एजेंसी के पासपास दो कार्य दिवसों के भीतर शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज करे।

यदि डिलीवरी-टेलीमार्केटर ऐसा करने में विफल रहता है, तो मूल एक्सेस प्रदाता उस संबंधित डिलीवरी-टेलीमार्केटर के विरुद्ध शिकायत/एफआईआर दर्ज करे, और संबंधित डिलीवरी-टेलीमार्केटर से आने वाले ट्रैफ़िक को सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा तत्काल निलंबित कर दिया जाए, जब तक कि डिलीवरी-टेलीमार्केटर द्वारा शिकायत/एफआईआर दर्ज न करा दी जाए; और उस इकाई, जिसने ट्रैफ़िक को आगे बढ़ाया है, को मूल एक्सेस प्रदाता तथा अन्य सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।

ङ. जब किसी कंटेंट टेम्पलेट को ग़लत श्रेणी में पंजीकृत करने के कारण शिकायत दर्ज होती है, तो उस कंटेंट टेम्पलेट को मूल एक्सेस प्रदाता द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए; और यदि ऐसे प्रेषक के पाँच कंटेंट टेम्पलेट्स ग़लत श्रेणी में पंजीकरण के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, तो ओएपी उस प्रेषक की सेवाओं को एक माह के लिए या तब तक निलंबित कर दे जब तक कि प्रेषक के सभी कंटेंट टेम्पलेट्स का पुनः सत्यापन न हो जाए - जो भी बाद में हो।

च. कोई भी कंटेंट टेम्पलेट एक से अधिक हेडर से लिंक न हो।

छ. डीएलटी पर पंजीकृत सभी हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स, इस दिशा-निर्देश की निर्गम तिथि से 30 दिनों के भीतर, विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

सभी एक्सेस प्रदाताओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (सीओपी के अद्यतन सहित) इस दिशा-निर्देश की निर्गम तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

2.9.1.8 दिनांक 30 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरूपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (b) के उपखंड (i) और (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 30 अगस्त 2024 के दिशा-निर्देश सभी एक्सेस प्रदाताओं को जारी किए कि वे यह सुनिश्चित करें कि -

क. डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म पर 140xxx नंबरिंग श्रृंखला का एंड-टू-एंड कार्यान्वयन, जिसमें मौजूदा टेलीमार्केटर्स का माइग्रेशन और कॉल्स की स्क्रबिंग विनियमों के अनुसार शामिल है, 30 सितम्बर 2024 तक हर हाल में पूरा किया जाए;

ख. दिनांक 1 सितम्बर 2024 से प्रभावी, ऐसे ट्रैफ़िक की अनुमति न दी जाए जिसमें यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक्स/कॉल बैक नंबर शामिल हों, जो व्हाइटलिस्टेड न हों;

ग. प्रिंसिपल एंटिटीज़ से प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले संदेश ट्रेस करने योग्य हों और दिनांक 1 नवम्बर 2024 से प्रभावी, ऐसे सभी संदेश, जिनमें टेलीमार्केटर्स की श्रृंखला परिभाषित न हो या मेल न खाती हो, अस्वीकार कर दिए जाएं;

घ. जब भी हेडर्स और/या कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरूपयोग का पता चले या इसकी सूचना मिले -

(i) संबंधित प्रेषक से आने वाले ट्रैफ़िक को सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा तत्काल निलंबित कर दिया जाए, जब तक कि प्रेषक अपने हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स के ऐसे दुरुपयोग के संबंध में, देश के कानून के अंतर्गत, विधि प्रवर्तन एजेंसी के पासपास शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज न करा दे, और प्रेषक अपने सभी हेडर्स तथा कंटेंट टेम्पलेट्स की समीक्षा करके, उनके दुरुपयोग को रोकने हेतु विनियमों के अनुसार सुधारात्मक कदम न उठा ले;

(ii) डिलीवरी-टेलीमार्केटर उस इकाई की पहचान करे जिसने ऐसे हेडर्स या कंटेंट टेम्पलेट्स से संबंधित ट्रैफ़िक को नेटवर्क में डाला है, और उस इकाई के विरुद्ध, जो किसी अन्य इकाई के हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स का दुरुपयोग कर रही है, देश के क़ानून के अंतर्गत, विधि प्रवर्तन एजेंसी के पास दो कार्य दिवसों के भीतर शिकायत/एफआईआर दर्ज करे। यदि डिलीवरी-टेलीमार्केटर ऐसा करने में विफल रहता है, तो मूल एक्सेस प्रदाता उस संबंधित डिलीवरी-टेलीमार्केटर के विरुद्ध शिकायत/एफआईआर दर्ज करे, और संबंधित डिलीवरी-टेलीमार्केटर से आने वाले ट्रैफ़िक को सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा तत्काल निलंबित कर दिया जाए, जब तक कि डिलीवरी-टेलीमार्केटर द्वारा शिकायत/एफआईआर दर्ज न कराई जाए; तथा जिस इकाई ने ट्रैफ़िक को आगे बढ़ाया है, उसे मूल एक्सेस प्रदाता तथा अन्य सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।

ङ. जब किसी कंटेंट टेम्पलेट को ग़लत श्रेणी में पंजीकृत करने के कारण शिकायत दर्ज होती है, तो उस कंटेंट टेम्पलेट को मूल एक्सेस प्रदाता द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए; और यदि ऐसे प्रेषक के पाँच कंटेंट टेम्पलेट्स ग़लत श्रेणी में पंजीकरण के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, तो ओएपी उस प्रेषक की सेवाओं को एक माह के लिए या तब तक निलंबित कर दे जब तक कि प्रेषक के सभी कंटेंट टेम्पलेट्स का पुनः सत्यापन न हो जाए - जो भी बाद में हो।

च. कोई भी कंटेंट टेम्पलेट एक से अधिक हेडर से लिंक न हो।

छ. डीएलटी पर पंजीकृत सभी हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स, इस दिशा-निर्देश की निर्गम तिथि से 30 दिनों के भीतर, विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

सभी एक्सेस प्रदाताओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (सीओपी के अद्यतन सहित) इस दिशा-निर्देश की निर्गम तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2.9.1.9 दिनांक 19 सितम्बर 2024 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 के अंतर्गत प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने दिनांक 19 सितम्बर 2024 के दिशा-निर्देश के माध्यम से सभी सेवा प्रदाताओं को, जिनके पास (i) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस; (ii) एक्सेस सेवा हेतु प्राधिकरण सहित यूनिफाइड लाइसेंस; (iii) किसी भी लाइसेंस के अंतर्गत इंटरनेट सर्विस ऑथराईजेशन; तथा (iv) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक्सेस अथवा ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने का प्राधिकरण है, यह निर्देश दिया कि वे निम्नांकित को प्रस्तुत करें-

(i) एक्सेस सेवा (वायरलेस) के संबंध में, अनुपालन रिपोर्ट इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, संबंधित तिमाही या माह की समाप्ति से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए; तथा महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज की रिपोर्ट, इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, आउटेज प्रारंभ होने के 24 घंटों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

(ii) एक्सेस सेवा (वायरलाइन) के संबंध में, अनुपालन रिपोर्ट इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-III में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, संबंधित तिमाही की समाप्ति से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

(iii) ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा के संबंध में, अनुपालन रिपोर्ट इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, संबंधित तिमाही की समाप्ति से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए; और रिपोर्ट को प्राधिकरण को प्रस्तुत करते समय इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-V में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

यह दिशा-निर्देश दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुआ।

2.9.1.10 दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को सभी एक्सेस (वायरलेस) सेवा प्रदाताओं को एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 के अंतर्गत ऑडिट हेतु समय पर डेटा प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने दिनांक 24 अक्टूबर 2024 के दिशा-निर्देश के माध्यम से, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत लाइसेंस या ऑथराइजेशन के आधार पर एक्सेस (वायरलेस) सेवा प्रदान कर रहे सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि:-

(i) प्राधिकरण को, अथवा प्राधिकरण के अधिकारियों या कर्मचारियों को, अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त ऑडिट एजेंसी को, ऑडिट के उद्देश्य से आवश्यक आंकड़े, इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, मासिक आधार पर, प्रत्येक माह की समाप्ति से दस (10) दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑडिट एजेंसी या प्राधिकरण के अधिकारी अथवा कर्मचारी, महीने अथवा तिमाही में निर्दिष्ट क्यूओएस पैरामीटरों पर संबंधित काउंटर या अलार्म आदि से लाइव क्यूओएस प्रदर्शन आंकड़े डाउनलोड करने की सुविधा एवं एक्सेस आवश्यकतानुसार लगातार तीन दिनों तक प्राप्त कर सकें, तथा

(iii) ऑडिट के उद्देश्य से आंकड़े प्रस्तुत करते समय, विनियमों की विनियम 14 के प्रावधानों के अंतर्गत, इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

2.9.1.11 दिनांक 28 अक्तूबर 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए

एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उठाए गए क्रियान्वयन-संबंधी मुद्दों की समग्र समीक्षा के उपरांत, प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत और दिनांक 20 अगस्त 2024 के दिशा-निर्देश संख्या डी-27/1/(2)/2024-क्यू.ओ.एस. (ई-13563) के पैरा 10(सी) में आंशिक संशोधन करते हुए, सभी एक्सेस प्रदाताओं को यह निर्देश दिया कि वे -

(i) यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रिंसिपल एंटिटीज़ और टेलीमार्केटर्स यथाशीघ्र पीई-टीएम चेन बाइंडिंग पूरी हो ताकि संदेशों के प्रसारण में व्यवधान न हो;

(ii) पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग प्रक्रिया तथा इस संबंध में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रिंसिपल एंटिटीज़ और टेलीमार्केटर्स को सूचित, शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए वेबिनार, ईमेल और अन्य माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाएं;

(iii) ऐसे डिफॉल्ट करने वाले प्रिंसिपल एंटिटीज़ और टेलीमार्केटर्स, जो आवश्यक पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग परिभाषित किए बिना अथवा अपने सिस्टम को अपग्रेड किए बिना संदेश भेजते रहते हैं, को प्रतिदिन चेतावनी जारी करें कि वे शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाएं; अन्यथा एक्सेस प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 30 नवम्बर 2024 से ऐसे कोई भी संदेश प्रसारित न किए जाएं;

(iv) प्राधिकरण को, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक, श्रृंखला-बाइंडिंग प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले अथवा अनुपालन न करने वाले संदेशों के संबंध में दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(v) दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से ऐसे संदेशों को अस्वीकार करें जिनमें पूरी श्रृंखला परिभाषित न हो या पूर्व-परिभाषित श्रृंखला से मेल न खाती हो।

दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के दिशा-निर्देश के माध्यम से, सभी एक्सेस प्रदाताओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (आचार संहिता - सीओपीएस के अद्यतन सहित) इस दिशा-निर्देश की निर्गम तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2.9.1.12 दिनांक 21 नवम्बर 2024 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नंबर रद्दीकरण सूची प्रकाशित बंद करने संबंधी आदेश जारी किए गए

चूँकि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नंबर रिवोकेशन सूची को डिजिटल सूचना पोर्टल पर हितधारकों के लिए लगभग वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध करा दिया है, अतः प्राधिकरण का मत है कि अपनी एमएनआरएल पोर्टल पर एमएनआरएल प्रकाशित करने की अब आवश्यकता नहीं है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और 'मोबाइल नंबर रिवोकेशन सूची के प्रकाशन हेतु फ्रेमवर्क' विषय पर दिनांक 20 नवम्बर 2019 के प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए, प्राधिकरण दिनांक 21 नवम्बर 2024 के आदेश द्वारा वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाताओं को यह आदेश देता है कि वे -

(i) प्राधिकरण के 'एमएनआरएल पोर्टल' पर 'मोबाइल नंबर रिवोकेशन सूची' का प्रकाशन जनवरी 2025 माह के बाद बंद कर दिया जाए। दिनांक 8 फरवरी 2025 तक एमएनआरएल पोर्टल पर प्रकाशित की जाने वाली अंतिम सूची होगी।

(ii) एमएनआरएल पोर्टल दिनांक 30 जून 2025 तक चालू रहेगा और दिसम्बर 2019 से जनवरी 2025 की अवधि का डेटा एमएनआरएल पोर्टल पर आर्काइव किया जाएगा तथा दिनांक 30 जून 2025 तक डाउनलोडिंग हेतु उपलब्ध रहेगा।

दिनांक 21 नवम्बर 2024 के आदेश के माध्यम से सभी वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाताओं एवं सभी संबंधित पक्षों को प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने तथा अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

2.9.1.13 दिनांक 22 नवम्बर 2024 को सभी एक्सेस (वायरलेस) सेवा प्रदाताओं को एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 के अंतर्गत सेवा-वार भू-स्थानिक (Geospatial) कवरेज मानचित्र प्रकाशित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने दिनांक 22 नवम्बर 2024 के दिशा-निर्देश के माध्यम से सभी एक्सेस सेवा (वायरलेस) प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिया कि वे उन भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, जहाँ उपभोक्ताओं के लिए वायरलेस वॉइस या वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा सदस्यता हेतु उपलब्ध है, के संबंध में अपनी वेबसाइट पर सेवा-वार (2G/3G/4G/5G) भू-स्थानिक (जियोस्पैशियल) कवरेज मानचित्र प्रकाशित करें। यह प्रकाशन, दिनांक 2 अगस्त 2024 को दिनांकित "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवाओं की गुणवत्ता मानक विनियमन, 2024" की विनियम 15 की उप-विनियम (3) के प्रावधान के अनुसार, इस दिशा-निर्देश के अनुलग्नक में संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

2.9.1.14 दिनांक 30 नवम्बर 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत हेडर्स एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों संबंधी निर्देश जारी किए गए

भादूविप्रा ने पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग प्रक्रिया के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के उपरांत, सभी एक्सेस प्रदाताओं को यह निर्देश दिया कि वे:

(i) यह सुनिश्चित करें कि पीई और टीएम शीघ्रता से पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग पूरी हो ताकि सेवा व्यवधान न हो।

(ii) उन पीई और टीएम, जो पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग लागू करने या अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में विफल रहते हैं, को प्रतिदिन चेतावनी जारी करना जारी रखें और उन्हें सूचित करें कि यदि शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो दिनांक 11 दिसम्बर 2024 से संदेशों का प्रसारण अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

(iii) एक्सेस प्रदाता प्राधिकरण को चेन बाइंडिंग आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित संदेशों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना जारी रखें।

(iv) दिनांक 11 दिसम्बर 2024 से उन संदेशों को अस्वीकार करें जिनमें पूर्ण श्रृंखला परिभाषित न हो या पूर्व-परिभाषित श्रृंखला से मेल न खाती हो।

दिनांक 30 नवम्बर 2024 के दिशा-निर्देश के माध्यम से, सभी एक्सेस प्रदाताओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (आचार संहिता - सीओपीएस के अद्यतन सहित) इस दिशा-निर्देश की निर्गम तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2.9.1.15 दिनांक 3 जनवरी 2025 को, 19 सितम्बर 2024 के निर्देश (जो एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024 के अंतर्गत प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित था) में संशोधन संबंधी निर्देश जारी किए गए

प्राधिकरण ने, दिनांक 3 जनवरी 2025 के दिशा-निर्देश के माध्यम से निर्देशित किया कि दिनांक 19 सितम्बर 2024 के दिशा-निर्देश के अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-IV और अनुलग्नक-V को इस दिशा-निर्देश के साथ संलग्न अनुलग्नक-क, ख और ग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण विस्तार से नीचे दिया गया है: -

(i) अनुलग्नक-I के स्थान पर अनुलग्नक-क प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें एक्सेस सेवा (वायरलेस) के लिए निर्दिष्ट प्रारूप शामिल होगा, जिसके अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन रिपोर्ट, संबंधित तिमाही या माह की समाप्ति से पंद्रह (15) दिनों के भीतर, जैसा भी लागू हो, प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) अनुलग्नक-IV के स्थान पर अनुलग्नक-ख प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा के लिए निर्दिष्ट प्रारूप शामिल होगा, जिसके अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन रिपोर्ट, संबंधित तिमाही की समाप्ति से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) अनुलग्नक-V के स्थान पर अनुलग्नक-ग प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें वे दिशानिर्देश शामिल होंगे जिनका सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा।

2.9.2 प्रसारण क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रसारण क्षेत्र के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए।

2.10 परामर्श पत्र

वर्ष 2024-25 के दौरान, भादूविप्रा ने विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित परामर्श पत्र जारी किए:

2.10.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र. सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1.	"आई.एम.टी. हेतु पहचाने गए 37-37.5 गीगाहट्र्ज़, 37.5-40 गीगाहट्र्ज़ और 42.5-43.5 गीगाहट्र्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर दिनांक 4 अप्रैल 2024 का परामर्श पत्र।
2.	"राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" विषय पर दिनांक 6 जून 2024 का परामर्श पत्र।
3.	"एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं से संबंधित मुद्दे और एम2एम सिम्स के स्वामित्व का हस्तांतरण" विषय पर दिनांक 24 जून 2024 का परामर्श पत्र।
4.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क " विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2024 का परामर्श पत्र।
5.	"दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन, 2012 की समीक्षा" विषय पर दिनांक 26 जुलाई 2024 का परामर्श पत्र।
6.	"ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024" विषय पर दिनांक 23 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र।

क्र. सं.	परामर्श पत्रों की सूची
7.	"दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 की समीक्षा" विषय पर दिनांक 28 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र।
8.	"कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आबंटन की शर्तें एवं नियम" विषय पर दिनांक 27 सितम्बर 2024 का परामर्श पत्र।
9.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेसंश की शर्तें एवं नियम" विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का परामर्श पत्र।
10.	"ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025" विषय पर दिनांक 15 जनवरी 2025 का परामर्श पत्र।

2.10.1.1 "आई.एम.टी. हेतु पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर दिनांक 4 अप्रैल 2024 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 2 अगस्त 2023 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) से यह अनुरोध किया कि -

(i) आई.एम.टी. हेतु 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़, 26 गीगाहर्ट्ज़, 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगा तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा तथा संबद्ध शर्तों पर अनुशंसाएं प्रदान करना।

(ii) उपर्युक्त आवृत्ति बैंड्स में स्पेक्ट्रम नीलामी के उद्देश्य से अन्य कोई भी उपयुक्त अनुशंसाएं प्रदान करना, जिनमें नवीनतम एनएफ़एपी/आईटीयू रेडियो विनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में वर्णित विनियामक एवं तकनीकी आवश्यकताएँ भी शामिल हों।

विस्तृत परीक्षण के उपरान्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 1 सितम्बर 2023 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को प्रतिक्रिया भेजी। मौजूद स्पेक्ट्रम बैंड, जैसे 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ के संबंध में भादूविप्रा ने 11 अप्रैल 2022 की "आईएमटी/5G हेतु चिन्हित आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी" संबंधी अनुशंसाओं के अनुच्छेद 6.42 (ii) में निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य (रिज़र्व प्राइस) की अनुशंसा को पुनः दोहराया। नव-संदर्भित स्पेक्ट्रम बैंड, अर्थात् 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ के संदर्भ में, भादूविप्रा ने डीओटी को यह अवगत कराया कि प्राधिकरण अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु एक परामर्श प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

इस संबंध में, "आईएमटी हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी" परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर हितधारकों से अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियाँ दिनांक 2 मई 2024 तक तथा प्रति-टिप्पणियाँ दिनांक 16 मई 2024 तक आमंत्रित की गईं।

"आईएमटी हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज़, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज़ तथा 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडों में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.2 "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" विषय पर दिनांक 6 जून 2024 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से दिनांक 29 सितम्बर 2022 का रेफरेंस पत्र संख्या 16-16/2022-एएस-III/123/233 प्राप्त हुआ, जिसमें तीव्र वृद्धि और संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के चलते पर्याप्त फ़िक्स्ड लाइन नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित बाधाओं का समाधान करने हेतु अनुशंसाएं मांगी गई थीं। तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 6 जून 2024 को हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, टीआई संसाधनों के आबंटन और उपयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। यह आबंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु संभावित संशोधनों का भी प्रस्ताव करता है, ताकि टीआई संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित रहे।

"राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.3 "एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं से संबंधित मुद्दे और एम2एम सिम्स के स्वामित्व का हस्तांतरण" विषय पर दिनांक 24 जून 2024 का परामर्श पत्र।

पूर्व में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2024 के रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह निम्नलिखित विषय पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, पुनर्विचारित अनुशंसाएं प्रदान करे -

(i) एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं की पहचान।

(ii) एम2एम सिम्स के स्वामित्व का हस्तांतरण।

इस संबंध में, "एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं से संबंधित मुद्दे, और एम2एम सिम्स के स्वामित्व का हस्तांतरण" विषय पर परामर्श पत्र दिनांक 24 जून 2024 को जारी किया गया, जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 22 जुलाई 2024 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 5 अगस्त 2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं से संबंधित मुद्दे, और एम2एम सिम्स के स्वामित्व का हस्तांतरण" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.4 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2024 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21 जून 2024 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है; अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत, दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने का इरादा रखने वाली किसी भी इकाई/व्यक्ति के लिए, विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों (जिसमें शुल्क या प्रभार शामिल हैं) के अधीन, ऑथराईजेशन्स प्राप्त करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में डीओटी ने संबद्ध पक्षों पर एक बैकग्राउंड नोट भी साझा किया, जिसमें नए अधिनियम की वे प्रासंगिक धाराएँ सम्मिलित थीं, जिनका ऑथराईजेशन्स की नियम एवं शर्तों पर प्रभाव हो सकता है।

दिनांक 21 जून 2024 के उक्त पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) (यथा संशोधित) के तहत, डीओटी ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप, दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑथराईजेशन्स के लिए नियम एवं शर्तों-जिसमें शुल्क या प्रभार शामिल हों - पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करे।

इस संबंध में, "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया गया, जिसमें हितधारकों से दिनांक 1 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 8 अगस्त 2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.5 "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन, 2012 की समीक्षा" विषय पर दिनांक 26 जुलाई 2024 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 26 जुलाई 2024 को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से दिनांक 16 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 23 अगस्त 2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.6 "ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024" विषय पर दिनांक 23 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 23 अगस्त 2024 को "ड्राफ्ट दूरसंचार शुल्क (सत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2024" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से दिनांक 6 सितम्बर 2024 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 13 सितम्बर 2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"ड्राफ्ट दूरसंचार शुल्क (सत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2024" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.7 "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 की समीक्षा" विषय पर दिनांक 28 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 28 अगस्त 2024 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

टीसीसीसीपीआर-2018 को फरवरी 2019 में अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या का समाधान करने हेतु लागू किया गया था। इन विनियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अवांछित प्रचारक कॉल और संदेशों से सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही व्यवसायों को केवल उन ग्राहकों को लक्षित संचार भेजने की अनुमति देना है जिन्होंने इसके लिए सहमति दी हो अथवा वरीयता निर्धारित की हो। विनियामक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के दौरान कुछ समस्याएँ सामने आई हैं। यह परामर्श पत्र उन समस्याओं को उजागर करने के लिए लाया गया है जो कार्यान्वयन के दौरान देखी गईं और जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मुद्दों से संबंधित विनियमों के प्रावधानों में संशोधन आवश्यक हो सकता है। परामर्श पत्र में चर्चा किए गए मुद्दों की व्यापक श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं-

(i) वाणिज्यिक संचार की परिभाषाएँ।

(ii) शिकायत निवारण से संबंधित प्रावधान।

(iii) यूसीसी डिटेक्ट प्रणाली तथा उससे संबंधित कार्यवाही।

(iv) वित्तीय दंड से संबंधित प्रावधान।

(v) प्रेषक और दूरसंचार विपणक से संबंधित प्रावधान।

(vi) प्रेषकों द्वारा की गई उच्च संख्या में वॉयस कॉल और एसएमएस का विश्लेषण।

भादूविप्रा ने विनियमों को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए, जिनमें अवांछित कॉलों के माध्यम से जनता को परेशान करने वाले अपंजीकृत दूरसंचार विपणकों (यूटीएम) के विरुद्ध कठोर प्रावधान, शिकायत निवारण तंत्र में सुधार, यूसीसी का पता लगाने की अधिक प्रभावी प्रणालियाँ, विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिक कठोर वित्तीय दंड, तथा प्रेषकों और दूरसंचार विपणकों के लिए संशोधित विनियम शामिल हैं। इस पत्र में वॉइस कॉल और एसएमएस पर भिन्न-भिन्न शुल्क (डिफरेंशियल टैरिफ) लगाने की संभावना का भी परीक्षण किया गया है ताकि यूसीसी को हतोत्साहित किया जा सके।

"दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2018 की समीक्षा" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.8 "कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आबंटन की शर्तें एवं नियम" विषय पर दिनांक 27 सितम्बर 2024 का परामर्श पत्र

पूर्व में, दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने दिनांक 13 सितम्बर 2021 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से, अन्य बातों के साथ, अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अनुशंसाएं देने का अनुरोध किया था। इस संबंध में प्राधिकरण ने दिनांक 27 सितम्बर 2021 और दिनांक 23 नवम्बर 2021 के पत्रों के माध्यम से डीओटी से अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं से संबंधित कुछ सूचनाएँ माँगीं। इसके प्रतिक्रिया में, डीओटी ने दिनांक 16 अगस्त 2022 के पत्र द्वारा आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई। डीओटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 6 अप्रैल 2023 को "अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

इस बीच, दिसम्बर 2023 में दूरसंचार अधिनियम 2023 लागू हो गया। कुछ उपग्रह-आधारित सेवाओं के संबंध में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के आलोक में, भादूविप्रा ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के पत्र के माध्यम से डीओटी को सूचित किया कि - "दूरसंचार विभाग द्वारा अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु ट्राई से अपनी सिफ़ारिशें प्रदान करने के अनुरोध पर दूरसंचार विभाग द्वारा समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, दूरसंचार विभाग से अनुरोध है कि वह उन विशिष्ट मुद्दों की जानकारी प्रदान करे जिन पर ट्राई की सिफ़ारिशें आवश्यक हैं"।

इसके प्रतिक्रिया में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11 जुलाई 2024 के एक नए रेफरेंस पत्र के माध्यम से कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 4 और प्रथम अनुसूची के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तथा भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, भादूविप्रा से अनुरोध किया गया कि वह स्पेक्ट्रम आबंटन की शर्तों एवं नियमों पर, जिसमें स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण भी शामिल है, अपनी अनुशंसाएं दे, और साथ ही टेरेसट्रियल एक्सेस सेवाओं के साथ समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करने पर भी विचार करे, विशेष रूप से निम्नलिखित उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं के लिए -(i) एनजीएसओ आधारित फिक्स्ड सैटेलाइट सेवाएँ, जो डाटा संचार और इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करती हैं। अपनी अनुशंसाओं में, भादूविप्रा जीएसओ आधारित उपग्रह संचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर भी विचार कर सकता है। (ii) जीएसओ/एनजीएसओ आधारित मोबाइल सैटेलाइट सेवाएँ, जो वॉइस, टेक्स्ट, डाटा और इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करती हैं।

इस संदर्भ में, "कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आबंटन की शर्तें एवं नियम" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया, जिसके संबंध में हितधारकों से दिनांक 18 अक्टूबर 2024 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 25 अक्टूबर 2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आबंटन की शर्तें एवं नियम" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.9 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क ऑथराइजेशन की शर्तें एवं नियम" विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 26 जुलाई 2024 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। अधिनियम की धारा 3(1)(ख) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण अथवा विस्तार करना चाहता है, उसे ऑथराइजेशन प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो निर्धारित शर्तों एवं नियमों सहित, शुल्क या प्रभारों के अधीन होगा। उक्त दिनांक 26 जुलाई 2024 के पत्र के माध्यम से, डीओटी ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत भादूविप्रा से यह अनुरोध किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण अथवा विस्तार हेतु ऑथराइजेशन के लिए शर्तों एवं नियमों, जिसमें शुल्क या प्रभार सम्मिलित हैं, पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करे।

इसके पश्चात, दिनांक 17 अक्टूबर 2024 के एक अन्य पत्र के माध्यम से, डीओटी ने भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए ऑथराइजेशन पर विचार करने का अनुरोध किया।

इस संदर्भ में, "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क ऑथराइजेशन की शर्तें एवं नियम" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया, जिसके संबंध में हितधारकों से दिनांक 12 नवम्बर 2024 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 19 नवम्बर 2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क ऑथराइजेशन की शर्तें एवं नियम" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.1.10 "ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025" विषय पर दिनांक 15 जनवरी 2025 का परामर्श पत्र।

भादूविप्रा ने दिनांक 15 जनवरी 2025 को "ड्राफ्ट दूरसंचार शुल्क (इकहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक टिप्पणियाँ तथा दिनांक 7 फरवरी 2025 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2 प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र

क्र. सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1.	"राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु सुझाव" विषय पर दिनांक 2 अप्रैल 2024 का परामर्श पत्र।
2.	"एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" विषय पर दिनांक 1 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र।
3.	"दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट पुस्तिका से संबंधित लेखा-परीक्षण प्रावधान" विषय पर दिनांक 9 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र।
4.	"निजी रेडियो प्रसारकों हेतु डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति निर्माण" विषय पर दिनांक 30 सितम्बर 2024 का परामर्श पत्र।
5.	"ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का परामर्श पत्र।
6.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स का फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 30 अक्टूबर 2024 का परामर्श पत्र।

2.10.2.1 "राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु सुझाव" विषय पर दिनांक 2 अप्रैल 2024 का परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 13 जुलाई 2023 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से राष्ट्रीय प्रसारण नीति (एनबीपी) तैयार करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने विचार से इनपुट देने का अनुरोध किया था।

एनबीपी का उद्देश्य दृष्टि, मिशन, रणनीतियों एवं कार्य बिंदुओं को स्पष्ट करना है, जो नई एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास और प्रगति की दिशा तय कर सकें

तदनुसार, प्रथम चरण के रूप में, भादूविप्रा ने दिनांक 21 सितम्बर 2023 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया था, ताकि उन मुद्दों पर विचार आमंत्रित किए जा सकें जिन्हें राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। हितधारकों के लिखित प्रस्तुतियों, चर्चाओं तथा देशभर में हुई विभिन्न बैठकों से प्राप्त सुझावों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात प्राधिकरण ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 को "राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण हेतु सुझाव" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया।

"राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण हेतु सुझाव" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2.2 "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" विषय पर दिनांक 1 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 19 मार्च 2024 के अपने रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा संघ शासित प्रदेश (यू.टी.) जम्मू एवं कश्मीर के 18 नगरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो के विस्तार हेतु एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर अपनी अनुशंसाएं देने का अनुरोध किया। एमआईबी ने इन नगरों के लिए एक नया वर्ग 'ई' शुरू करने का निर्णय लिया। एमआईबी ने प्रस्ताव रखा कि 'डी' वर्ग के नगरों के लिए लागू सभी तकनीकी मापदंड 'ई' वर्ग के नगरों पर भी लागू होंगे, सिवाय इफेक्टिव रेडिएटेड पावर (ईआरपी) के। एम.आई.बी. ने 'ई' वर्ग के लिए ईआरपी 750 वाट से 1 किलोवाट तक प्रस्तावित किया। इसके अतिरिक्त, एमआईबी ने भादूविप्रा से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, ओडिशा के राउरकेला तथा उत्तराखण्ड के रुद्रपुर नगरों के लिए भी आरक्षित मूल्य पर अपनी अनुशंसाएं देने का अनुरोध किया।

तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 1 अगस्त 2024 को "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके अंतर्गत परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" विषय पर जारी परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2.3 "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल से संबंधित प्रावधान" विषय पर दिनांक 9 अगस्त 2024 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 9 अगस्त 2024 को "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम लेखा-परीक्षण पुस्तिका से संबंधित प्रावधान" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

दिनांक 29 मार्च 2017 को टेलीविजन प्रसारण वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के साझा उपयोग पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के उपरांत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अवसंरचना साझाकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। अतः यह आवश्यक हो गया कि मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाए और इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 तथा ऑडिट मैनुअल में सक्षम प्रावधान सम्मिलित किए जाएँ। इस परामर्श पत्र में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया है, वे निम्नलिखित हैं-

(i) इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 (संशोधित) में लेखा-परीक्षण संबंधी प्रावधानों में आवश्यक संशोधन

(ii) ऑडिट मैनुअल में संशोधन।

(iii) इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 तथा ऑडिट मैनुअल में अवसंरचना साझाकरण हेतु सक्षम प्रावधान।

"दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम लेखा-परीक्षण पुस्तिका से संबंधित प्रावधान" विषय पर परामर्श पत्र की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2.4 "निजी रेडियो प्रसारकों हेतु डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति निर्माण" विषय पर दिनांक 30 सितम्बर 2024 का परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने दिनांक 19 मार्च 2024 के रेफरेंस के माध्यम से निजी रेडियो प्रसारकों हेतु एक डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति बनाने पर भादूविप्रा से अनुशंसाएं मांगीं। एमआईबी ने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, एफएम चरण-III नीति के कुछ मौजूदा प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। एमआईबी ने कुछ ऐसे मुद्दों को भी रेखांकित किया जिन्हें डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के लिए अनुशंसाएं बनाते समय विचार किया जाना चाहिए।

तदनुसार, दिनांक 30 सितम्बर 2024 को भादूविप्रा ने "निजी रेडियो प्रसारकों हेतु डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति निर्माण" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें।

"निजी रेडियो प्रसारकों हेतु डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति निर्माण" विषय पर जारी परामर्श पत्र की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2.5 "ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) ने दिनांक 22 मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत "ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर पुनः समीक्षा करने और अनुशंसाएं देने का अनुरोध किया।

अपने पत्र में, एमआईबी ने अन्य बातों के साथ यह भी उल्लेख किया कि प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के विनियमन से संबंधित अनुशंसाओं की समीक्षा की जा चुकी है और उनके लिए दिशा-निर्देश दिनांक 30 नवम्बर 2022 को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी कर दिए गए हैं। एमआईबी ने आगे कहा कि मंत्रालय में ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों हेतु भादूविप्रा की अनुशंसाओं की समीक्षा करते समय यह अनुभव किया गया कि वर्ष 2014 में जिस परिप्रेक्ष्य में अनुशंसाएं दी गई थीं, वह बदल चुका हो सकता है और इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

तदनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को भादूविप्रा ने "ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया, जिसके अंतर्गत हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

"ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर जारी परामर्श पत्र की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2.6 "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स का फ्रेमवर्क" विषय पर दिनांक 30 अक्टूबर 2024 का परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 25 जुलाई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत भादूविप्रा को एक रेफरेंस भेजा। उक्त रेफरेंस के माध्यम से, एमआईबी ने भादूविप्रा से यह अनुरोध किया कि वह प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करने की शर्तों एवं नियमों (जिसमें शुल्क अथवा प्रभार सम्मिलित हैं) पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करे, ताकि इन्हें दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुरूप बनाया जा सके और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच शर्तों एवं नियमों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

रेफरेंस के अनुसार, अनेक प्रसारण प्लेटफ़ॉर्म (जो सेवाएँ प्रदान करने हेतु रेडियो तरंगों और स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं), जैसे डीटीएच, हिट्स, आईपीटीवी, चैनलों का अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग (टेलीपोर्ट सहित), डीएसएनजी, एसएनजी, सामुदायिक रेडियो, एफएम रेडियो आदि, को एमआईबी द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण जारी किया जाता है। यह धारा केन्द्र सरकार को लाइसेंस जारी करने का विशेषाधिकार प्रदान करती है और एमआईबी इसी धारा से लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण जारी करने का अधिकार प्राप्त करता है।

तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स का फ्रेमवर्क" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया, ताकि ड्राफ्ट प्राधिकरण फ्रेमवर्क तथा प्रसारण सर्विस ऑथराईजेशन्स के उन शर्तों एवं नियमों पर हितधारकों से टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियाँ को आमंत्रित किया जा सके, जिन्हें दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नियमों के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स का फ्रेमवर्क" विषय पर जारी परामर्श पत्र की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

दूरसंचार क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य एवं संचालन की समीक्षा

2.11 पॉलिसी फ्रेमवर्क के विशेष संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य एवं संचालन की समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है, जो इस प्रकार हैं - (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) बुनियादी तथा मूल्य वर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी अनुकूलता एवं प्रभावी इंटरकनेक्शन; (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; तथा (ज) डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन)।

2.11.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

दिनांक 31 मार्च 2025 तक ग्रामीण वायरलाइन ग्राहक आधार 35,00,600 (3.50 मिलियन) रहा, जो 31 मार्च 2024 के अंत में 28,75,867 (2.88 मिलियन) की तुलना में 21.72% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 से ग्रामीण वायरलेस (FWA-5G) ग्राहकों की गणना अलग से की जाने लगी। दिनांक 31 मार्च 2025 तक ग्रामीण वायरलेस (FWA -5G) ग्राहक आधार 25,06,272 (2.50 मिलियन) रहा।

2.11.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2025 तक कुल वायरलाइन ग्राहक आधार 37,040,734 (37.04 मिलियन) रहा, जबकि 31 मार्च 2024 को यह 33,791,014 (33.79 मिलियन) था, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान 9.62% की वृद्धि दर्ज हुई। 37.04 मिलियन वायरलाइन ग्राहकों में से 33.54 मिलियन शहरी ग्राहक हैं और 3.50 मिलियन ग्रामीण ग्राहक हैं। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 से फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (5G) ग्राहकों की गणना अलग से की जाने लगी। 31 मार्च 2025 तक वायरलेस (FWA -5G) का कुल ग्राहक आधार 6,769,089 (6.77 मिलियन) रहा।

2.11.3 बुनियादी तथा मूल्य वर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची नीचे दी गई **तालिका-18**, **तालिका-19** तथा **तालिका-20** में प्रस्तुत है:

तालिका-18: दिनांक 31 मार्च 2025 को वायरलेस सेवा प्रदान करने वाले एक्सेस सेवा प्रदाता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1.	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	सम्पूर्ण भारत
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड	सम्पूर्ण भारत
3.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	सम्पूर्ण भारत
4.	बी.एस.एन.एल.	सम्पूर्ण भारत (दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़कर)
5.	एम.टी.एन.एल.	दिल्ली एवं मुम्बई
6.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	सम्पूर्ण भारत (असम एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर)

स्रोत: डीओटी वेबसाइट

तालिका-19: दिनांक 31 मार्च 2025 तक सेवाएँ प्रदान करने वाले यू.एल. एक्सेस सेवाओं के लाइसेंसधारी वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वी.एन.ओ.)

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1.	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्रा. लि.	तमिलनाडु
2.	सर्फटेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु

स्रोत: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई सूचना के अनुसार

तालिका–20: दिनांक 30 सितम्बर 2024 / दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक यू.एल./यू.ए.एस.एल./यू.एल. (वी.एन.ओ.) लाइसेंसधारियों की संख्या

क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	दिनांक 30.09.2024* को कुल लाइसेंसधारी	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़े गए लाइसेंसधारी *
1.	यू.एल.	44	02
2.	यू.एल. (वी.एन.ओ.)	209	16
क्र. सं.	**लाइसेंस का प्रकार**	**दिनांक 31.12.2024*तक कुल लाइसेंसधारी**	**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़े गए लाइसेंसधारी***
3.	यू.एल. व्यवस्था से पूर्व एनएलडी (स्वतंत्र)	16	0
4.	यू.एल. व्यवस्था के अंतर्गत एन.एल.डी.	38	03
5.	यू.एल. (वी.एन.ओ.) व्यवस्था के अंतर्गत एन.एल.डी.	17	02
6.	यू.एल. व्यवस्था से पूर्व आई.एल.डी. (स्वतंत्र)	13	0
7.	यू.एल. व्यवस्था के अंतर्गत आई.एल.डी.	21	02
8.	यू.एल. (वी.एन.ओ.) व्यवस्था के अंतर्गत आई.एल.डी.	10	02

**स्रोत: दूरसंचार विभाग की वेबसाइट*

2.11.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी अनुकूलता एवं प्रभावी इंटरकनेक्शन

इंटरकनेक्शन दूरसंचार सेवाओं की जीवनरेखा है। दूरसंचार सेवाओं के ग्राहक एक-दूसरे से संवाद नहीं कर सकते या आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़ सकते जब तक कि आवश्यक इंटरकनेक्शन व्यवस्थाएँ उपलब्ध न हों। प्रभावी और त्वरित इंटरकनेक्शन की उपलब्धता दूरसंचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भादूविप्रा ने दिनांक 10 जुलाई 2020 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020" अधिसूचित किए, जिनके द्वारा मूल विनियम अर्थात् "दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018" में संशोधन किया गया। संशोधित विनियमों ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन को सरल बनाया है, ताकि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन, जिसे सामान्यतः फिक्स्ड लाइन नेटवर्क कहा जाता है), पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन), नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (एनएलडी) नेटवर्क और अन्य दूरसंचार नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सके।

संशोधित "दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018" का सारांश इस प्रकार है:

i. किसी सेवा क्षेत्र के भीतर, पीएसटीएन से पीएसटीएन अथवा पीएसटीएन से एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल हेतु इंटरकनेक्शन बिंदु (पीओआई) का स्थान इंटरकनेक्शन प्रदाता और इंटरकनेक्शन प्राप्तकर्ता के बीच आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

ii. यदि इंटरकनेक्शन प्रदाता और इंटरकनेक्शन प्राप्तकर्ता सहमत नहीं हो पाते, तो पीएसटीएन से पीएसटीएन अथवा पीएसटीएन से एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल हेतु पी.ओ.आई. का स्थान लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर (एलडीसीसी) होगा। ऐसी स्थिति में, एलडीसीसी से शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर (एसडीसीसी) तक और इसके विपरीत कॉल ले जाने का वहन शुल्क, जैसा लागू हो, इंटरकनेक्शन प्राप्तकर्ता द्वारा इंटरकनेक्शन प्रदाता को भुगतान किया जाएगा।

iii. एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पी.ओ.आई., पीएसटीएन से पीएसटीएन अथवा पीएसटीएन से एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल हेतु, न्यूनतम पाँच वर्षों तक या तब तक चालू रहेंगे जब तक आपसी सहमति से इंटरकनेक्टेड सेवा प्रदाता उन्हें बंद करने का निर्णय न ले लें, इनमें से जो भी पहले हो।

iv. एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पी.ओ.आई., जो पीएसटीएन और पीएसटीएन अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल हेतु स्थापित है, उसे उस स्थिति में बंद किया जा सकता है जब उस एसडीसीए में परस्पर जुड़ने वाले किसी भी सेवा प्रदाता की सेवाएँ बंद कर दी जाती हैं।

2.11.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण की पहुँच और सहभागिता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रौद्योगिकी संबंधी उपाय किए गए:

i. भादूविप्रा वेबसाइट का पुनर्विकास

अपनी पहुँच को विस्तृत कर अधिक व्यापक दर्शकों से जुड़ने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने एक उन्नत वेबसाइट प्रस्तुत की है, जो GIGW 3.0 दिशानिर्देशों का पालन करती है। सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, नए शेयरिंग फीचर्स सभी हितधारकों तक विनियामक सूचनाओं के प्रसार को सुगम बनाते हैं। यह वेबसाइट भारत में दूरसंचार और प्रसारण से संबंधित विनियमों, नीतियों, कानूनों, आँकड़ों और प्रवृत्तियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। ये संसाधन आम जनता, हितधारकों, शोधकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए आसानी से सुलभ हैं। उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए इसे भाषिणी के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे कई क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन संभव हो सका है। इसके अतिरिक्त, एक चैटबॉट 'तारा' (दूरसंचार प्राधिकरण का रिपोंसिव एडवाईजर) भी पेश किया गया है, जो इंटरैक्टिव सर्च को सुगम बनाता है।

ii. ऑनलाइन टैरिफ फाइलिंग एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली का पुनर्विकास

भादूविप्रा टैरिफ फाइलिंग पोर्टल के पुनर्विकास की प्रक्रिया में है। नए पोर्टल को नवीनतम टेक्नोलॉजी स्टैक से उन्नत किया गया है, जिससे पोर्टल के प्रदर्शन में सुधार, बेहतर सुरक्षा, और आधुनिक उपकरणों व फ्रेमवर्क के साथ सहज एकीकरण का समर्थन सुनिश्चित हुआ है। भादूविप्रा के दूरसंचार टैरिफ आदेश के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा वीएनओ द्वारा टैरिफ की फाइलिगं, टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में अनिवार्य है। टैरिफ फाइलिगं और विश्लेषण को प्रभावी बनाने के लिए, भादूविप्रा अपने टैरिफ फाइलिंग पोर्टल का पुनर्विकास कर रहा है, जिसमें उपयोगकर्ता अनुभव, सरल एक्सेस, सुरक्षा, विस्तार क्षमता, उच्च उपलब्धता आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि टैरिफ की समय पर फाइलिगं सुनिश्चित हो सके। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के टैरिफ संबंधी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएगा।

iii. डेटा रिपोर्टिंग विश्लेषण एवं प्रक्रिया स्वचालन हेतु व्यापक आईटी इकोसिस्टम

भादूविप्रा में व्यापक आईटी प्रणाली का विकास तीन चरणों में परिकल्पित किया गया था (अर्थात् डीपीआर की तैयारी, आरएफपी की तैयारी एवं समाधान प्रदाता (एसपी) का चयन, तथा एसपी द्वारा प्रणाली का विकास एवं पीएमयू की स्थापना)। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है, जिसमें भादूविप्रा और उसके हितधारकों की समग्र आवश्यकताएँ, संपूर्ण आईटी रोडमैप, कार्य का विस्तृत दायरा, प्रस्तावित आर्किटेक्चर आदि सम्मिलित हैं। डीपीआर के आधार पर एक आरएफपी आंतरिक रूप से तैयार की गई है। उपयुक्त समाधान प्रदाता को शामिल करने हेतु इस आरएफपी को प्रकाशित किया जा रहा है, जो डेटा रिपोर्टिंग, विश्लेषण एवं प्रक्रिया स्वचालन के लिए भादूविप्रा के व्यापक आईटी इकोसिस्टम के विकास, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व निभाएगा।

iv. भादूविप्रा मोबाइल ऐप्स और विश्लेषणात्मक पोर्टल का विकास

भादूविप्रा अपने मोबाइल ऐप्स जैसे TRAI MySpeed, TRAI MyCall और TRAI DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप्स का पुनर्विकास करने और एक नया एकीकृत मोबाइल ऐप विकसित करने का इरादा रखता है। इसके लिए, GeM पर एक निविदा जारी की जा रही है ताकि ऐसी एजेंसी को शामिल किया जा सके जो इन ऐप्स और पोर्टल का विकास कर सके। यह पोर्टल एनालिटिक्स, Geo-spatial विज़ुअलाइज़ेशन, एपीआई डैशबोर्ड जैसी कार्यक्षमताएँ प्रदान करेगा और भादूविप्रा की विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

v. डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग पोर्टल (डीसीआरपी) का विकास

डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग पोर्टल (डी.सी.आर.पी.) का उद्देश्य दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को जारी डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग के तहत ट्राई, डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (डीसीआरए), संपत्ति प्रबंधकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ते हुए एक केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। डी.सी.आर.पी. के विकास के लिए, एक निविदा (आरएफपी) तैयार की जा रही है जिसे GeM पर जारी कर उपयुक्त समाधान प्रदाता का चयन किया जाएगा।

vi. रिपोर्टिंग स्वचालन

विनियमों/निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भादूविप्रा को डेटा रिपोर्टिंग करना एक नियमित गतिविधि है। इसके लिए एक पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हितधारकों से प्रदर्शन निगरानी डेटा एकत्र किया जाता है। यह पोर्टल क्यूओएस, बीबी एण्ड पीए, एनएसएल और सीए प्रभागों के लिए कार्यरत है। हाल ही में, इस पोर्टल को उन्नत किया गया है ताकि क्यूओएस प्रभाग के लिए सभी हितधारकों से एपीआई के माध्यम से मासिक आधार पर पीएमआर डेटा एकत्र किया जा सके। बीबी एण्ड पीए प्रभाग के लिए नए रिपोर्ट विकसित किए गए हैं तथा मौजूदा प्रतिवेदनों को भी नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

vii. पोर्टल्स का रख रखाव एवं क्लाउड प्रबंधन

सभी पोर्टल्स का रख रखाव किया जा रहा है, जिसमें फंक्शनैलिटी अपडेटेशन, सिस्टम पैचेस आदि शामिल हैं। सीईआरटी-आईएन विक्रेताओं के माध्यम से सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से कराए जा रहे हैं। एनआईसी, सीईआरटी-आईएन तथा अन्य संगठनों से प्राप्त अलर्ट्स के आधार पर इन्हें साइबर हमलों से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल्स और ऐप्स लागू किए हैं, तथा भादूविप्रा के अधिकांश अनुप्रयोग और बैकएंड सेवाएँ क्लाउड वातावरण में होस्ट की गई हैं, जिससे समय और अवसंरचना लागत की बचत का अवसर प्राप्त हुआ है। होस्टिंग के लिए क्लाउड सेवाएँ NIC एवं MeitY द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाता से ली गई हैं।

viii. DND 3.0

भादूविप्रा ने आंतरिक रूप से DND 3.0 ऐप सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो गूगल प्ले स्टोर और ऐपस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वाणिज्यिक संचार को ब्लॉक करने या अनुमति देने के लिए अपनी प्राथमिकताएँ दर्ज करके स्पैम कॉल और एसएमएस से बचने में मदद करना है, साथ ही उपयोगकर्ताओं को अपने संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास आसानी से स्पैम शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। ट्राई DND ऐप दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (TCCCPR) 2018 के प्रावधानों को पूरा करता है। हाल ही में, विनियमन में संशोधनों के प्रावधानों के लिए ऐप को अपडेट किया गया है। TCCCPR द्वारा संशोधित विनियमन के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को अब अपनी DND प्राथमिकता दर्ज किए बिना भी अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स और प्रेषकों के खिलाफ स्पैम शिकायत दर्ज करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के खिलाफ शिकायत ग्राहक द्वारा ऐसे यूसीसी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर की जा सकती है, जो पहले 3 दिन थी।

ix. अवसंरचना उन्नयन

क. आईटी प्रभाग ने नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नई इमारत में अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना सफलतापूर्वक स्थापित की है, जिसमें एंडपॉइंट नेटवर्क (वायर्ड/वायरलेस), सुरक्षा, स्टोरेज, रिडंडेंसी, डिज़ास्टर रिकवरी आदि सम्मिलित हैं।

ख. अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए, भादूविप्रा ने एंडपॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन लागू किया है, जो वायरस, वर्म्स, स्पाइवेयर और अन्य मालवेयर आदि खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह समाधान सुरक्षा, प्रदर्शन, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताओं को समाहित करता है, जिससे प्रशासक के लिए भादूविप्रा में सभी एंडपॉइंट्स का प्रबंधन करना सरल हो गया है।

ग. आईटी प्रभाग ने भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों हेतु कुशल कार्य निष्पादन के लिए 172 डेस्कटॉप खरीदे हैं।

घ. भादूविप्रा की सभी सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए, चित्रमय तसवीर (Tableau), एडोब एक्रोबैट, एमएस ऑफिस 365, एसएसएल प्रमाणपत्र आदि विभिन्न लाइसेंसों की समय-समय पर निगरानी की जा रही है और उनके समाप्त होने से पूर्व आवश्यक नवीनीकरण समय पर किया जा रहा है।

2.11.6 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

2.11.6.1 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 ने अपने 'कनेक्ट इंडिया' मिशन के अंतर्गत स्पेक्ट्रम को सार्वजनिक हित के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता दी है, ताकि भारत के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। एनडीसीपी 2018 का उद्देश्य देश में स्पेक्ट्रम साझाकरण, लीज़िंग और ट्रेडिंग व्यवस्था को और उदार बनाना है। नव अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार, निर्धारित शर्तों एवं नियमों (जिसमें लागू शुल्क या प्रभार सम्मिलित होंगे) के अधीन, आबंटित स्पेक्ट्रम के साझाकरण, व्यापार, लीज़िंग और सरेंडर की अनुमति दे सकती है।

एनडीसीपी-2018 के उद्देश्यों के अनुरूप और दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त रेफरेंस के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 13 जनवरी 2023 को "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण तथा स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

हितधारकों की टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा के दौरान हुई चर्चाओं तथा उनके विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण तथा स्पेक्ट्रम लीज़िंग" पर अपनी अनुशंसाएं दीं।

2.11.6.2 नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, 2025 के निर्माण से संबंधित लेटेंसी और जिटर की सीमा तथा ब्रॉडबैंड स्पीड की सीमा के संदर्भ में, भादूविप्रा ने दिनांक 2 अगस्त 2024 को संशोधित क्यूओएस विनियम अधिसूचित किए, जिनका शीर्षक है - "एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवाओं की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024"। इन विनियमों में वायरलाइन और वायरलेस माध्यमों पर प्रदान की जाने वाली एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए संशोधित सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंड और उनके बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। ये विनियम वायरलाइन और वायरलेस माध्यम पर प्रदान की जाने वाली एक्सेस और ब्रॉडबैंड दोनों सेवाओं पर लागू होंगे और दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे।

विनियमों/अनुशंसाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग-II में समाहित है।

2.11.7 "सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)"

भादूविप्रा ने इससे पहले मूलभूत तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानक निर्दिष्ट करने वाली तीन भिन्न विनियमावलियाँ जारी की थीं, अर्थात्:

i. मूलभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) एवं सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियमन, 2009

ii. ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियमन, 2006

iii. वायरलेस डेटा सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियमन, 2012

उपर्युक्त तीनों विनियम एक दशक से अधिक समय पहले अधिसूचित किए गए थे। तब से अब तक दूरसंचार नेटवर्क का तकनीकी परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है और एकीकृत नेटवर्क की ओर अग्रसर हो गया है। 4G एवं 5G जैसी नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों तथा फाइबर पर उच्चगति ब्रॉडबैंड सेवाओं के व्यापक प्रसार से उत्पन्न सेवा-गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने प्रचलित विनियमों की व्यापक समीक्षा करने और एक समग्र विनियामक ढाँचा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, जो तीनों सेवाओं के लिए क्यू.ओ.एस. मानकों को एक ही स्थान पर समाहित करता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने उपर्युक्त तीनों विनियमों को निरस्त करते हुए संशोधित विनियम जारी किए, जिनका नाम है "एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024"। ये विनियम वायरलाइन एवं वायरलेस माध्यम से प्रदत्त एक्सेस एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं पर लागू होंगे और दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे।

निर्धारित मानकों के सापेक्ष, सेवा प्रदाताओं की सेवा-गुणवत्ता (Quality-of-Service) प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। एक्सेस सेवा (वायरलेस), एक्सेस सेवा (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा के अनुपालन रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तथापि, संशोधित क्यू.ओ.एस. विनियमों के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2025 से एक्सेस सेवा (वायरलेस) के अनुपालन रिपोर्ट मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

सेवा की गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, भादूविप्रा ने निर्धारित मानकों के अनुपालन न होने, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब तथा असत्य रिपोर्टिंग के मामलों में वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) लगाने की व्यवस्था निर्धारित की थी। अनुपालन प्रतिवेदनों के आधार पर, जहाँ भी मानकों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति देखी जाती है, वहाँ सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण माँगा जाता है और सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अनुपालन न करने की गंभीरता तथा सेवा में सुधार हेतु उठाए गए कदमों पर विचार करने के उपरांत, सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाया जाता है। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब की स्थिति में, प्रत्येक रिपोर्ट के लिए डिफॉल्ट जारी रहने तक प्रतिदिन पाँच हज़ार रुपये से अधिक न होने वाला वित्तीय दंड, अधिकतम दस लाख रुपये तक, तीनों सेवाओं के लिए समान रूप से लागू है। क्यूओएस मानकों का अनुपालन न होने अथवा असत्य रिपोर्टिंग की स्थिति में श्रेणीबद्ध वित्तीय दंड लागू होता है, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं:

उल्लंघन का उदाहरण	क्यूओएस मानकों को पूरा न करने पर (प्रति मानक)	असत्य रिपोर्टिंग करने पर (प्रति मानक)
प्रथम उल्लंघन	₹ 1 लाख	₹ 2 लाख
द्वितीय क्रमिक उल्लंघन	₹ 2 लाख	₹ 5 लाख
उसके पश्चात् होने वाला प्रत्येक क्रमिक उल्लंघन	₹ 3 लाख	₹ 10 लाख

इसके अतिरिक्त, यदि कोई सेवा प्रदाता वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) के भुगतान हेतु आदेश की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अथवा भुगतान आदेश में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे ब्याज का भी भुगतान करना होगा। यह ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत ऋण लागत दर (एमसीएलआर), जो वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल) के प्रारम्भ में प्रचलित हो, से 2% अधिक होगी, और ऐसा ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर लिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भादूविप्रा द्वारा लगाए गए कुल वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) की राशि ₹ 30 लाख रही। क्यूओएस विनियमों के उल्लंघन के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त कुल वित्तीय दंड की राशि ₹ 81.25 लाख रही।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मीटरिंग एवं बिलिंग विनियम के अंतर्गत, टीएसपी द्वारा उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली की गई राशि को 60 दिनों की निर्धारित अवधि में वापस न करने पर वित्तीय दंड लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुल ₹ 1.71 लाख का वित्तीय दंड लगाया गया, जिसमें से ₹1.70 लाख वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भादूविप्रा को प्राप्त हुए।

सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही, उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों तथा भादूविप्रा द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी सेवा-गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में कमी पाई जाती है, वहाँ सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी के लिए समय-समय पर रिपोर्टों, लेखा परीक्षा और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। विभिन्न मानकों के लिए निर्धारित बेंचमार्क हासिल करने में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है।

इस संदर्भ में, समय-समय पर सेवा प्रदाताओं के साथ भादूविप्रा में विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें एवं सेवा प्रदाताओं के साथ की गई अनुवर्ती कार्रवाई, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं।

भादूविप्रा अपनी वेबसाइट पर सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा-गुणवत्ता प्रदर्शन संबंधी जानकारी, स्वतंत्र एजेंसियों अथवा अपने अधिकारियों द्वारा की गई सेवा-गुणवत्ता की लेखा परीक्षा एवं आकलन के परिणाम, हितधारकों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है। सेवा-गुणवत्ता संबंधी जानकारी का प्रकाशन भी सेवा प्रदाताओं को अपने सेवा-गुणवत्ता प्रदर्शन में सुधार लाने तथा मानकों को पूरा करने में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित करता रहा है।

अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 12 फरवरी 2025 को अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 में संशोधन किया है।

दिनांक 13 अगस्त 2024 के निर्देश और दिनांक 12 फ़रवरी 2025 के संशोधित विनियमन का प्रभाव

स्पैम कॉल करने के लिए उपयोग किए जा रहे प्रेषकों/अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के सभी दूरसंचार संसाधनों (एसआईपी/पीआरआई/अन्य दूरसंचार संसाधनों) को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए ट्राई द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2024 के निर्देश जारी होने के बाद, एक्सेस प्रदाताओं ने व्यापक कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप स्पैम कॉल के खिलाफ दर्ज शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है।

ब्लैकलिस्ट में डाली गई संस्थाओं और डिस्कनेक्ट किए गए दूरसंचार रिसोर्सेज का विवरण

दिनांक 13 अगस्त 2024 के निर्देश जारी होने के बाद ब्लैकलिस्ट की गई संस्थाओं/व्यक्तियों की संख्या	डीआईडी/लैंडलाइन नंबरों/डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की संख्या
1150 से अधिक	18.8 लाख से अधिक

एक्सेस प्रदाताओं द्वारा दर्ज यूटीएम शिकायतें

माह	अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के विरुद्ध शिकायतें	परिवर्तन
अगस्त 2024	1,89,419	
सितंबर 2024	1,63,167	अगस्त-24 की तुलना में 13% कम
अक्टूबर 2024	1,51,497	अगस्त-24 की तुलना में 20% कम
नवंबर 2024	1,31,300	अगस्त-24 की तुलना में 30% कम
दिसंबर 2024	1,41,294	अगस्त-24 की तुलना में 25% कम
जनवरी 2025	1,34,821	अगस्त-24 की तुलना में 29% कम
फरवरी 2025	1,05,102	अगस्त-24 की तुलना में 44% कम
मार्च 2025	1,16,221	अगस्त-24 की तुलना में 38% कम

2.11.8 डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन)

दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का संख्या 44) तथा तत्पश्चात् दिनांक 30 अगस्त 2024 को अधिसूचित दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 के अनुसार, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत स्थापित यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का नाम परिवर्तित कर "डिजिटल भारत निधि (डीबीएन)" कर दिया गया है। संसद के अधिनियम

द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी रूप से भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना था। तत्पश्चात्, इसके दायरे को विस्तृत कर सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं-जैसे मोबाइल सेवाएँ, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी-तथा ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) जैसी अवसंरचना के निर्माण हेतु अनुदान सहयोग प्रदान करने तक बढ़ाया गया।

तब से, सरकार ने यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओएफ) का उपयोग कर ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम जनता के लिए इंटरनेट पहुँच में सुधार हेतु कई योजनाएँ प्रारंभ की हैं। प्राधिकरण भी देश के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्यरत रहा है। इसी संदर्भ में, भादूविप्रा ने वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित अनुशंसाएं जारी कीं – दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएं, दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएं, तथा, दिनांक 29 सितंबर 2023 को "हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएं। इन अनुशंसाओं के आधार पर कई मामलों में वर्ष 2024-25 के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा कार्रवाई पर विचार किया गया है।

2.12 प्रसारण क्षेत्र

2.12.1 सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस (एससीएन)

भादूविप्रा ने दिनांक 15 मई 2024 को निम्नलिखित इकतीस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को वर्ष 2023 के लिए अनिवार्य डीएएस लेखा-परीक्षण से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियम के विनियम 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए:

क्र. सं.	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) के नाम
1.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड
2.	मैसर्स तमिलनाडु अरसु केबल टीवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई
3.	मैसर्स आंध्र प्रदेश स्टेट फायबरनेट लिमिटेड, हैदराबाद
4.	मैसर्स टेक्नोबाइल सिस्टम्स नेटवर्क प्रा. लि., गुरुग्राम
5.	मैसर्स अक्षोम कम्युनिकेशन एंड केबल प्रा. लि., गुवाहाटी
6.	मैसर्स बर्षा विजन केबल नेटवर्क, जाजपुर (ओडिशा)
7.	मैसर्स ब्लू चिप सिस्टम्स, विजयवाड़ा

क्र. सं.	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) के नाम
8.	मैसर्स अंडमान केबल नेटवर्क, पोर्ट ब्लेयर
9.	मैसर्स अल्टिमेरिक डिजिटल प्रा. लि., बालासोर
10.	मैसर्स एयर मीडिया नेटवर्क प्रा. लि., चेन्नई
11.	मैसर्स आकाश तोरी इंफोकॉम सर्विसेज प्रा. लि., दुर्गापुर
12.	मैसर्स ब्राइट वे कम्युनिकेशन, हैदराबाद
13.	मैसर्स सीसीएन एंटरटेनमेंट (इंडिया) प्रा. लि., बिलासपुर
14.	मैसर्स डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क, हरिद्वार
15.	मैसर्स हल्द्वानी डिजिटल सर्विसेज प्रा. लि., हल्द्वानी
16.	मैसर्स यू-डिजिटल नेटवर्क प्रा. लि., मैसूर
17.	मैसर्स वी4 डिजिटल इंफोटेक, मैंगलुरु
18.	मैसर्स विक्ट्री डिजिटल नेटवर्क प्रा. लि., दावणगेरे (कर्नाटक)
19.	मैसर्स सुभोदय डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रा. लि., हैदराबाद
20.	मैसर्स श्री केबल टीवी नेटवर्क, कुर्नूल
21.	मैसर्स स्काईनेट डिजिटल सर्विसेज प्रा. लि., इलाहाबाद
22.	मैसर्स सिग्नेट डिजिटल प्रा. लि., वसई (पश्चिम), पालघर
23.	मैसर्स सत्याम तोरी प्रा. लि., मुर्शिदाबाद (प.बं.)

क्र. सं.	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) के नाम
24.	मैसर्स साहू केबल टीवी, ढेंकानाल
25.	मैसर्स रीचनेट केबल सर्विसेज प्रा. लि., नई दिल्ली
26.	मैसर्स राजस्थान इंफोटेक मीडिया सर्विसेज प्रा. लि., जयपुर
27.	मैसर्स कोठापेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, पूर्वी गोदावरी (आ.प्र.)
28.	मैसर्स कोडाडा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, नलगोंडा
29.	मैसर्स इस्लामपुर केबल नेटवर्क, सांगली
30.	मैसर्स नोवाबेस डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रा. लि., नई दिल्ली
31.	मैसर्स वादी टेलीविज़न, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)

2.12.2 सेवा प्रदाताओं को जारी आदेश

(i) भादूविप्रा ने दिनांक 22 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित तीन मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को उनके डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स के कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 के अनिवार्य वार्षिक लेखा-परीक्षण से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 (संशोधित) के विनियम 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) के आदेश जारी किए:

क. मैसर्स साहू केबल टीवी, ढेंकानाल, ओडिशा

ख. मैसर्स केबलकास्ट न्यू मीडिया प्रा. लि., चेन्नई

ग. मैसर्स नोवाबेस डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रा. लि., दिल्ली

(ii) भादूविप्रा ने दिनांक 22 अप्रैल 2024 को मैसर्स सुभोदय डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रा. लि., हैदराबाद को उनके डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स के कैलेंडर वर्ष 2021 एवं 2022 के अनिवार्य वार्षिक लेखा-परीक्षण से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 (संशोधित) के विनियम 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) के आदेश जारी किए।

(ii) भादूविप्रा ने दिनांक 22 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित तीन मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को उनके डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स के कैलेंडर वर्ष 2022 के अनिवार्य वार्षिक लेखा-परीक्षण से संबंधित इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 (संशोधित) के विनियम 15(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) के आदेश जारी किए:

क. मैसर्स राजस्थान इंफोटेक मीडिया सर्विस प्रा. लि., जयपुर

ख. मैसर्स रीचनेट केबल सर्विस प्रा. लि., कोलकाता

ग. मैसर्स सत्याम तोरी प्रा. लि., मुर्शिदाबाद

2.12.3 भादूविप्रा ने दिनांक 21 अगस्त 2024 को सभी डीपीओ को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें इंटरकनेक्शन विनियम के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुपालन हेतु लेखा-परीक्षण (ऑडिट) कराने का निर्देश दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऑडिट प्रक्रिया, जिसमें लेखा-परीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट जारी करना भी शामिल है, दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में पूर्ण कर ली जानी चाहिए, ताकि इंटरकनेक्शन विनियम के विनियम 15 के उप-विनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय दंड (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) लगाए जाने से बचा जा सके।

2.12.4 सभी डीपीओ द्वारा सीएएस और एसएमएस का प्रमाणीकरण एवं परिनियोजन

भादूविप्रा ने दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 ("इंटरकनेक्शन विनियम, 2017") में तृतीय संशोधन विनियम, 2021 के माध्यम से संशोधन किया, जो दिनांक 11 जून 2021 से प्रभावी हुआ और जिसके अंतर्गत विनियम 4क जोड़ा गया, जो इस प्रकार है:

विनियम 4क - टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम की आवश्यकताओं का अनुपालन इस विनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि टेलीविजन चैनल का वितरक, प्राधिकरण द्वारा आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट तिथि से तथा ऐसे परीक्षण और प्रमाणीकरण के उपरांत, केवल वही कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) तैनात करेगा जो अनुसूची-IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

यह उपबंध किया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व तैनात कंडीशनल एक्सेस सिस्टम्स (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स (एसएमएस) के लिए, प्राधिकरण एक पृथक समयसीमा निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसे सिस्टम्स का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वे अनुसूची-IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 20 सितम्बर 2021 को परीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेंसी के नामांकन संबंधी आदेश जारी किया। भादूविप्रा ने टीईसी को परीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में नामित किया। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा ने दिनांक 9 अगस्त 2023 को सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) द्वारा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स (एसएमएस) के प्रमाणीकरण एवं परिनियोजन संबंधी आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार, सभी डीपीओ को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया:

क) दिनांक 1 मार्च 2024 से, केवल उन्हीं नए सीएएस और एसएमएस सिस्टम्स का परिनियोजन किया जाए जो विधिवत् मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित हों और टीईसी या किसी अन्य नामित एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए गए हों।

ख) दिनांक 1 मार्च 2025 तक, सभी मौजूदा सीएएस और एसएमएस सिस्टम्स को विधिवत् मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण एवं टीईसी या किसी अन्य नामित एजेंसी द्वारा प्रमाणन के माध्यम से उन्नत (अपग्रेड) और प्रमाणित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा मुख्यालय ने दिनांक 29 जनवरी 2025 को सभी डीपीओ (अर्थात् डीटीएच ऑपरेटर, प्रमुख एमएसओ, हिट्स ऑपरेटर, आईपीटीवी ऑपरेटर) को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 4 फरवरी 2025 तक आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

इस संदर्भ में, डीपीओ ने अपनी एसोसिएशनों के माध्यम से तथा भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों ने, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एमएसओ से प्राप्त अभिमतों के आधार पर, सभी मौजूदा सीएएस और एसएमएस सिस्टम्स के उन्नयन एवं प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्रस्तुत किया।

डीपीओ (उनकी एसोसिएशनों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से) के अनुरोधों के आधार पर, सीएएस और एसएमएस संबंधी भादूविप्रा के दिनांक 9 अगस्त 2023 के आदेश के अनुपालन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब दिनांक 1 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।

2.13 अन्य गतिविधियाँ

2.13.1 ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी)

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित ओपन हाउस चर्चाएं (ओएचडी) (सभी ओएचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई)

क्र. सं.	विषय	ओएचडी की तिथि
1.	"एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलेस और वायरलाइन) सेवाओं के लिए सेवा-गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करने" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	09.04.2024
2.	"भारतीय रेलवे को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन करने" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	03.05.2024
3.	"एक्सेस सेवा वीएनओ को एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	08.05.2024
4.	"राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु सुझाव" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	15.05.2024
5.	"भवनों अथवा क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु रेटिंग ढाँचे पर विनियमन" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	18.06.2024
6.	"आई.एम.टी. हेतु चिन्हित 37-37.5 गीगाहट्र्ज़, 37.5-40 गीगाहट्र्ज़ एवं 42.5-43.5 गीगाहट्र्ज़ बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	10.07.2024
7.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के ढाँचे" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	21.08.2024
8.	"राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	08.10.2024
9.	"एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	10.10.2024
10.	"दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" करने के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	21.10.2024

क्र. सं.	विषय	ओएचडी की तिथि
11.	"एम2एम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं से संबंधित मुद्दे तथा एम2एम सिम्स के स्वामित्व के हस्तांतरण" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	24.10.2024
12.	"कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तें और नियम" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	08.11.2024
13.	"दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इन्टरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2019 के लेखा-परीक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	05.12.2024
14.	"दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 की समीक्षा" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	11.12.2024
15.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दिए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की शर्तें और नियम" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	17.12.2024
16.	"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स का ढाँचा" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	18.12.2024
17.	"ग्राउन्ड बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक ढाँचा" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	20.12.2024
18.	"निजी रेडियो प्रसारकों हेतु डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति का निर्माण" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओएचडी	08.01.2025

- दिनांक 9 अप्रैल 2024 को "एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलेस और वायरलाइन) सेवाओं के लिए सेवा-गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करने" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित किया गया।

- दिनांक 3 मई 2024 को "भारतीय रेलवे को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन करने" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- दिनांक 21 अगस्त 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्विस ऑथराईजेशन्स के ढाँचे" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को "एम2एम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं से संबंधित मुद्दे तथा एम2एम सिम्स के स्वामित्व के हस्तांतरण" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दिए जाने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशन्स की शर्तें और नियम" के विषय पर जारी परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।**

2.13.2 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (सीओपी)

देश भर में उपभोक्ताओं तक पहुँचने के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा अपने विभिन्न जन-संपर्क माध्यमों जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म (ट्विटर (एक्स), फेसबुक, यूट्यूब चैनल), तथा एफएम रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न और देशभर में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के साथ सार्वजनिक संपर्क स्थापित किया है। उपभोक्ताओं से और अधिक जुड़ाव हेतु, भादूविप्रा ने उपभोक्ता संगठनों (सीओ) के पंजीकरण की व्यवस्था भी लागू की है। पंजीकृत सीओ उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच सेतु का कार्य करते हैं और उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा की सहायता करते हैं। भादूविप्रा निरंतर उपभोक्ताओं के अधिकारों और सेवा-संबंधी मुद्दों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक/प्रचार सामग्री प्रकाशित करता है और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जागरूकता अभियान चलाता है।

उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा देशभर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित करता है। ये सीओपी उपभोक्ताओं को भादूविप्रा तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्थानीय मुद्दे उठाने का एक प्लेटफार्म भी प्रदान करते हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान, भादूविप्रा ने देश के विभिन्न स्थानों पर ऑफ़लाइन/ऑनलाइन माध्यम से कुल 46 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए। वर्ष के दौरान आयोजित सीओपी की सूची इस रिपोर्ट के इस भाग के अनुलग्नक-III में दी गई है।

उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल छह कार्यशालाएँ आयोजित की गईं-भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में एक-एक तथा सैफाबाद (हैदराबाद) में दो।

2.13.3 उपभोक्ता संगठनों (सीओ) का पंजीकरण

भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठन (सीओ) अपने क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भादूविप्रा की गतिविधियों संबंधी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में समन्वय और सहयोग करते हैं। ये संगठन भादूविप्रा द्वारा आयोजित उपभोक्ता जन-जागरूकता कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, ये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अपीलीय प्राधिकरणों की परामर्श समिति के सदस्य भी होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों (सीओ) द्वारा कुल 377 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (सीएपी) आयोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 329 कार्यक्रम सीओ द्वारा आयोजित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए: -

क्र. सं.	कार्यक्रम	कार्यक्रम की संख्या
1.	ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम	46
2.	ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित संगोष्ठियाँ	06
3.	ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यशालाएँ	06
4.	ट्राई के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	329
	कुल	**387**

2.13.4 उपभोक्ता शिक्षा साहित्य एवं मीडिया अभियान

- **पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों (सीओ) के लिए समाचार पत्रिका (न्यूज़लेटर):**

  वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भादूविप्रा की वेबसाइट पर कुल आठ मासिक समाचार पत्र प्रकाशित की गईं।

- **डिजिटल समावेशन पर वीडियो: सशक्तिकरण की एक नई सुबह**

  वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भादूविप्रा ने समाज के वंचित वर्गों के डिजिटल समावेशन हेतु किए गए प्रयासों पर एक लघु वीडियो का निर्माण किया, जिसे हिंदी में तैयार किया गया तथा 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु) में डब किया गया। ये वीडियो भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं तथा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों/उपभोक्ता जन-जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शित भी किए गए।

- **अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर वीडियो**

  प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर 10 क्षेत्रीय भाषाओं में दो मौजूदा लघु वीडियो की डबिंग भी की है। ये वीडियो हितधारकों द्वारा जानकारी के लिए डाउनलोड करने और विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों में दिखाए जाने हेतु ट्राई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

- **दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (सीयूटीसीईएफ) के उपयोग हेतु समिति की बैठक:**

1. दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को सीयूटीसीईएफ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (टीसीईपीएफ) के लेखापरीक्षित खातों पर विचार-विमर्श कर उन्हें अनुमोदित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई।

2. दिनांक 19 मार्च 2025 को आयोजित एक अन्य बैठक में सीयूटीसीईएफ की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संपन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए जाने वाले उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों को बजट अनुमान सहित अंतिम रूप दिया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त सीयूटीसीईएफ सदस्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है।

2.13.5 उपभोक्ता हितों एवं संरक्षण पर संगोष्ठियाँ

भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, दूरसंचार उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना और विभिन्न खतरों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, भादूविप्रा समकालीन, प्रौद्योगिकी तथा उपभोक्ता संबंधी विषयों पर संगोष्ठियाँ आयोजित करता है। ये संगोष्ठियाँ उपभोक्ताओं को दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में स्वयं को अद्यतन करने का अवसर प्रदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भादूविप्रा द्वारा कुल छह संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं। इनके विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विषय	स्थान	तिथि
1.	स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 5G उपयोग के मामले	तिरुपति	20.05.2024
2.	सतत विकास हेतु डिजिटल नवाचार	सोनीपत (हरियाणा)	20.06.2024
3.	दूरसंचार नेटवर्क की सेवा गुणवत्ता: कनेक्टिविटी अनुभव एवं इन-बिल्डिंग समाधान को समझना	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	24.09.2024
4.	भवनों और आवासीय परिसरों में सेवा-गुणवत्ता सुधार हेतु डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना	रांची (झारखंड)	26.09.2024
5.	प्रौद्योगिकी रुझान - शिक्षा, विनिर्माण, स्मार्ट अवसंरचना, लाइफ़ साइंस एवं स्वास्थ्य सेवा, कृषि में 5G उपयोग के मामले	सूरत (गुजरात)	01.10.2024
6.	नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण में संतुलन: आधुनिक दूरसंचार परिदृश्य में अवांछित वाणिज्यिक संचार एवं स्पैम कॉल्स की दोहरी चुनौती	इंदौर (मध्य प्रदेश)	24.03.2025

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 20 मई 2024 को तिरुपति में "स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 5G उपयोग के मामले" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों के लिए 5G प्रौद्योगिकी, मानक एवं उपकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श, चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक प्लेटफार्म प्रदान करना था।**

2.13.6 उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, भादूविप्रा को प्राप्त शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित सेवा प्रदाताओं को प्रेषित कर दिया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, भादूविप्रा को दूरसंचार सेवाओं से संबंधित कुल 58,680 शिकायतें तथा प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं से संबंधित 4,974 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित सेवा प्रदाताओं को अग्रेषित कर दिया गया।

2.13.7 सम्मेलन / संगोष्ठी / कार्यशाला

- **दिनांक 28 अगस्त 2024 को ए.आई. फ्रेमवर्क, गवर्नेंस एंड एप्लीकेशंस पर कार्यशाला**

  भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ने मैसर्स एरिक्सन के सहयोग से दिनांक 28 अगस्त 2024 को "ए.आई. फ्रेमवर्क, गवर्नेंस एंड एप्लीकेशंस" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। प्रस्तुतियों में भारत में रेडियो और नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), क्लाउड सिस्टम्स एवं प्लेटफ़ॉर्म, मशीन लर्निंग, सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफीसिएंट एआई, एआई आधारित इंटेंट-आधारित नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, दूरसंचार में एआई का कार्यान्वयन, एआई विनियमन एवं विश्वसनीयता आदि जैसे प्रमुख अनुसंधान केंद्रित क्षेत्रों को शामिल किया गया।

- **दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को दूरसंचार में साइबर सुरक्षा का रहस्योद्घाटन पर कार्यशाला**

  भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ने मैसर्स सिस्को के सहयोग से दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को "दूरसंचार में साइबर सुरक्षा का रहस्योद्घाटन" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में मैसर्स सिस्को द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल थे- सेवा प्रदाता नेटवर्क में विकास, सेवा प्रदाता नेटवर्क में खतरों की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा विनियामक संगठन, टेल्को सुरक्षा आर्किटेक्चर, टेल्को में क्वांटम और एआई, केस स्टडीज़, साइबर सुरक्षा उपाय, चुनौतियाँ, ज़ीरो ट्रस्ट अप्रोच, साइबर रेंज क्षमताएँ, विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताएँ आदि।

- **दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (सी-डॉट) के साथ बैठक**

दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (सी-डॉट) और भादूविप्रा के अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र के बीच एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। सी-डॉट की ओर से डॉ. बृजेश मिश्रा, वैज्ञानिक 'एंड एवं हेड सी-डॉट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स तथा सुश्री अंजलि खन्ना, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमुख सदस्य रहे, जबकि भादूविप्रा की ओर से सुश्री अर्चना अहलावत, सलाहकार (आईटी) एवं श्री एस.के. चौधरी, संयुक्त सलाहकार (टीसीएसआर) बैठक में सम्मिलित हुए। सी-डॉट और भादूविप्रा के बीच दिनांक 25 जुलाई 2023 को दूरसंचार एवं प्रसारण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। बैठक के दौरान एमओयू के अनुरूप क्वांटम-सिक्योर ब्लॉकचेन, सेफ क्वांटम कंप्यूटिंग ब्लॉकचेन, दूरसंचार क्षेत्र में साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण सहित सीएमएस, टीएसओसी, चक्षु एपीआई का भादूविप्रा के ऐप्स के साथ एकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि और अधिक रेग-टेक सॉल्यूशन्स की खोज हेतु विचार-विमर्श शुरू किया जाए। इसके अतिरिक्त, सी-डॉट ने परस्पर सहमति से भादूविप्रा अधिकारियों के लिए अपने प्रयोगशालाओं एवं सुविधाओं के फील्ड विज़िट्स आयोजित करने और इन्हें भादूविप्रा में नवनियुक्त अधिकारियों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का हिस्सा बनाने पर सहमति व्यक्त की।

- **दिनांक 30 जनवरी 2025 को सम्पत्तियों की रेटिंग पर वेबिनार**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 30 जनवरी 2025 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (रेरा) के प्रतिनिधियों के साथ इमारतों के अंदर बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता और "डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग" पर ट्राई द्वारा जारी विनियमन पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार की अध्यक्षता भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने की।

- **दिनांक 12 मार्च 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) पर कार्यशाला**

दिनांक 12 मार्च 2025 को एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डॉ. कर्णिका ए. सेठ, साइबर क़ानून विशेषज्ञ एवं संस्थापक, ने "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम)" विषय पर व्याख्यान दिया। यह अधिनियम दिनांक 11 अगस्त 2023 को भारत का पहला गोपनीयता क़ानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। प्रस्तुति का मुख्य फोकस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण क़ानून पर जागरूकता एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर केंद्रित था, जिसमें डीपीडीपी अधिनियम, 2023 की अधिकांश प्रासंगिक धाराएँ एवं नियम शामिल थे, जैसे- डेटा प्रिंसिपल को व्यक्तिगत डेटा की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, उसमें संशोधन या विलोपन का अधिकार, नामित करने का अधिकार, डेटा प्रिंसिपलों के कर्तव्य, व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण, छूट की व्यवस्थाएँ, दंड प्रावधान, गवर्नेंस ढाँचा तथा अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की प्रक्रिया।

- **दिनांक 3 मार्च से 15 मार्च 2025 को आईटीयू अध्ययन समूह (एसजी-13) की बैठक**

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) - दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो (आईटीयू-टी.) द्वारा दिनांक 3 मार्च से दिनांक 15 मार्च 2025 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्टडी ग्रुप समूह (एसजी-13) की बैठक आयोजित की गई। उक्त महत्वपूर्ण बैठक में भादूविप्रा के अधिकारी ने दूरस्थ (रिमोटेडली) रूप से भाग लिया और टेलिकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी), टीएसडीएसआई, आईआईटी बॉम्बे एवं अन्य उद्योग हितधारकों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर सहयोग किया। इस दौरान आईटीयू-टी एसजी-13 को प्रस्तुत किए जाने हेतु निम्नलिखित चार योगदानों के संयुक्त विकास में सहायता प्रदान की गई:

क. एनजीएन (नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क) विकास नियंत्रण स्तर में मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क

ख. एनजीएन विकास नियंत्रण स्तर में नेटवर्क अटैचमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क

ग. कनेक्टेड डिवाइसों की ऑनबोर्डिंग हेतु सुरक्षित पोर्टल।

घ. दूरसंचार नेटवर्कों में विभिन्न वर्टिकल्स के लिए मानक जनरेटिव एआई बेंचमार्क्स।

2.14 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भादूविप्रा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का सैक्टर मैंबर है और आईटीयू संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। भादूविप्रा एपीटी, एसएटीआरसी, आसियान, जीएसएमए, ब्रिक्स आदि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों में भी भाग लेता है, जिससे उसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के साथ जुड़ने और संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हुई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

2.14.1 भादूविप्रा द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते

मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा भादूविप्रा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भादूविप्रा ने अभिप्राय-पत्र और समझौता ज्ञापन (एमओयू) के रूप में कई द्विपक्षीय समझौते किए। ये समझौते परस्पर हित के क्षेत्रों में विचारों, सूचनाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय संवाद के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए परस्पर लाभकारी हैं।

इस वर्ष, भादूविप्रा ने सऊदी अरब के कम्युनिकेशन, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन (सीएसटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी और सीएसटी के डॉ. मोहम्मद सऊद अल-तमीमी द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2024, नई दिल्ली के अवसर पर हस्ताक्षरित किया गया। इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास में योगदान करना है।

माननीय संचार राज्य मंत्री तथा भादूविप्रा एवं सीएसटी के अधिकारियों की उपस्थिति में, भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी और सीएसटी के डॉ. मोहम्मद सऊद अल-तमीमी द्वारा अभिप्राय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

2.14.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम

क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 को 'विनियमन में उभरते रुझान' विषय पर दूरसंचार विनियामकों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आईटीयू-वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेम्बली (डब्ल्यूटीएसए-24) तथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी-24) के अवसर पर 'विनियमन में उभरते रुझान' विषय पर दूरसंचार विनियामकों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में मानकीकरण पर विनियामक दृष्टिकोण, गैर-स्थलीय नेटवर्क के लिए फ्रेमवर्क तथा ओटीटी संचार सेवाओं के लिए विनियामक परिप्रेक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

कुल मिलाकर इस सम्मेलन में 143 अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से लगभग 88 प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, जो अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, बेल्जियम, बोत्सवाना, बुरुंडी, कंबोडिया, कनाडा, कोलंबिया, कोट दी आइवर, घाना, हंगरी, लेसोथो, मलावी, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, पराग्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, तंज़ानिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ज़िम्बाब्वे जैसे देशों से आए थे। वहीं 55 घरेलू प्रतिभागी भादूविप्रा और दूरसंचार विभाग से थे जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया।

'विनियमन में उभरते रुझान' विषय पर आयोजित दूरसंचार विनियामकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

ख. भादूविप्रा ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियाँ' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की।

भादूविप्रा ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी-2024) के अवसर पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियाँ' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में प्रसारण उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से इमर्सिव टैक्नॉलोजीज, डी2एम एवं 5G प्रसारण तथा डिजिटल रेडियो पर ध्यान केंद्रित किया गया। संगोष्ठी को तीन क्रमिक सत्रों में संरचित किया गया था, जिनमें प्रसारण परिदृश्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।

पहला सत्र 'प्रसारण परिदृश्य में इमर्सिव प्रौद्योगिकियों का उपयोग' शीर्षक से आयोजित किया गया, जिसमें यह विचार-विमर्श किया गया कि ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और मिक्स्ड रियलिटी (एमआर) जैसी प्रौद्योगिकियाँ प्रसारण क्षेत्र में सामग्री के निर्माण और उपभोग की प्रक्रिया में किस प्रकार क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं।

दूसरा सत्र 'डी2एम और 5G प्रसारण: अवसर और चुनौतियाँ' शीर्षक से आयोजित किया गया, जिसमें सीधे मोबाइल हैंडसेट्स पर सामग्री की निर्बाध प्राप्ति संभव कर उपयोगकर्ताओं द्वारा मीडिया तक पहुँचने और उसका उपभोग करने के तरीकों में परिवर्तन लाने में सक्षम दो प्रमुख प्रौद्योगिकी मानकों, अर्थात् एटीएससी 3.0 और 5G प्रसारण (3जीपीपी मानक आधारित) पर चर्चा की गई।

अंतिम सत्र 'डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी : भारत में परिनियोजन रणनीतियाँ' शीर्षक से आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय बाज़ार के लिए डिजिटल रेडियो के परिनियोजन की रणनीतियों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने डिजिटल रेडियो के लाभों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें उत्तम ध्वनि गुणवत्ता, स्पेक्ट्रम दक्षता तथा मल्टीमीडिया सेवाएँ उपलब्ध कराने की क्षमता शामिल हैं। साथ ही, मौजूदा एनालॉग नेटवर्क के साथ इंटरऑपरेबिलिटी से संबंधित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई, जिससे डिजिटल प्रसारण की ओर ट्रांजिशन को और अधिक सुगम बनाया जा सके।

ग. दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामकों की परिषद (एसएटीआरसी-25) की 25वीं बैठक दिनांक 11 से दिनांक 13 नवम्बर, 2024 तक आयोजित की गई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एशिया-पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के सहयोग से दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामकों की परिषद (एसएटीआरसी-25) की 25वीं बैठक का आयोजन दिनांक 11 से दिनांक 13 नवम्बर, 2024 तक होटल ली-मेरिडियन, नई दिल्ली में किया। इस बैठक में लगभग 83-90 अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक को माननीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, माननीय संचार राज्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्र शेखर, एशिया-पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के महासचिव श्री मसनोरी कोंडो, तथा मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद एमदाद उल बारी, अध्यक्ष एसएटीआरसी-2024 एवं अध्यक्ष, बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग (बीटीआरसी) ने संबोधित किया। इस बैठक के दौरान, श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा को वर्ष 2025 के लिए एसएटीआरसी के नये अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।

दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामकों की परिषद (एस.ए.टी.आर.सी.) की 25वीं बैठक का उद्घाटन सत्र

घ. दिनांक 21 से 23 जनवरी 2025 तक स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) की कार्यशाला।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने एशिया-पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के सहयोग से दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामकों की परिषद (एसएटीआरसी) की स्पेक्ट्रम पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 21 से 23 जनवरी, 2025 तक होटल डबल ट्री बाय हिल्टन,

गोवा में किया। इस सम्मेलन में कुल 85 अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से लगभग 57 प्रतिनिधि एस.ए.टी.आर.सी. सदस्य देशों से तथा 28 घरेलू प्रतिभागी भादूविप्रा एवं अन्य मंत्रालयों/विभागों से थे जिन्होंने भौतिक रूप से उपस्थिति दर्ज की। कार्यशाला को श्री मसनोरी कोंडो, महासचिव, एशिया-पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी), श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा तथा श्री अब्दुल कयूम, अध्यक्ष, एसएटीआरसी वर्किंग ग्रुप ऑन स्पेक्ट्रम ने संबोधित किया। इस कार्यशाला में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों से आए विनियामकों, उद्योग जगत के नेताओं एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया।

दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामकों की परिषद (एसएटीआरसी) की स्पेक्ट्रम पर कार्यशाला

2.14.3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विनियामकों द्वारा द्विपक्षीय यात्राएँ

i. श्री मैक्स क्यूवेलियर जियाकोमेल्ली, हेड ऑफ मोबाइल फॉर डेवलपमेंट (एम4डी), जीएसएमए की अगुवाई में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 10 अप्रैल, 2024 को भादूविप्रा का दौरा किया और श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा से मुलाकात की। इस बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

ii. श्री मैट्स ग्रानराइड, महानिदेशक, जीएसएमए ने दिनांक 9 मई, 2024 को भादूविप्रा का दौरा किया और श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा से मुलाकात की। बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

भादूविप्रा और जीएसएमए के बीच द्विपक्षीय बैठकें

iii. श्री जूलियन गोर्मन, हेड ऑफ एशिया पैसिफिक, जी.एस.एम.ए. की अगुवाई में जीएसएमए प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 23 अगस्त, 2024 को भादूविप्रा का दौरा किया और श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में श्री अतुल कुमार चौधरी, सचिव, भादूविप्रा तथा सुश्री जीनैट व्हाइट, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जीएसएमए भी उपस्थित थीं।

iv. दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 24' के अवसर पर नाइजीरिया के नाइजीरियन कम्युनिकेशंस कमीशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. अमीनू मैडा, कार्यकारी उपाध्यक्ष-एनसीसी ने किया।

भादूविप्रा और एनसीसी, नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय बैठक

v. दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 24' के अवसर पर सऊदी अरब की कम्युनिकेशंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय डॉ. मोहम्मद अल-तमीमी, गवर्नर, सीएसटी, सऊदी अरब ने किया।

भादूविप्रा और सीएसटी, सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय बैठक

vi. दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 24' के अवसर पर फेडरल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट - मेक्सिको के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री जेवियर हुआरेज़, कार्यकारी अध्यक्ष, एफटीआई ने किया।

भादूविप्रा और एफटीआई, मेक्सिको के बीच द्विपक्षीय बैठक

vii. दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 24' के अवसर पर इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशंस अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका (आईसीएएसए), दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री मोथिबी रामुसी, अध्यक्ष - आईसीएएसए, दक्षिण अफ्रीका ने किया।

भादूविप्रा और आई.सी.ए.एस.ए., दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बैठक

viii. दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 24' के अवसर पर नेशनल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनटीआरए), मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंजीनियर मोहम्मद शमरूख, कार्यकारी अध्यक्ष - एनटीआरए, मिस्र ने किया।

भादूविप्रा और एनटीआरए, मिस्र के बीच द्विपक्षीय बैठक

ix. काउंसलर सुश्री कैथरीन मुशी, बोर्ड सदस्य, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशंस अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका (आईसीएएसए) की अगुवाई में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मानकों के अध्ययन के लिए भादूविप्रा का दौरा किया। आईसीएएसए द्वारा दर्शाए गए रुचि-क्षेत्रों के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 10 से 11 मार्च, 2025 तक एक व्यापक दो दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया।

भादूविप्रा और आईसीएएसए, दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बैठक

2.14.4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्राधिकरण की भागीदारी

I. वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी(डब्ल्यूएसआईएस-24), जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में दिनांक 27 से 31 मई, 2024 तक आयोजित किया गया।

श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने डब्ल्यूएसआईएस+20 फोरम, उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024, जेनेवा में आयोजित ऐआई गवर्नेंस डे की उच्च स्तरीय गोलमेज चर्चा में भाग लिया तथा 'लीडर्स टॉकX: डिजिटल की पूर्ण क्षमता को उजागर करने वाले आईसीटी एप्लीकेशन' विषय पर फोरम को संबोधित किया।

अध्यक्ष, भादूविप्रा ने जेनेवा में डब्ल्यूएसआईएस+20 फोरम 2024 में भाग लिया

II. विनियामकों की गोलमेज बैठक, 24वाँ एपीटी नीतिगत एवं विनियामक फोरम, थाईलैंड

दिनांक 16 से 18 जुलाई, 2024 तक थाईलैंड में आयोजित विनियामकों की गोलमेज बैठक, 24वाँ एपीटी नीतिगत एवं विनियामक फोरम में श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने ऑनलाइन संबोधन दिया। उन्होंने 'समावेशी और सार्वभौमिक डिजिटल परिदृश्य के लिए अनुकूल आईसीटी नीतियाँ और विनियमन' विषय पर अपने विचार साझा किए।

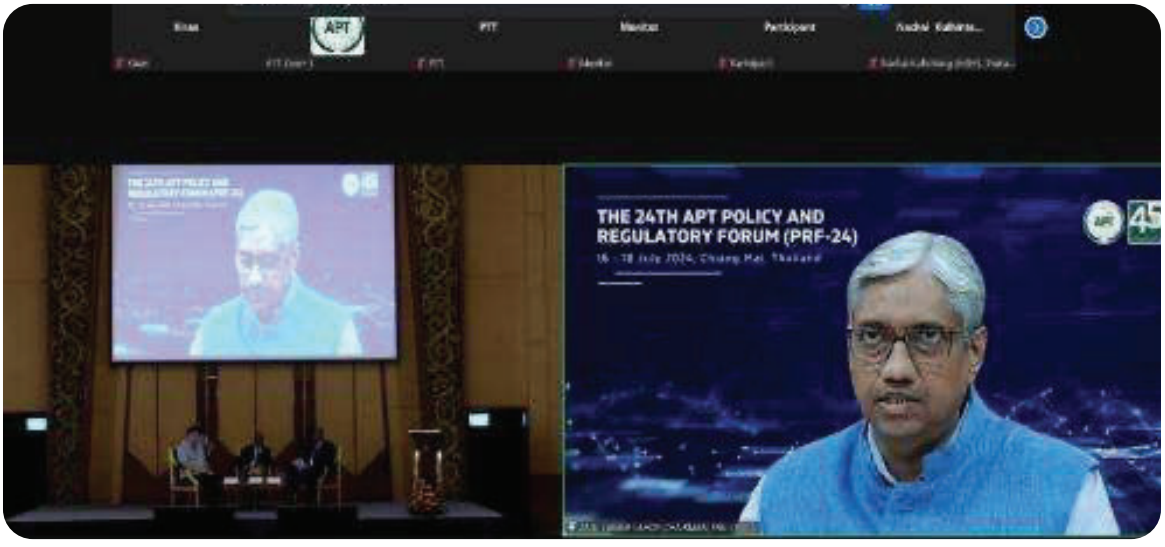

थाईलैंड में आयोजित 24वें एपीटीपीआरएफ में अध्यक्ष, भादूविप्रा ने वर्चुअल रूप से भाग लिया

III. जीएसएमए मोबाइल 360 एशिया-पैसिफिक एवं पॉलिसी लीडर्स फोरम 2024 – दिनांक 1 से 2 अक्टूबर, 2024 तक सियोल, कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया।

अध्यक्ष, भादूविप्रा ने सियोल में आयोजित जीएसएमएएम 360 सम्मेलन के दौरान पॉलिसी लीडर्स' फोरम के पैनल में डिजिटल अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने की रणनीतियाँ विषय पर वक्ता के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने सियोल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट (एसएमजी) के ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस (टीओपीआईएस) नियंत्रण केंद्र तथा सैमसंग इनोवेशन म्यूज़ियम का भी भ्रमण किया।

अध्यक्ष, भादूविप्रा ने सियोल, कोरिया गणराज्य में जीएसएमए एम360 एशिया-पैसिफिक एवं पॉलिसी लीडर्स फोरम में भाग लिया

IV. आईटीयू-सीएसटी अंतर्राष्ट्रीय फोरम 2024 'कनेक्टिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द स्काइज' दिनांक 25 से 26 नवम्बर, 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया।

अध्यक्ष, भादूविप्रा ने "टुवर्ड्स सीमलेस कनेक्टिविटी इकोसिस्टम" विषय पर मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया

V. दिनांक 28 से 29 जनवरी, 2025 तक यूरोपीय 5G सम्मेलन 2025 ब्रसेल्स ब्लूम में आयोजित किया गया।

श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने यूरोपीय 5G सम्मेलन में "भारत में 5G रोलआउट एंड स्ट्रेटीज" विषय पर मुख्य वक्तव्य वर्चुअल रूप से प्रस्तुत किया। यूरोपीय 5G सम्मेलन 2025 का आयोजन दिनांक 28 से 29 जनवरी, 2025 तक होटल एनएचओडब्ल्यू ब्रसेल्स ब्लूम में हाइब्रिड मोड में किया गया।

VI. जीएसएमए मंत्रीस्तरीय कार्यक्रम, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 दिनांक 3 से 5 मार्च, 2025 तक बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया।

अध्यक्ष, भादूविप्रा ने जीएसएमए मंत्रीस्तरीय कार्यक्रम, एमडब्ल्यूसी-2025 में भाग लिया

2.14.5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिकारियों की भागीदारी

भादूविप्रा के अधिकारियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे -

क) डिजिटल वीक-2024, लंदन, यूके, दिनांक 21 से 23 मई, 2024

ख) डब्ल्यूएसआईएस फोरम, जेनेवा, दिनांक 27 से 31 मई, 2024

ग) आईटीयू ग्लोबल सिम्पोज़ियम फ़ॉर रेगुलेटर्स, कम्पाला, युगांडा, दिनांक 1 से 4 जुलाई, 2024

घ) पीआरएफ-24, चियांग माई, थाईलैंड, दिनांक 16 से 18 जुलाई, 2024

ङ) जी.एस.एम.ए. मोबाइल एशिया-पैसिफिक, सियोल, कोरिया, दिनांक 30 सितम्बर से 4 अक्टूबर, 2024

च) आई.टी.यू.-सी.एस.टी. इंटरनेशनल फोरम, रियाद, सऊदी अरब, दिनांक 25 से 26 नवम्बर, 2024

छ) जी.एस.एम.ए. एम.डब्ल्यू.सी., बार्सिलोना, स्पेन, दिनांक 3 से 5 मार्च, 2025

ज) विभिन्न आई.टी.यू.- स्टडी ग्रुप मीटिंग्स एवं अंतर्राष्ट्रीय विनियामक सम्मेलन

झ) एस.ए.टी.आर.सी. वर्किंग ग्रुप बैठकों में भागीदारी।

2.14.6 अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान प्राधिकरण की द्विपक्षीय बैठकें

क. जिनेवा में दिनांक 27 से 31 मई 2024 के दौरान आयोजित 'डब्ल्यूएसआईएस-2024' के अवसर पर प्राधिकरण द्वारा कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

I. मैक्सिको के फेडरल टेलीकम्युनिकेशन संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री जेवियर जुआरेज़ के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और एफटीआई, मैक्सिको के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

II. सऊदी अरब की कम्युनिकेशन्स, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन (सीएसटी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिसका नेतृत्व महामहिम डॉ. मोहम्मद अल तमीमी, गवर्नर-सीएसटी ने किया, एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और सीएसटी, सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

III. सुश्री डोरीन बोगदान, महासचिव - आईटीयू के साथ आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक।

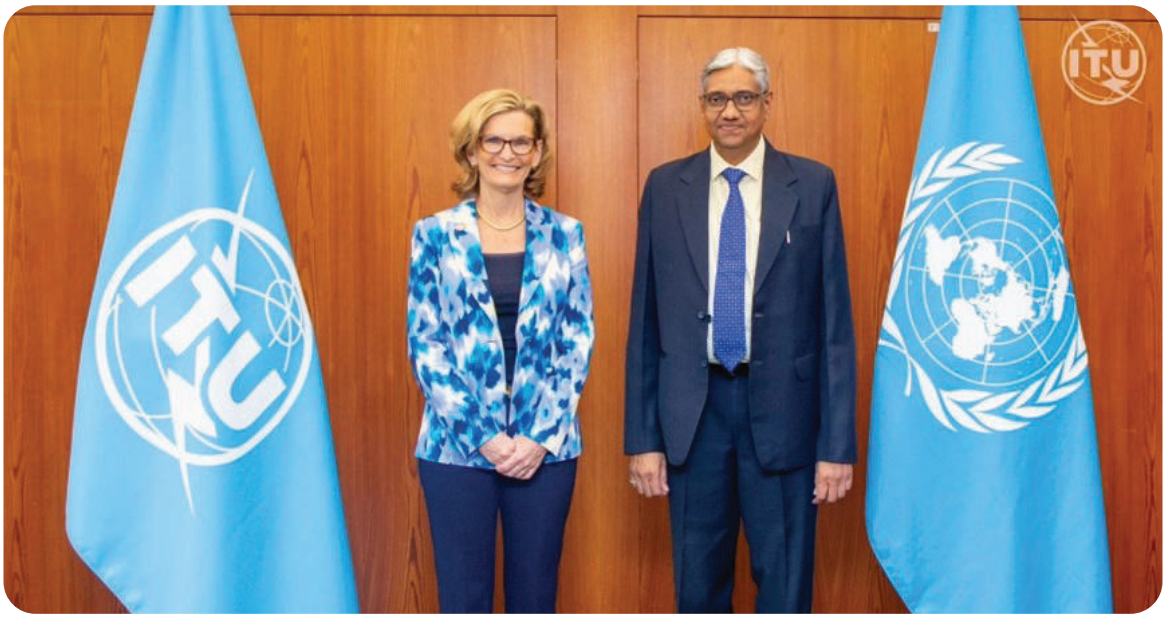

ख. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 से 26 नवम्बर 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित आईटीयू-सीएसटी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के अवसर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

I. ब्राज़ीलियाई विनियामक एएनएटेल के अध्यक्ष श्री कार्लोस बैगोरी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और एएनएटेल, ब्राज़ील के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

II. सऊदी अरब साम्राज्य की सीएसटी आयोग के गवर्नर महामहिम डॉ. मोहम्मद अल-तमीमी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और सीएसटी, सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

ग. दिनांक 3 से 5 मार्च 2025 तक प्राधिकरण-ट्राई द्वारा बार्सिलोना, स्पेन में जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस-2025 के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

I. फ्रांसीसी विनियामक एआरसीईपी के सदस्य श्री ज़ेवियर मर्लिन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और एआरसीईपी, फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

II. संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय संचार आयोग (एफसीसी) के अध्यक्ष श्री ब्रेंडन कार्र के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और संघीय संचार आयोग (एफसीसी), संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

III. जीएसएमए के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व श्री जूलियन गॉरमैन, एशिया पैसिफिक प्रमुख ने किया, के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और जीएसएमए के बीच एक द्विपक्षीय बैठक

IV. बीईआरईसी (यूरोपीय विनियामक निकाय - इलेक्ट्रॉनिक संचार हेतु) के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व श्री रॉबर्ट मौरिक, अध्यक्ष - बीईआरईसी ने किया, के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा और बीईआरईसी, यूरोपीय संघ के बीच एक द्विपक्षीय बैठक

2.15 दूरसंचार विभाग के विचाराधीन प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे

रिपोर्ट में वर्णित विभिन्न विषयों के अतिरिक्त, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे भी हैं, जो दूरसंचार विभाग के विचाराधीन हैं:

I. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन हेतु प्रस्ताव

भादूविप्रा की स्थापना भादूविप्रा अधिनियम 1997 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना तथा दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत अपने कार्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन के लिए दूरसंचार विभाग को विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं। इस संबंध में प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 5 जुलाई 2023 के द्वारा अंतिम अनुरोध भेजा था।

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन हेतु प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

II. भादूविप्रा तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य तथा तकनीकी व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यक्षेत्र के विस्तार को देखते हुए, भादूविप्रा के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है और इस संबंध में एक प्रस्ताव दिनांक 10 मार्च, 2023 के पत्र द्वारा दूरसंचार विभाग को भेजा गया है ताकि पुनर्गठन के एक भाग के रूप में ट्राई मुख्यालय और ट्राई क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय/मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त की जा सके। दूरसंचार विभाग द्वारा इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2019-20 से अब तक (वित्त वर्ष 2024-25 को छोड़कर) जारी की गई भादूविप्रा की अनुशंसाओं/उप-अनुशंसाओं की स्थिति

दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	अनुशंसाएं	जारी करने की तिथि	स्थिति
1.	एम2एम (एम2एम) संचार हेतु एम्बेडेड सिम के उपयोग पर अनुशंसाएं	21/03/2024	आंशिक रूप से स्वीकृत
2.	भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेज़ेन्टेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत पर अनुशंसाएं	23/02/2024	सरकार के विचाराधीन
3.	हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार पर अनुशंसाएं	29/09/2023	स्वीकृत
4.	भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण (एनएटीईएम) को प्रोत्साहित करने पर अनुशंसाएं	22/09/2023	आंशिक रूप से स्वीकृत
5.	भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार पर अनुशंसाएं	22/09/2023	आंशिक रूप से स्वीकृत
6.	प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर अनुशंसाएं	19/09/2023	समाप्त (दिनांक 18 सितम्बर 2024 को जारी सर्विस ऑथराईजेशन्स पर अनुशंसाओं का हिस्सा होने के कारण)
7.	एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (डीसीआईपी) ऑथराईजेशन की शुरूआत पर अनुशंसाएं	08/08/2023	समाप्त (दिनांक 18 सितम्बर 2024 को जारी सर्विस ऑथराईजेशन्स पर अनुशंसाओं का हिस्सा होने के कारण)

क्र.सं.	अनुशंसाएं	जारी करने की तिथि	स्थिति
8.	दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के उपयोग पर अनुशंसाएं	20/07/2023	आंशिक रूप से स्वीकृत
9.	भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग हेतु लाइसेंसिंग ढाँचा और विनियामक तंत्र पर अनुशंसाएं	19/06/2023	आंशिक रूप से स्वीकृत
10.	दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय सुगमता पर अनुशंसाएं	02/05/2023	आंशिक रूप से स्वीकृत
11.	लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल अवसंरचना में सुधार पर अनुशंसाएं	24/04/2023	स्वीकृत
12.	डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर अनुशंसाएं	20/02/2023	सरकार के विचाराधीन
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की आरआरटीएस कॉरिडोरों हेतु ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं पर अनुशंसाएं	28/12/2022	स्वीकृत
14.	हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी अवसंरचना में सुधार पर अनुशंसाएं	12/12/2022	स्वीकृत
15.	स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग पर अनुशंसाएं	29/11/2022	आंशिक रूप से स्वीकृत
16.	सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन हेतु लाइसेंसिंग ढाँचे पर अनुशंसाएं	29/11/2022	सरकार के विचाराधीन
17.	भारत में डाटा सेंटर्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स और इंटरकनेक्ट एक्सचेंज की स्थापना के माध्यम से डाटा इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक ढाँचे पर अनुशंसाएं	18/11/2022	आंशिक रूप से स्वीकृत

क्र.सं.	अनुशंसाएं	जारी करने की तिथि	स्थिति
18.	आईएमटी-5G के लिए चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी पर अनुशंसाएं	11/04/2022	आंशिक रूप से स्वीकृत
19.	ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने और ब्रॉडबैंड गति बढ़ाने के लिए रोडमैप पर अनुशंसाएं	31/08/2021	आंशिक रूप से स्वीकृत
20.	न्यून बिट दर अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढाँचे पर अनुशंसाएं	26/08/2021	आंशिक रूप से स्वीकृत
21.	"डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंसियल लाइसेंसिंग के माध्यम से अनबंडलिंग सक्षम करने" पर अनुशंसाएं	19/08/2021	अस्वीकृत
22.	नेट न्यूट्रैलिटी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाएँ और मल्टीस्टेकहोल्डर्स बॉडीज पर अनुशंसाएं	22/09/2020	अस्वीकृत
23.	ओवर द टॉप (ओटीटी) संचार सेवा पर अनुशंसाएं	14/09/2020	समाप्त (नई परामर्श प्रक्रिया की जाएगी)
24.	'क्लाउड सेवाओं' पर अतिरिक्त अनुशंसाएं	14/09/2020	समाप्त (मामला, दूरसंचार विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा गया)
25.	स्पेक्ट्रम साझाकरण के मामलों में क्रमिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लागू करने की कार्यप्रणाली पर अनुशंसाएं	17/08/2020	आंशिक रूप से स्वीकृत
26.	वी-सैट टर्मिनलों के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी की व्यवस्था पर अनुशंसाएं	28/07/2020	आंशिक रूप से स्वीकृत
27.	फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने पर अनुशंसाएं	29/05/2020	स्वीकृत
28.	वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए व्यावसायिक लॉन्च से पूर्व नेटवर्क परीक्षण पर अनुशंसाएं	22/04/2020	स्वीकृत

क्र.सं.	अनुशंसाएं	जारी करने की तिथि	स्थिति
29.	इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कैटेगरी-I (आईपी-I) पंजीकरण के दायरे के विस्तार पर अनुशंसाएं	13/03/2020	अस्वीकृत
30.	दूरसंचार लाइसेंसों के ट्रांसफर-विलय हेतु दिशा-निर्देशों के सुधार पर अनुशंसाएं	21/02/2020	सरकार के विचाराधीन
31.	भारतीय रेलवे को सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आवंटन पर अनुशंसाएं	25/10/2019	स्वीकृत
32.	अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण की शर्तों और नियमों की समीक्षा पर अनुशंसाएं	21/10/2019	स्वीकृत

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2019-20 से अब तक (वित्त वर्ष 2024-25 को छोड़कर) जारी की गई भादूविप्रा की अनुशंसाओं/उप-अनुशंसाओं की स्थिति

प्रसारण क्षेत्र

क्र.सं.	अनुशंसाएं	जारी करने की तिथि	स्थिति
1.	लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं	21/09/2023	सरकार के विचाराधीन
2.	एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं	05/09/2023	आंशिक रूप से स्वीकृत
3.	डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत विषयों पर अनुशंसाएं	21/08/2023	सरकार के विचाराधीन
4.	दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय सुगमता पर अनुशंसाएं	02/05/2023	सरकार के विचाराधीन
5.	टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर अनुशंसाएं	31/03/2023	सरकार के विचाराधीन
6.	कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं	22/03/2023	स्वीकृत
7.	मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण के नवीनीकरण पर अनुशंसाएं	29/12/2022	स्वीकृत
8.	केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना प्रतिस्पर्धा पर अनुशंसाएं	07/09/2022	सरकार के विचाराधीन
9.	भारत में टेलीविजन ऑडियंस मेज़रमेंट और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा पर अनुशंसाएं	28/04/2020	सरकार के विचाराधीन

क्र.सं.	अनुशंसाएं	जारी करने की तिथि	स्थिति
10.	एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य पर अनुशंसाएं	10/04/2020	स्वीकृत
11.	सेट-टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी पर अनुशंसाएं	10/04/2020	सरकार के विचाराधीन
12.	डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं पर अनुशंसाएं	13/11/2019	आंशिक रूप से स्वीकृत
13.	डीटीएच सेट-टॉप बॉक्स के केवाईसी पर अनुशंसाएं	24/10/2019	स्वीकृत
14.	केबल टीवी सेवाओं में मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों की प्रवेश स्तर की नेट वर्थ आवश्यकता पर अनुशंसाएं	22/07/2019	स्वीकृत

अनुलग्नक-III

दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान आयोजित सीओपी (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन) की सूची

क्र.सं.	सीओपी का स्थान	तिथि
1	सीतामढ़ी (बिहार)	18/04/2024
2	चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक)	02/05/2024
3	कलबुर्गी (कर्नाटक)	14/05/2024
4	दीमा हासाओ (असम)	16/05/2024
5	गांधीनगर (गुजरात)	22/05/2024
6	सवाई माधोपुर (राजस्थान)	31/05/2024
7	देहरादून (उत्तराखंड)	05/06/2024
8	धरमनगर, उत्तर त्रिपुरा ज़िला (त्रिपुरा)	06/06/2024
9	झज्जर (हरियाणा)	07/06/2024
10	नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)	12/06/2024
11	कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	13/06/2024
12	नोंगतालांग, पश्चिम जयंतिया हिल्स (मेघालय)	27/06/2024
13	मंचेरियल (तेलंगाना)	27/06/2024
14	महासमुंद (छत्तीसगढ़)	28/06/2024
15	नरसापुर (आंध्र प्रदेश)	05/07/2024
16	पलोनचा (तेलंगाना)	11/07/2024
17	राजसमंद (राजस्थान)	19/07/2024
18	हज़ारीबाग (झारखंड)	25/07/2024
19	तिरुचिरापल्ली (त्रिची) (तमिलनाडु)	25/07/2024
20	डोंबिवली (महाराष्ट्र)	25/07/2024

क्र.सं.	सीओपी का स्थान	तिथि
21	नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)	01/08/2024
22	सतना (मध्य प्रदेश)	01/08/2024
23	रोहतास (बिहार)	08/08/2024
24	पुणे (महाराष्ट्र)	16/08/2024
25	पठानकोट (पंजाब)	22/08/2024
26	मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	29/08/2024
27	शिवमोग्गा (कर्नाटक)	30/08/2024
28	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	11/09/2024
29	गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)	13/09/2024
30	ब्रह्मपुर (ओडिशा)	19/09/2024
31	देवभूमि द्वारका (गुजरात)	20/09/2024
32	कन्नूर (केरल)	25/09/2024
33	मेडक (तेलंगाना)	27/09/2024
34	रीवा (मध्य प्रदेश)	23/01/2025
35	धौलपुर (राजस्थान)	24/01/2025
36	कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	06/02/2025
37	अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)	19/02/2025
38	राजकोट (गुजरात)	20/02/2025
39	मेडक (तेलंगाना)	28/02/2025
40	रीवा (मध्य प्रदेश)	06/03/2025
41	धौलपुर (राजस्थान)	06/03/2025

क्र.सं.	सीओपी का स्थान	तिथि
42	वेम्बक्कम (तमिलनाडु)	06/03/2025
43	धारवाड़ (कर्नाटक)	12/03/2025
44	कोलासिब (मिज़ोरम)	19/03/2025
45	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	21/03/2025
46	सोलापुर (महाराष्ट्र)	26/03/2025

भाग – III

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, यथा संशोधित, की धारा-11 में उपबंध है कि -

(1) *भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे-*

(क) निम्नलिखित विषयों पर, स्वतः संज्ञान लेते हुए अथवा लाइसेंसदाता के अनुरोध पर, अनुशंसाएं करना, अर्थात्:

i. *नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और समय निर्धारण।*

ii. *किसी सेवा प्रदाता को दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्तें एवं नियम।*

iii. *लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस का निरस्तीकरण।*

iv. *दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बनाने तथा दक्षता को प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके।*

v. *सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना।*

vi. *नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्करों के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का प्रकार निर्धारित करना।*

vii. *दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है।*

viii. *उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के उपाय।*

(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करना, अर्थात्:

i. *लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।*

ii. *भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करना।*

iii. *विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना।*

iv. *दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त राजस्व साझा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच मौजूद व्यवस्था को विनियमित करना।*

v. *सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक तय करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके।*

vi. *विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य स्थानीय और लंबी दूरी के दूरसंचार परिपथ प्रदान करने की समय-सीमा तय करना और उसका पालन सुनिश्चित करना।*

vii. *इंटरकनेक्शन व्यवस्था समझौतों का तथा विनियमों में प्रावधानित अन्य सभी विषयों का रजिस्टर अनुरक्षित करना।*

viii. *उपबंध (vii) के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखना, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध कराना।*

ix. *यूनीवर्सल सर्विस आब्लिगेशन (जिसका नाम परिवर्तित होकर "डिजिटल भारत निधि" किया गया है) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।*

(ग) *ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा अन्य प्रभार वसूल करना जैसा कि विनियम में निर्धारित किया गया है।*

(घ) *प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य संपादित करना जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपा गया हो या जो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:*

बशर्ते यह कि इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकरण की अनुशंसाएं केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह कि किसी सेवा प्रदाता को जारी किए जाने वाले नए लाइसेंस के संबंध में, इस उपधारा के खंड (क) की उपधारा (i) और (ii) में निर्दिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार प्राधिकरण से अनुशंसाएं मांगेगी तथा प्राधिकरण, सरकार द्वारा अनुशंसाएं मांगे जाने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अपनी अनुशंसाएं अग्रेषित करेगा।

बशर्ते यह कि प्राधिकरण, इस उपधारा के खंड (क) की उपधारा (i) और (ii) के अंतर्गत अनुशंसाएं करने के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से कर सकता है और वह सरकार ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त जानकारी उपलब्ध कराएगी।

बशर्ते यह कि यदि प्राधिकरण से दूसरी उपबन्धन में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा केंद्र सरकार और प्राधिकरण के मध्य परस्पर सहमति से तय की गई अवधि के भीतर कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं होती है, तो केंद्र सरकार किसी सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी कर सकती है।

बशर्ते यह कि यदि केंद्र सरकार, प्राधिकरण की अनुशंसा पर विचार करने के पश्चात इस प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुँचती है कि ऐसी अनुशंसा स्वीकार नहीं की जा सकती या उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो वह अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण को भेजेगी, और प्राधिकरण उक्त संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, उस सरकार द्वारा किए गए संदर्भ पर विचार करने के पश्चात अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा। ऐसी किसी आगे की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद, केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

(2) *भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्राधिकरण समय-समय पर आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में दरें अधिसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है।*

बशर्ते यह कि प्राधिकरण समान दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों हेतु भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है और जहाँ उपर्युक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, वहाँ प्राधिकरण प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) *उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा।*

(4) *प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों का निर्वहन करने के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।*

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः संज्ञान लेते हुए अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए है; लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की गई है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया गया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में प्रसारण एवं केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्तागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

3.1 भारत के भीतर और भारत के बाहर दोनों के लिए दूरसंचार दरें, जिनमें किसी भी देश को संदेश प्रेषित करने की दरें भी शामिल हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (2), जिसे भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित किया गया है, प्राधिकरण को यह अधिकार देती है कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएँ किन दरों पर प्रदान की जाएँगी, यह निर्दिष्ट करे, जिसमें वे दरें भी सम्मिलित हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किसी भी देश को प्रेषित किए जाएँगे। यह भी प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण समान दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों हेतु भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं पर लागू शुल्क व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा पर यह दायित्व भी है कि बाजार में प्रचलित शुल्क निर्दिष्ट शुल्क व्यवस्था के अनुरूप हों। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण उन दरों की निगरानी करता है जिन पर सेवा प्रदाता विभिन्न दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, पे चैनलों की दरें निर्धारित करने के मानदंड तय करने तथा केबल सेवाओं की दरें निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है। दूरसंचार क्षेत्र तथा प्रसारण एवं केबल क्षेत्र में 2024-25 के दौरान भादूविप्रा द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित है।

3.1.1 मौजूदा टैरिफ ढाँचे के अनुसार, मोबाइल सेवाओं और डाटा सेवाओं का टैरिफ फॉरबियरेंस के अंतर्गत है। सेवा प्रदाताओं को विभिन्न प्रकार की कॉल, एस.एम.एस. अथवा इंटरनेट डाटा ऑफ़र के लिए अनेक संयोजनों के साथ, अपने-अपने सेवा क्षेत्रों में दरें तय करने की छूट है। हालाँकि, टैरिफ ऑफ़र दूरसंचार टैरिफ आदेशों और दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।

भादूविप्रा टैरिफ नियमन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। टैरिफ विनियमन का स्वरूप उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले टैरिफ ऑफ़रों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उन परिस्थितियों में टैरिफ निर्धारण करने का होता है, जहाँ बाज़ार उपयुक्त दरें उपलब्ध नहीं करा रहा होता है।

3.2 (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता और समय-निर्धारण पर अनुशंसाएं। (ii) नए सेवा प्रदाता को दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों पर अनुशंसाएं। (iii) लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन न करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण पर अनुशंसाएं।

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत, प्राधिकरण को या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए अथवा लाइसेंसदाता के अनुरोध पर, अर्थात् दूरसंचार विभाग (डीओटी) या प्रसारण एवं केबल सेवाओं के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के अनुरोध किए जाने पर अनुशंसाएँ करना अपेक्षित है। वर्ष 2024-25 के दौरान भादूविप्रा द्वारा सरकार को अग्रेषित की गई अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं:–

(i) "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों और व्यवसाय मॉडलों को प्रोत्साहित करने" पर दिनांक 12 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं।

(ii) "राष्ट्रीय प्रसारण नीति–2024 के निर्माण हेतु सुझाव" पर दिनांक 20 जून 2024 की अनुशंसाएं।

(iii) "इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविज़न चैनलों की सूचीकरण और डी.डी. फ्री डिश प्लेटफ़ॉर्म को एड्रेसेबल प्रणाली में उन्नत करने" पर दिनांक 8 जुलाई 2024 की अनुशंसाएं।

(iv) "ग्राउंड-बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर दिनांक 15 जनवरी 2025 की अनुशंसाएं।

(v) "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" पर दिनांक 6 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।

(vi) "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने हेतु सर्विस ऑथराईजेशन्स के लिए फ्रेमवर्क" पर दिनांक 21 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।

इन अनुशंसाओं के विवरण पर इस रिपोर्ट के भाग–II में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

3.3 तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना

इंटरकनेक्शन, दूरसंचार अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो नेटवर्कों और सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है। उपयुक्त इंटरकनेक्शन ढाँचों की अनुपस्थिति में, ग्राहक विभिन्न नेटवर्कों के बीच संचार स्थापित नहीं कर सकते या आवश्यक सेवाओं तक पहुँच नहीं बना सकते। कुशल, विश्वसनीय और समय पर इंटरकनेक्शन की उपलब्धता, निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए मूल आधार है और दूरसंचार क्षेत्र के सतत विस्तार और प्रदर्शन में एक प्रमुख कारक है।

भादूविप्रा ने दिनांक 1 जनवरी 2018 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018" अधिसूचित किए। इन विनियमों में दो बार संशोधन किया गया है; नवीनतम संशोधन विनियम दिनांक 10 जुलाई 2020 को अधिसूचित किए गए, जिनसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन और अधिक सरल हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरकनेक्शन समय पर उपलब्ध कराया जाए, डिफॉल्ट करने वाले सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाने का भी प्रावधान है।

3.4 दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त अपने राजस्व को साझा करने हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच राजस्व की साझेदारी की व्यवस्था का विनियमन करना

इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (आईयूसी) व्यवस्था एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों को दूसरे सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने में लागत आती है, जिसके लिए सेवा प्रदाताओं को उचित रूप से प्रतिपूर्ति की जानी आवश्यक है। आईयूसी व्यवस्था न केवल सेवा प्रदाताओं को प्राप्त होने वाले राजस्व को निर्धारित करती है, बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि यह राजस्व उनके बीच कैसे वितरित किया जाएगा। एक कुशल इंटरकनेक्शन और टैरिफ व्यवस्था विभिन्न नेटवर्कों के बीच कुशल और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है।

3.5 विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य स्थानीय और लंबी दूरी के दूरसंचार परिपथ उपलब्ध कराने के लिए समय-सीमा

दिनांक 5 जुलाई 2018 को जारी "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (संशोधन) विनियम, 2018" की अधिसूचना के साथ, प्रारंभिक इंटरकनेक्शन के लिए पोर्ट के प्रावधान और पीओआई पर पोर्ट के विस्तार की समय-सीमा को बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है। यह इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश करने के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई 30 दिनों की समय-सीमा के अतिरिक्त है।

3.6 लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना

भादूविप्रा द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समय-समय पर इस कार्य का निर्वहन किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से विश्लेषण करना है और दूसरा दृष्टिकोण उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त फीडबैक/प्रतिनिधित्व के माध्यम से है।

3.7 दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए कदम

दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएँ (भादूविप्रा पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण पर) आयोजित करता है और उपभोक्ता शिक्षण सामग्री प्रकाशित करता है तथा जनसंचार माध्यमों के माध्यम से अभियान भी चलाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और चलाए गए अभियानों का विवरण रिपोर्ट के भाग–II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

3.7.1 गुणवत्ता सेवा की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) का लेखा-परीक्षण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को, भादूविप्रा अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अंतर्गत, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के मानक तय करने, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता का समय-समय पर आकलन करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

अच्छी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवाओं अर्थात् एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवाओं के संबंध में सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) पर विभिन्न विनियमों के माध्यम से मानक (स्टैंडर्ड) प्रकाशित किए हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में लागू सेवा गुणवत्ता विनियम "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2024" है, जो दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है।

ये विनियम एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों का वस्तुनिष्ठ आकलन करने हेतु मानक प्रदान करते हैं। सेवा प्रदाताओं के सेवा गुणवत्ता प्रदर्शन का इन मानकों के अनुरूप मूल्यांकन, सेवा प्रदाताओं द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इन अनुपालन रिपोर्टों को सेवा गुणवत्ता की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) कहा जाता है।

विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत सेवा गुणवत्ता की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) का सत्यापन करने के लिए, भादूविप्रा अपने अधिकारियों या कर्मचारियों अथवा इसके द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी के माध्यम से लेखा-परीक्षण करता है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु, भादूविप्रा ने जून 2024 से मार्च 2025 को समाप्त तिमाहियों की अवधि के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है, ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी 22 एलएसए में प्रस्तुत सेवा गुणवत्ता की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) का लेखा-परीक्षण और मूल्यांकन किया जा सके।

3.7.2 एक्सेस (वायरलेस) सेवा और ब्रॉडबैंड (वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT)

प्राधिकरण अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा अथवा इसके लिए नियुक्त की गई किसी एजेंसी के माध्यम से अथवा सेवा प्रदाता के साथ संयुक्त रूप से आयोजित ड्राइव टेस्ट के द्वारा एक्सेस (वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता का आकलन कर सकता है। कवरेज क्षेत्र में की गए ड्राइव टेस्ट के दौरान पाई गई किसी भी कमी अथवा दोष को दूर करने हेतु सेवा प्रदाता सुधारात्मक कार्यवाही करता है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु, भादूविप्रा ने अगस्त 2024 से प्रारंभ तीन वर्षों की अवधि के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है, जो सभी 22 एलएसए में एक्सेस (वायरलेस) सेवा के संबंध में वास्तविक उपभोक्ता अनुभव का आकलन करने हेतु स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आई.डी.टी.) संचालित करेगी। ड्राइव टेस्ट में पाई गई समस्याओं के समाधान हेतु भादूविप्रा द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। एलएसए-वाइज़ आई.डी.टी. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण में आई.डी.टी. एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही है।

भादूविप्रा विभिन्न एलएसए में शहरों/ राजमार्गों/ रेलवे मार्गों/ तटीय क्षेत्रों को कवर करते हुए किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आई.डी.टी.) पर इलेक्ट्रॉनिक तथा मुद्रित मीडिया में मासिक आधार पर रिपोर्ट जारी करता है।

3.7.3 स्पैम नियंत्रण

दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से होने वाले अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, भादूविप्रा ने ढांचे की समीक्षा की और दिनांक 19 जुलाई 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2018 अधिसूचित किया, जिसके अंतर्गत नई प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म अर्थात् डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) को अपनाना अनिवार्य किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 12 फरवरी 2025 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2025 (द्वितीय संशोधन) अधिसूचित किया गया। ये विनियमन प्रेषकों (व्यवसायों और टेलीमार्केटर्स) के पंजीकरण, हेडर, ग्राहकों की सहमति, संदेश टेम्पलेट आदि और वरीयताओं पर सूक्ष्म नियंत्रण का प्रावधान करते हैं। यह एक सह-विनियमन है जहाँ दूरसंचार सेवा प्रदाता/ एक्सेस प्रदाता एक ढाँचा स्थापित और व्यवस्थित करते हैं, जो कानूनी रूप से विनियमन द्वारा समर्थित होता है।

सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन, उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर मासिक रूप से किया जाता है।

प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक कैलेंडर माह के लिए एक्सेस प्रदाता द्वारा टीसीसीसीपीआर 2018 के अनुसार ग्राहक शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने और यूसीसी प्रेषकों (आरटीएम) के दूरसंचार संसाधनों पर कार्रवाई करने में विफलता के लिए वित्तीय दंड का विवरण निम्नानुसार है:

"एक कैलेंडर माह के लिए आरटीएम के लिए यूसीसी की गणना" का मूल्य	**वित्तीय दंड की राशि (₹ में)**
शून्य से अधिक परंतु 100 से अधिक नहीं	प्रत्येक संख्या पर एक हज़ार रुपये
100 से अधिक परंतु 1000 से अधिक नहीं	अधिकतम वित्तीय दंड (क) के अतिरिक्त, 100 से अधिक प्रत्येक संख्या पर पाँच हज़ार रुपये
1000 से अधिक	अधिकतम वित्तीय दंड (ख) के अतिरिक्त, 1000 से अधिक प्रत्येक संख्या पर दस हज़ार रुपये

विनियमन के अंतर्गत देय वित्तीय दंड की कुल राशि प्रति एलएसए प्रति कैलेंडर माह ₹ 50 लाख से अधिक नहीं होगी।

टीसीसीसीपीआर 2025 विनियमन (द्वितीय संशोधन) के अनुसार, वित्तीय दंड से संबंधित प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

i. आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में, एक्सेस प्रदाता को अधिकतम ₹ 5,000 प्रतिदिन की दर से 30 दिनों तक की देरी हेतु तथा ₹ 20,000 प्रतिदिन की दर से 30 दिनों से अधिक की देरी हेतु वित्तीय दंड देना देय होगा, जो अधिकतम ₹ 10 लाख तक सीमित रहेगा; (विनियमन 21)।

ii. यदि कोई एक्सेस प्रदाता पंजीकृत प्रेषकों अथवा पंजीकृत टेलीमार्केटरों (आरटीएम) से होने वाले अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को नियंत्रित करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण मूल एक्सेस प्रदाता (ओएपी) पर वित्तीय दंड लगा सकता है, जिसमें शामिल है।

- गलत तरीके से अमान्य घोषित की गई प्रत्येक वैध यूसीसी शिकायत पर ₹ 1,000,
- हेडर या सामग्री टेम्प्लेट के गैर-अनुपालन पंजीकरण पर ₹ 5,000,
- गलत तरीके से तय किए गए प्रेषक अभ्यावेदन के लिए ₹ 10,000,
- आरटीएम के लिए यूसीसी की गिनती गलत तरीके से बताने पर ₹ 2 लाख,
- लगातार दूसरी बार गलत रिपोर्टिंग पर ₹ 5 लाख,
- यूसीसी की गिनती लगातार गलत बताने पर ₹ 10 लाख तक।

हालाँकि, यदि यूसीसी, हेडर/टेम्पलेट के गलत पंजीकरण के कारण उत्पन्न होती है, तो पंजीकरण करने वाले एक्सेस प्रदाता को वित्तीय दंड पुनः सौंपा जा सकता है, और प्राधिकरण एक्सेस प्रदाता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद वित्तीय दंड को माफ करने या कम करने का विवेकाधिकार रखता है। (विनियमन 27)

iii. यदि कोई एक्सेस प्रदाता विनियमन 25 के अनुसार अपंजीकृत प्रेषकों अथवा अपंजीकृत टेलीमार्केटरों (यूटीएम) के विरुद्ध कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण वित्तीय दंड लगा सकता है, जिसमें सम्मिलित हैं

- यूटीएम पर कोई कार्रवाई न करने पर प्रत्येक मामले में ₹ 5,000,
- अनुचित रूप से अमान्य की गई प्रत्येक शिकायत के लिए ₹ 1,000,
- प्रेषक के प्रतिनिधित्व पर गलत निर्णय लेने की प्रत्येक बार-बार की गई घटना पर ₹ 10,000,
- यूसीसी गणनाओं की गलत रिपोर्टिंग के लिए ₹2 लाख - यह लगातार दूसरे महीने के लिए ₹5 लाख, और
- प्रत्येक बाद की गलत रिपोर्टिंग के लिए ₹ 10 लाख तक बढ़ जाता है।

हालांकि, वित्तीय दंड तभी लगाया जाएगा जब एक्सेस प्रदाता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा, और प्रस्तुत औचित्य के आधार पर प्राधिकरण दंड को माफ़ करने या कम करने का विवेकाधिकार रखता है। (विनियमन 28)

उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इन विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

3.7.4 TRAI DND ऐप

यह मोबाइल एप्लिकेशन ग्राहकों को एक ही माध्यम से किसी भी सेवा प्रदाता के पास अपनी डू-नॉट-डिस्टर्ब (डीएनडी) प्राथमिकता और शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। यह ग्राहकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में सहायता करता है और शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें अपडेट करता है।

3.7.5 शिकायत निवारण

यदि किसी ग्राहक को अवांछित संचार प्राप्त होता है, तो वह अपने एक्सेस प्रदाता के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए विभिन्न माध्यम निर्धारित किए गए हैं, जैसे शॉर्ट कोड 1909 पर एस.एम.एस. भेजना, 1909 पर कॉल करना और मोबाइल ऐप के माध्यम से। एक्सेस प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ग्राहक शिकायत पंजीकरण सुविधा (सीसीआरएफ) को पूरे वर्ष 24 x 7 आधार पर उपलब्ध कराएँ।

3.7.6 हेडर सूचना पोर्टल

हेडर सूचना पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक तथा सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रिंसिपल इकाइयों को भी यह जाँचने में सहायता कर सकता है कि कहीं किसी अन्य इकाई द्वारा कोई मिलते-जुलते हेडर का पंजीकरण तो नहीं किया गया है।

3.7.7 सरकारी संगठनों को एसएमएस टर्मिनेशन शुल्क से छूट

यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के नियम 35 के अनुसार, पंजीकृत हेडर के लिए एसएमएस समाप्ति शुल्क (5 पैसे तक) से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाता है। यह नवीनीकरण तिथियों और छूट प्रक्रिया से संबंधित अन्य प्रासंगिक अपडेट जैसी आवश्यक जानकारी भी प्रदान करता है। यह पहल सरकारी संगठनों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के जनहित संदेशों के प्रसार में सहायता करती है।

3.7.8 प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए कदम

भादूविप्रा समय-समय पर संशोधित गुणवत्ता सेवा मानक विनियमन तथा उपभोक्ता संरक्षण विनियमन, 2017 के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। इन विनियमों में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य पारदर्शिता, समयबद्ध सेवा, सरल पहुँच और शिकायत निवारण सुनिश्चित करना है, जिससे प्रसारण क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ किया जा सके।

3.8 दूरसंचार सेवाओं के संचालन में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, ताकि इन सेवाओं की वृद्धि को सुगम बनाया जा सके

भादूविप्रा ने सदैव ऐसी नीतियाँ बनाने का प्रयास किया है जो समकालीन हों, वर्तमान विकासों के अनुरूप हों, सरल और व्यवहारिक हों। इन नीतियों का वांछित प्रभाव प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर पड़ता है। यह तथ्य भादूविप्रा के संज्ञान में रहा है कि उपयुक्त व्यवसायिक रणनीतियों के निर्माण, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को नवाचार के लाभ प्रदान करने हेतु विनियामक सुनिश्चितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुगम बनाने के कार्य को भादूविप्रा ने पूरी गंभीरता से संपादित किया है। अनुशंसाओं/विनियमों/टैरिफ आदेशों/निर्देशों आदि के रूप में उठाए गए कदम उद्योग की वृद्धि के लिए प्रमुख सिद्ध हुए हैं।

दूरसंचार के संचालन में प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (सोलहवाँ संशोधन) विनियम, 2020" जारी किए। इन विनियमों के माध्यम से, ₹0.30 प्रति मिनट की दर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को संशोधित कर ₹0.35 प्रति मिनट से ₹0.65 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर फॉरबियरेंस व्यवस्था में बदल दिया गया। इसके अलावा, स्टैंडअलोन और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य किया गया कि एक एक्सेस सेवा प्रदाता सभी को, यानी अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ-साथ स्टैंडअलोन आईएलडीओ को भी, आईटीसी की गैर-भेदभावपूर्ण दर प्रदान करे। ये विनियम दिनांक 1 मई 2020 से प्रभावी हुए।

3.9 विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाने पर, ऐसी दरों पर और ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा अन्य प्रभार लगाए जाएँगे।

दूरसंचार तथा प्रसारण सेवाओं के लिए शुल्क नीतियाँ निर्धारित करना भादूविप्रा का दायित्व है। भादूविप्रा उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल, शुल्क विनियमन के माध्यम से करता है। शुल्क विनियमन का स्वरूप उपभोक्ताओं को उपलब्ध शुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा जहाँ बाज़ार उपयुक्त दरें उपलब्ध नहीं कराता है, वहाँ शुल्क निर्धारित करना है।

3.10 डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड) के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदम।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का संख्या 44) तथा तत्पश्चात दिनांक 30 अगस्त 2024 को अधिसूचित दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 के अनुसार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत निर्मित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का नाम परिवर्तित कर "डिजिटल भारत निधि (डीबीएन)" कर दिया गया है। संसद के अधिनियम द्वारा गठित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दिनांक 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना था। तत्पश्चात्, इसके दायरे का विस्तार कर सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं — जैसे मोबाइल सेवाएँ, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) जैसी अवसंरचना के निर्माण — तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित किया गया।

उस समय से सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम जनता तक इंटरनेट पहुँच में सुधार के लिए अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं। प्राधिकरण भी देश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में, वर्ष 2023-24 के दौरान भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 को "लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल अवसंरचना में सुधार" पर, दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर तथा दिनांक 29 सितंबर 2023 को "हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं। दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान कई मामलों में इन अनुशंसाओं के अनुसार कार्रवाई पर विचार किया गया है।

3.11 दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा सामान्य रूप से दूरसंचार उद्योग से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में केंद्र सरकार को दी गई सलाह का विवरण।

दूरसंचार के विकास से संबंधित विषयों में भादूविप्रा द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह का विवरण निम्नलिखित है:

क) "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से अभिनव प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों और व्यापार मॉडलों को प्रोत्साहित करने" संबंधी दिनांक 12 अप्रैल 2024 की अनुशंसाएं।

ख) "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का पुनरीक्षण" संबंधी दिनांक 6 फरवरी 2025 की अनुशंसाएं।

इन अनुशंसाओं के विवरण पर इस रिपोर्ट के भाग–II में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

3.12 सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी तथा ऐसी सेवाओं के विकास संबंधी प्रचार- प्रसार सर्वेक्षण का विवरण।

3.12.1 एक्सेस सेवा (वायरलाइन), एक्सेस सेवा (वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा।

भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से, भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक्सेस सेवा (वायरलाइन), एक्सेस सेवा (वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा के निष्पादन की निगरानी करता है। संशोधित गुणवत्ता सेवा (क्यूओएस) विनियमों के अनुसार, एक्सेस सेवा (वायरलेस) के लिए अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 1 अप्रैल 2025 से मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएँगी।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में, भादूविप्रा ने "एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवाओं की गुणवत्ता सेवा मानक विनियमन, 2024" के माध्यम से वित्तीय दंड निर्धारित किए हैं।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण उनकी गुणवत्ता सेवा (क्यूओएस) मानकों के संबंध में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। इन विनियमों में, गलत रिपोर्टिंग तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब की स्थिति में, निवारक उपाय के रूप में वित्तीय दंड का भी प्रावधान किया गया है।

3.12.2 TRAI MyCall ऐप

"भादूविप्रा माय कॉल ऐप" का उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से कॉल गुणवत्ता को मापना है। भादूविप्रा माय कॉल एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो क्राउड सोर्स्ड वॉइस कॉल गुणवत्ता निगरानी हेतु विकसित किया गया है और एंड्रॉयड तथा आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। यह अनुप्रयोग मोबाइल उपभोक्ताओं को वॉइस कॉल गुणवत्ता के संबंध में अपने अनुभव को वास्तविक समय में अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है तथा भादूविप्रा को ग्राहक अनुभव संबंधी आँकड़े नेटवर्क आँकड़ों के साथ एकत्र करने में सहायता करता है।

3.12.3 TRAI MySpeed ऐप

यह एप्लीकेशन ग्राहकों को वायरलेस डेटा स्पीड अनुभव मापने की सुविधा प्रदान करता है और परिणाम भादूविप्रा को प्रेषित करता है। यह एप्लीकेशन परीक्षणों के दौरान कवरेज, डेटा स्पीड तथा अन्य नेटवर्क संबंधी जानकारी को उपकरण एवं स्थान के साथ संकलित कर भेजता है। MySpeed पोर्टल प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे नमूनों से प्राप्त वायरलेस डेटा स्पीड की तुलना प्रदर्शित करता है।

3.13 नेटवर्क में प्रयुक्त उपकरणों का निरीक्षण तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार पर की गई अनुशंसाएं।

इस शीर्षक के अंतर्गत उठाए गए विशिष्ट कदम इस प्रकार हैं:

"वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक शुभारंभ से पूर्व नेटवर्क परीक्षण" संबंधी दिनांक 22 अप्रैल 2020 की अनुशंसाएं।

प्राधिकरण ने विधिवत परामर्श प्रक्रिया के उपरांत "वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक शुभारंभ से पूर्व नेटवर्क परीक्षण" के संबंध में अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप देकर, उन्हें दिनांक 22 अप्रैल 2020 को दूरसंचार विभाग के विचारार्थ प्रेषित किया।

इन अनुशंसाओं के अनुपालन में, दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र सं. 20-577/2018 ए.एस.-I (भाग) दिनांक 10 मार्च 2021 द्वारा सभी यू.एल. तथा यू.ए.एस. लाइसेंसधारकों हेतु वायरलाइन सेवा के वाणिज्यिक शुभारंभ से पूर्व नेटवर्क परीक्षण के लिए मानदंड जारी किए।

भाग – IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

4.1 यह खंड भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, विशेष रूप से संगठनात्मक संरचना, वित्तपोषण, मानव संसाधन के क्षेत्रों जिसमें भर्ती, क्षमता निर्माण और अन्य सामान्य मुद्दों से संबंधित मामलों पर जानकारी प्रदान करता है।

4.2 संगठन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपर्युक्त नाम से निगमित एक निकाय है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति भी प्राप्त है, और उक्त नाम से मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की शक्ति है । भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिनांक 31 मार्च 2025 को प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी:

श्री अनिल कुमार लाहोटी
अध्यक्ष

श्री ऋतु रंजन मित्तर,
सदस्य (पूर्णकालिक)

डॉ. एम.पी. तन्गिराला
सदस्य (पूर्णकालिक)

श्री नीलकंठ मिश्रा
सदस्य (अंशकालिक)

प्रो. रंजन बोस
सदस्य (अंशकालिक)

4.3 भादूविप्रा का सचिवालय (मुख्यालय)

प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है तथा इस कार्य में उनकी सहायता, सात प्रभागों द्वारा की जाती है, जो इस प्रकार हैं:

i. प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रशासन एवं आईआर);
ii. प्रसारण एवं केबल सेवाएँ तथा भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (बी एंड सीएस एवं टीसीएसआर);
iii. उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सीए एवं आईटी);
iv. वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए);
v. विधि;
vi. नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग (एनएसएल); तथा
vii. सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)।

4.4 प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रशासन एवं आईआर) प्रभाग

प्रशासन प्रभाग, सभी प्रशासनिक एवं कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना बनाने और नियंत्रण करने के साथ-साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करवाना शामिल है। प्रशासन प्रभाग के पास, प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग (ए एंड पी), सामान्य प्रशासन अनुभाग (जीए), समन्वय अनुभाग (कोआर्डिनेशन), संचार एवं जनसंपर्क अनुभाग (कम्युनिकेशन एंड पीआर), राजभाषा अनुभाग (ओएल), प्रबंधन प्रतिनिधि एवं आर.टी.आई. अनुभाग (एमआर एंड आरटीआई), तथा वित्त अनुभाग की गतिविधियों के प्रबंधन एवं नियंत्रण का दायित्व है। यह प्रभाग एक सुसज्जित पुस्तकालय का प्रबंधन भी करता है। यह प्रभाग भादूविप्रा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायित्व भी संभालता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसे कि आईटीयू, एपीटी, एसएटीआरसी, आसियान, जीएसएमए, ब्रिक्स और अन्य देशों के विनियामक निकायों के साथ समन्वय शामिल है।

4.5 प्रसारण एवं केबल सेवाएँ तथा भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (बी एंड सीएस एवं टीसीएसआर) प्रभाग

प्रसारण एवं केबल सेवाएँ (बी एंड सीएस) प्रभाग, प्राधिकरण को प्रसारण क्षेत्र हेतु समग्र विनियामक ढाँचा तैयार करने के संबंध में परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है; जिसमें टैरिफ, इंटरकनेक्शन तथा सेवा की गुणवत्ता से संबंधित पहलू सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र सैटेलाइट टीवी चैनलों का प्रसारण, डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाएँ, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के माध्यम से केबल टीवी सेवाएँ, हेड-एंड-इन-द-स्काई (हिट्स) सेवाएँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवाएँ, एफ.एम. रेडियो प्रसारण आदि को कवर करता है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जाँच करने और विभिन्न नीतिगत विषयों तथा सरकार द्वारा प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न सेवा प्रदाताओं को जारी किए जाने वाले लाइसेंस/अनुमतियों की शर्तों पर अनुशंसाएं देने के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रभाग, प्राधिकरण को प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक उपायों पर परामर्श देता है, जिसमें उपभोक्ता की पसंद को आसान बनाना, वांछित गुणवत्ता की सेवाएँ कम मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (टीसीएसआर) का एक कार्य दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उपायों की अनुशंसा करना है। मोबाइल टावर की स्थापना/हटाने का विषय भादूविप्रा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तथा मोबाइल टावर की स्थापना हेतु सेवा प्रदाता को भादूविप्रा से कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, मोबाइल टावर से संबंधित विषयों - जैसे स्थापना/हटाना/विकिरण से होने वाली हानियाँ/आर्थिक धोखाधड़ी - पर यदि कोई शिकायत भादूविप्रा को प्राप्त होती है, तो उन्हें आगे की कार्रवाई हेतु भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है।

4.6 उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सीए एवं आईटी) प्रभाग

भादूविप्रा का उपभोक्ता मामले (सीए) प्रभाग, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु भादूविप्रा द्वारा उठाए गई विभिन्न पहलों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सीए प्रभाग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

i. उपभोक्ता जागरूकता: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा हेतु लागू विनियामक उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

ii. उपभोक्ता संगठनों के साथ सहभागिता: पूरे भारत में उपभोक्ता संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के पंजीकरण को सुगम बनाना तथा उपभोक्ता संबंधी विषयों पर उनके साथ सक्रिय संवाद बनाए रखना।

iii. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (टी.सी.ई.पी.एफ.): उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण पहलों का समर्थन करने हेतु कोष का प्रबंधन।

iv. शैक्षिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम: पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों, सेमिनारों तथा क्षमता-विकास कार्यशालाओं का आयोजन।

v. मीडिया अभियान: मुद्रित, ऑडियो और दृश्य मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता संबंधी जानकारी प्रसारित करने हेतु अभियान चलाना।

vi. बहुभाषी शैक्षणिक सामग्री: उपभोक्ता शिक्षण संबंधी सामग्री को हिंदी, अंग्रेज़ी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित एवं प्रकाशित करना, ताकि उसकी व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

इन पहलों के माध्यम से, सीए प्रभाग दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भादूविप्रा में आईटी प्रभाग को दो उद्देश्य सौंपे गए हैं: आईटी परियोजना प्रबंधन (पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना, प्रक्रियाओं और सूचनाओं के आदान–प्रदान को स्वचालित करना तथा खुले मानकों को अपनाना), और आईटी अवसंरचना प्रबंधन (नेटवर्क और हार्डवेयर बाह्य उपकरणों का अपटाइम सुनिश्चित करना और तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर लाइसेंस और उन्नयन सुनिश्चित करना)। इन उद्देश्यों के साथ, आईटी प्रभाग विभिन्न आईटी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे - आँकड़ों का विश्लेषण एवं दृश्यांकन, विभिन्न पोर्टलों एवं भादूविप्रा की वेबसाइट का कार्यान्वयन एवं रख-रखाव, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा स्टोरेज, क्लाउड मैनेजमेंट, एसएमएस अलर्ट, लाइसेंस, एनआईसीएनईटी, इंटरनेट लीज़ लाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर परिसंपत्तियाँ तथा भादूविप्रा का लैन सेटअप आदि ।

4.7 वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) प्रभाग

वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग का मुख्य दायित्व दूरसंचार टैरिफ आदेशों (टीटीओ) में निहित प्रावधानों, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (टीसीपीआर) में निहित कुछ प्रावधानों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संबंधित विषयों पर जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न परिचालन संबंधी पहलुओं पर परामर्श प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है, जैसे - टैरिफ विनियमन (जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण, सेवा प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने वाले टैरिफ सिद्धांतों का निर्धारण, टैरिफ की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना एवं उन्हें विनियामक ढाँचे के अनुरूप परखना आदि), लागत-आधारित इंटरकनेक्शन शुल्क का निर्धारण, मोबाइल पोर्टेबिलिटी हेतु प्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क का निर्धारण, लागत पद्धतियाँ एवं दूरसंचार सेवाओं की लागत का निर्धारण आदि। यह प्रभाग वित्तीय विवरणों, लेखा पृथक्करण रिपोर्ट (एएसआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) रिपोर्ट आदि की समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी है, ताकि वर्तमान विनियामक ढाँचे के साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" का संकलन भी करता है और इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

4.8 विधि प्रभाग

विधि प्रभाग, सभी विनियामक विषयों पर प्राधिकरण को विधिक परामर्श प्रदान करने के साथ-साथ सभी विधिक दस्तावेजों मसौदा तैयार करने और पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग उन सभी वाद-प्रतिवाद मामलों का प्रबंधन करता है जिनमें भादूविप्रा एक पक्षकार होता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में विभिन्न न्यायालयों में 513 मामले लंबित थे। वर्ष 2024-25 के लिए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	न्यायालय	दिनांक 31.03.2024 तक लंबित मामले	वर्ष 2024-25 के दौरान दायर मामले	वर्ष 2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले	दिनांक 31.03.2025 तक लंबित मामलों की संख्या
1	सर्वोच्च न्यायालय	161	3	6	158
2	उच्च न्यायालय	204	78	75	207
3	टीडीसैट	15	45	1	59
4	उपभोक्ता मंच	32	10	5	37
5	जिला न्यायालय	34	9	5	38
6	अन्य न्यायाधिकरण	12	5	3	14
मामलों की कुल संख्या		**458**	**150**	**95**	**513**

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा जिन मामलों की सुनवाई की गई है उनका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	न्यायालय	सुने गए मामलों की संख्या
1	सर्वोच्च न्यायालय	43
2	उच्च न्यायालय	162
3	टीडीसैट	52
4	उपभोक्ता मंच	38
5	जिला न्यायालय	42
6	अन्य न्यायाधिकरण	6
वर्ष 2024-25 के दौरान सुने गए मामलों की कुल संख्या		**343**

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुनाए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

(क) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(i) भादूविप्रा बनाम आदित्य ठाकरे [सी.ए. संख्या 8140/2012] एवं भादूविप्रा बनाम टेलिकॉम वॉचडॉग एवं अन्य [एस.एल.पी. (सिविल) 34882/2012] प्रकरण में दिनांक 4 सितम्बर 2024 का आदेश

टेलिकॉम वॉचडॉग के विरुद्ध याचिका, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2012 को डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 8529/2011, टेलिकॉम वॉचडॉग बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी। इसी प्रकार, सिविल अपील भादूविप्रा द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय टीडीसैट द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2012 को अपील सं. 1/2012, आदित्य ठाकरे बनाम भादूविप्रा में पारित अंतिम आदेश को चुनौती दी गई थी। दोनों ही-रिट याचिका तथा टेलिकॉम अपील में दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता (छठा संशोधन) विनियमन, 2011 तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता (आठवाँ संशोधन) विनियमन, 2011 को इसलिए चुनौती दी गई थी कि वे किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में भेजे जाने वाले एसएमएस की संख्या को सीमित करते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13 जुलाई 2012 के आदेश द्वारा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2010 के उन प्रावधानों को बरकरार रखा, जो वाणिज्यिक कॉल/एसएमएस पर प्रतिबंध लगाते हैं, किन्तु उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया जहाँ वे गैर-यूसीसी एसएमएस को कवर करते थे। वहीं, माननीय टीडीसैट ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2010 में किए गए विवादित संशोधनों को निरस्त कर दिया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 4 सितम्बर 2024 के आदेश में यह पाया कि भादूविप्रा ने वर्ष 2018 में दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2018 जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत एसएमएस की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और इस आधार पर अपीलों को निष्फल (infructuous) मानकर खारिज कर दिया, किन्तु विधिक प्रश्नों को विचारार्थ खुला छोड़ दिया।

(ii) इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फ़ाउंडेशन एवं अन्य बनाम भादूविप्रा एवं अन्य [एस.एल.पी. (सिविल) 27269/2024] प्रकरण में दिनांक 29 नवम्बर 2024 का आदेश

यह याचिका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फ़ाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें माननीय केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डब्ल्यू.ए. सं. 1649/2024 में दिनांक 1 नवम्बर 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने रिट अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 के विनियमन 6 को चुनौती देने के विषय का परीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टार इंडिया प्रा. लि. बनाम डी.आई.पी.पी. एवं अन्य [(2019) 2 एस.सी.सी. 104] में किया जा चुका है और उसे खारिज किया जा चुका है, तथा केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही अपने द्वारा घोषित कानून पर पुनर्विचार करने का अधिकार है।

दिनांक 29 नवम्बर 2024 के आदेश द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और यह ठहराया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय पर पहुँचने में कोई त्रुटि नहीं की है। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता 2017 के टैरिफ आदेश को माननीय टीडीसैट के समक्ष चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) माननीय केरल उच्च न्यायाल

(i) आई.बी.डी.एफ. बनाम भादूविप्रा [डब्ल्यू.पी.(सी) 29443/2024] प्रकरण में दिनांक 7 अक्तूबर 2024 का आदेश

यह रिट याचिका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फ़ाउंडेशन द्वारा चुनौती देते हुए दायर की गई थी –

(क) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 की धारा 3(2)(ख) का तृतीय परन्तुक, जिसे दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 दिनांक 8 जुलाई 2024 द्वारा सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा चैनल, जिसे केंद्र सरकार द्वारा डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान की गई हो और जो सार्वजनिक सेवा प्रसारक के डायरेक्ट-टू-होम प्लेटफ़ॉर्म पर बिना किसी सदस्यता शुल्क के उपलब्ध हो, उसे एड्रेसेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म के लिए पे-चैनल घोषित नहीं किया जाएगा।

(ख) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 की धारा 3(3) का पंचम परन्तुक, जिसके अनुसार प्रसारकों के ऐसे बुके जिनमें पे-चैनल सम्मिलित हों, उनमें कोई भी फ्री-टू-एयर चैनल सम्मिलित नहीं किया जाएगा; तथा।

(ग) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 के विनियमन 6(1) के द्वितीय परन्तुक की धारा (क), जिसके अनुसार पे-चैनलों के बुके (bouquet) में कोई भी फ्री-टू-एयर चैनल सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को ग्राह्यता के आधार पर खारिज कर दिया और यह ठहराया कि विवादित प्रावधानों को विनियामक प्राधिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य प्रसारक और ग्राहक के बीच समान अवसर प्रदान करना है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टार इंडिया प्रा. लि. बनाम डी.आई.पी.पी. एवं अन्य [(2019) 2 एस.सी.सी. 104] मामले में कहा है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि विवादित प्रावधान समानता लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। साथ ही, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 के प्रावधानों को चुनौती असफल होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अपने प्रभावी वैकल्पिक उपाय हेतु माननीय टीडीसैट की शरण लेनी चाहिए।

(ii) इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फ़ाउंडेशन एवं अन्य बनाम भादूविप्रा एवं अन्य [डब्ल्यू.ए. 1649/2024] प्रकरण में दिनांक 1 नवम्बर 2024 का आदेश

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फ़ाउंडेशन ने माननीय केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक रिट अपील दायर की, जिसमें डब्ल्यू.पी.(सी) 29443/2024 [आई.बी.डी.एफ. बनाम भादूविप्रा] में दिनांक 7 अक्तूबर 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे ग्राह्यता के अभाव में खारिज कर दिया गया था।

माननीय केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विनियमन को दी गई चुनौती, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टार इंडिया प्रा. लि. बनाम डी.आई.पी.पी. एवं अन्य [(2019) 2 एस.सी.सी. 104] मामले में दिए गए बाध्यकारी निर्णय के आलोक में असफल होगी। न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर दी गई चुनौतियों का निपटारा करने में टीडीसैट सक्षम है और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा उन अधिकारों से संबंधित न्यायिक पुनर्वीक्षण के प्रयोग के बीच एक मूलभूत भेद है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में दिए गए अपने निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय

(i) भादूविप्रा बनाम अक्षय कुमार मल्होत्रा [डब्ल्यू.पी. (सी) 3026/2015] प्रकरण में दिनांक 07 जनवरी 2025 का आदेश

यह रिट याचिका भादूविप्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिनांक 6 जून 2014 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में भादूविप्रा को निर्देश दिया गया था कि वह उत्तरदाता द्वारा की गई शिकायतों से संबंधित जानकारी, उत्तरदाता के सेवा प्रदाता से प्राप्त करे और उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदाता को उपलब्ध कराए। साथ ही यह भी कहा गया था कि भादूविप्रा की किसी भी प्रकार की निष्क्रियता को उपयुक्त फोरम अर्थात् उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग के विवादित आदेश को निरस्त कर दिया और यह ठहराया कि भादूविप्रा का दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से सूचना माँगने का अधिकार केवल भादूविप्रा अधिनियम और टीसीसीसीपीआर, 2010 के अंतर्गत अपने विनियामक कार्यों के निर्वहन तक ही सीमित है, और यह व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण या केवल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रसारण हेतु ग्राहक-विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने तक विस्तृत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि उत्तरदाता को उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के समक्ष उपाय खोजने का निर्देश देने वाला सीआईसी का ऑब्जर्वेशन भी अनुचित था और उसके वैधानिक अधिकार–क्षेत्र से परे था।

4.9 नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग, इंटरकनेक्शन की नियमों एवं शर्तों को निर्धारित करने, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने, सभी इंटरकनेक्शन संबंधी मुद्दों-जिनमें इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आई.यू.सी.) का निर्धारण एवं उसका नियमित समीक्षा सम्मिलित है - का निपटारा करने हेतु उत्तरदायी है।

सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के एक्सेस फैसिलिटेशन और को-लोकेशन शुल्क के विनियमन से संबंधित मुद्दों को भी प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है । एनएसएल प्रभाग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा को भी विनियमित करता है।

एनएसएल प्रभाग, एक्सेस सेवा (वायर्ड एवं वायरलेस दोनों), इंटरनेट सेवा, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (एनएलडी) सेवा, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (आईएलडी) सेवा, भारत में लैंड होने वाली सबमरीन केबलें, मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वी.सैट) सेवा, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस), डाटा सेंटर, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स (आईएक्सपी), कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन), अदर सर्विस प्रोवाइडर्स (ओएसपी), वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइडर्स (वीएनओ), कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) तथा मूल्य वर्धित सेवाएँ जैसे-ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉइस मेल आदि की लाइसेंस शर्तों से संबंधित विषयों पर अनुशंसाएं देने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग अंतरिक्ष आधारित संचार, मशीन टू मशीन (एम2एम) संचार, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार आदि जैसी नई और विकसित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरुआत से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

एनएसएल प्रभाग, स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ-साथ संबंधित शर्तों, स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग और प्रबंधन, जिसमें उसका साझाकरण, व्यापार और री-फार्मिंग शामिल है, पर भी अनुशंसाएं प्रदान करता है। क्रॉस-सेक्टर समन्वय से संबंधित मामले जैसे कि बुनियादी ढांचे का साझाकरण, सतत दूरसंचार, रेडियो संचार जन सुरक्षा और आपदा राहत प्रणालियाँ (पीपीडीआर), चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार की आवश्यकता भी प्रभाग द्वारा संभाली जाती है।

यह डिजिटल भारत निधि (पूर्व में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) और उससे जुड़े सभी संबंधित मामलों पर अनुशंसाएँ प्रदान करता है । कन्वर्जेंस, राइट ऑफ वे और स्ट्रीट फर्नीचर और सैंडबॉक्स के उपयोग करने के लिए नीति जैसे मुद्दों को भी संभाला जाता है । एनएसएल प्रभाग राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा, कॉलिंग कार्ड और सैटकॉम नीति से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करता है।

उपर्युक्त के अलावा, यह प्रभाग उपरोक्त सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है और देश में वायरलाइन, वायरलेस, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की सदस्यताओं (सब्स्क्रिप्शन) की भी निगरानी करता है।

4.10 सेवा की गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) प्रभाग

सेवा की गुणवत्ता प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता (बेसिक टेलीफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा, वायरलेस डाटा सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा) के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विनियमों को निर्धारित करने, दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए; मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए; दूरसंचार संदेशों/कॉलों, स्पैम के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न निष्पादन संकेतकों पर प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक प्रदर्शन रिपोर्टों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं की सेवा-गुणवत्ता का मूल्यांकन देशभर में किए जाने वाले क्षेत्रीय मापनों के माध्यम से भी किया जाता है। यह प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को प्रारंभ करने से पहले प्राप्त रिफरेंसेज पर अनुशंसाओं को संभालता है। साथ ही, यह प्रभाग इंटरकनेक्शन समझौतों तथा विनियमों में प्रदत्त अन्य सभी विषयों का अभिलेख बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है।

4.11 भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (भादूविप्रा सीएसआर)

भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है:

i. नई प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकीय व्यवधान आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर अध्ययन तथा अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करना तथा उनका क्षेत्रों, समग्र अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना और करना।

ii. इन अध्ययनों/अनुसंधानों/सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को आवश्यकतानुसार प्रकाशित करना तथा ऐसे अध्ययनों और रिपोर्टों का नीतिगत अनुशंसाओं और विनियमनों हेतु आंतरिक उपयोग करना।

iii. हितधारकों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को डिजिटल साक्षरता और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संदर्भ में सशक्त बनाना।

iv. नीति आयोग, अन्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठनों, भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय स्वशासी एजेंसियों तथा भारत और विदेश की अन्य संस्थाओं जैसे प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान एवं केंद्र, मानक निर्माण संगठन आदि के साथ सहयोग करना।

v. सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रासंगिक विमर्श को सक्षम बनाना, ताकि नई प्रौद्योगिकियों, रुझानों और क्षमता निर्माण के संबंध में भादूविप्रा के अधिकारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

vi. दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों, अवसंरचना प्रबंधन, विद्युतचुंबकीय विकिरण और जन-सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कार्य करना तथा प्रौद्योगिकी विकास के नवीनतम रुझानों से अवगत रहना

यह केंद्र उद्योग, शिक्षा जगत और नीति-निर्माण संस्थानों के साथ सहयोग में प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययनों की परिकल्पना करता है, उनका समन्वय करता है और उन्हें सक्षम बनाता है। केंद्र का ध्यान सतत अनुसंधान की आवश्यकता पर केंद्रित है ताकि भविष्य की प्रवृत्तियों की पहचान की जा सके और विकसित हो रही नीतिगत/विनियामक चुनौतियों का आकलन किया जा सके, जिससे विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर-उद्योगीय दृष्टिकोण सक्षम हो।

केंद्र का प्रयास, नीतिगत/विनियामक दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने और नीति-निर्माताओं को आसन्न प्रौद्योगिकी विकास के प्रति संवेदनशील बनाने पर रहता है, ताकि अग्रिम योजना और कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्र का उद्देश्य अकादमिक और अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर उपयोगकर्ता विभागों की क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करना भी है, जिससे प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर उपयुक्त ध्यान केंद्रित किया जा सके।

4.12 मानव संसाधन

भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु 197 कर्मचारी (दिनांक 31 मार्च 2025 को) कार्यरत हैं, जो प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। जहाँ भी आवश्यक हो, परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाता है ।

4.13 भादूविप्रा मुख्यालय में कार्मिक संख्या (दिनांक 31 मार्च 2025 को)

दिनांक 31 मार्च 2025 तक, भादूविप्रा (मुख्यालय) में कार्मिक संख्या निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	सचिव	01	01
2	प्रधान सलाहकार	14	16*
3	सलाहकार		
4	संयुक्त सलाहकार	25	23
5	उप सलाहकार	10	10
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
7	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	30#	29
8	प्रधान निजी सचिव	05	04
9	तकनीकी अधिकारी	22	16
10	अनुभाग अधिकारी	20	16
11	निजी सचिव	12	10
12	सहायक	48	37
13	निजी सहायक	18	11
14	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	00
15	अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी)	07	05
16	स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी	01	01
17	स्टाफ कार चालक ग्रेड-I	04	03
18	स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	04	04
19	स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड	04	01
20	पी.सी.एम.ओ.	02	02
21	डिस्पैच राइडर	01	01
22	बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	05	04
	कुल	**237**	**197**

* इसमें ट्राई कैडर के दो सलाहकार भी शामिल हैं जो अन्य सरकारी संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पाँच (05) पद अस्थायी रूप से तकनीकी अधिकारी के पद के रूप में संचालित किए जा रहे हैं।

4.14 दिनांक 31 मार्च 2025 को भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकारों / सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	फ़ोटो
1	श्री अतुल कुमार चौधरी	सचिव	
2	श्री अभय शंकर वर्मा	प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)	
3	श्री डी. मनोज	प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)	
4	श्री शिव भद्र सिंह	प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	
5	श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह	प्रधान सलाहकार (क्यूओएस, सीए एवं आईटी)	
6	श्री यतिंद्र अग्रोही	सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर)	
7	श्री अखिल सक्सेना	सलाहकार (विधि)	
8	श्रीमती दीपाली शर्मा	सलाहकार (बी एंड सीएस)	

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	फ़ोटो
9	श्री अब्दुल कयूम	सलाहकार (बीबी एंड पीए)	
10	श्री विवेक खरे	सलाहकार (सीए)	
11	श्री विजय कुमार	सलाहकार (एफ एंड ईए-I और II)	
12	सुश्री अर्चना अहलावत	सलाहकार (आई.टी.)	
13	श्री समीर गुप्ता	सलाहकार (एनएसएल-I)	
14	श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी	सलाहकार (एनएसएल-II)	
15	श्री तेजपाल सिंह	सलाहकार (क्यूओएस-I)	
16	श्री दीपक शर्मा	सलाहकार (क्यूओएस-II)	

टिप्पणी: भादूविप्रा संवर्ग के दो सलाहकार वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत हैं।

4.15 भादूविप्रा के अधिकांश कार्मिकों को प्रारंभ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन आदि के क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव वाले इन प्रतिनियुक्तियों को शुरू में दो/तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा दी जाती है । प्राधिकरण ने भादूविप्रा में स्थायी आमेलन के विकल्प के साथ विशिष्ट विशेषज्ञता और कौशल वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का एक कैडर गठित किया है। तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और बढ़ते कार्यभार से जुड़ी नई विनियामक चुनौतियों के मद्देनजर, पुनर्गठन और अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शुरू किया गया है और वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया है।

4.16 भर्ती

प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को आमेलित करके अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना कैडर गठित किया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अपने सचिवालय के लिए कर्मियों की भर्ती कर्मियों की भर्ती के एक तरीके के रूप में जारी है। भादूविप्रा ने तकनीकी अधिकारी संवर्ग में प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया भी आरंभ की है, जो किसी सरकारी एजेंसी/संस्थान द्वारा आयोजित खुली परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। वर्ष 2024-25 के दौरान, 11 सहायक पदों पर सफलतापूर्वक भर्ती की गई है, जिन्हें कार्मिक चयन आयोग के माध्यम से आवंटित कर भादूविप्रा में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भादूविप्रा हेतु 6 व्यक्तिगत सहायक की भर्ती की प्रक्रिया भी कार्मिक चयन आयोग द्वारा प्रगति पर है। वर्ष 2025-26 में, 3 सहायक के रिक्त पदों को सीजीएलई-2025 के माध्यम से भर्ती हेतु कार्मिक चयन आयोग को सूचित किया गया है

4.17 प्रशिक्षण

भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में विशेष रूप से टैरिफ और सेवा मानकों की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता से संबंधित अन्य मामलों पर सर्वेक्षण के संचालन के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहल को अत्यधिक महत्व देता है। सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक संरचित प्रशिक्षण नीति लागू की गई है। भादूविप्रा के कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं:

i. ओरिएंटेशन / प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण

ii. अल्पकालिक विषयगत (थीमैटिक) प्रशिक्षण

iii. दीर्घकालिक प्रशिक्षण – अधिकांशत: ऑनलाइन पाठ्यक्रम

iv. मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम

v. अन्य – अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल पर प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के चयन और डिजाइन में, भादूविप्रा का प्रयास मैक्रो-स्तरीय नीति के लिए विविध कौशल प्रदान करना और नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रासंगिक तकनीकी-आर्थिक परिचालन विवरणों को संभालना है। भादूविप्रा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान/डिजाइन और संचालित किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भादूविप्रा के कुछ अधिकारियों को नामांकित किया गया था। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं, जिन्होंने उनके विनियामक कार्य के संबंधित क्षेत्रों में उनकी दक्षता को और सुदृढ़ किया। इन प्रशिक्षणों में दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी (टीएमटी) उद्योग के प्रमुख विनियामक पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जिनमें डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन को सहयोग देने हेतु नीतिगत और विनियामक सर्वोत्तम प्रक्रियाएँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति, 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकियाँ आदि जैसे आवश्यक विषय शामिल थे। भादूविप्रा के कर्मचारियों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिनियुक्त किया गया। इन प्रशिक्षणों की सूची इस रिपोर्ट के **भाग-IV के अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

4.18 सेमिनार / कार्यशालाएँ

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सेमिनारों, बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए नामित किया। इनसे उन्हें न केवल अपनी नीतियों के निर्माण हेतु उपयोगी फीडबैक/इनपुट प्राप्त हुए, बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास की जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इससे प्राधिकरण को विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण विनियामक पहलों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिसने भारत और अन्य कई देशों में प्रमुख विनियामक चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान दिया तथा उभरते वैश्विक सूचना समाज में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। प्राधिकरण द्वारा कई सेमिनार भी आयोजित किए गए, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के भाग–II में उपलब्ध है।

भादूविप्रा में आंतरिक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की भी एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है ताकि वे दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम विकास पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर सकें। भादूविप्रा अधिकारियों ने प्राधिकरण द्वारा आयोजित और संचालित वेबिनार/कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे – अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का वेबिनार "5G इंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग", जिसने 5G प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और अनुभवों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि (इंसाईट) प्रदान की; और "दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद (एसएटीआरसी) स्पेक्ट्रम पर कार्यशाला", जिसमें चर्चा मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम प्रबंधन और दूरसंचार के उन्नयन के लिए आवश्यक विनियामक ढाँचों पर केंद्रित रही। ये सहभागिताएँ भादूविप्रा की दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान-साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो विनियामक प्रथाओं को सुदृढ़ करती हैं और नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं।

4.19 कार्यालय स्थान

वर्ष 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) किराए के परिसर से कार्य करता रहा है। नवम्बर 2020 में भारत सरकार ने, दूरसंचार विभाग के माध्यम से, भादूविप्रा के लिए कार्यालय स्थान की खरीद हेतु स्वीकृति दी, जो एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर में स्थित है और वर्तमान में विश्व व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर), नौरोजी नगर, नई दिल्ली के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके उपरांत, फरवरी 2021 में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने डब्ल्यूटीसी परिसर के टॉवर-एफ में कुल 115,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र (जिसमें 85,545 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्र शामिल है) भादूविप्रा को आवंटित किया, जो चौथी से सातवीं मंज़िल तक फैला हुआ है।

नवम्बर 2022 में भादूविप्रा ने एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड - जो नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है - के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)/अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, ताकि नए कार्यालय परिसर के आंतरिक फिट-आउट, नवीनीकरण और साज-सज्जा कार्यों की योजना, डिज़ाइन और क्रियान्वयन किया जा सके।

ये कार्य अब अधिकांशतः पूर्ण हो चुके हैं और मई 2024 में ये जगह भादूविप्रा को सौंप दी गई है । इसके बाद भादूविप्रा ने अपना कार्यालय नौरोजी नगर, नई दिल्ली स्थित एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉवर-एफ में अपने नए परिसर में स्थानांतरित कर लिया। इस स्थानांतरण के साथ ही, दिनांक 1 जून 2024 से भादूविप्रा अब अपने कार्यालय स्थान से कार्य कर रहा है।

4.20 भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी अपने सामान्य पूल आवास (जीपीआरए) को बनाए रखने के लिए अधिकृत हैं, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा एक विशेष लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाए। यह सुविधा कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति या प्राधिकरण में उनके कार्यकाल की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक उपलब्ध रहती है।

वर्तमान में, सामान्य पूल आवास के आवंटन की पात्रता केवल उन अधिकारियों तक सीमित है जो नई दिल्ली स्थित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सचिवालय में पदस्थापित हैं। ये अधिकारी भादूविप्रा में शामिल होने से पूर्व ही जीपीआरए के लिए पात्र थे, तथा निदेशालय संपदा (डीओई) को देय विशेष लाइसेंस शुल्क का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

हालाँकि, संपदा निदेशालय वर्तमान में उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जीपीआरए आवंटित नहीं करता और न ही पहले से आवंटित आवास को बनाए रखने की अनुमति देता है, जिन्हें भादूविप्रा में समायोजित किया गया है। इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन संपदा निदेशालय के साथ यह मामला उठाया है, ताकि जीपीआरए सुविधा को सभी भादूविप्रा कर्मचारियों तक विस्तारित किया जा सके।

इस प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि नीति में संशोधन कर भादूविप्रा के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को - चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर हों, प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए हों या स्थायी रूप से समायोजित किए गए हों - उनकी पूर्व जीपीआरए पात्रता को ध्यान दिए बिना, जीपीआरए सुविधा में सम्मिलित किया जाए।

आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिम समाधान के रूप में भादूविप्रा ने एमटीएनएल/बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, एमटीएनएल/बीएसएनएल, भादूविप्रा को पट्टे पर आवासीय क्वार्टरों का एक पूल उपलब्ध कराएँगे, जिन्हें प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार अपने कर्मचारियों को आवंटित कर सकेगा।

4.21 भादूविप्रा में विभिन्न दिवसों का आयोजन

(i) भादूविप्रा ने दिनांक 17 मई, 2024 को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस (डब्ल्यूटीआईएसडी) 2024 मनाया । इस अवसर पर "आई.एम.टी. 2030 फ्रेमवर्क: विजन, आवश्यकताएं और मानक" विषय पर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसे डॉ. किरण कुमार कुची, प्रोफेसर, आई.आई.टी. हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया।

(ii) भादूविप्रा ने दिनांक 21 जून, 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक योग सत्रों में भाग लिया, जिनका आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। इन योग सत्रों में प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी भौतिक तथा हाइब्रिड दोनों माध्यमों से सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए।

(iii) भादूविप्रा में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह में मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (दिनांक 31 अक्टूबर) आती है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से दिनांक 3 नवम्बर, 2024 तक मनाया गया। इसका विषय था:

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"

"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

भादूविप्रा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 का आयोजन दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निष्ठा की शपथ दिलाने के साथ किया। यह शपथ श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा के नेतृत्व में दिलाई गई।

(iv) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 को दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। इस उपलक्ष्य में भादूविप्रा द्वारा 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध सप्ताह' मनाया जाता है। इस अवसर पर भादूविप्रा के कर्मचारियों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने हेतु संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

इस वर्ष दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को भादूविप्रा द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध (पीओएसएच) पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सुश्री गीता नाथ (माइंड कोच एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर), निधि फाउंडेशन मुख्य वक्ता रहीं।

(v) विश्वभर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिवर्ष दिनांक 8 मार्च को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया जाता है। इसी उद्देश्य के अनुरूप, भादूविप्रा ने "महिलाओं में निवेश करें: प्रगति में तेजी लाएँ" (Invest in women: Accelerate progress) विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संबंधी सत्रों का आयोजन किया। यह विषय वैश्विक फोकस के अनुरूप है और लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं में निवेश के महत्व पर बल देता है। इन सत्रों के उपरांत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्राधिकरण की सभी महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सैशन आयोजित किया गया।

4.22 भादूविप्रा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें) नियमावली, 2002 की अनुसूची–II, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, चाहे वे सेवारत हों या सेवानिवृत्त, सभी को इस चिकित्सा सुविधा का अधिकार प्राप्त है।

4.23 वित्तपोषण

भादूविप्रा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक विनियामक निकाय है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 21 के अनुसार, केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोजन के बाद, प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकती है, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए आवश्यक है। अधिनियम की धारा 22(1) (ए) और (बी) में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि के नाम से एक कोष का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है, इस कोष में जमा की जाएंगी। वित्त वर्ष 2024–25 में भादूविप्रा का कुल व्यय ₹ 109.09 करोड़ (मूल्यह्रास सहित) रहा। इस अवधि में व्यय के प्रमुख मद 'वेतन', 'किराया' एवं 'व्यावसायिक शुल्क' आदि रहे।

4.24 यदि भादूविप्रा को विनियमित संस्थाओं से वसूले जा रहे लाइसेंस शुल्क का एक छोटा सा भाग भादूविप्रा के प्रशासनिक व्यय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाए, तो ग्रांट-इन-एड के रूप में सरकारी सहयोग की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था भादूविप्रा को एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करेगी। आईआरडीए, सेबी और आरबीआई जैसे विनियामकों को गैर-सरकारी स्रोतों से भी विभिन्न स्तरों पर नई प्रतिभाओं की भर्ती करने और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसी स्वस्थ पद्धतियों का अनुकरण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भादूविप्रा को वैश्विक स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जटिल मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

4.25 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय

वर्ष 2012 में प्राधिकरण ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दी थी। बाद में प्राधिकरण ने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य की समीक्षा की और वर्ष 2014–15 में चंडीगढ़, पटना, मुम्बई, गुवाहाटी एवं लखनऊ स्थित 5 कार्यालयों को बंद करने तथा हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर एवं दिल्ली स्थित 6 (छह) क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित अधिकार क्षेत्रों के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी। ये क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट आधार पर संचालित हो रहे हैं। भादूविप्रा ने इस क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत इन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024–25 में क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं उनके अंतर्गत आने वाले लाइसेंस सेवा क्षेत्र इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कवर किया गया लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुम्बई
2	भोपाल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व एवं पश्चिम)
3	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर
4	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), ओडिशा
5	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पूर्वोत्तर, असम, बिहार

4.26 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्मिक संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

दिनांक 31 मार्च, 2025 को भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) में कार्मिकों की संख्या इस प्रकार थी:

क्रम सं.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	सलाहकार	06	05
2	संयुक्त सलाहकार / उप सलाहकार	12	12
3	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	12	10
4	सहायक	06	04
	कुल	**36**	**31**

4.27 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	अधिकारी का नाम	पदनाम	फोटोग्राफ
1	बेंगलुरु	श्री ब्रजेंद्र कुमार	सलाहकार	
2	भोपाल	श्री संजय कुमार गुप्ता	सलाहकार	
3	दिल्ली	श्री विवेक खरे	सलाहकार	
4	हैदराबाद	श्री बी. प्रवीण कुमार	सलाहकार	

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	अधिकारी का नाम	पदनाम	फोटोग्राफ
5	जयपुर	श्री संजय कुमार गुप्ता (अतिरिक्त प्रभार)	सलाहकार	
6	कोलकाता	डॉ. स्वदेश कुमार सामंता	सलाहकार	

4.28 उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका एवं कार्य निम्न प्रकार हैं:

i. टैरिफ संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के रिटेल टैरिफ की प्रभावी निगरानी;

ii. सेवा प्रदाताओं के साथ विनियामक एवं विपणन संबंधी मामलों में समुचित समन्वय;

iii. सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) की निगरानी तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण;

iv. भादूविप्रा के ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) / उपभोक्ता जागरूकता समूह (सीएजी) की बैठकों का आयोजन करना;

v. भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण का समन्वय और निगरानी;

vi. जिला/ब्लॉक स्तर तक सीएजी का विकास तथा सीएजी के साथ सक्रिय संवाद;

vii. उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन;

viii. दूरसंचार विभाग के 'टर्म सैल' के साथ सक्रिय संवाद;

ix. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम एवं अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) विनियम के अनुपालन की निगरानी;

x. पोर्टल पर एमएसओ/एलसीओ के पंजीकरण की निगरानी और एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की जाँच;

xi. ऐसे अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निर्वहन, जिन्हें भादूविप्रा मुख्यालय द्वारा सौंपा गया हो अथवा जो भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु आवश्यक हों;

xii. सेवा प्रदाता पोर्टल (एसपीपी) पर एमएसओ और एलसीओ की सूचना की निगरानी। क्षेत्रीय कार्यालय एमएसओ के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोर्टल पर प्रविष्टि सभी एमएसओ और उनके एलसीओ द्वारा की गई है;

xiii. एमएसओ और एलसीओ (एमआईए/एसआईए) के बीच समझौते का विश्लेषण और रखरखाव;

xiv. एमएसओ के लिए सेवाओं की गुणवत्ता विनियमन की निगरानी और कार्यान्वयन;

xv. क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त डीटीएच ऑपरेटरों और प्रमुख एमएसओ के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतों को बीसीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करना;

xvi. टीसीसीएमएस पोर्टल में उनके द्वारा प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को अपलोड करना और उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रमों के उचित संचालन के लिए सेवा प्रदाता के साथ समन्वय करना; तथा

xvii. प्रत्येक तिमाही के लिए डीसीआर मैट्रिक्स का विश्लेषण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीएसपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

4.29 सूचना का अधिकार अधिनियम

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु कुल 610 आर.टी.आई. आवेदन एवं 55 अपीलें प्राप्त हुईं। इन सभी आवेदनों पर तत्परता से कार्रवाई की गई तथा निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर भेजे गए।

4.30 भादूविप्रा को आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) को दिसंबर 2004 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएस/आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। इस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण वर्ष 2007 और 2010 में किया गया था । नवंबर 2010 में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करते हुए, बीआईएस ने आईएस/आईएसओ 9001:2008 जारी किया और इसके बाद 2013 और 2016 में इसका नवीनीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, बीआईएस ने 2016 में नवीनीकरण करते हुए आईएसओ प्रमाणन की नवीनतम श्रृंखला यानी आईएसओ 9001:2015 जारी की है और इस प्रमाणन को सितंबर 2021 और जनवरी 2023 में नवीनीकृत किया गया है ।

प्रबंधन की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, भादूविप्रा ने गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता उद्देश्य और कार्य प्रक्रियाओं को परिभाषित किया है । गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, बीआईएस हर साल एक बार निगरानी ऑडिट आयोजित करता है। बीआईएस द्वारा अंतिम निगरानी लेखा-परीक्षण दिनांक 30 सितम्बर 2024 और दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को किया गया। गुणवत्ता नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार भादूविप्रा को वर्ष में दो बार आंतरिक गुणवत्ता लेखा-परीक्षण करना आवश्यक है। लेखा-परीक्षण प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, भादूविप्रा नियमित रूप से अपने अधिकारियों को आंतरिक गुणवत्ता लेखा-परीक्षक के रूप में प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में, भादूविप्रा के पास 32 आंतरिक गुणवत्ता लेखा-परीक्षक (आई.क्यू.ए.) अधिकारी उपलब्ध हैं, जो आंतरिक लेखा-परीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता प्रबंधन समीक्षा बैठकें सचिव द्वारा त्रैमासिक आधार पर ली जाती हैं। उपर्युक्त बैठकों के अलावा शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्षिक प्रबंधन समीक्षा बैठक भी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2015 की आवश्यकताओं का पालन हो रहा है।

4.31 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) का राजभाषा अनुभाग, सचिव (भादूविप्रा) के नेतृत्व में कार्य कर रहा है ताकि राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राजभाषा अनुभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग विभिन्न प्रभागों/विभागों से संबंधित अनुवाद कार्यों की आवश्यकता भी पूरी करता है, जैसे विनियम, प्रेस विज्ञप्तियाँ, निविदा सूचनाएँ, राजपत्र अधिसूचनाएँ, प्रपत्र तथा अन्य दस्तावेज, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है।

भादूविप्रा के सभी प्रभागों और अनुभागों द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, सचिव की अध्यक्षता में गठित भादूविप्रा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में राजभाषा के प्रयोग को सरकारी कार्यों में अधिकाधिक बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। भादूविप्रा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है तथा भावी कार्य-योजना पर भी विचार-विमर्श किया जाता है। समिति, राजभाषा से संबंधित कार्यों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करती है और समयानुसार उनका कार्यान्वयन भी करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल 4 बैठकें क्रमशः दिनांक 29 अप्रैल 2024, दिनांक 31 जुलाई 2024, दिनांक 29 अक्टूबर 2024 तथा दिनांक 4 फरवरी 2025 को आयोजित की गईं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में "हिंदी पखवाड़ा 2024" का आयोजन दिनांक 14 से दिनांक 28 सितम्बर 2024 तक किया गया, जिसके दौरान विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध लेखन, टिप्पणी/मसौदा लेखन, तात्कालिक भाषण, गीत गायन/कविता पाठ, हिंदी टाइपिंग, कहानी लेखन, प्रश्नपत्र आधारित राजभाषा प्रावधान एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा भादूविप्रा संवर्ग के चालकों एवं एम.टी.एस. के लिए हिंदी श्रुतिलेख एवं सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गईं। हिंदी दिवस, अर्थात् दिनांक 14 सितम्बर 2024 के अवसर पर भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री का संदेश परिचालित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 10 अक्तूबर 2024 को भादूविप्रा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के उत्तरोत्तर उपयोग को बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा में पिछले 14 वर्षों से अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने अपना अधिकतम सरकारी कार्य हिन्दी में किया हो। यह योजना कर्मचारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और इसने अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्षभर अपने अधिकांश सरकारी कार्य राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा में अधिकतम कार्य करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान 4 हिंदी कार्यशालाएँ क्रमशः दिनांक 24 अप्रैल 2024, दिनांक 18 जुलाई 2024, दिनांक 20 नवम्बर 2024 तथा दिनांक 10 जनवरी 2025 को आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़ा – 2024, पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 10 अक्तूबर 2024 को आयोजित किया गया

4.32 आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण का कार्यान्वयन

भादूविप्रा पदोन्नति करते समय पात्र वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करता आ रहा है। आरक्षित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु निदेशक स्तर के एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

4.33 अन्य विनियामकों के साथ सहयोग

नई आईसीटी प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, आईसीटी सेवाओं का विनियमन नई चुनौतियां पेश कर रहा है। इस क्षेत्र में नवाचार नई तरह की सेवाएं ला रहा है। 5जी, एआई, एम2एम, एआर/वीआर आदि जैसी तकनीकों का वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा आदि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा । नई प्रौद्योगिकियों के साथ आईसीटी नवाचार इन क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में सहायक होंगी। ये सेवाएं क्रॉस-सेक्टोरल प्रभावों के साथ अतिव्यापी नियामक चुनौतियां पेश करेंगी।

क्रास सैक्टोरल कोलाबरेटिव रेगुलेशन के महत्व को स्वीकार करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने वर्ष 2020 में "जी5 बेंचमार्क सूचकांक" तैयार किया और उसे लागू किया, ताकि यह आकलन किया जा सके कि विभिन्न राष्ट्र डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापक डिजिटल सहयोगात्मक विनियमन और नीतिनिर्माण को किस प्रकार लागू कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) "आईटीयू जी5 बेंचमार्क" का उपयोग एक ऐसे उपकरण के रूप में करता है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों में डिजिटल विकास और विनियमन की स्थिति का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। इसका उद्देश्य राष्ट्रों को सहयोगात्मक, अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बल देकर समृद्ध डिजिटल समाज स्थापित करने में सहायता करना है।

अपने विनियामक उपलब्धियों के कारण सहयोगात्मक विनियमन के जी5 बेंचमार्क पर भारत को अग्रणी राष्ट्रों की सर्वोच्च श्रेणी में स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा उठाए गए अनेक कदमों में से कुछ का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

4.33.1 भारतीय विनियामकों का मंच (फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स)

आर्थिक बाजार प्रतिस्पर्धी भागीदारों द्वारा संचालित होते हैं, जो एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तथापि, बाजार की अनिश्चितता और प्रभुत्व के दुरुपयोग तथा विफलताओं जैसे जोखिम, विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक संस्थाओं की स्थापना की जाती है। ये संस्थाएँ मानक निर्धारित करती हैं, नियम लागू करती हैं, प्रतिस्पर्धा बनाए रखती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों को नियंत्रित करती हैं। उदाहरणस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) मुद्रा बाजार को विनियमित करता है, जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) दूरसंचार क्षेत्र का विनियमन करता है।

भारतीय विनियामकों के मंच (फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स) की स्थापना दिनांक 4 फरवरी 2000 को भारत के सभी विनियामकों को एकजुट करने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें 36 सदस्य शामिल हैं, जैसे भादूविप्रा, ऐरा, सीसीआई, आईबीबीआई, पीएनजीआरबी, टीएएमपी, डब्ल्यूडीआरए, सीईआरसी तथा 29 राज्य विद्युत विनियामक आयोग।

अगस्त 2016 में, भादूविप्रा भारतीय विनियामकों के मंच (फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स) से जुड़ा, जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय विनियामक संस्थाओं जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) तथा दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का एक संगठन है। भादूविप्रा नियमित रूप से फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स की सभी गतिविधियों जैसे एजीएम, जीबीएम और फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स के सदस्यों के लिए संगोष्ठी आदि में भाग लेता है ।

भादूविप्रा ने भारतीय विनियामकों के मंच (फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स) की 24वीं वार्षिक आम सभा बैठक में भाग लिया, जिसमें फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न ऊर्ध्वाधर (vertical) क्षेत्रों में 5G और संबंधित प्रौद्योगिकियों को तीव्र गति से अपनाए जाने पर चर्चा की गई।

उस एजीएम में, भादूविप्रा ने फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न ऊर्ध्वाधर (vertical) क्षेत्रों में 5G और संबंधित प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने पर अध्ययन करने और अनुशंसाएँ देने हेतु एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव रखा। 5G की अपार संभावनाओं और संभावित योगदान को देखते हुए, फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स ने उद्योग, बंदरगाह, हवाईअड्डे, विद्युत क्षेत्र, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग आदि क्षेत्रों में 5G और संबंधित प्रौद्योगिकियों के अपनाने से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु एक समूह गठित करने को स्वीकृति दी। यह समूह क्षेत्र-विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ-साथ विनियामकों के लिए डाटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एम.आई.एस. आदि में समान अनुप्रयोगों का भी अध्ययन करेगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में "5G संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन एवं उनके अपनाने में सुविधा प्रदान करने" हेतु गठित फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स तकनीकी कार्यदल की पहली बैठक दिनांक 16 मई 2024 को आयोजित की गई। इसी उद्देश्य से गठित फोरम ऑफ़ इंडियन रेगुलेटर्स तकनीकी कार्यदल की दूसरी बैठक दिनांक 20 जून 2024 को हुई। कार्यदल की तीसरी बैठक दिनांक 18 फरवरी 2025 को आयोजित की गई।

4.33.2 विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की पहल पर गठित विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर)का गठन दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता मामले, वित्तीय एवं बीमा क्षेत्रों के क्षेत्रीय विनियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, ताकि डिजिटल जगत में अंतर-क्षेत्रीय विनियामक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और उपयुक्त विनियामक उपाय अपनाने पर सामूहिक रूप से कार्य किया जा सके। समिति के सदस्यों ने इस मंच का उपयोग अपने विनियामक ढाँचे को और सुदृढ़ करने तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया है। जेसीओआर ने अनचाही व्यावसायिक संचार (यूसीसी) के मुद्दे और डिजिटल युग की विनियामक चुनौतियों के समाधान हेतु एक अत्यंत उपयोगी सहयोगात्मक मंच उपलब्ध कराया है और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से यूसीसी को नियंत्रित करने के लिए विनियामक ढाँचों को सुदृढ़ किया है।

अनुलग्नक – I

दिनांक 1 अप्रैल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों (ऑफ़लाइन / ऑनलाइन) की सूची

क्रम सं.	संगठन	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षण मोड	स्थान	अवधि	
1	भादूविप्रा, मुख्यालय	ओरिएंटेशन / इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑनलाइन	नई दिल्ली	14.05.2024	14.05.2024
2	एनटीआईपी आरआईटी	मानकीकरण के अंतर को पाटना (बीएसजी)	ऑफ़लाइन	गाज़ियाबाद	15.05.2024	16.05.2024
3	डीएससीआई	वित्तीय सुरक्षा (फिनसेक) सम्मेलन	ऑफ़लाइन	मुंबई	04.06.2024	05.06.2024
4	आईएसटीएम	संगठन-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑफ़लाइन	नई दिल्ली	24.06.2024	05.07.2024
5	एनपीसी, गांधीनगर	प्रबंधकीय नेतृत्व एवं टीम निर्माण	ऑफ़लाइन	धर्मशाला	15.07.2024	19.07.2024
6	एमडीआई, गुरुग्राम	प्रबंधकीय संचार दक्षताओं में निपुणता	ऑफ़लाइन	गुरुग्राम	22.07.2024	24.07.2024
7	आईआईसीए, मानेसर	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से क्रय प्रक्रिया, क्रय में रणनीतिक अनुबंध – मसौदा, वार्ता, प्रवर्तन एवं विवाद समाधान	ऑफ़लाइन	पुणे	03.09.2024	05.09.2024
8	आईआईएम, इंदौर	गैर-वित्तीय अधिकारियों हेतु वित्त प्रबंधन	ऑफ़लाइन	इंदौर	03.09.2024	06.09.2024
9	आईआईसीए, मानेसर	प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमों पर छह माह के ऑनलाइन उन्नत व्यावसायिक पाठ्यक्रम का 11वाँ बैच	ऑनलाइन	ऑनलाइन	सितम्बर 2024 (07.09.24)	फरवरी 2025

क्रम सं.	संगठन	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षण मोड	स्थान	अवधि	
10	एनपीसी, दिल्ली	नेतृत्व एवं टीम निर्माण	ऑफ़लाइन	गोवा	09.09.2024	13.09.2024
11	एनपीसी, दिल्ली	सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) के माध्यम से सुशासन एवं पारदर्शिता	ऑफ़लाइन	गोवा	23.09.2024	27.09.2024
12	बीआरबीआरए आईटीटी, जबलपुर	भादूविप्रा अधिकारियों हेतु तकनीकी प्रशिक्षण	ऑफ़लाइन	जबलपुर	30.09.2024	11.10.2024
13	आईआईएम, इंदौर	उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम	ऑफ़लाइन	इंदौर	03.10.2024	09.10.2024
14	एनपीसी, दिल्ली	प्रभावी कार्यालय प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन	ऑफ़लाइन	वाराणसी	14.10.2024	18.10.2024
15	एफओआईआर – आईआईसीए, मानेसर	चार माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : "विनियामक सुशासन"	ऑनलाइन	मानेसर	26.10.2024	फरवरी 2025
16	एनपीसी, भुवनेश्वर	सार्वजनिक क्रय एवं अनुबंध प्रबंधन	ऑफ़लाइन	पुरी	04.11.2024	08.11.2024
17	आईआईएम, लखनऊ	भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से नेतृत्व की प्रभावशीलता	ऑफ़लाइन	लखनऊ	07.11.2024	09.11.2024
18	आईआईएम, लखनऊ	डिजिटल मानसिकता का विकास : ए.आई. युग में प्रगति	ऑफ़लाइन	लखनऊ	13.11.2024	17.11.2024

क्रम सं.	संगठन	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षण मोड	स्थान	अवधि	
19	एनईजीडी, नई दिल्ली	डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा एवं उभरती प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे (डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम)	ऑनलाइन	ऑनलाइन	16.11.2024	18.01.2025
20	एनपीसी, गुजरात	व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक साइबर सुरक्षा की मूलभूत आवश्यकताएँ	ऑफ़लाइन	गोवा	18.11.2024	22.11.2024
21	एनपीसी, हैदराबाद	डिजिटल कार्यस्थल : गैर - आईटी अधिकारियों हेतु आवश्यकताएँ	ऑफ़लाइन	मुन्नार	25.11.2024	29.11.2024
22	आईआईएम, इंदौर	गैर-वित्तीय अधिकारियों हेतु वित्त प्रबंधन	ऑफ़लाइन	इंदौर	26.11.2024	29.11.2024
23	एनपीसी, गुजरात	ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल रूपांतरण	ऑफ़लाइन	गोवा	16.12.2024	20.12.2024
24	एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद	सार्वजनिक क्रय (मूलभूत)	ऑफ़लाइन	फरीदाबाद	06.01.2025	11.01.2025
25	एनपीसी, दिल्ली	निवारक सतर्कता, ई-क्रय एवं सुशासन की कुंजी (कार्यक्रम कोड: T2425ITS10)	ऑफ़लाइन	पोर्ट ब्लेयर	20.01.2025	24.01.2025
26	आईआईसीए, मानेसर	उन्नत क्रय (जी.एफ.आर., जेम एवं ई-क्रय पर आधारित नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ), रणनीतिक सोर्सिंग, लागत में कमी की तकनीकें एवं अनुबंध प्रबंधन : वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों के समाधान	ऑफ़लाइन	गंगटोक	18.02.2025	21.02.2025

क्रम सं.	संगठन	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षण मोड	स्थान	अवधि	
27	एनपीसी, दिल्ली	क्रय प्रबंधन एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम कोड : T2425ECO09	ऑफ़लाइन	पोर्ट ब्लेयर	24.02.2025	28.02.2025
28	एनपीसी, दिल्ली	सूचना का अधिकार एवं कार्यालय प्रबंधन	ऑफ़लाइन	मुन्नार	03.03.2025	07.03.2025
29	आईआईएम, इंदौर	व्यवहार संबंधी साक्ष्यों को समझना – संगठनात्मक उत्कृष्टता हेतु एचआर एनालिटिक्स	ऑफ़लाइन	इंदौर	10.03.2025	12.03.2025

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय।

राय

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियाँ और भुगतान खाता शामिल है, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, ट्राई के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर नोट्स तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ट्राई की वित्तीय स्थिति तथा लेखाओं के एकसमान प्रारूप/ स्वायत्त निकाय पर लागू प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए उसके निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

संलग्न पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर। हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी उत्तरदायित्व का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" भाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

ट्राई (प्राधिकरण) का शासी निकाय, स्वायत्त निकाय पर लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, जैसा कि प्रबंधन आवश्यक समझता है, ताकि वित्तीय विवरणों को धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त रखा जा सके।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त है, तथा एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-नोट/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/-
(तान्या सिंह)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14.11.2025

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. बैलेंस शीट:

1) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) - ₹ 50.79 करोड़

(i) उपरोक्त में एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को आंतरिक कार्य के लिए प्राप्त अंतिम बिल के कारण देय राशि के रूप में ₹ 3.50 करोड़ की देयता शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों के साथ-साथ अचल संपत्तियों को भी इस राशि से कम दर्शाया गया है। इसके कारण आकस्मिक देनदारियों को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।

(ii) उपरोक्त में ₹ 2.74 करोड़ के व्यय के पुराने प्रावधान शामिल हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप व्यय के प्रावधान अधिक दर्शाए गए हैं और आय कम दर्शाई गई है (अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लिख दिया गया है) जिससे घाटा इस राशि से अधिक दर्शाया गया है।

ख. सामान्य टिप्पणी

(i) ट्राई ने पूर्व अवधियों से संबंधित ₹ 1.27 करोड़ के व्यय को 'पूर्व अवधि व्यय' उपशीर्षक के अंतर्गत दर्शाने के बजाय संबंधित व्यय शीर्षों में दर्शाया है। व्ययों का यह गलत वर्गीकरण चालू वर्ष के अधिशेष/घाटे की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

(ii) ट्राई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न सेवा प्रदाताओं पर ₹ 44.98 करोड़ राशि का वित्तीय दंड लगाया, जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 1.37 करोड़ राशि का लेखा-जोखा तो दिया है, लेकिन वर्ष के दौरान लगाए गए कुल वित्तीय दंड और पिछले वर्षों में सेवा प्रदाताओं से वसूली जाने वाली लंबित राशि का खुलासा नहीं किया है। इसके कारण लेखा-टिप्पणियाँ अपूर्ण हैं।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाएगा।

घ. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को जवाबदेही दायित्वों को पूरा करने, कानूनों और नियमों का पालन करने, मितव्ययी, कुशल और प्रभावी तरीके से संचालन के व्यवस्थित संचालन और परिसंपत्तियों को नुकसान से बचाने का उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं पाई गई है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

1) प्रभावी बजट निगरानी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अभी तक अपनाया नहीं गया है।

2) यह देखा गया है कि अधिकांश लेखांकन लेन-देन में, विक्रेताओं का लेखा-जोखा तैयार किए बिना ही भुगतान कर दिया जाता है और विक्रेता का नाम विवरण में लिखकर सीधे बैंक वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जाता है। एक अच्छी लेखांकन पद्धति के रूप में, पहले लेन-देन को टैली में जर्नल वाउचर के साथ दर्ज किया जाना चाहिए, उसके बाद भुगतान प्रविष्टि एक अलग वाउचर के माध्यम से दर्ज की जानी चाहिए। यह पद्धति सुनिश्चित करती है कि विक्रेता के साथ किए गए सभी लेन-देन का विवरण विक्रेता के बहीखाते में उपलब्ध हो।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए ट्राई का आंतरिक लेखा-परीक्षण किया गया और ट्राई सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया। आंतरिक लेखा-परीक्षण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु, दिनांक 12 जुलाई 2013 के परिपत्र संख्या 1-25/2012-ए एंड पी के माध्यम से ट्राई का आंतरिक लेखा-परीक्षण गठित किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा-परीक्षण इकाई, ट्राई सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेगी और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईए) इस इकाई के प्रमुख होंगे। आंतरिक लेखा-परीक्षण कार्य के संबंध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

1) क्षेत्रीय कार्यालयों का आंतरिक लेखा-परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

2) आंतरिक लेखा-परीक्षण विभाग में कर्मचारियों की कमी थी और संपूर्ण कार्य केवल एक अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था।

यह अपर्याप्त आंतरिक लेखा-परीक्षण प्रणाली को दर्शाता है जिसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कमी है। वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कुल ₹ 27.93 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों का उचित भौतिक सत्यापन और समाधान अभिलेखों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं किया गया है। भौतिक सत्यापन के पूर्ण और सत्यापन योग्य अभिलेखों के अभाव में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई संपत्तियों के लिए अचल संपत्ति सत्यापन प्रक्रिया की पर्याप्तता और विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

(iv) इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

वित्तीय विवरणों के अनुसार कोई इन्वेंट्री नहीं है; इसलिए, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली के लिए आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता:

वित्त वर्ष 2024-25 तक कुल ₹ 51.52 लाख की टीडीएस चूक, जिसमें अल्प कटौती और ब्याज शामिल है, की सूचना दी गई है।

ङ. सहायता अनुदान

क) राजस्व अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 118.40 करोड़ (पिछले वर्ष की ₹ 21.40 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि सहित) के सहायता अनुदान में से, ट्राई ने ₹ 104.35 करोड़ का उपयोग किया, जिससे दिनांक 31 मार्च 2025 तक ₹ 14.05 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान शेष रह गया।

ख) पूंजी अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 106.99 करोड़ (फ्लेक्सी ब्याज सहित पिछले वर्ष की ₹ 103.19 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि और भवन खाते की एफडीआर पर ब्याज के रूप में प्राप्त ₹ 3.80 करोड़ सहित) के सहायता अनुदान में से, ट्राई ने ₹ 32.59 करोड़ का उपयोग किया, जिससे दिनांक 31 मार्च 2025 तक ₹ 74.40 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान शेष रह गया।

ह0/-
(तान्या सिंह)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14.11.2025

अस्वीकृति: "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

(राशि ₹ में)

	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	97,00,00,000	1,12,00,00,000
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों मे किए निवेश से आय - निधियों मे अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि के लिए आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	41,29,145	2,11,25,084
अन्य आय	18	47,371	6,13,219
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (क)		**97,41,76,516**	**1,14,17,38,303**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	60,24,65,985	57,25,59,306
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	47,57,14,910	52,51,51,989
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)		1,26,97,481	1,82,66,144
कुल (ख)		**1,09,08,78,375**	**1,11,59,77,439**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क-ख)		(11,67,01,859)	2,57,60,864
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		-	-
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष		**(11,67,01,859)**	**2,57,60,864**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0 /-
प्र0 सलाहकार (एफ एंड ई)

ह0 /-
सचिव

ह0 /-
सदस्य (टी)

ह0 /-
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

निधि और देनदारियाँ	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	(24,28,72,143)	(12,61,70,284)
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3	85,76,62,293	1,01,56,29,492
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4	-	-
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5	-	-
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	50,79,46,643	47,40,80,878
कुल		**1,12,27,36,794**	**1,36,35,40,086**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	9,72,12,327	8,52,71,365
निवेश - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,02,55,24,467	1,27,82,68,721
विविध खर्चे			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**1,12,27,36,794**	**1,36,35,40,086**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0 /-
प्र0 सलाहकार (एफ एंड ई)

ह0 /-
सचिव

ह0 /-
सदस्य (टी)

ह0 /-
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - संग्रह/पूंजीगत निधि

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
वर्ष के आरंभ में शेष	(12,61,70,284)	(15,19,31,148)
जोड़े/घटाएं: संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान	-	-
जोड़े (कटौती): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष आय और व्यय खाता	(11,67,01,859)	2,57,60,864
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**(24,28,72,143)**	**(12,61,70,284)**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. पूंजी आरक्षित:	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मल्यांकन आरक्षित:	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित:	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित:	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	**-**	**-**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधि

(राशि ₹ में)

	निधि-वार ब्रेकअप				कुल	
	बिल्डिंग निधि	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जैड जैड	राजस्व	
					चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) निधि का आरंभिक शेष	1,01,56,29,492					
ख) निधि में वृद्धि						
i. दान / अनुदान	-					
ii. निधि के खाते में निवेश से आय	3,98,32,052					
iii. अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति, पिछले वर्ष के समायोजन और परिसंपत्तियों का पूंजीकरण)	9,13,21,070					
iv. बिल्डिंग के लिए डीओटी से मिली निधि	-					
कुल (क + ख)	1,14,67,82,614					
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय					NIL	NIL
i. पूंजीगत व्यय						
- स्थायी परिसंपत्ति	-					
- अन्य	-					
- बिल्डिंग अग्रिम निधि एनबीसीसी	25,47,64,250					
कुल	-					
ii. राजस्व व्यय						
-वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-					
- किराया	-					
- अन्य प्रशासनिक व्यय	3,43,56,071					
कुल						
कुल (ग)	28,91,20,321					
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)	**85,76,62,293**					

टिप्पणियां

1. अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2. शेष राशि, भादूविप्रा के मौजूदा खाते में पड़ी हुई है जिसे चालू परिसम्पत्तिगत ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची 11 में दर्शाया गया है।

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 - प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य - ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 - अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य - ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता	-	-
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	91	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
6) अन्य चालू देयताएं		
1) भादूविप्रा सामान्य निधि(ईएमडी) के लिए)	9,06,704	36,62,308
2) टेलीमार्केटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	-	57
3) टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	-	-
4) वित्तीय दंड	1,37,09,634	2,48,85,278
कुल (क)	**1,46,16,429**	**2,85,47,643**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	13,68,64,055	13,04,53,912
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	14,96,62,744	14,96,30,746
5. व्यापार वारंटी / दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
व्यय के लिए प्रावधान	20,68,03,415	16,54,48,577
कुल (ख)	**49,33,30,214**	**44,55,33,235**
कुल (क+ख)	**50,79,46,643**	**47,40,80,878**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी संपत्तियां:										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़लोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़लोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	72,63,697	8,27,200	-	80,90,897	51,91,847	5,85,770	-	57,77,617	23,13,280	20,71,850
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,99,07,959	35,62,903	80,27,238	2,54,43,624	2,65,53,669	1,74,422	50,09,204	2,17,18,887	37,24,737	33,54,290
6. कार्यालय उपस्कर	5,11,02,857	35,80,722	22,75,706	5,24,07,873	4,54,00,038	18,89,865	20,22,021	4,52,67,882	71,39,991	57,02,819
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल	16,51,02,601	2,78,43,653	1,21,42,642	18,08,03,612	9,60,32,658	99,08,949	82,28,762	9,77,12,845	8,30,90,767	6,90,69,943
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	1,31,06,232	5,94,666	57,88,293	79,12,605	1,08,06,817	99,045	37,87,914	71,17,948	7,94,657	22,99,415
9. पुस्तकालय पुस्तकें	46,30,774	59,529	-	46,90,303	45,01,980	39,430	-	45,41,410	1,48,893	1,28,794
10 ऑडिटोरियम	2,20,90,493	-	2,20,90,493	-	1,94,46,239	-	1,94,46,239	-	-	26,44,254
चालू वर्ष का योग	**29,32,04,613**	**3,64,68,674**	**5,03,24,372**	**27,93,48,915**	**20,79,33,248**	**1,26,97,481**	**3,84,94,140**	**18,21,36,589**	**9,72,12,327**	**8,52,71,365**
गत वर्ष	27,64,86,303	1,79,83,960	12,65,650	29,32,04,613	18,96,67,103	1,82,66,145	-	20,79,33,248	8,52,71,365	8,68,19,200
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**29,32,04,613**	**3,64,68,674**	**5,03,24,372**	**27,93,48,915**	**20,79,33,248**	**1,26,97,481**	**3,84,94,140**	**18,21,36,589**	**9,72,12,327**	**8,52,71,365**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-
कुल	-	-

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि विवरण

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक-इन- ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह महीने की अवधि से अधिक के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	3,77,819	34,444
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खातों पर	-	-
i) भादूविप्रा सामान्य निधि	24,78,942	25,10,857
ii) बिल्डिंग फंड (भादूविप्रा के नए भवन के लिए)	37,33,98,944	97,91,80,856
iii) पंजीकरण शुल्क	-	57
- जमा खातों पर		
i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा (मुख्य खाता)	13,80,00,000	21,15,00,000
ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा (भवन खाता)	37,06,00,000	5,26,80,000
- बचत खातों पर		
i) ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-
ii) वित्तीय निवर्तक	1,37,09,725	2,48,85,278
iii) टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	-	-

(जारी---)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि विवरण

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता पर	-	-
- जमा खाता पर	-	-
- बचत खाता पर	-	-
5. डाकघर-बचत खाता	-	-
कुल (क)	**89,85,65,431**	**1,27,07,91,492**
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	35,50,222	57,65,817
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर	11,15,13,829	-
ख) पूर्व भुगतान	94,65,265	12,13,618
ग) अन्य	-	-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधार्रित/अक्षयनिधियों से निवेश पर	-	-
ख) निवेश - अन्य पर	-	-
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	4,97,794	4,97,794
घ) अन्य	-	-
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. प्राप्तयोग्य दावे	19,31,926	-
कुल (ख)	**12,69,59,036**	**74,77,229**
कुल (क + ख)	**1,02,55,24,467**	**1,27,82,68,721**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 - अनुदान / सब्सिडी

(राशि ₹ में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. केंद्र सरकार	97,00,00,000	1,12,00,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (स्वच्छ भारत)	-	-
कुल	**97,00,00,000**	**1,12,00,00,000**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिपण्णी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि ₹ में)

	निर्धारित निधियों से निवेश	
	राजस्व	
(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-
ख) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर्स	-	-
2. लाभांश	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
निर्धारित / अक्षयनिधियों को अंतरित		

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य से आय	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) फ्लेक्सी खाते - मुख्य खाता	41,29,145	45,56,484
ड़) फ्लेक्सी खाते - भवन निधि	-	1,65,68,600
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	**41,29,145**	**2,11,25,084**

टिप्पणी- स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया गया है

ह0 /-
उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	20,822	4,38,933
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	26,549	1,74,286
5. टेलीमार्किटर्स से पंजीकरण शुल्क	-	-
6. टेलीमार्किटर्स से ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-
7. टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	-	-
8. वित्तीय निवर्तक	-	-
कुल	**47,371**	**6,13,219**

अनुसूची 19 - निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि / (कमी)

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- प्रगतिशील कार्य	-	-
ख) घटाएँ: आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- प्रगतिशील कार्य	-	-
नवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)	-	-

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 20- स्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) वेतन एवं मजदूरी	49,15,29,513	45,06,18,375
ख) भत्ते एवं बोनस	4,17,697	4,48,190
ग) भविष्य निधि में योगदान	2,24,73,070	2,64,66,215
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च	19,59,710	16,50,715
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	6,44,63,201	7,21,75,873
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	2,16,22,794	2,11,99,938
कुल	**60,24,65,985**	**57,25,59,306**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) विद्युत एवं पॉवर	1,11,21,599	50,16,256
ख) बीमा और बैंक शुल्क	2,26,019	1,54,824
ग) मरम्मत एवं रखरखाव	2,94,10,637	62,43,072
घ) किराया, दर और कर	7,95,53,936	33,32,88,151
ड़) वाहन चालन एवं रखरखाव	22,81,575	17,66,393
च) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	61,16,688	1,84,04,784
छ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	30,20,625	15,48,046
ज) यात्रा एवं परिवहन व्यय	6,43,05,267	5,03,72,402
झ) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	1,10,22,330	82,14,472
ञ) अंशदान व्यय	1,10,73,854	68,10,212
ट) पूर्व अवधि के खर्च	3,16,78,989	(2,08,29,902)
ठ) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक	6,00,000	5,50,000
ड) आतिथ्य-सत्कार पर शुल्क	24,87,731	23,66,954
ढ़) पेशवेर शुल्क	13,49,12,842	4,07,46,147
ण) परामर्श और प्रशिक्षण	60,04,113	64,31,916
त) सॉफ्टवेयर विकास व्यय	1,23,98,226	54,88,732
थ) विज्ञापन एवं प्रचार	32,90,455	14,67,964
द) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि के लिए भुगतान)	5,50,73,862	5,70,91,964
ध) बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियां (दूरसंचार विभाग को सौंपी गई)	1,11,36,161	-
न) लघु एवं अतिरिक्त वसूली	-	19,602
कुल	**47,57,14,910**	**52,51,51,989**

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि ₹ में)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष / अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राजस्व		भुगतान	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24		चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
I. आरंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में नकदी	34,444	95,729	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	56,48,53,753	54,13,68,104
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	43,41,94,438	50,17,45,941
i) चालू खातों पर			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
- भादूविप्रा सामान्य निधि	25,10,857	14,73,69,502	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
- बिल्डिंग फंड	97,91,80,856	9,66,490	बिल्डिंग फंड के लिए एनबीसीसी को किया गया भुगतान	32,58,90,590	1,45,05,06,998
- पंजीकरण शुल्क	57	2,056	**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
ii) जमा खातों पर			क) निर्धारित/अक्षयनिधि से	-	-
- भादूविप्रा सामान्य निधि	21,15,00,000	-	ख) स्वयं निधि से (निवेश - अन्य)	-	-
- बिल्डिंग फंड	5,26,80,000	46,61,70,000	**IV. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय**		
iii) बचत खातों पर			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	3,63,77,069	1,67,18,310
- ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
- वित्तीय निवर्तक	2,48,85,278	3,48,49,557	**V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
- टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
II. प्राप्त अनुदान			ख) राज्य सरकार को	-	-
क) केंद्र सरकार से	97,00,00,000	1,12,00,00,000	ग) टेलीमार्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए दूरसंचार	-	2,606
ख) राज्य सरकार से	-				
ग) बिल्डिंग फंड के लिए डीओटी से प्राप्त अनुदान	-	1,99,90,00,000			
(पूंजी या राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दर्शाया गया है)					

(जारी---)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष / अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राजस्व		भुगतान	राजस्व	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24		चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
III. निम्न में निवेश से आय			घ) ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को	-	-
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	3,83,71,638	1,65,68,600	ङ) टेलीमोंटर्स से जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग	-	-
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)			च) वित्तीय दंड/जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	2,48,85,290	3,48,49,557
IV. प्राप्त ब्याज			**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	-
क) बैंक जमा पर	41,29,145	45,56,484	**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	91,863	ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	1,37,93,034	25,08,587
ग) विविध	-	-	**VIII. अंतिम शेष**		
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			क) हाथ में नकदी	97,448	34,444
विविध आय के लिए	26,549	6,13,219	ख) बैंक शेष		
VI. उधार ली गई राशि	-	-	i) चालू खातों पर		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			- भादूविप्रा सामान्य निधि	24,78,942	25,10,857
प्रतिभूति जमा से	2,00,000	24,38,888	- बिल्डिंग फंड	37,33,98,944	97,91,80,856
अन्य अग्रिम	4,87,966	8,83,929	- पंजीकरण शुल्क	-	57
परिसंपत्तियों की बिक्री से	5,62,706	-	ii) जमा खातों पर		
वाहन की बिक्री पर अग्रिम			- भादूविप्रा सामान्य निधि	13,80,00,000	21,15,00,000
पंजीकरण शुल्क से			- बिल्डिंग फंड	37,06,00,000	5,26,80,000
ग्राहक शिक्षा शुल्क से			iii) बचत खातों पर		
टेलीमार्केटर्स से लिए जुर्माने से			- ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-
वित्तीय निवर्तक से	1,37,09,737	2,48,85,278	- वित्तीय निवर्तक	-	-
			- टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	1,37,09,725	2,48,85,278
कुल	**2,29,82,79,233**	**3,81,84,91,595**	**कुल**	**2,29,82,79,233**	**3,81,84,91,595**

ह0 /-
प्र0 सलाहकार (एफ एंड ईए)

ह0 /-
सचिव

ह0 /-
सदस्य (टी)

ह0 /-
अध्यक्ष

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन परंपराएं:

(क) वित्तीय विवरण को "एक समान खाते के प्रारूप" में तैयार किया गया है जैसा कि लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 23 जुलाई, 2007 के पत्रांक संख्या एफ.सं. 19(1)/Misc./2005/TA/450-490 के माध्यम से योजनागत तथा गैर-योजनागत दोनों क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से यथा अनुमोदित है।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2023-24 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ड.) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां:

(क) स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

(ख) बिल्डिंग फंड से अर्जित अचल संपत्तियों को प्रति मद ₹ 1 की दर से पूंजीकृत किया गया है और बिल्डिंग फंड में जमा किया गया है। ऐसी संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

परिसंपत्ति का ब्लॉक	वस्तुओं की संख्या	मूल्य (₹ में)
बिल्डिंग्स	1	1
फर्निचर और फिक्स्चर	2,222	2,222
कार्यालय उपस्कर	559	559
कंप्युटर / पेरिफेरल्स	184	184
विद्युत उपस्कर	218	218

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3. मूल्यह्रास:

(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग "सी" की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00% *
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%
कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण)	31.67%	31.67%**

* कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.2020 के आदेश संख्या 6-13/2019-एएंडपी के माध्यम से इन हैंडसेटों को दो वर्षों में मुहैया /बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 50% की दर से प्रभारित किया गया है।

** कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण) जिसमें लैपटॉप और आईपैड शामिल हैं, कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-1/2011-GA के माध्यम से लैपटॉप और आईपैड को क्रमशः चार वर्षों और तीन वर्षों में मुहैया /बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, लैपटॉप और आईपैड पर क्रमशः 25% और 33.33% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

(ग) ₹ 5000 /- रूपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

4. विदेशी मुद्रा निष्पादन

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन-देन को लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ:

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में दिनांक 31 मार्च 2025 के लिए समय-समय पर मौलिक नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों मे प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2024-25 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6. सरकारी अनुदान:

(क) सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के आधार पर सरकारी अनुदानों को लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटर्स और वित्तीय नवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त राशि का हिसाब नकदी आधार पर किया गया है।

ह0 /-

उप सलाहकार (एफ एंड ईए)

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं:

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

अनुसूची-11 में दर्शाई गई बिल्डिंग फंड बैंक बैलेंस राशि ₹ 74.39 करोड़ है, जिसमें जीएसटी के ₹ 56.83 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो जीएसटी परिषद से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए हैं। इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं:

ट्राई के नए कार्यालय भवन की योजना, डिज़ाइन और आंतरिक साज-सज्जा/नवीनीकरण/फ़र्निशिंग कार्यों के लिए ट्राई और एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बीच नवंबर 2022 में एक समझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए, शेष अनुबंध मूल्य के लिए ₹ 3,50,20,790 की राशि प्रतिबद्ध है।

3. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

4. कराधान:

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

5. अनुदान:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भादूविप्रा के दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग से ₹ 97.00 करोड़ की राशि सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

6. निर्धारित अनुदान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भवन निधि के लिए सरकारी अनुदान के रूप में ₹ शून्य की राशि प्राप्त हुई है।

7. पिछले वर्ष के आंकड़े:

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

8. विदेशी मुद्राओं में लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में व्ययः

(क) यात्रा: ₹ 1,45,84,908.00 की राशि विदेश यात्रा व्यय के रूप में खर्च की गई।

(ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों को विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान: विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क के रूप में ₹ 98,67,264.00 की राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था।

(ग) अन्य व्ययः शून्य

9. 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2025 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह0 /-	**ह0 /-**	**ह0 /-**	**ह0 /-**
प्र0 सलाहकार (एफ एंड ईए)	**सचिव**	**सदस्य (टी)**	**अध्यक्ष**

(ग) भादूविप्रा के वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण- अंशदायी भविष्य निधि खाते के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय।

राय

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण- अंशदायी भविष्य निधि खाते के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता/प्राप्तियाँ और भुगतान खाता शामिल है, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 23 (2) के साथ पढ़ा गया है और ट्राई सीपीएफ नियम, 2003 के नियम 5 के साथ पढ़ा गया है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण- अंशदायी भविष्य निधि खाते के साथ दिए गए वित्तीय विवरणों को लेखांकन नीतियों और उन पर नोट्स और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर दिनांक 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं, और इसके वित्तीय प्रदर्शन और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) - सीपीएफ खाते पर लागू खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार है।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" भाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि (ट्राई-सीपीएफ) का प्रबंधन, ट्राई-सीपीएफ पर लागू खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए ज़िम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, जैसा कि प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-नोट/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिससे ट्राई सीपीएफ के खातों पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/-
(खालिद बिन जमाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.10.2025

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-अंशदायी भविष्य निधि खाता (ट्राई सीपीएफ) के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. बैलेंस शीट:	**शून्य**
ख. लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता:	**शून्य**
ग. प्राप्ति एवं भुगतान खाता:	**शून्य**
घ. लेखांकन नीतियाँ:	**शून्य**
ङ. सामान्य:	**शून्य**

च. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

i. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त और समतुल्य है।

ii. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:**

संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त और समतुल्य है।

iii. **अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:**

ट्राई सीपीएफ के पास अचल संपत्तियां नहीं हैं।

iv. **इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:**

ट्राई सीपीएफ के पास इन्वेंट्री नहीं है।

v. **वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमित:**

संगठन वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमित है।

छ. सहायता अनुदान: ट्राई सीपीएफ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

ह0/-
(खालिद बिन जमाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.10.2025

अस्वीकृति: "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि ₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
आय			
बिक्री /सेवाओं से आय	12		
अनुदान /सब्सिडी	13		
शुल्क /अंशदान	14		
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय - निधियों में अंतरित)	15	1,60,35,424.27	1,59,87,703.88
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	1,44,83,224.00	1,35,69,049.00
अन्य आय	18	6,09,623.67	1,69,663.12
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		**3,11,28,271.94**	**2,97,26,416.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,51,084.94	236.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23	3,08,77,187.00	2,97,26,180.00
म्युचुअल फंड में निवेश का मूल्यह्रास			
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल निवल योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**3,11,28,271.94**	**2,97,26,416.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि ₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क-ख)		-	-
निवेशों के मूल्यह्रास के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अंतरित परंतु बट्टे खातों में नहीं डाला गया		-	-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण			
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0 /-
बालू जी0 अय्यर
तकनीकी अधिकारी
(एफ एंड ईए)
सचिव (सीपीएफ)

ह0 /-
अनिल कुमार कौशल
अनुभाग अधिकारी
(जीए) ट्रस्टी

ह0 /-
राजी ज्योजो टी
अनुभाग अधिकारी
(आईटी) ट्रस्टी

ह0 /-
आर. रामानुजम
उप सलाहकार
(एफ एंड ईए) पदेन ट्रस्टी

ह0 /-
विनय कुमार गोयल
उप सलाहकार
(मा.सं.) पदेन ट्रस्टी

ह0 /-
यतिन्द्र अग्रोही
सलाहकार (प्रशासन)
पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
भादूविप्रा - सीपीएफ सदस्य खाता	1	45,53,32,197.00	45,59,68,896.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	68,21,024.35	68,21,024.35
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	3		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	25,11,980.00	-
कुल		**46,46,65,201.35**	**46,27,89,920.35**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		
निवेश - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		
निवेश - अन्य	10	20,90,70,000.00	19,75,70,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	25,55,95,201.35	26,52,19,950.35
विविध खर्चे			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं			
कुल		**46,46,65,201.35**	**46,27,89,950.35**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0 /-
बालू जी0 अय्यर
तकनीकी अधिकारी
(एफ एंड ईए)
सचिव (सीपीएफ)

ह0 /-
अनिल कुमार कौशल
अनुभाग अधिकारी
(जीए) ट्रस्टी

ह0 /-
राजी ज्योजो टी
अनुभाग अधिकारी
(आईटी) ट्रस्टी

ह0 /-
आर. रामानुजम
उप सलाहकार
(एफ एंड ईए) पदेन ट्रस्टी

ह0 /-
विनय कुमार गोयल
उप सलाहकार
(मा.सं.) पदेन ट्रस्टी

ह0 /-
यतिन्द्र अग्रोही
सलाहकार (प्रशासन)
पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - भादूविप्रा - सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
वर्ष के आरंभ में शेष	45,59,68,896.00	41,84,30,377.00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन		
जमा: सदस्यों के खाते में योगदान	-6,36,699.00	3,75,38,519.00
जोड़ें/(कटौती): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) शेष		
आय और व्यय खाता		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**45,53,32,197.00**	**45,59,68,896.00**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. पूंजी आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मल्यांकन आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार	68,21,024.35	68,21,024.35
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	**68,21,024.35**	**68,21,024.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) निधि का आरंभिक शेष		
ख) निधि में वृद्धि		
दान / अनुदान		
निधि के खाते में निवेश से आय		
अन्य जमा (विशेष प्रकृति)		
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
-स्थायी सम्पत्ति		
-अन्य		
कुल		
ii. राजस्व व्यय		
-वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि		
-किराया		
-अन्य प्रशासनिक व्यय		
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)		

टिप्पणियां:-

1. अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2. केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 - प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य - ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 - अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य - ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. चालू देयताएं		
1. स्वीकार्यता		
2. विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3. प्राप्त अग्रिम		
4. प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण / उधार		
ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार		
5. सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6. अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)	-	-
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य (भादूविप्रा को देय)	1,28,552.00	
7. अन्य (सदस्यों को सेवानिवृत्ति लाभ देय)	21,87,628.00	
8. अन्य (लेखा परीक्षा शुल्क देय)	1,95,800.00	
कुल (ख)	**25,11,980.00**	-
कुल (क+ख)	**25,11,980.00**	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी संपत्तियां:										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़होल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एवं उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

(टिप्पणी: किराया क्रय के आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के संबंध में उपरोक्त जानकारी दी जानी चाहिए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - निर्धारित/अक्ष्यनिधियों से निवेश

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
- दीर्घावधि निवेश	20,90,70,000.00	19,75,70,000.00
- चालू निवेश		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	**20,90,70,000.00**	**19,75,70,000.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स		
ख) लूज टूल्स		
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड		
तैयार माल		
कार्य प्रगति पर		
कच्चा माल		
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेषः		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता पर		
- जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	24,47,27,277.00	23,05,00,000.00
- बचत खाते पर	48,41,776.81	4,84,599.80
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता पर		
- जमा खाते पर		
- बचत खाते पर		
5. डाकघर बचत खाता		
कुल (क)	**24,95,69,053.81**	**23,09,84,599.80**

(जारी---)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों /उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशि:		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य - सीपीएफ सदस्यों से वसूली योग्य अग्रिम राशि	9,02,774.00	18,99,477.00
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधारिंत/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश - अन्य पर	45,13,749.87	3,21,72,516.43
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य		
(इसमें अप्राप्त देय आय शामिल है)		
4. दावे प्राप्तयोग्य - ट्राई से वसूली योग्य	6,09,623.67	1,63,357.12
कुल (ख)	**60,26,147.54**	**3,42,35,350.55**
कुल (क + ख)	**25,55,95,201.35**	**26,52,19,950.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 - अनुदान / सब्सिडी

(राशि ₹ में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि ₹ में)

(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	1,60,35,424.27	1,59,87,703.88
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स		
2. लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3. किराया		
4. अन्य		
कुल	**1,60,35,424.27**	**1,59,87,703.88**
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1,44,05,059.00	1,35,04,051.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	78,165.00	64,998.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य		
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
कुल	**1,44,83,224.00**	**1,35,69,049.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क / विविध आय	1,95,800.00	
4. विविध आय - सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त छूट	-	7,000.00
5. अन्य आय - अतिरिक्त बैंक शुल्क प्राप्त	-	26.00
6. ट्राई से वसूली योग्य कमी	4,13,823.67	1,62,637.12
कुल	**6,09,623.67**	**1,69,663.12**

अनुसूची 19 - निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) वेतन एवं मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ) अन्य		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) खरीद		
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय		
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार		
घ) विद्युत एवं पॉवर		
ड़) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		
ज) सीमा शुल्क		
झ) किराया, दर और कर		
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव		
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय		
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय		
त) अंशदान व्यय		
थ) शुल्क पर व्यय		
द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक / अंकेक्षण	1,95,800.00	
ध) आतिथ्य-सत्कार पर शुल्क		
न) पेशवेर शुल्क		
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष	30,166.94	
भ) पैकिंग प्रभार		
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		
य) वितरण व्यय		
र) विज्ञापन एवं प्रचार		
व) अन्य - सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया	25,000.00	
डीएलआईएस		
बैंक एवं वित्त प्रभार	118.00	236.00
कुल	**2,51,084.94**	**236.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) सावधि ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) - सदस्यों को देय ब्याज	3,08,77,187.00	2,97,26,180.00
वित्त प्रभार		
कुल	**3,08,77,187.00**	**2,97,26,180.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24	भुगतान	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
I. आरंभिक शेष			**1. व्यय**		
क) हाथ में नकदी			क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		
1) चालू खाते में			ग) बैंक प्रभार	118.00	236.00
2) जमा खाते में	23,05,00,000.00	-	घ) वित्तीय प्रभार		
3) बचत खाते	4,84,599.80	9,43,504.23	ड़) सरकारी प्रतिभूतियों को भुगतान किया गया प्रीमियम	25,000.00	-
II. प्राप्त अनुदान			च) विविध व्यय	61,011.11	
क) भारत सरकार से			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)			(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
(पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान को अलग-अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न में निवेश से आय			**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)			ख) स्वयं निधि से (निवेश - अन्य)	7,65,00,000.00	8,26,00,000.00
			(निवेश - फ्लेक्सी खाता)		
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर	27,24,261.00	7,69,914.00			
ख) ऋण, अग्रिम आदि			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ग) विविध	1,59,28,772.89	1,60,33,359.56	ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
घ) बचतों पर ब्याज	66,937.00	64,998.00			

(जारी---)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24	भुगतान	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
विविध आय के लिए			क) भारत सरकार को		
सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त छूट के लिए	-	7,000.00	ख) राज्य सरकार को		
बैंक शुल्क के लिए		26.00	ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
ट्राई से वसूली योग्य	1,63,357.12	4,53,862.01	घ) ट्राई को देय		58,200.00
ट्राई को देय		58,200.00	ड़) पूर्व सदस्य को देय	27,097.00	
VI . उधार ली गई राशि					
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**		
शुल्क					
पूंजीगत निधि			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
प्रकाशन की बिक्री			अंतिम भुगतान	2,17,82,566.00	2,41,13,106.00
परिसंपत्तियों की बिक्री			अग्रिम एवं निकासी	5,26,24,487.00	2,04,64,297.00
सदस्यों से अंशदान	3,44,49,173.00	3,88,43,383.00	शेष राशि का स्थानांतरण		
भादूविप्रा से अंशदान	1,06,46,246.00	1,07,03,072.00			
शेष का अंतरण			**VIII. अंतिम शेष**		
अग्रिमों का पुनः भुगतान	11,37,698.00	9,43,120.00	क) हाथ में नकदी		
एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण	9,02,00,000.00	5,89,00,000.00	ख) बैंक शेष		
विविध व्यय	61,011.11		i) चालू खाते में		
दिनांक 31.03.2025 तक सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	1,42,27,277.00		ii) जमा खाते में	24,47,27,277.00	
			iii) बचत खाते मे	48,41,776.81	4,84,599.80
कुल	**40,05,89,332.92**	**12,77,20,438.80**	**कुल**	**40,05,89,332.92**	**12,77,20,438.80**

ह0 /-
बालू जी0 अय्यर
तकनीकी अधिकारी (एफ एंड ईए)
सचिव (सीपीएफ)

ह0 /-
अनिल कुमार कौशल
अनुभाग अधिकारी (जीए) ट्रस्टी

ह0 /-
राजी ज्योजो टी
अनुभाग अधिकारी (आईटी) ट्रस्टी

ह0 /-
आर. रामानुजम
उप सलाहकार (एफ एंड ईए)
पदेन ट्रस्टी

ह0 /-
विनय कुमार गोयल
उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी

ह0 /-
यतिन्द्र अग्रोही
सलाहकार (प्रशासन) पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपराएं:

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450-490 दिनांक 23-7-2007 द्वारा अनुमोदित "खातों के एकसमान प्रारूप" में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) अनुसूची 10 में दर्शाए गए निवेश (निवेश - अन्य) लागत पर किए जाते हैं।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं:

संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे - शून्य

खातों पर टिप्पणियां

1. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू है, में विनिर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किए गए हैं।
2. अनुसूची 10 (निवेश - अन्य) में दर्शाए गए सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत ₹ 20,90,70,000.00 के निवेश और अनुसूची 11 (बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एफडी) में दर्शाए गए ₹ 24,47,27,277.00 के जमा शामिल हैं।
3. दिनांक 01.04.2024 तक सीपीएफ के कुल 105 सदस्य थे और 2024-25 में चार अधिकारी और 1 वाहन चालक सेवानिवृत्त हो गए और ट्राई के दो नए सदस्यों ने दिनांक 17.01.2025 एवं दिनांक 19.03.2025 को कार्यभार संभाला। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2025 तक सीपीएफ सदस्यों की संख्या 102 हो गई।
4. 2024-25 के दौरान ₹ 3,42,93,524 की सदस्यता राशि और ₹ 1,06,46,246 का ट्राई अंशदान प्राप्त हुआ। पूर्ण एवं अंतिम भुगतान ₹ 2,39,70,194 का किया गया।
5. वर्ष के दौरान स्वीकृत निकासी/अग्रिम राशि ₹ 5,26,24,487.00 है। सदस्यों को दिया गया ब्याज ₹ 3,08,77,187.00 है तथा वर्ष 2024-25 के दौरान ,37,698/- है। वर्ष 2024-25 में ₹ 11,37,698/- अग्रिम राशि की वापसी प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 10,02,448/- की राशि वर्ष 2023-24 में किए गए प्रावधान के अनुसार है। वर्ष 2024-25 में "सदस्यों से वसूली योग्य अग्रिम" के अंतर्गत ₹ 1,80,775/- का प्रावधान भी किया गया है और वर्ष 2023-24 में किए गए ₹ 1,75,000/- के अतिरिक्त प्रावधान को भी समायोजित कर दिया गया है।
6. आय की तुलना में व्यय की कमी के कारण ₹ 4,13,823.67 की राशि को अनुसूची 11 और 18 में क्रमशः वसूली योग्य और अन्य आय के रूप में शामिल किया गया है।
7. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते समय एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड को भुगतान की गई ₹ 61,011.11 (दिनांक 20 मार्च से दिनांक 4 अप्रैल, 2025 की अवधि के लिए ₹ 31,125/- और 6 मार्च से 4 अप्रैल, 2025 की अवधि के लिए ₹ 29,886.11) की अर्जित ब्याज राशि को विविध व्यय के तहत दर्ज किया गया था और आरबीआई से प्राप्त राशि को विविध व्यय के साथ समायोजित किया गया है।
8. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के लिए देय ₹ 1,95,800/-, ट्राई को देय ₹ 1,28,552/- और सदस्यों को सेवानिवृत्ति लाभ के लिए देय ₹ 21,87,628/- की राशि का प्रावधान किया गया है।
9. दिनांक 31 मार्च 2024 की अवधि तक सावधि जमा पर ₹ 2,61,49,896/- के लिए अर्जित ब्याज के तहत प्रावधान किया गया था और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सावधि जमा पर अर्जित ब्याज ₹ 1,32,77,381/- को मूल राशि के साथ विलय / पुनर्संमूहित किया गया है।

ह0 /- **बालू जी0 अय्यर** **तकनीकी अधिकारी** **(एफ एंड ईए)** **सचिव (सीपीएफ)**	**ह0 /-** **अनिल कुमार कौशल** **अनुभाग अधिकारी** **(जीए) ट्रस्टी**	**ह0 /-** **राजी ज्योजो टी** **अनुभाग अधिकारी** **(आईटी) ट्रस्टी**	**ह0 /-** **आर. रामानुजम** **उप सलाहकार** **(एफ एंड ईए) पदेन ट्रस्टी**
ह0 /- **विनय कुमार गोयल** **उप सलाहकार** **(मा.सं.) पदेन ट्रस्टी**	**ह0 /-** **यतिन्द्र अग्रोही** **सलाहकार (प्रशासन)** **पदेन अध्यक्ष**		

अस्वीकृति: "यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 मान्य होगा"।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण